

28^{वीं} th

वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT 2019 - 2020



राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)



28th वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2019 - 2020

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं से लाभ उठाते हुए लाभार्थियों का चित्रांकन A Photo feature reaping the benefits of NBCFDC Schemes

सामान्य ऋण योजना General Loan Scheme



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'सामान्य ऋण योजना' के अन्तर्गत वित्त पोषित मध्य प्रदेश का लाभार्थी।

Beneficiary of Madhya Pradesh financed under NBCFDC 'General Loan Scheme'

महिला समृद्धि योजना Mahila Samridhri Scheme



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'महिला समृद्धि योजना' के अन्तर्गत वित्त पोषित कर्नाटक का स्वयं सहायता समूह।

Self Help Group of Karnataka financed under NBCFDC 'Mahila Samridhi Scheme'


नई स्वर्णिमा योजना New Swarnima Scheme



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विशेष योजना 'नई स्वर्णिमा' के अन्तर्गत वित्त पोषित उत्तराखण्ड की लाभार्थी।

Beneficiary of Uttrakhand financed under NBCFDC Special Scheme 'New Swarnima Scheme'

शैक्षिक ऋण योजना Education Loan Scheme



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 'शैक्षिक ऋण योजना' के अन्तर्गत उच्च शिक्षा (एम.बी.बी.एस.) हेतु वित्त पोषित गुजरात का लाभार्थी

Beneficiary of Gujrat financed for higher Education (MBBS) under NBCFDC 'Education Loan Scheme'

लक्षित वर्ग हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम Skill Development Training Programmes for Target Group



दिल्ली में अपोलो मेडस्किल्स द्वारा होम हेल्थ एंड एण्ड जेरिएट्रिक एंड जॉब रोल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान व्यावहारिक प्रशिक्षण।

Practical training during Training Programme conducted by Apollo Medskills in Home Health Aid and Geriatric Aid job role at Delhi.

इंडो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद द्वारा संचालित सीएनसी ऑपरेटर टर्निंग एंड मिलिंग जॉब रोल में प्रशिक्षण कार्यक्रम

Training programme in CNC Operator Turning and Milling job role conducted by Indo-German Tool Room, Ahmedabad



अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर में संचालित सिलाई मशीन ऑपरेटर में प्रशिक्षण कार्यक्रम।

Training programme in Sewing Machine Operator at Indore, Madhya Pradesh conducted by Apparel Training and Design Centre.



मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट – इंजेक्शन मोल्डिंग में सीपेट द्वारा चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में आयोजित प्रैक्टिकल प्रशिक्षण।

Practical training of Machine Operator Assistant – Injection Moulding at Chandrapur (Maharashtra) conducted by CIPET



विपणन संयोजन / Marketing Linkages

शिल्पोत्सव नवम्बर, 2019 / SHILPOTSAV, November, 2019

श्री थावरचन्द गेहलोट, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार "शिल्पोत्सव-2019" में लाभार्थियों से वार्ता करते हुए। इस अवसर पर श्री के. नारायण, प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।



Shri Thaawar Chand Gehlot, Hon'ble Union Minister of Social Justice & Empowerment (SJ&E), Govt. of India interacting with beneficiaries at "Shilpotsav -2019". Shri K. Narayan, MD, NBCFDC and other officials were also present.

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला – 2019
India International Trade Fair - 2019



श्री के. नारायण, प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. 'भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2019' में आन्ध्र प्रदेश के लाभार्थी से वार्ता करते हुए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

Shri K. Narayan, MD, NBCFDC interacting with Andhra Pradesh beneficiary at 'India International Trade Fair - 2019'. Other officials were also present at the occasion.

सूरजकुण्ड क्राफ्ट मेला, हरियाणा, फरवरी, 2020
Surajkund Craft Mela, Haryana, February, 2020



हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुण्ड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला – 2020 में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा विकसित क्लस्टर के असम का लाभार्थी।

Beneficiaries from Cluster developed by NBCFDC in Assam at Surajkund International Craft Mela – 2020 at Faridabad, Haryana

सीएसआर और जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पहल Initiatives under CSR and Awareness Programme



राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा झुन्झुनु, राजस्थान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

Awareness Programme organized by Rajasthan Other Backward Classes Finance and Development Cooperative Corporation Ltd. at Jhunjhunu, Rajasthan.



गुजरात नोमेडिक एण्ड डीनोटीफाइड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा हिमातनगर, गुजरात में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

Awareness Programme organized by Gujarat Nomadic and Denotified Tribes Development Corporation at Himatnagar, Gujarat.



केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. द्वारा मालाप्पुरम, केरल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

Awareness Programme organized by Kerala State Backward Classes Development Corporation Ltd. at Malappuram, Kerala.



हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाईनैस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

Awareness Programme organized by Himachal Backward Classes Finance and Development Corporation at Baijnath, Himachal Pradesh.

सीएसआर और जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पहल Initiatives under CSR and Awareness Programme



असम में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को दवाएं आदि प्रदान करते हुए

Providing Medicines etc. to persons affected by floods in Assam



अलीगढ़ (उ.प्र.) में वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर।

Vending machine & Incinerator at Aligarh (UP).



मेवात (हरियाणा) के एक स्कूल में खेल प्रशिक्षण
Sport Training at a school in Mewat (Haryana)





ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चिकित्सा शिविर
Medical Camps for Transgender Community

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम National Backward Classes Finance & Development Corporation

वर्षवार सकल उपभोग एवं सकल वसूली की धनराशि


Yearwise Cumulative Utilized Amount & Cumulative Recovery Amount



Not to Scale

31-03-2020 को अधिकृत अंश पूंजी, प्रदत्त अंश पूंजी, संचयी वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी

Authorized Share Capital, Paid-up Share Capital, Cumulative Amount Disbursed and Beneficiaries Assisted upto 31.03.2020



Not to Scale

वर्ष 2018-2019 एवं 2019-2020 के दौरान आवंटन, वितरण, वसूली, प्रशिक्षित लाभार्थी, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की उपलब्धियों का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण।

Comparative presentation achievement of Allocation, Disbursement, Recovery, Beneficiaries trained & assisted during 2018-19 & 2019-20.

राजभाषा हिन्दी कार्यकलाप Rajbhasha Hindi Activities



निगम को नराकास, दिल्ली (उपक्रम-2) द्वारा नराकास कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निर्वहन हेतु हडको के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सहायक निदेशक एवं अन्य महानुभावों की उपस्थिति में दिनांक 23.01.2020 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में शील्ड प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। निगम की ओर से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री सुरेश कुमार शर्मा, उप महाप्रबन्धक एवं राजभाषा प्रभारी व श्री मो. जावेद अहमद खाँ, राजभाषा अधिकारी।



निगम की कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लेते हुए निगम के प्रबंध निदेशक, श्री के. नारायण एवं अन्य सदस्य गण।



हिन्दी कार्यशाला में भाग लेते हुए निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी।

निदेशक मण्डल
BOARD OF DIRECTORS



Shri K. Narayan
Managing Director



Shri Sanjay Pandey
JS & FA, SJ&E, GOI, Director



Shri Pravir Krishna
MD, TRIFED, Director



Dr. Subhransu Sekhar Acharya
GM, SIDBI, Director



Shri Vivek Krishna Sinha
GM, NABARD, Director

28वीं
वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2019-2020

निदेशक मंडल
Board of Directors

श्री के. नारायण
प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.
नई दिल्ली

Sh. K. Narayan
Managing Director, NBCFDC
New Delhi

श्री संजय पाण्डे,
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

Shri Sanjay Pandey
Joint Secretary & FA,
Ministry of SJ&E,
Govt. of India,

श्री प्रवीर कृष्ण
प्रबन्ध निदेशक, ट्राइफेड,
नई दिल्ली

Shri Pravir Krishna
Managing Director, TRIFED
New Delhi

डा० सुभ्राशू शेखर आचार्य
महाप्रबन्धक, सिडबी, नई दिल्ली

Dr. Subhransu Sekhar Acharya
GM, SIDBI, New Delhi

श्री विवेक कृष्ण सिन्हा
महाप्रबन्धक, नाबार्ड, दिल्ली

Shri Vivek Krishna Sinha
GM, NABARD, New Delhi

प्रबन्ध निदेशक / Managing Director : श्री के. नारायण

Sh. K. Narayan

म.प्र. (वित्त) एवं कंपनी सचिव/
GM (Fin.) & Company Secretary : श्री अजित कुमार सामल

Sh. Ajit Kumar Samal

लेखा परीक्षक / Auditors : मेसर्स एन.के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्स
नई दिल्ली

M/s. N.K.S. Chauhan & Associates
Chartered Accountants
New Delhi

मुख्य बैंकर्स / Principal Bankers

- केनरा बैंक, नई दिल्ली
- पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली
- बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली
- आई.डी.एफ.सी. फस्ट बैंक, नई दिल्ली
- एच.डी.एफ.सी. बैंक, नई दिल्ली

- Canara Bank, New Delhi
- Punjab National Bank, New Delhi
- Bank of Baroda, New Delhi
- IDFC FIRST Bank, New Delhi
- HDFC Bank, New Delhi



Letter to the Shareholders

LADIES & GENTLEMEN,

On behalf of the Board of Directors of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) and on my own behalf, I am pleased to present to 28th Annual Report of the Corporation.

I am indeed privileged to be the Chief Executive of this Corporation working towards the objective to promote economic and developmental activities for the benefit of Backward Classes and to assist the poorer section of these classes in skill development and self-employment ventures. Your Corporation provides financial assistance through State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments/Union Territories and additionally through Public Sector & Regional Rural Banks (PSBs & RRBs) entering into MoA with NBCFDC.

During the financial year 2019-20, your Corporation received equity support of Rs. 130.00 crores from the Ministry of SJ&E thereby enhancing paid-up share capital from Rs. 1314.00 crores to Rs. 1444.00 crores as on March 31, 2020.

Against above, I am extremely pleased to report that during the year with the collective efforts made by all the employees of the Corporation and with the support and guidance of Ministry of social Justice & Empowerment, Government of India, your Corporation has been in a position to attain an all-time high total disbursement of Rs. 604.17 crores which translates into a 15.24% increase as compared to Rs. 524.28 crores disbursed in the previous year and registered a turnover of Rs. 50.77 crore as against Rs.47.62 Crores during previous year. During the year, the Operating income of the Corporation has increased from Rs. 40.78 crores to Rs. 48.04 cores. The surplus funds generated will be used to enhance the level of disbursement to the target group. The net worth of your corporation stood at Rs. 1947.75 crores as compared Rs. 1791.47 crores as on 31.03.2019.

NBCFDC has been consistently increasing its outreach to the beneficiaries and so far has assisted over 27.65 lakh beneficiaries (appx.) with a loan amount over Rs. 5171.77 crores through SCAs/CPs thereby training around the equity support received from Government by over 3.6 times. SCAs have reported cumulative utilization of 100% of funds disbursed to them.

NBCFDC gives adequate attention to recovery of Loan from SCAs. As a result of continuous follow-up, the Corporation was able to recover Rs. 3600.35 Crore as against cumulative dues of the Rs.3695.67 Crore as on 31.03.2019. The cumulative amount of recoveries of Rs.3600.35 Crore comprises of Rs. 3038.90 Crore as principal and Rs. 561.45 Crore as interest/other charges. Cumulative recoveries against cumulative demands on SCAs stood at 97.44% as on 31st March, 2020. We are diligently following up with the state governments from whom recovery has not been up to the mark.

Last but not least, with a view to incentivize effective and efficient implementation of NBCFDC schemes, your Corporation introduced various progressive initiatives which included the productivity linked Grant-in-Aid (PLGIA) scheme, Technology Up-gradation Scheme and Liberalized One time Settlement (OTS) schemes. I am pleased to share that the Annual Accounts of the Corporation for the year 2019-20 also has been audited by the Comptroller & Auditor General of India.

As part of its developmental activities, your Corporation facilitated skill development training to 30491 beneficiaries under the schemes of Skill Development Training Programme using internal resources, grants from Ministry of SJE and additionally implementing CSR programmes of other CPSEs. These included 26451 fresh skilling & 4040 up-



अंशधारकों को पत्र

देवियों और सज्जनो,

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम(एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के निदेशक मंडल की ओर से तथा अपनी ओर से निगम की 28वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

मुझे वास्तव में उस निगम का मुख्य कार्यकारी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देने और कौशल विकास व स्वरोजगार उद्यमों में इन वर्गों के गरीब वर्ग की सहायता करने के उद्देश्य से काम कर रहा है। आपका निगम संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ सहमति पत्र हस्ताक्षरित कर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में आपके निगम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से इक्विटी सहयोग के रूप में रु. 130 करोड़ प्राप्त हुए थे जिसके फलस्वरूप 31.03.2020 को निगम की प्रदत्त अंशपूंजी रु. 1314.00 करोड़ से बढ़कर रु. 1440.00 करोड़ रूपये हो गई है।

उपरोक्त के सापेक्ष, मुझे यह सूचित करने हुए भी प्रसन्नता है कि निगम के समस्त कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहयोग एवं मागदर्शन के फलस्वरूप आपका निगम अब तक सबसे अधिक अर्थात् कुल रु. 604.17 करोड़ का संवितरण करने में सफल रहा तथा गत वर्ष संवितरित की गई धनराशि रु. 524.28 करोड़ में 15.24% की वृद्धि दर्ज की गई एवं आपके निगम ने गत वर्ष के टर्नओवर रु. 47.62 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान रु. 50.77 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया है। इस प्रकार सृजित आधिक्य आय का उपभोग लक्षित समूह के लिए संवितरण का स्तर बढ़ाने के लिए किया जाएगा। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार आपके निगम की सकल सम्पत्ति रु. 1791.47 करोड़ से बढ़कर रु. 1947.75 करोड़ हो गई है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. निरंतर लाभार्थियों तक अपनी पहुँच बढ़ाता रहा है एवं अब तक एस.सी.ए./चौनल पार्टनर के माध्यम से रु. 5171.71 करोड़ की ऋण राशि संवितरित कर 27.65 लाख से अधिक लाभार्थियों (लगभग) को सहायता उपलब्ध करा चुका है। इस प्रकार से सरकार से प्राप्त अंश सहायता का 3.4 गुणा से अधिक का वितरण किया गया है। एस.सी.ए. द्वारा उनको वितरित धनराशि के 100% सकल उपभोग को सूचित किया गया है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से ऋणों की वसूली हेतु पर्याप्त ध्यान देता है। सतत निगरानी के परिणाम स्वरूप दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार सकल बकाया रु. 3695.67 करोड़ के सापेक्ष रु. 3600.35 करोड़ की वसूली करने में सफल हुआ है। रु. 3600.35 करोड़ की सकल वसूली में रु. 3038.90 करोड़ मूलधन एवं रु. 561.45 करोड़ ब्याज/अन्य प्रभार सम्मिलित हैं। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से सकल मांग के सापेक्ष सकल वसूली 97.44% है। हम पूर्ण कर्मठता से उन राज्य सरकारों के साथ अनुसरण कर रहे हैं जिनसे वसूली का स्तर ठीक नहीं है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आपके निगम ने वर्ष के दौरान विभिन्न प्रगतिशील पहलों की शुरुआत की जिसमें उत्पादकता से संबद्ध अनुदान-सहायता योजना (पी.एल.जी.आई.ए.), प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना और उदार एक-मुश्त अदायगी योजना (ओ.टी.एस.) आरंभ की है। मुझे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि निगम के वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई है।

विकासात्मक कार्यकलापों के अंग के रूप में, आपके निगम ने आंतरिक संसाधनों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त अनुदान और इसके अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय लोक उद्यमों के सी.एस.आर. धनराशियों का उपयोग करते हुए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजनाओं के तहत 30491 लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया। इसमें कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) के तत्वावधान में विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों और सेक्टर स्किल काउंसिल्स (एस.एस.सी.) के तहत 26451 व्यक्तियों को फ्रेस स्किलिंग व 4040 व्यक्तियों को अप-स्किलिंग कार्यक्रम शामिल थे, क्रियान्वित किए गए।

skilling programmes implemented by various government Training Institutions & Sector Skill Councils (SSCs) under the aegis of Ministry of Skill Development Entrepreneurship (MSDE). All training programmes are being imparted as per the guidelines of the Common Norms issued by MSDE.

Your Corporation undertook an initiative of holding Awareness-cum-Credit Camps with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group for having interface with the officials of banks/channel partners. During the year, coordinating with State Channelizing Agencies (SCAs) and Regional Rural Banks / Public Sector banks, 85 awareness camps were organized, in which large number of prospective beneficiaries attended and registered their names for availing loan from channel partners at concessional rate of interest.

Not restricting on its laurels of being a social sector enterprise, your Corporation has been funding much needed intervention at grass-root level for the poor & marginalized as a part of its Corporate Social Responsibility (CSR). It is noteworthy that NBCFDC surpassed the minimum statutory targets of CSR spending by cumulatively spending Rs. 3.44 crore as against the minimum Rs. 3.14 crore as at end of the year. In this regard, I have pleasure in informing that as part of CSR initiative and Swachh Bharat Mission, the Corporation sponsors free health and eye check-up camps to provide facilities to the poor to promote their healthy and hygienic living. During the year, 57 such camps were organized in some States, where more than 16021 patients registered and about 4500 free spectacles were distributed to the poor. It is also noteworthy to inform that cleanliness and hygiene support was provided for maintaining seventy rescue shelters for homeless in Delhi' by providing hand sanitizer, masks and other cleaning materials and nutrition support kits were provided to 500 vulnerable waste picker's families in Karnataka to face Covid-19 related crises.

NBCFDC also undertook other CSR activities in various parts of the country for holistic development of students, providing clean drinking water, providing emergency flood relief support in Assam, Health Support in Muzaffarpur, Bihar etc. The information areas also included Mewat, which is an aspirational district in Haryana.

You Corporation ensures all the payments be made through e-transfer to the SCAs/Vendors/employees etc. NBCFDC has also advised to its Channel Partners to make all the payments strictly through e-transfer to the Aadhaar Seeded Bank Accounts of the beneficiaries. NBCFDC has also directed to all its Channel Partners to submit the details of DBT in "cash" basis and in "Kind" basis in the prescribed format.

Your Corporation has developed & implemented "Loan and Employee Information Automation Project (LEAP)" for transparent & hitch free monitoring of loan disbursement, recoveries and employee compensations. The project aims to automate the Loan and HR Management activities and also facilitates maintenance of information pertaining to grants given to Training Institutes/ Sector Skill Councils. It will cater on-line to all activities involved in financing of projects including annual Action Plan, submission of loan proposal by SCAs, approval of the loan proposal(s) by NBCFDC, release of funds by NBCFDC, submission of UCs/Recovery by SCAs/CPs.

ACKNOWLEDGEMENTS

I take this opportunity to express my deep appreciation for the valuable support and guidance given by the Members of the Board from time to time. I will also like to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Government of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, SCAs, State Governments, Statutory as well as Internal Auditors of the Corporation, officials of the C&AG, bankers of the Corporation and above all, employees of the Corporation whose sincere efforts were instrumental in achieving such exemplary result.

I convey my special thanks to all other stakeholders of the Corporation for their valuable support and cooperation and reposing continued confidence in the Corporation's management.

I am confident that with a dedicated and committed resource of employees and valuable support of our esteemed stakeholders, your Corporation will continue to surpass its targets and enhance value to its target group.

With best wishes,

Place: New Delhi

Date : 30.12.2020

Sd/-
(K. Narayan)
Managing Director

Note: This does not purport to be a record of the proceedings of the Annual General Meeting.

सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय जारी मानदंडों के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं।

आपके निगम ने अपनी योजनाओं के संबंध में जागरूकता फैलाने तथा लक्ष्य समूह को बैंकों के अधिकारियों/चैनल सहभागियों के साथ सम्पर्क के अवसर प्रदान करने के लिए जागरूकता-सह-ऋण शिविर आयोजित किए। वर्ष के दौरान निगम ने एस.सी.ए. एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर 85 जागरूकता शिविर आयोजित किए जिनमें लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्तियों ने भारी संख्या में भाग लिया तथा रियायती ब्याज दर पर चैनल भागीदारों से ऋण लेने के लिए अपने नाम दर्ज करवाए।

सामाजिक क्षेत्र के उद्यम होने के नाते अपने कार्यों तक सीमित न होते हुए, आपका निगम निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के कार्य के रूप में गरीब वंचित व्यक्तियों के लिए जमीनी स्तर पर अति आवश्यक हस्तक्षेप कर वित्त पोषित कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने वर्ष की समाप्ति पर रु. 3.14 करोड़ के सापेक्ष रु. 3.44 करोड़ का सकल वितरण कर निगमित सामाजिक दायित्व के न्यूनतम व्यय लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस संबंध में, मुझे यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि सी.एस.आर. पहल और स्वच्छ भारत अभियान के रूप में, निगम स्वच्छ और स्वस्थ जीवन हेतु गरीबों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य और आंखों की जाँच के शिविर प्रायोजित करता है। वर्ष के दौरान, कुछ राज्यों में ऐसे 57 शिविर आयोजित किए गए, जहां 16021 से अधिक मरीजों को पंजीकृत किया गया और गरीबों को लगभग 4500 चश्मे मुफ्त वितरित किए गए। यह भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली में बेघरों के लिए सत्तर बचाव आश्रयों के अनुरक्षण के लिए सफाई और स्वच्छता सहायता- हैण्ड सैनेटाइजर, मास्क एवं अन्य सफाई सामग्री तथा कर्नाटक के 500 असुरक्षित कूड़ा बीनने वाले परिवारों को कोविड-19 से संबंधित संकट का सामना करने के लिए किराएँ उपलब्ध कराई हैं।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने छात्रों के समग्र विकास, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, असम में आपात बाढ़ राहत सहायता प्रदान करने, मुजफ्फरपुर, बिहार में स्वास्थ्य सहायता आदि के लिए देश के विभिन्न भागों में अन्य सी.एस.आर. कार्यकलापों को भी संचालित किया गया। सूचना क्षेत्रों में मेवात भी शामिल था, जो हरियाणा का आकांक्षी जिला है।

आपका निगम यह सुनिश्चित करता है कि एस.सी.ए./विक्रेताओं/कर्मचारियों आदि को किए जाने वाले भुगतान इलेक्ट्रॉनिक अंतरण (ई-ट्रंसफर) के माध्यम से किए जाएं। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल सहभागियों को भी सलाह दी गई है कि लाभार्थियों को आधार से जुड़े बैंक खातों में ई-ट्रांसफर के माध्यम से ही भुगतान किए जाएँ। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने अपने सभी चैनल सहभागियों को भी निर्देश दिए हैं कि डी.बी.टी. का विवरण "नकदी" तथा 'वस्तु' आधार पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

आपके निगम ने ऋण वितरण, वसूली और कर्मचारी मुआवजे की पारदर्शी और बाधा मुक्त निगरानी के लिए "ऋण और कर्मचारी सूचना स्वचालन परियोजना (लीप)" को विकसित और कार्यान्वित किया है। इस परियोजना का उद्देश्य ऋण और मानव संसाधन प्रबंधन कार्यकलापों को स्वचालित करना है और प्रशिक्षण संस्थानों/सेक्टर स्किल काउंसिलों को दिए गए अनुदानों से संबंधित सूचनाओं के रख-रखाव की सुविधा भी प्रदान करना है। यह वार्षिक कार्य योजना सहित परियोजनाओं के वित्त पोषण में सम्मिलित सभी कार्यकलापों जिसमें एस.सी.ए. द्वारा ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करना, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा ऋण प्रस्ताव को मंजूरी देना, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा धनराशि जारी करना, एस.सी.ए./चैनल सहभागियों द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र/वसूली सम्मिलित है, को ऑन-लाइन संचालित करेगा।

आभार

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसियों, राज्य सरकारों, निगम के सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों, निगम के बैंकर्स से प्राप्त सहयोग व मार्गदर्शन तथा निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा से किए गए प्रयासों की हृदय से सराहना करता हूँ क्योंकि उनके सत्यनिष्ठ एवं भरपूर प्रयासों के बिना ऐसे शानदार परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते थे।

मैं निगम के अन्य सभी हितधारकों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने निगम के प्रबंधन में अपना सतत विश्वास बनाए रखा तथा अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया।

मुझे विश्वास है कि समर्पित और प्रतिबद्ध मानव संसाधन एवं हमारे सम्मानित हितधारकों के मूल्यवान समर्थन के साथ, आपका निगम अपने लक्ष्यों से अधिक कार्य करना जारी रखेगा और अपने लक्षित समूह की उपयोगिता को बढ़ाएगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

ह0/-

(के. नारायण)

प्रबन्ध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30.12.2020

टिप्पणी- इसे वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड न माना जाए।

विषय सूची Contents

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
1	सूचना Notice	1-2
2	निदेशकों का प्रतिवेदन Director's Report	3-84
3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ Comments of C & AG of India	85-87
4	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditor's Report	88-94
5	तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) Balance Sheet	95
6	आय एवं व्यय लेखा Income & Expenditure Account	96
7	रोकड़ प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	97
8	अंश पूंजी में परिवर्तन विवरण Changes in Equity Statement	98
9	लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ Note and Accounting Policies	99-143

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक Annexures to the Director's Report

अनुलग्नक Annexure	शीर्षक Title	पृष्ठ संख्या Page No.
1	चैलन सहभागियों की सूची List of Channel Partners	23-25
2	भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU with Govt. of India	26
2.1	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष में उपलब्धियां बनाम लक्ष्य Achievements vs Targets for the year ended 31st March, 2020	27
3	वर्ष 2017-18 से 2018-19 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/क्षे.ग्रा.बैंक/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक-वार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement Showing SCA/RRB/PSB wise disbursement & No. of Beneficiaries Assisted during 2017-18 to 2018-19	28-30
3.1	जिन्होंने वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान धनराशि आहरित न करने वाले राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) की स्थिति Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2019-20	31-32
3.2	वर्ष 2019-20 की अवधि में रा.चै.ए./आर.आर.बी./पी.एस.बी./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी SCA/RRB/PSB/State-wise & Scheme-wise loan disbursement and beneficiaries assisted during the year 2019-20	33-34
3.3	वर्ष 2019-20 के दौरान राज्यवार/योजनावार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या State-wise/Scheme-wise disbursement and No. of Beneficiaries assisted during 2019-20.	35-36
3.4	नई स्वर्णिमा एवं महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत वितरित सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement showing details of Women Beneficiaries assisted under New Swarnima Scheme, Mahila Samridhi Yojana	37
3.5	वर्ष 2019-20 के लिए सी.एस.आर. कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट Annual Report on CSR Activities for the year 2019-20	38-39

अनुलग्नक Annexure	शीर्षक Title	पृष्ठ संख्या Page No.
3.6	वित्तीय वर्ष 2019–20 की अवधि में निगमित सामाजिक दायित्व पर किए गए व्यय CSR expenditure spent during the financial year 2019-2020	40-43
3.7	वित्तीय वर्ष 2019–20 की अवधि में निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलाप / परियोजनाएं CSR Activities/Projects during the year 2019-2020	44-45
4	31 मार्च, 2020 तक एस.सी.ए. वार/राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement showing SCA-wise/State-wise cumulative dues and recoveries upto 31st March, 2020.	46-48
5	वर्ष 2019–20 के लिए संस्था–वार स्वीकृति एवं वितरण चार्ट Institute-wise Sanction & Disbursement Chart for the year 2019-2020	49-71
6	विपणन संयोजन (2019–20) Marketing Linkages (2019-2020)	72
7	क. पुडुचेरी राज्य में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की ऋण योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन ख. असम राज्य में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन A. Evaluation Study of Loan Schemes of NBCFDC in the State of Puducherry. B. Evaluation Study of Skill Development Training Programme of NBCFDC in State of Assam.	73-78
8	कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कॉरपोरेट प्रशासन पर प्रमाण–पत्र Report of Directors on Corporate Governance & Certificate on Corporate Governance	79-84

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

No. NBCFDC/AGM-28/2020/1232-1239

Date: 22.12.2020

NOTICE

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the Shareholders of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) will be held on Wednesday, the 30th Day of December, 2020 at 2.00 PM through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following businesses. The venue of the meeting shall be deemed to be at the Registered Office of the Company at 5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1: To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Corporation for the financial year ended March 31, 2020, together with reports of the Directors, Auditors' and comments of Comptroller of Auditor General of India thereon.

BY THE ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

(Ajit Kumar Samal)

GM (F) & Company Secretary

Place : New Delhi

Dated : 22.12.2020

Notes:

1. Pursuant to the General circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM" or "Meeting") through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM.
2. Pursuant to the provisions of the Act, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf. However, In terms of Rule 19(1) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 a member of a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (corresponding to section 25 of Companies Act, 1956) shall not be entitled to appoint any other person as his/her proxy unless such other person is also a member of such company. As the Company has only two members, both the members are to attend the AGM to constitute the quorum. Further, since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars on AGM through VC / OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, members attending the AGM through VC / OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.
3. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Company on or before 24th December, 2020 through email on cs@nbcfdc.gov.in. The same will be replied by the Company suitably.
4. Participating the meeting and accessing the Video conferencing (VC)

The mechanism of participating in the meeting through video conferencing is as under;

- i) VC - DSJE 3 - Code 30122 - NBCFDC - Annual General Meeting (AGM)
- ii) Web Link: <https://desktopvc.nic.in/flex.html?roomdirect.html&key=1Gja9jXrtF>
- iii) Webroom DSJE 3, Pin 30122

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

सं.एन.बी.सी.एफ.डी.सी./ए.जी.एम.-28/2020/1232-1239

दिनांक: 22.12.2020

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के अंशधारकों की 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक निम्नलिखित व्यवसायों हेतु दिनांक 30 दिसंबर, 2020, दिन बुधवार को, अपराह्न 2.00 बजे से वीडियो कांफ्रेंसिंग (वी.सी.)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओ.ए.वी.एम.) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय-5वां तल, एन.सी.यू.आई. भवन, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 को माना जाएगा।

सामान्य व्यवसाय:

मद सं.1 : 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ निदेशकों, अंकेक्षकों के प्रतिवेदन एवं उस पर भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त, विचार एवं अंगीकार करना।

निदेशक मण्डल के निदेशकों के आदेश से,

ह0/-

(अजित कुमार सामल)

म.प्र. (वित्त) एवं कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 22.12.2020

टिप्पणियाँ:

1. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 20/2020, 14/2020, 17/2020 (जिन्हें समग्र रूप से "एम.सी.ए. परिपत्र" के रूप में माना जाता है) के आधार पर सामान्य स्थल पर सदस्यों की दैहिक उपस्थिति के बिना वार्षिक सामान्य बैठक ("ए.जी.एस." अथवा "बैठक") का आयोजन वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आहूत करने की अनुमति दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों एवं एम.सी.ए. के परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आहूत की जा रही है।
2. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है। तथापि, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19 (1) की शर्तों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुरूप) की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी का कोई सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसा अन्य व्यक्ति भी इस कंपनी का सदस्य न हो। चूंकि कंपनी के केवल दो सदस्य हैं, अतः कोरम को पूरा करने के लिए दोनों सदस्यों को वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेना है। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह वार्षिक सामान्य बैठक एम.सी.ए. के परिपत्रों के अनुपालन में वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आहूत की जा रही है अतः सदस्यों की दैहिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, कोरम के उद्देश्य से वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत की जाएगी।
3. वार्षिक सामान्य बैठक में रखे जाने वाले खातों या किसी भी मामले के संबंध में कोई भी जानकारी मांगने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे cs@nbcfdc.gov.in को ई-मेल के माध्यम से 24 दिसंबर, 2020 तक या उससे पहले कंपनी को लिखें। कंपनी द्वारा इसका जवाब उचित रूप से दिया जाएगा।
4. बैठक में भाग लेने और वीडियो कांफ्रेंसिंग (वी.सी.) तक पहुंच बनाना वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने का तंत्र इस प्रकार है:
 - i) VC - DSJE 3 - Code 30122 - NBCFDC - Annual General Meeting (AGM)
 - ii) वेब लिंक: <https://desktopvc.nic.in/flex.html?roomdirect.html&key=1Gja9jXrtF>
 - iii) Webroom DSJE 3, Pin 30122

5. Steps to join VC meeting

- a. Please copy the link and paste it into the URL field of Internet Explorer/Google Chrome/Mozilla. It will download and install vidyo desktop for accessing video conferencing through laptop/desktop if the Vidyo Desktop is not installed in your system.
- b. Once it is ready, enter your name, Select Camera, Microphone & Speaker you are using and click to join the meeting.
- c. For joining from Mobile Devices, Install Mobile App (VidyoMobile) from Play store/App store and then Click on the above link.
- d. The pre-requisite at each user location :
 - User should have minimum Internet connection of 2 Mbps from any service provider (Broadband/FTTH/4G etc)
 - A Desktop/Laptop working in windows (Recommended).
 - Wired Earphone/Headphones with Microphone (Strongly recommended) or External USB camera integrated with microphone .Speaker can also be used.
- e. General Instructions:
 - Please use Earphone / Headsets (Strongly recommended)
 - Only one person shall speak at any given point.
 - Mute your Microphone from the software (Click on Microphone symbol to Mute / Unmute appraing on the screen).
 - Disconnect the call once conference is over, which would make the resource valuable for others.
- f. The facility for joining the meeting shall be kept open at 10 minutes before the scheduled time of the meeting.
- g. Those having issues in connecting can contact Sh. Sanjay Sharma (9811015675) & Mr. Ramesh Yadav (9999811874),

To :

1. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi (Member is representing the President of India)
2. The Joint Secretary (BC), Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi (Member).

Copy to:

M/s N.K.S.Chauhan & Associates	}	With the request to make it convenient to
Chartered Accountants,	}	attend the meeting on scheduled date and
C-62, Basement, South Extension	}	time as mentioned above.
Part-I, New Delhi-110049	}	

Special Invitees

With the request to kindly make it convenient to attend 28th Annual General Meeting (AGM) of NBCFDC scheduled to be held on Wednesday, the 30th Day of December, 2020 at 2.00 PM through Video Conferencing (“VC”)/ Other Audio Visual Means (“OAVM”). The venue of the meeting shall be deemed to be at Registered Office of the Company at 5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Sh. K. Narayan | Managing Director |
| 2. | Sh. Pravir Krishna, MD, TRIFED | Director |
| 3. | Shri Sanjay Pandey, JS&FA, MOSJE | Director |
| 4. | Dr. Subranshu Sekhar Acharya, GM, SIDBI | Director |
| 5. | Shri Vivek Krishna Sinha GM, NABARD | Director |

5. वी.सी. बैठक में भाग लेने के चरण
- क. लिंक को कॉपी करें और इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर/गूगल क्रोम/मोजिला के यू.आर.एल. फ़ील्ड में पेस्ट कर दें। यदि आपके सिस्टम में Vidyo डेस्कटॉप संचालित नहीं है तो यह लिंक लैपटॉप/डेस्कटॉप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक पहुंचने के लिए vidyo डेस्कटॉप डाउनलोड और इंस्टॉल करेगा।
 - ख. जब यह तैयार हो जाए, तो अपना नाम दर्ज करें, कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर का चयन करें, जिसका उपयोग आप कर रहे हैं और बैठक में शामिल होने के लिए क्लिक करें।
 - ग. मोबाइल डिवाइसेज से जुड़ने के लिए प्ले-स्टोर/ऐप-स्टोर से मोबाइल ऐप (VidyoMobile) संचालित करें और उसके बाद उपरोक्त लिंक पर क्लिक करें।
 - घ. प्रत्येक उपयोगकर्ता स्थान पर पूर्व-अपेक्षित है:
 - उपयोगकर्ता के पास किसी भी सेवा प्रदाता (ब्रॉडबैंड/एफ.टी.टी.एच./4जी आदि) से 2 एम.बी.पी.एस. का न्यूनतम इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए।
 - विन्डो में काम करने वाला डेस्कटॉप/लैपटॉप (अनुशंसित)।
 - वायर्ड इयरफोन/माइक्रोफोन के साथ हेडफोन (दृढ़ता से अनुशंसित) या बाहरी यू.एस.बी. कैमरा माइक्रोफोन के साथ एकीकृत। स्पीकर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
 - ङ. सामान्य निर्देश:
 - कृपया इयरफोन/हेडसेट का प्रयोग करें (दृढ़ता से अनुशंसित)
 - एक समय में केवल एक ही व्यक्ति बोलेगा।
 - साफ्टवेयर के माध्यम से अपना माइक्रोफोन म्यूट करें (म्यूट करने के लिए माइक्रोफोन चिन्ह को क्लिक करें/स्क्रीन पर आने के लिए अनम्यूट करें)!
 - सम्मेलन खत्म होने पर कॉल को डिस्कनेक्ट करें, जो दूसरों के लिए संसाधन को मूल्यवान बनाएगा।
 - च. बैठक में सम्मिलित होने की सुविधा बैठक के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले खुल जाएगी।
 - छ. जुड़ने में समस्या होने पर श्री संजय शर्मा (9811015675) व श्री रमेश यादव (9999811874) से संपर्क करें।

सेवा में :

1. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि सदस्य)
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सदस्य)

प्रतिलिपि:

मेसर्स एन.के.एस. चौहान एण्ड एसोसिएट	}	इस अनुरोध के साथ कि कृपया ऊपर दर्शाए गई तिथि
चार्टर्ड एकाउंटेंट	}	एवं समय पर बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।
सी-62, बेसमेंट, साउथ एक्सटेंशन,	}	
पार्ट-1, नई दिल्ली-110049	}	

विशेष आमंत्रि

इस अनुरोध के साथ कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की दिनांक 30 दिसंबर, 2020 को अपराह्न 2.00 बजे से वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वी.सी.")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओ.ए.वी.एम.") के माध्यम से आयोजित होने वाली 28वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) में भाग लेने का कष्ट करें। बैठक का स्थान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय- 5वां तल, एन.सी.यू.आई. भवन, 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 को माना जाएगा:

1. श्री के. नारायण प्रबन्ध निदेशक
2. श्री प्रवीर कृष्ण, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड निदेशक
3. श्री संजीव पाण्डेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय निदेशक
4. डॉ. एस. शेखर आचार्य, महाप्रबंधक, सिडबी निदेशक
5. श्री विवेक कृष्ण सिन्हा, महाप्रबंधक, नाबार्ड निदेशक

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors are pleased to present the 28th Annual Report on the business and operations of your Corporation together with the Audited Financial Statements and Auditors' Report thereon for the financial year ended on 31.03.2020.

1. CORPORATE PROFILE

- NBCFDC is a Govt. of India Undertaking under the aegis of Ministry of Social Justice and Empowerment. The Corporation was incorporated on 13th January, 1992 as a Company not for profit under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now under Section 8 of the Companies Act, 2013), with an objective to promote economic and developmental activities for the benefit of members of Backward Classes as per annual family income criteria defined from time to time (presently it is less than Rs. 3.00 Lakh through State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments /Union Territories and additionally through Public Sector & Regional Rural Banks (PSBs & RRBs) entering into MoA with NBCFDC- collectively referred as Channel Partners (CPs).
- At present, 43 State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by States/UTs and 24 Banks including 03 Public Sector Banks (PSBs) and 21 Regional Rural Banks (RRBs) can channelize loans under NBCFDC. List of CPs are available at **Annexure-1.** (Page No 23-25)
- The CPs are required to identify and formulate technically feasible and financially viable projects and submit an Annual Action Plan (AAP) to obtain loan from NBCFDC. The CPs are also required to identify potential beneficiaries, their vocational and training requirements and viable projects as per the needs of the beneficiaries

2. VISION

To play a leading role in upliftment of economic status of the target group of Backward Classes.

3. MISSION

To provide concessional financial assistance to the eligible members of Backward Classes for self-employment and skill development.

4. MAIN OBJECTIVES

NBCFDC's main objectives are:

- To promote economic and developmental activities for the benefit of Backward classes and other such categories as may be defined from time to time.
- To assist in the up-gradation of technical and entrepreneurial skills of Backward classes for proper and efficient management of production units.
- To assist in the up-gradation of technical, artisanal, entrepreneurial and managerial skills for products/services of socially & educationally Backward Classes including all forms of skill development & up-gradation and other categories as may be defined from time to time.
- To assist, subject to such income and /or economic criteria as may be prescribed by the Government from time to time, individuals or groups of individuals belonging to Backward Classes by way of loans and advances for economically and financially viable schemes and projects.
- To promote self-employment and other ventures for the benefit of backward classes.
- To grant concessional finance in selected cases for persons belonging to backward classes as per annual family income criteria defined from time to time (presently it is Rs. 3.00 Lakh)
- To extend loans to the backward classes for pursuing general/professional/ technical/ vocational education or training at graduate and higher level.

In pursuance of above objects, your Corporation is engaged in providing financial assistance at concessional interest rates under various credit schemes to beneficiaries belonging to target group of Backward Classes through the State/UT Channelizing Agencies and other channel partners.

5. REGISTERED OFFICE

Your Corporation is operating from its Registered Office at 5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय अंशधारकों,

आपके निदेशकों को 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के परीक्षित लेखा विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आपके निगम के व्यवसाय और कार्यकलापों से संबंधित 28वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. निगमित रूपरेखा

- एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है। इस निगम को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013, की धारा 8) के अन्तर्गत एक लाभ मुक्त कम्पनी के रूप में 13 जनवरी, 1992 को निगमित किया गया और इसका उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) के माध्यम से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए समय-समय पर पारिभाषित वार्षिक पारिवारिक आय के अनुसार (वर्तमान में ₹. 3.00 लाख से कम) आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है और इसके अतिरिक्त सरकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ जो सामूहिक रूप से चैनल पार्टनर कहलाते हैं, के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं।
- वर्तमान में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 43 राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को नामित किया है; 24 बैंकों, जिनमें 03 सरकारी बैंकें, 21 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें सम्मिलित हैं, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के ऋणों को चैनेलाइज कर रहे हैं। चैनल सहभागियों की सूची **अनुलग्नक-1** (पृष्ठ सं. 23-25) पर उपलब्ध है।
- चैनल सहभागियों को तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने और एवं एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से ऋण प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। चैनल सहयोगियों को लाभार्थियों की जरूरतों के अनुसार संभावित लाभार्थियों, उनकी व्यावसायिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं और व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करने की भी आवश्यकता होती है।

2. दृष्टि

पिछड़े वर्गों के लक्ष्य समूह की आर्थिक स्थिति के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाना।

3. लक्ष्य

पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु रियायती दर पर वित्तीय सहायता एवं कौशल विकास उपलब्ध कराना।

4. मुख्य उद्देश्य

एन. बी.सी.एफ.डी.सी. के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है—

- पिछड़े वर्गों एवं समय-समय पर परिभाषित इस प्रकार की अन्य श्रेणियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
- उत्पादन इकाईयों के समुचित एवं दक्षतापूर्ण प्रबंधन हेतु पिछड़े वर्गों के तकनीकी एवं उद्यमीय कौशल को उन्नत करने में सहायता करना।
- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित अन्य श्रेणियों को जैसा कि समय-समय पर परिभाषित किया जाए सभी प्रकार के कौशल विकास व उत्पादों / सेवाओं के लिए तकनीकी, दस्तकारी, उद्यमीय व प्रबंधकीय कौशल उन्नयन में सहायता करना।
- भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित आय और/ अथवा आर्थिक मापदण्ड को पूरा करने की दशा में पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों को आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण और अग्रिम के माध्यम से सहायता प्रदान करना।
- पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए स्व-रोजगार और अन्य अवसरों को बढ़ावा देना।
- समय-समय पर विनिर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय (वर्तमान में ₹. 3.00 लाख) के अनुसार पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को चयनित मामलों में रियायती वित्त प्रदान करना।
- सामान्य / व्यावसायिक / तकनीकी / वोकेशनल शिक्षा या स्नातक और उच्च स्तर पर प्रशिक्षण के लिए पिछड़े वर्गों के लिए ऋण प्रदान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, आपका निगम राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की चैनेलाइजिंग एजेंसियों एवं अन्य चैनल सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लक्षित समूह को रियायती ब्याज दर पर विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है।

5. पंजीकृत कार्यालय

आपका निगम 5वां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016 स्थित अपने पंजीकृत कार्यालय से कार्य कर रहा है।

6. SHARE CAPITAL

The Authorized Share Capital of the Corporation is Rs. 1500.00 Crore. The paid up Share Capital as on 31.03.2020 was Rs. 1444.00 Crore.

7. ELIGIBILITY

The applicant should belong to a caste covering under the Other Backward Classes list as notified by State/Central Government from time to time. Relevant Caste Certificate to be issued by relevant authority of District Administration.

At present persons whose annual family income is below Rs.3,00,000/- irrespective of rural or urban sector SCAs have been advised to provide at least 50% of total funding to persons with annual family income upto Rs.1.50 Lakh. The annual family income ceiling fixed in terms of Ministry of S&E's letter No.14015/01/2010-SCD-IV dated 8th March, 2018.

Following certifications to establish the income criteria can be used by the applicant:-

- i) Certificate of income issued by Competent Authority of State Government/Distt. Administration or Antodaya Ann Yojana (AAY) Card or Below Poverty Line (BPL) Card.
- ii) Annual family income certificate may be considered by the SCAs/Banks/SSCs on self-certification of the beneficiaries with endorsement of the same by any Gazetted Officer notified by State/Central Government.
- iii) In case of loan being applied at Bank (Channel Partner), Self-Certification assessed and endorsed by Branch Manager can be used for providing the loan.
- iv) For Landless agriculture labour, marginalized farmers (those with up to One hectare land holding) and small farmers (those with up to Two hectare land holding), as assessed by the Banks through their standard processes and belonging to the Backward Classes will be automatically treated as part of the target group as per following considerations:-
 - 1) Landless agriculture labour and marginalized farmers with land holding less than One hectare will be deemed as having annual family income below Rs.1.50 Lakh per annum.
 - 2) Small farmers i.e. those with land holding between One and Two hectares will be deemed as having annual family income below Rs.3.00 Lakh per annum.

8. WORKING RESULTS

The year 2019-20 has been a year of healthy growth for your Corporation. During the year, the disbursement of loan of the Corporation recorded an increase of 15.24% and stood at Rs.604.17 Crores as compared to Rs.524.28 cores in the previous year. The Corporation has accordingly registered a Compound Annual Growth Rate (CAGR) 13.9% in its disbursements over the last five years. Cumulatively, your Corporation has disbursed loan amounting to Rs.5171.77 Crores for 26,65,323 beneficiaries.

On Skill Development front, your Corporation facilitated training of 30491 beneficiaries during 2019-20 up from 25040 in 2018-19, an increase of about 21%.

The Corporation's operating income stood at of Rs.48.04 Crore an increase of 17.80% over the Rs. 40.78 Crore registered in 2017-18. The surplus of income over expenditure before exceptional items and tax was Rs. 26.32 crores in the current year in comparison to Rs.25.03 Crores during the previous year this an increase of 5.15%. The reduced increase in the operating margin despite a healthy operating increase growth was essentially due to increased expenditure on Skill development trading programmes to the extent of Rs.1.89 crores in 2019-20 vis-à-vis 2018-19.

9. SECTORS OF FINANCING

Your Company provides loans at concessional rate of interest to the poorer section of Backward Classes and assists them in skill development and self-employment ventures. The Company operates within the economic and other criteria fixed by the Govt. of India from time to time. The financial assistance is provided to the members of Backward Classes, as notified by the Central and State Governments living below double the poverty line broadly in the following Sectors:

- (i) **Agriculture & Allied Activities:** Organic Farming, Dairy Farming, Sericulture, Horticulture, Goat Rearing, Pisciculture, Tractor Trolley etc.
- (ii) **Small Business/Artisan & Traditional Occupation:** Ice cream parlor, Cold Storage, Kiriyana Shop, Packaging Unit, Flour Mill, Vegetable Vending, Beauty Parlour, Blacksmithy, Carpentry, Hardware, Tent house, Shuttering unit, Handicrafts & Artisan Units, Pottery, Ready-made Garments Shops, Tailoring & Weaving etc.

6. अंश पूंजी

निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी रु. 1500 करोड़ है। दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त अंश पूंजी रु. 1444.00 करोड़ थी।

7. पात्रता

आवेदक समय-समय पर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अंतर्गत आने वाली जाति से संबंधित होना चाहिए। जिला प्रशासन के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जाति से संबंधित प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।

वर्तमान में वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण या शहरी क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना प्रतिवर्ष रु. 3.00 लाख से कम होनी चाहिए। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सलाह दी गई है कि कुल धनराशि का कम से कम 50% वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1.50 लाख वाले परिवारों को उपलब्ध कराएं। वार्षिक पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र सं.14015/01/2010-एससीडी-IV दिनांक 8 मार्च, 2018 के अनुसार विनिर्धारित की गई है।

आय मानदंड के लिए प्रमाणीकरण हेतु आवेदक द्वारा निम्न का उपयोग किया जा सकता है -

- राज्य सरकार/जिला प्रशासन अथवा अंत्योदय अन्न योजना अथवा गरीबी रेखा कार्ड धारक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र।
- लाभार्थी द्वारा स्व-सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र को राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी से पृष्ठांकित होने पर एस.सी.ए./बैंक/सेक्टर स्किल काउंसिल विचार कर सकते हैं।
- बैंक (चैनल सहभागी) में ऋण हेतु आवेदन करने के मामले में शाखा प्रबंधक द्वारा लाभार्थी के स्व-प्रमाणीकरण के मूल्यांकन एवं पृष्ठांकन को ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रयोग किया जा सकता है।
- भूमिहीन कृषि श्रमिक व सीमांत किसान (जिनके पास एक हेक्टर तक भूमि है) एवं छोटे किसानों (जिनके पास दो हेक्टर तक भूमि है), जैसा कि बैंकों द्वारा उनकी मानक प्रक्रिया के तहत मूल्यांकन किया जाता है एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, निम्नानुसार स्वतः लक्षित वर्ग माने जाएंगे।
 - भूमिहीन कृषि श्रमिक एवं सीमांत किसान जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है, की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1.50 लाख से कम मानी जाएगी।

- छोटे किसान वे हैं जिनके पास एक से दो हेक्टेयर के बीच भूमि है, की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3.00 लाख से कम मानी जाएगी।

8. कार्य परिणाम

आपके निगम के लिए 2019-20 का वर्ष स्वस्थ वर्ष रहा है। वर्ष के दौरान गत वर्ष के वितरण रु. 524.28 करोड़ की तुलना में रु. 604.17 करोड़ का कुल वितरण कर इसमें 15.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। तदनुसार निगम ने वितरण में पिछले पांच वर्षों में 13.9% की समग्र वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। समग्ररूप से आपके निगम ने 26,65,323 लाभार्थियों के लिए रु. 5171.77 करोड़ की सकल ऋणराशि का वितरण किया है।

कौशल विकास की मद में आपके निगम ने वर्ष 2018-19 के 25040 की तुलना में 2019-20 की अवधि में 30491 लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है, जिसमें लगभग 21% की बढ़ोत्तरी हुई है।

निगम की प्रचालन आय रु. 48.04 करोड़ हुई है जो वर्ष 2018-19 में दर्ज की गई रु. 40.78 करोड़ की तुलना में 17.80% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के दौरान रु. 25.03 करोड़ की तुलना में (असाधारण मदों एवं कर पूर्व) व्यय पर आय का आधिक्य चालू वर्ष में रु. 26.32 करोड़ था जो 5.15% अधिक है। स्वस्थ परिचालन के बावजूद परिचालन में कम वृद्धि अवश्य ही वर्ष 2019-20 के साथ-साथ 2018-19 में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रु. 1.89 करोड़ की सीमा तक बढ़े व्यय के कारण है।

9. वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र

आपका निगम पिछड़े वर्ग के निर्धनतम समुदाय को रियायती ब्याज दर पर आसान ऋण उपलब्ध कराता है एवं उनके कौशल विकास एवं स्वरोजगार कार्यों हेतु सहायता प्रदान करता है। कंपनी भारत सरकार द्वारा समय पर निर्धारित आर्थिक एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार कार्य करती है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों के दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को मोटे तौर पर, निम्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है:

- कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप:** जैविक कृषि, दूध उत्पादन, रेशम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, ट्रैक्टर ट्राली इत्यादि।
- लघु व्यापार/दस्तकारी एवं पारंपरिक व्यवसाय:** आइसक्रीम पार्लरस शीतागार, किराने की दुकान, पैकिंग इकाई, आटा मिल, सब्जी विक्रय, ब्यूटी पार्लर, लोहारगीरी, बढ़ईगीरी, हार्डवेयर, टेंट हाउस, शटरिंग यूनिट, हस्तशिल्प एवं दस्तकारी यूनिट, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिले-सिलाए कपड़ों की दुकान, सिलाई एवं बुनाई इत्यादि।

(iii) **Service/Transport Sector:** Interior Decorator, Auto Repair Shop, Consultancy Services, Cycle Repair Shop, Computer Centre, Electrical & Electronic Repair Shop, Home Appliances, Mobile Repair Shop, Photo Copier, Photo Studio, Plumber, Auto Rickshaw, E-rickshaw, Multi Utility Vehicle, Pick-up Van, Taxi & Tempo etc.

(iv) **Technical and Professional Trades/Courses:** Technical, vocational & Professional Courses at Graduate & Higher Level such as Engineering, Management, Medical, Nursing & Computers etc. Beneficiaries can choose any of the viable occupation of their choice. The above list of projects is illustrative only.

The Channel Partners (SCAs/Banks) are required to disburse loans for financially viable and technically feasible projects as per needs and choice of beneficiaries under above mentioned broad sectors.

10. LENDING POLICY :

➤ Method of Lending Allocation

Each year the Corporation notionally allocates funds to the States having nominated State Channelising Agencies (SCAs) and Banks who have signed MOU with our Corporation. The allocation is meant for all the CPs who are expected to assess the realistic requirement of funds within the allocation keeping in view the availability of Block Govt. Guarantee, share capital to be received from State Govt., repayment status of loan taken from NBCFDC, capacity and infrastructure available to utilize the funds within the stipulated period with due consideration to needs of the beneficiaries and area of implementation.

As per policy of NBCFDC, the CPs are required to submit an Annual Action Plan (AAP) at the beginning of the year formulated in terms of providing financial assistance under various schemes of NBCFDC viz. Term Loan, New Swarnima, Education Loan Scheme Under Micro Finance scheme, Mahila Samridhi Yojana and Small Loan Scheme.

The basis of notional allocation within available funds is total population (in the absence of population figures of BCs) and past performance of CPs, 10% of the budget allocated to N-E States as per policy of the Government. It is also ensured that the disbursements to N.E. States are at least 10% of the equity received from the Government.

Disbursement of 'advance funds' to CPs made as per approved Annual Action Plan for the

financial year under Term Loan and Micro Finance Scheme. Term Loan includes General Loan, New Swarnima Scheme for women, Education Loan scheme. Micro Finance includes Mahila Samridhi Yojana, Micro Finance Scheme and small loan schemes. The 'advance funds' are converted to respective Scheme's loan accounts on receipt of utilization certificates from CPs.

NBCFDC provides financial assistance at concessional rate of interest for various income generating schemes to the target group through CPs. Beneficiaries can obtain loans for income generating activities through respective CPs under the following schemes:

I) TERM LOAN SCHEME

(i) **General Loan Scheme:** Under this scheme, loan assistance is available for various income generating activities in various sectors such as Agriculture and Allied Sector, Small Business/Artisan & Traditional Sector and Transport & Service Sector. Loans are given upto 85% of the project cost subject to a maximum of Rs.15.00 Lakh per beneficiary. Loans upto Rs. 5.00 Lakh are provided at an interest rate of 6% p.a. Loans above Rs. 5.00 Lakh and upto Rs. 10.00 Lakh are provided at an interest rate of 7% p.a. Loans above Rs. 10.00 Lakh and upto Rs. 15.00 Lakh are provided at an interest rate of 8% p.a. The loan repayment period is 8 years.

(ii) **New Swarnima Scheme :** Under this scheme, loan assistance is available for women of Backward Classes to inculcate the spirit of self-reliance among them. Loans are given upto 95% of the project cost. The maximum loan limit per beneficiary is Rs. 2.00 Lakh at an interest rate of 5% p.a. The loan repayment period is 8 years.

(iii) **Education Loan Scheme:** Under this scheme, loan assistance is available to the students of Backward Classes. The applicant should have obtained admission for any professional/technical/vocational courses approved by appropriate agency such as AICTE, Medical Council of India, and UGC etc. in a duly accredited/recognized institute and have minimum 50% marks in qualifying exam. Loans are given upto 90% of the course fees for studies in India and

(iii) **सेवा/परिवहन सेवाएं क्षेत्र:** आंतरिक साज-सज्जा, आटो मरम्मत दुकान, परामर्शी सेवाएं, साइकिल मरम्मत दुकान, कम्प्यूटर सेंटर, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मरम्मत की दुकान, घरेलू उपकरण, मोबाइल मरम्मत की दुकान, फोटो कॉपियर, फोटो स्टूडियो, प्लम्बर, आटो रिक्शा, ई-रिक्शा, बहुउद्देशीय वाहन, पिक-अप वैन, टैक्सी एवं टैम्पो इत्यादि।

(iv) **तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रेड/पाठ्यक्रम:** स्नातक एवं उच्चतर स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे इन्जीनियरिंग, प्रबन्धन, चिकित्सा, नर्सिंग एवं कम्प्यूटर इत्यादि।

लाभार्थी अपनी रुचि के किसी व्यवहार्य व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। उपरोक्त परियोजना सूची केवल उदाहरणात्मक है

चैनल सहयोगियों (एस.सी.ए./बैंकों) से अपेक्षा है कि वे उपरोक्त प्रमुख क्षेत्रों में वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से व्यावहार्य परियोजनाओं हेतु लाभार्थियों की आवश्यकताओं एवं पसन्द के अनुसार ऋणों का वितरण करें।

10. ऋण नीति

➤ ऋण पद्धति

आवंटन

निगम प्रत्येक वर्ष राज्यों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) और बैंकों को, जिन्होंने निगम के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं, को निधियों का आरंभिक आवंटन करता है। आवंटन का तात्पर्य है कि सभी चैनल सहयोगी जिनसे आशा की जाती है कि निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं का अनुमान- शासकीय गारंटी, राज्य सरकार से प्राप्त अंश पूंजी, एन.बी.सी. एफ.डी.सी. से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान की स्थिति, लाभार्थियों की आवश्यकताओं एवं क्रियान्वयन क्षेत्र पर समुचित ध्यान के साथ विनिर्धारित समयावधि में निधियों के उपयोग उपलब्ध क्षमता एवं अवसंरचना की सीमा में करेंगे।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की नीति के अनुसार, वर्ष के आरंभ में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं जैसे सावधि ऋण योजना, नई स्वर्णिमा, शैक्षिक ऋण योजना तथा माइक्रो फाइनेन्स के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण योजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की निर्धारित शर्तों के अनुसार चैनल सहयोगियों द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को 'वार्षिक कार्य योजना' प्रस्तुत करनी होती है।

आरंभिक आवंटन का आधार उपलब्ध धनराशियों की सीमा में कुल जनसंख्या (पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े न होने पर) है एवं राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/चैनल सहयोगियों के गत कार्य निष्पादन है। सरकार की नीति के अनुसार उत्तर-पूर्वी

राज्यों हेतु बजट का 10% आवंटन किया जाता है। सरकार से प्राप्त साम्य का व्यय कम से कम 10% उत्तर-पूर्वी राज्यों को वितरित कराने सुनिश्चित किया जाता है।

चैनल सहयोगियों को वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार 'अग्रिम राशि' का वितरण सावधि ऋण योजना एवं माइक्रो फाइनेन्स योजना के अन्तर्गत किया जाता है। सावधि ऋण योजना में सामान्य ऋण, महिलाओं के लिए 'नई स्वर्णिमा', शैक्षिक ऋण योजना सम्मिलित है। सूक्ष्म वित्त योजना में महिला समृद्धि, माइक्रो फाइनेन्स व लघु ऋण योजना सम्मिलित है।

चैनल सहयोगियों से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर 'अग्रिम राशि' को सम्बंधित योजना के खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. चैनल सहयोगियों के माध्यम से लक्षित वर्ग को विभिन्न आय उत्पादक योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चैनल सहयोगियों के माध्यम से लाभार्थी आय उत्पादक कार्यकलापों हेतु निम्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं

I) सामान्य ऋण

(I) **सामान्य ऋण योजना:** इस योजना के अंतर्गत कृषि और संबद्ध क्षेत्र, लघु व्यवसाय / दस्तकारी, पारंपरिक क्षेत्र और परिवहन व सेवा क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आय सृजन करने वाले कार्यकलापों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है। प्रति लाभार्थी परियोजना लागत का अधिकतम 85% तक अधिकतम रु. 15 लाख ऋण दिया जाता है। रु. 5.00 लाख तक के ऋण 6% वार्षिक की दर पर, रु. 5.00 लाख से ऊपर व रु. 10.00 लाख तक 7% वार्षिक ब्याज दर पर तथा रु. 10.00 लाख से ऊपर व रु. 15.00 लाख तक 8% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 8 वर्ष है।

(ii) **नई स्वर्णिमा योजना:** इस योजना के अंतर्गत पिछड़ी जाति की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है। परियोजना लागत का 95% तक ऋण दिया जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा रु. 2 लाख है व वार्षिक ब्याज दर 5% है। ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 8 वर्ष है।

शिक्षा ऋण योजना: इस योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों को ऋण सहायता उपलब्ध है। आवेदक को उपयुक्त एजेंसी जैसे ए.आई.सी.टी.ई., मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और यू.जी.सी. आदि द्वारा अधिकृत/मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी व्यावसायिक / तकनीकी / वोकेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए और योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। भारत में अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम की फीसका 90% तक ऋण

upto 85% of the course fees for studies outside India. Maximum loan limit per student is Rs.15.00 Lakh for studying in India at an interest rate of 4% p.a. (3.5% p.a. for girl student). Maximum loan limit per student is Rs.20.00 Lakh for studying abroad at an interest rate of 4% p.a. (3.5% p.a. for girl student). Loan is to be repaid in 15 years with moratorium period of 5 years.

II) MICRO FINANCE SCHEME

(i) **Micro Finance Scheme:** Under this scheme, loan assistance is available to Self Help Groups (SHGs) to provide credit facilities for the target group especially for mixed group beneficiaries. Loans are given upto 90% of the project cost. Maximum loan limit per Group is Rs.15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is Rs.1.00 Lakh at an interest rate of 5% p.a. Under this scheme, repayment period is 4 years.

(ii) **Mahila Samridhi Yojana :** Under this scheme, loan assistance is available to Self Help Groups (SHGs) to provide credit facilities for the target group of women beneficiaries. Loans are given upto 95% of the project cost. Maximum loan limit per Group is Rs.15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is Rs.1.00 Lakh at an interest rate of 4% p.a. Under this scheme, repayment period is 4 years.

(iii) **Small Loan :** Under this scheme, loan assistance is available to individuals to provide credit facilities for the target group. Loans are given upto 85% of the project cost. Maximum loan limit per beneficiary is Rs.1.00 Lakh at an interest rate of 6% p.a. Under this scheme, repayment period is 8 years.

(iv) **NBFC-MFI Loan :** Under this scheme, loan assistance can be channelized to SHGs through Micro Finance Institutions (MFIs) providing Bank Guarantee or similar financial instruments as security. Loans are given upto 90% of the project cost. Maximum loan limit per Group is Rs.15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is Rs.1.00 Lakh at an interest rate of 12% p.a. Under this scheme repayment period is 4 Years.

In case of Banks especially with a view to simplify the refinancing process, NBCFDC loans will be available upto 100% of dues not recovered; however, disbursement will be made as per specific demand of Bank.

For Persons of the target group with Disabilities (40% or more), a special concession of 0.25% on rate of interest is provided.

11. RATE OF INTEREST:

The rates of interest under various loan schemes implemented by the Corporation are as under:

S.No.	Name of Scheme	Max. Loan Limit Per Beneficiary	Pattern of Finance		Rate of Interest Per Annum.	
			NBCFDC**	SCA/Benef.	SCAs/Bank	Benef.
1.	Term Loan					
(a)	General Loan Scheme	Rs.15.00 Lakh	85%	15%	Upto Rs.5 Lakh	
					3%	6%
					Above Rs.5 Lakh upto Rs.10.00 Lakh	
					4%	7%
Above Rs.10 Lakh upto Rs.15.00 Lakh						
5%	8%					
(b)	i) In India	Rs.15.00 Lakh	90%	10%	1%	4%*
	ii) Abroad	Rs.20.00 Lakh	85%	15%	1%	4%*
(c)	New Swarnima Scheme	Rs.2.00 Lakh	95%	05%	2%	5%
2.	Micro Finance					
(a)	Micro Finance Scheme	Rs.1.00 Lakh#	90%	10%	2%	5%
(b)	Mahila Samridhi Yojana for women	Rs.1.00 Lakh#	95%	05%	1%	4%
(c)	Small Loan for individual	Rs.1.00 Lakh#	85%	15%	3%	6%
(d)	NBFC-MFI Loan	Rs.1.00 Lakh#	90%	10%	4%	12%

* 0.5% rebate in interest for girls students.

Subject to maximum of Rs. 15.00 Lakh per Self Help Group

** Permitted up to 100% in case of re-financing through Banks.

दिया जाता है और भारत से बाहर की पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम की फीस का 85% तक ऋण दिया जाता है। भारत में अध्ययन के लिए प्रति छात्र अधिकतम ऋण की सीमा रु. 15.00 लाख है तथा वार्षिक ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष (छात्राओं के लिए 3.5% प्रति वर्ष) है। विदेश में अध्ययन करने के लिए प्रति छात्र अधिकतम ऋण की सीमा रु. 20.00 लाख तथा वार्षिक ब्याज दर 4% (छात्राओं के 3.5% वार्षिक) है। मोरेटोरियम अवधि 5 वर्ष सहित ऋणों का पुनर्भुगतान 15 वर्षों में किया जाना है।

II) सूक्ष्म ऋण योजना:

(I) सूक्ष्म वित्त योजना: इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह के स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) विशेष रूप से मिश्रित समूहों के लिए लिए ऋण सुविधा उपलब्ध है। परियोजना लागत का 90% तक ऋण दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु. 15.00 लाख है और एस.एच.जी. में प्रति लाभार्थी रु. 1.00 लाख का ऋण 5% वार्षिक की दर से है। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।

(ii) महिला समृद्धि योजना: इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह की महिला लाभार्थियों के स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को ऋण सहायता उपलब्ध है। इस योजना में परियोजना लागत का 95% तक ऋण दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु. 15 लाख है और एस.एच.जी. में प्रति लाभार्थी रु. 1.00 लाख 4% वार्षिक ब्याज दर पर है। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।

(iii) लघु ऋण: इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह को व्यक्तिगत ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु ऋण सहायता उपलब्ध है। परियोजना लागत का 85% तक ऋण दिया जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा रु. 1.00 लाख 6% वार्षिक ब्याज दर ऋण प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 8 वर्ष है।

(iv) एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. ऋण: इस योजना के अंतर्गत, बैंक गारंटी अथवा इसी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने पर ऋण सहायता को सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एम.एफ.आई.) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। परियोजना लागत के 90% तक के ऋण दिए जाते हैं। प्रति समूह ऋण की अधिकतम सीमा रु. 15.00 लाख एवं स्व-सहायता समूह में प्रति लाभार्थी रु. 1.00 लाख है जिसपर ब्याज दर 12% वार्षिक है। इस योजना के अंतर्गत पुनर्भुगतान की अवधि 4 वर्ष है।

विशेष रूप से पुनर्वित्तीयन प्रक्रिया को आसान बनाने की दृष्टि से बैंकों के मामले में, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण 100% तक उपलब्ध होंगे; हालाँकि बैंक की विशिष्ट मांग के अनुसार वितरण किया जाएगा।

लक्षित वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों (40% अथवा अधिक) के लिए ब्याज दर में 0.25% की विशेष रियायत प्रदान की जाती है।

11. ब्याज दर

निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ब्याज दरें निम्नलिखित है:

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा	वित्तीय पद्धति		वार्षिक ब्याज दर	
			एन.बी.सी. एफ.डी.सी	एस.सी.ए./लाभार्थी	एस.सी.ए./बैंक	एस.सी.ए./बैंक
1.	सावधि ऋण		एन.बी.सी. एफ.डी.सी	एस.सी.ए./लाभार्थी	एस.सी.ए./बैंक	एस.सी.ए./बैंक
(a)	सामान्य ऋण योजना	रु. 15.00 लाख	85%	15%	रु. 5 लाख तक	
					3%	6%
					रु. 5 लाख से अधिक व रु. 10 लाख तक	
					4%	7%
		रु. 10 लाख से अधिक व रु. 15 लाख तक				
		5%	8%			
(b)	शैक्षिक ऋण	रु. 15.00 लाख	90%	10%	1%	4%*
	ii) विदेश में	रु. 20.00 लाख	85%	15%	1%	4%*
(c)	नई स्वर्णिमा योजना	रु. 2.00 लाख	95%	05%	2%	5%
2.	सूक्ष्म वित्त	रु. 1.00 लाख				
(a)	सूक्ष्म वित्त योजना	रु. 1.00 लाख	90%	10%	2%	5%
(b)	महिला समृद्धि योजना महिलाओं के लिए	रु. 1.00 लाख	95%	05%	1%	4%
(c)	एकल व्यक्ति के लिए लघु ऋण योजना वित्त	रु. 1.00 लाख	85%	15%	3%	6%
(d)	एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. ऋण	रु. 1.00 लाख	90%	10%	4%	12%

*छात्राओं की ब्याज दर में 0.5% की छूट है।

#प्रति स्व-सहायता समूह रु. 15.00 लाख अधिकतम की दशा में

**बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्तीयन की दशा में 100% तक अनुमन्य।

12. MOU WITH GOVT. OF INDIA

The Corporation had entered into Memorandum of Understanding (MOU) with Govt. of India for the year 2019-20 on 22nd May, 2019. Copy of MOU is available at **Annexure-2** (Page No. 26). Members will be pleased to note that on the basis of audited results, the Corporation has achieved the targets under excellent criteria of all parameters. Achievement/performance evaluation report against targets fixed under MOU for the year 2019-20 is available at **Annexure-2.1** (Page No. 27).

13. MANAGEMENT DISCUSSION ANALYSIS REPORT PERFORMANCE ACHIEVEMENT

13.1 Achievements against MOU Targets (2019-20)


S.N.	Main Parameters	Unit	Target	Achievements	Variation (%)
1	Revenue from operations	Rs./Cr	45.00	48.04	+6.75
2	Operating profit /surplus as a percentage of Revenue from Operation	%age	41.00	48.79	7.79
3	Loan Disbursed/Total Funds Available	%age	91	96.44	+5.44*
4	Overdue loans/Total loans	%age	7.00	3.55	(2.45)*
5	Surplus/Net Worth	%age	1.40	1.40	-

* Absolute

13.2 Achievement highlights in comparison to the previous year.

S.N.	Main Parameters	Unit	2019-20	2018-19	% Increase
1	Sanction of Loan	Rs.(Cr.)	952.15	753.43	+26.37
2	Disbursement of Loan	Rs.(Cr.)	604.17	524.28	+ 15.23
3	Beneficiaries Covered	Nos.	173524	152844	+13.53
4	Avg. loan per Beneficiary (Term Loan)	(Rs.)	109269	84404	+29.46
5	Avg. loan per Beneficiary (Micro Finance)	(Rs.)	23660	22647	+4.47
6	Repayment/Recoveries (cumulative)	%	97.42	95.23	2.19*

* Absolute



13.3 Sanction & Disbursement

At the beginning of the financial year, notional allocation of funds for the current financial year is conveyed to SCAs for submission of Annual Action Plan (AAP). AAPs received from SCAs, were approved to the tune of Rs. 952.15 Crore during the year 2019-20.

Against this Notional Sanction, the Corporation has disbursed Rs.604.18 Crore for assisting 173524 beneficiaries during the financial year 2019-20.

The disbursement so far made since inception now stands at Rs. 5171.77 Crore for assisting 2765319 beneficiaries as on 31.03.2020. SCA & Statewise loan disbursement during the last three years and cumulative disbursement and No. of beneficiaries' upto 31.03.2020 is available at **Annexure-3**. (Page No. 28-30) Few SCAs didn't draw funds due to various reasons stated at **Annexure-3.1**. (Page No. 31-32)

12. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन:

निगम ने वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार के साथ दिनांक 22 मई, 2019 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। समझौता ज्ञापन की प्रति **अनुलग्नक-2** (पृष्ठ सं. 26) पर उपलब्ध है। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि लेखा परीक्षित परिणामों के आधार पर निगम ने सभी मानदण्डों में उकृष्ट श्रेणी प्राप्त की है। वर्ष 2019-20 के लिए लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ/कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट **अनुलग्नक-2.1** (पृष्ठ सं. 27) पर उपलब्ध है।

13. प्रबंधन विचार विमर्श विश्लेषण रिपोर्ट

कार्य निष्पादन उपलब्धि

13.1 समझौता ज्ञापन लक्ष्यों (2019-20) के सापेक्ष उपलब्धियाँ

क्र.सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	लक्ष्य	लक्ष्य	अंतर (%)
1	संचालन से राजस्व	रु./करोड़	45.00	48.04	+6.75
2	परिचालन से राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ/आधिक्य	%	41.00	48.79	7.79
3	वितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि	%	91	96.44	+5.44*
4	बकाया ऋण/कुल ऋण	%	7.00	3.55	(2.45)*
5	आधिक्य/शुद्ध संपत्ति	%	1.40	1.40	-


*निरपेक्ष

13.1 समझौता ज्ञापन लक्ष्यों (2019-20) के सापेक्ष उपलब्धियाँ

क्र.सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	2019-20	2018-19	वृद्धि (%)
1	ऋण की स्वीकृति	रु. (करोड़)	952.15	753.43	+26.37
2	ऋण वितरण	रु. (करोड़)	604.17	524.28	+ 15.23
3	सहायता प्राप्त लाभार्थी	संख्या	173524	152844	+13.53
4	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (सावधि ऋण)	(रु.)	109269	84404	+29.46
5	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (लघु ऋण)	(रु.)	23660	22647	+4.47
6	पुनर्भूतान/वसूली (संचयी)	%	97.42	95.23	2.19*

*निरपेक्ष

2018-19 की तुलना में 2019-20 में उपलब्धियाँ



— राशि करोड़ रु. में — पैमाने पर नहीं

13.3 स्वीकृति एवं वितरण


वित्तीय वर्ष के आरंभ में धनराशि के आरंभिक आवंटन हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा एस.सी.ए. को चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के सम्बंध में सूचित किया जाता है। एस.सी.ए. से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना के आधार पर निगम द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान रु. 952.15 करोड़ अनुमोदित किए गए।

वर्ष के दौरान आरंभिक स्वीकृति के सापेक्ष निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 173524 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए रु. 604.18 करोड़ वितरित किए हैं।

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, आरंभ से लेकर अब तक 2765319 लाभार्थियों की सहायता के लिए रु. 5171.77 करोड़ की राशि वितरित की गई है। एस.सी.ए. एवं राज्यवार गत तीन वर्षों का ऋण वितरण एवं सकल वितरण व 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार सकल लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक-3** (पृष्ठ सं. 28-30) पर उपलब्ध है। कुछ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों ने विभिन्न कारणों से ऋण आहरित नहीं किया है, जिनका विवरण **अनुलग्नक-3.1** (पृष्ठ सं. 31-32) पर उपलब्ध है।

SCA/State-wise & Scheme-wise loan disbursement and number of beneficiaries assisted during the year 2019-20 are available at **Annexure-3.2.** (Page No. 33-34)

Statewise/Schemewise & Sector wise Disbursement and number of Beneficiaries assisted during 2019-20 is available at **Annexure-3.3.** (Page No. 35-36) Sector wise percentage of disbursement of funds of Rs. 208.63 Crore under Term Loan Scheme (excluding New Swarnima) during 2019-20 is as under:




During 2019-20, 32.05% of Term Loan (excluding New Swarnima) was given under the Agriculture/Allied Sector as compared to 23.18% in previous year and 40.55% under Small Business/Traditional Occupation as compared to 50.31% in previous year. Loan was disbursed for activities which include the manufacture/purchase Agricultural Implements, Setting up of Dairy Units, Installing Irrigation Bore Well, Poultry Farming, Fishery, Tractor Trolley, Tube Well, Auto Repair Workshop, Bicycle Hiring and Repair, Kirana Shop and Vegetable Shops, Seeds, Pesticides & Fertilizers etc.


Backward classes population is engaged in Service Sector such as Barber Shop, Drycleaner, Electrical and Electronic Shop, Woodwork, Autorickshaw, Motorcycle Taxi, Pick-up Van, Tourist Taxi. Hence 24.25% of Term loan (excluding New Swarnima) has been drawn by SCAs in 2019-20 to meet the demand of the service providers as compared to 13.65% in previous year.

Education Loan under Term Loan Scheme has been released to the students of Backward Classes for pursuing higher professional courses such as Medical, Engineering, Computers and Management etc. in the approved professional institutions/ colleges. During the year under report 3.15% of the Term loan (excluding New Swarnima) has been given under Education Loan Scheme.

Disbursement During Last Four Years
(Amount in ₹ in Cr.)




Beneficiaries Assisted During Last Four Years



* From 2017-18 Corporation has been taken efforts to increase per capital loan size to cater to realistic capital requirement.


Scheme wise Disbursement (2019-20)



वर्ष 2019-20 की अवधि में एस.सी.ए./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक-3.2** (पृष्ठ सं. 33-34) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्यवार/योजनावार एवं क्षेत्रवार वितरण तथा सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या संबंधी विवरण **अनुलग्नक-3.3** (पृष्ठ सं. 35-36) पर उपलब्ध है।



वर्ष 2019-20 की अवधि में सावधि ऋण योजना के अन्तर्गत रु. 208.63 करोड़ निधि के वितरण का क्षेत्रवार प्रतिशत निम्नानुसार है:




सावधि ऋण के अंतर्गत (नई स्वर्णिमा को छोड़कर) कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में गत वर्ष के 23.18% की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान 32.05% एवं लघु व्यवसाय/परंपरागत कार्य हेतु गत वर्ष के 50.31% की तुलना में 40.55% ऋण दिए गए। जिन कार्यकलापों हेतु ऋण वितरित किए गए उनमें सम्मिलित हैं - कृषि उपकरणों के विनिर्माण/खरीद, डेरी इकाइयों की स्थापना, सिंचाई हेतु बोरवेल, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ट्रैक्टर-ट्राली, ट्यूबवेल, आटो मरम्मत दुकान, किराए पर साइकिल एवं मरम्मत दुकान, किराना की दुकान एवं सब्जी की दुकान, बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक इत्यादि।

पिछड़े वर्ग के लोग नाई की दुकान, ड्राईक्लीनर, बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, लकड़ी कार्य, ऑटो रिक्शा, मोटर-साइकिल, टैक्सी, पिक-अप वैन, पर्यटक टैक्सी जैसे सेवा क्षेत्रों से जुड़े हैं। अतः राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा गत वर्ष 13.65% की तुलना में वर्ष 2019-20 में 24.25% सावधि ऋण (नई स्वर्णिमा को छोड़कर), सेवा उपलब्धकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए आहरण किया गया।


सावधि ऋण योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के छात्रों को मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों/कॉलेजों में उच्चतर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा, अभियंत्रिकी, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन इत्यादि हेतु शैक्षिक ऋण अवमुक्त किए गए। संदर्भित वर्ष के दौरान 3.15% सावधि ऋण (नई स्वर्णिमा को छोड़कर) शैक्षिक ऋण योजना के तहत प्रदान किए गए।



*2017-18 से उचित पूंजी आवश्यकता को ध्यान रखते हुए निगम ने प्रति व्यक्ति ऋण के आकार में वृद्धि हेतु प्रयास किए हैं।




Scheme-wise Beneficiaries Assisted (2019-20)



13.4 Education Loan Disbursement:

During the year 2019-20, your Corporation provided loans of Rs. 6.57 Crore to 683 beneficiaries under the Education Loan Scheme against the previous year which was Rs. 27.64 Crore for 2076 beneficiaries. The professional courses at graduate & higher level approved by AICTE/MCI/ Appropriate Authority, etc. such as MBA, MCA, Engineering, BDS, MBBS, BSc Nursing, Hotel Management etc. are covered under the scheme. The reduced off take was based on the reduced demand of the Channel Partners for this Category of loan.

Disbursement under Education Loan Scheme (Amount in ₹ in Cr.)




13.5 Participation of Special Schemes for Women

The Corporation implements special schemes for women beneficiaries 'New Swarnima' under Term


Loan and 'Mahila Samridhi Yojana' under Micro Finance. An amount of Rs. 171.45 Crore has been disbursed to assist 74,798 women beneficiaries under these women oriented schemes like Embroidery, Tailoring, Beauty Parlor, Dairy, Fisheries & Fish Processed Products, Ornamental Fish Culture, Spice Powder Packing, Organic Vegetable Growing, Pickle Making etc. during the year 2019-20. Status showing amount drawn by the States under Special Schemes for Women during financial year 2019-20 is at **Annexure-3.4.** (Page No. 37)

Apart from these exclusive women centric schemes, the Corporation has disbursed Rs. 256.11 Crore for assisting 57,750 women beneficiaries under other loan schemes in 2019-20 against Rs. 193.83 Crore for assisting 44,304 women beneficiaries in 2018-19. Therefore in all Rs.427.56 crores of loan was disbursed to assist 132548 women beneficiaries.

Loan Disbursed under 'New Swarnima' and 'Mahila Samridhi Yojna' within total Loan Disbursed during 2019-20




Total Beneficiaries Assisted under 'New Swarnima' and 'Mahila Samridhi Yojana' within total No. of Beneficiaries covered during 2019-20



13.6 Utilization of Loan

The SCAs are required to utilize the funds drawn from NBCFDC within 120 days of its release. Slab-wise rate of interest is levied in order to encourage the SCAs to utilize the released funds as early as possible within the stipulated period.


योजनावार सहायता प्राप्त लाभार्थी 2019-2020



13.4 शैक्षिक ऋण वितरण:

आपके निगम ने वर्ष 2019-20 में शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत रु 6.57 करोड़ 683 लाभार्थियों हेतु उपलब्ध कराए हैं, जो गत वर्ष रु. 27.64 करोड़ 2076 लाभार्थियों हेतु दिए गए थे। स्नातक स्तर एवं उच्चतर स्तर के ए.आई.सी.सी.ई./एम सीआई. /उपयुक्त प्राधिकरण इत्यादि द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे एम.बी.ए., एम.सी.ए. इन्जीनियरिंग, बी.डी.एस., एम. बी.बी.एस., बी. एस.सी. नर्सिंग, होटल प्रबंधन इत्यादि योजना के अन्तर्गत शामिल है। इस श्रेणी में ऋणों का कम वितरण चैनल सहभागियों द्वारा माँग कम होने के कारण हुआ है।

शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत वितरण




13.5 महिलाओं के लिए विशेष योजना

निगम द्वारा महिला लाभार्थियों के लिए विशेष योजना


‘नई स्वर्णिमा’ टर्म लोन योजना के अन्तर्गत तथा ‘महिला समृद्धि योजना’ सूक्ष्म वित्त योजना के अन्तर्गत संचालित है। वर्ष 2019-20 के दौरान इन महिला प्रधान योजनाओं के अंतर्गत जैसे— कशीदाकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेरी, मत्स्य पालन एवं मत्स्य प्रसंस्करण उत्पाद, मसाला पाउडर पैकिंग, ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन, अचार बनाना आदि के अन्तर्गत रु. 171.45 करोड़ की राशि 74,798 महिला लाभार्थियों को वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों द्वारा आहरित राशि का विवरण **अनुलग्नक-3.4 (पृष्ठ सं. 37)** पर उपलब्ध है।

इन महिला केन्द्रित योजनाओं के अतिरिक्त निगम ने वर्ष 2019-20 में रु. 256.11 करोड़ का वितरण 57,750 महिला लाभार्थियों की तुलना में वर्ष 2018-19 में रु. 193.83 करोड़ का वितरण 44,304 महिला लाभार्थियों के लिए किया है। अतः कुल मिलाकर रु. 427.56 करोड़ ऋणों का वितरण 132548 महिला लाभार्थियों की सहायता हेतु किया गया।

वर्ष 2019-20 की अवधि में कुल वितरण में से ‘नई स्वर्णिमा’ एवं ‘महिला समृद्धि योजना’ के अन्तर्गत ऋण वितरण



वर्ष 2019-20 की अवधि में कुल लाभार्थियों में से ‘नई स्वर्णिमा’ एवं ‘महिला समृद्धि योजना’ के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कुल लाभार्थी



13.6 ऋण का उपभोग

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित निधि को राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा धनराशि जारी करने के 120 दिनों के भीतर उपभोग करना होता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों को वितरित निधि का निर्धारित समय में यथासंभव अतिशीघ्र उपभोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के क्रम में स्लेब-वार ब्याज दर लागू की गई है।

Utilization (days)	Rate of Interest (p.a.)
1-120 days	3%
121-180 days	6%
Above 180 days	8%

The area of focus which the Corporation is addressing the timely utilization of the loan. The SCAs/CPs are continuously being advised through written communications, by regional meetings as well as interaction with State Govt. Officials, for timely utilization of loan so that the target group beneficiaries receive funds in the shortest possible time. Cumulative utilization of loans by SCAs stands at 95%.

Given their newness to the target groups, Banks have been allowed on case to case basis an enhanced period upto 180 days in the first instance to incentivize utilization of funds by them for the benefit of the target group.

14 MINISTRY'S WELFARE PROGRAMS FOR TRANSGENDER COMMUNITY:

14.1 COVID-19- Subsistence allowance to Transgender Community under the Ministry's Grants: Acting on the proactive directives of M/o Social Justice & Empowerment & with the meticulous inputs collated by National Institute of Social Defence (NISD), the Corporation initiated disbursement of subsistence allowance @Rs. 1500/- per person directly into the account of the 762 Transgenders left without livelihood due to COVID-19 lockdown. The program continued in the year 2020-21.

14.2 Medical Camps for Transgender Community: Under the Ministry's grant, NBCFDC has also initiated holding of Free Health & Eye Check-up Camps, where Physician, Surgeon, Dermatologist, Psychologist and Dentist are available for consultation along with facilities for ECG, routine blood test and eye check-up. Free medicines and Spectacles were provided as per need. During the year, 7 such camps were organized to cover 299 transgender person nos. in the States of Andhra Pradesh, Delhi, Karnataka, Punjab and Tamil Nadu.

Due to COVID-19 pandemic, more such camps were postponed to next year.

15. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

As per Companies Act 2013, the Corporation has a CSR Policy and a budgetary allocation of 2% of the average net profit made during the three immediately preceding financial years has been done in the financial year 2019-20 for CSR activities. The Corporation has cumulatively achieved more than the minimum statutory spending requirements as on 31st March'20. During the year, 22 projects valued Rs.138.15 lakh were sanctioned and an expenditure of Rs.109.97 lakh was made on CSR activities for covering more than 43,603 people including the most marginalized and school students.

The CSR activities focused on health and sanitation related interventions in Mewat, an aspirational District in Haryana besides holding of 57 medical camps in 12 States and other measures for improving menstrual hygiene of girls. Some other projects to promote livelihood support, Swachhta, relief from COVID-19 etc. were also undertaken. Celebration of Gandhi 150, School Quizes on Bapu, promotion of Dr. Ambedkar teachings and flood relief activities in Assam are other highlights.

A detailed report on CSR activities as per the provisions of the Companies Act 2013 is available at **Annexure-3.5, 3.6 & 3.7** (Page No. 38-45) to this report. Your Corporation is pleased to inform that we have more than fulfilled the role of corporate citizen by spending Rs.3.44 crores on CSR interventions beginning 2014-15 against the mandated 2 % CSR expenditure of the average net profits of the company made during the three immediately preceding financial years of Rs.3.14 Crore upto 31.03.2020

16. PROGRESS DURING FIVE YEAR PLAN

Progress of the Corporation during the Five Year Plans in respect of various parameters i.e. Gross Disbursement, Budgetary Support, No. of Beneficiaries Assisted, Recoveries and Training Expenditure etc. have been as under:

उपभोग (दिन)	ब्याज दर (वार्षिक)
1-120 दिन	3%
121-180 दिन	6%
180 दिनों से ऊपर	8%

अन्य क्षेत्र, जिस पर निगम जोर दे रहा है, वह है ऋण का समय पर उपभोग। एस.सी.ए./चैनल सहभागियों को पत्राचार, क्षेत्रीय बैठकों के साथ-साथ राज्य सरकारों के अधिकारियों से संवाद, समय पर ऋणों के उपभोग के बारे में लगातार परामर्श दिया जाता है; ताकि लक्षित समूह के लाभार्थी यथासंभव कम समय में धनराशि प्राप्त कर सकें। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा ऋणों का संचयी उपभोग 95% रहा है।

लक्षित समूह के प्रति उनकी नई स्थिति को देखते हुए, लक्ष्य समूह के लिए बैंकों की निधियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अवधि के आधार पर 180 दिनों तक मामले दर मामले आधार पर बढ़ाया गया।

14. कोविड- 19 मंत्रालय की अनुदान राशि के तहत ट्रांसजेण्डर समुदाय को निर्वाह वृत्ति:

14.1 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अग्रसक्रिय निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए तथा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एन.आई.एस.डी.) द्वारा संकलित सावधानी बरतने की सूचना के साथ निगम ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आजीविका खो चुके 762 ट्रांसजेंडर्स के खाते में सीधे 1500/- प्रति व्यक्ति निर्वाह भत्ते का वितरण शुरू किया। यह कार्यक्रम वर्ष 2020-21 में भी जारी रहा।

14.2 ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चिकित्सा शिविर: मंत्रालय के अनुदान के तहत, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने मुफ्त स्वास्थ्य और नेत्र जांच शिविरों का आयोजन भी शुरू किया है, जहां ईसीजी, नियमित रक्त परीक्षण और आंखों की जांच के लिए सुविधाओं के साथ परामर्श के लिए चिकित्सक, सर्जन, त्वचा विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक और दंत चिकित्सक उपलब्ध रहे। आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवाइयां और चश्में उपलब्ध कराए गए। वर्ष के दौरान, 299 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कवर करने के लिए आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में 7 ऐसे शिविरों का आयोजन किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण, इस तरह के और

शिविरों को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था।

15. निगमित सामाजिक दायित्व

15. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निगम के पास निगमित सामाजिक दायित्व नीति है तथा निगमित सामाजिक दायित्व के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार तीन वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% आबंटन किया गया है। निगम ने 31.03.2020 तक संचयी रूप से न्यूनतम सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक व्यय किया है। वर्ष के दौरान, रु. 138.15 लाख मूल्य की 22 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई और सी.एस.आर. कार्यकलापों पर रु. 109.97 लाख का व्यय किया गया, जिसमें सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले और स्कूली छात्रों सहित 43,603 से अधिक लोगों को शामिल किया गया।

सी.एस.आर. कार्यकलापों में 12 राज्यों में 57 चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया और हरियाणा के एक आकांक्षी जिले मेवात में लड़कियों के मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता में सुधार के लिए अन्य उपायों के अलावा स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आजीविका सहायता, स्वच्छता, कोविड-19 इत्यादि से राहत आदि को बढ़ावा देने के लिए कुछ अन्य परियोजनाएं भी शुरू की गईं। गांधी 150 उत्सव आयोजन, बापू पर स्कूल में विज, डॉ अंबेडकर की शिक्षाओं को बढ़ावा देना और असम में बाढ़ राहत कार्यकलाप अन्य महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सी.एस.आर. कार्यकलापों पर एक विस्तृत रिपोर्ट इस रिपोर्ट के लिए **संलग्नक-3.5, 3.6 और 3.7** (पृष्ठ सं. 38-45) पर उपलब्ध है। आपके निगम को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने 31.03.2020 तक रु. 3.14 करोड़ के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के अनिवार्य 2% सीएसआर व्यय के मुकाबले 2014-15 से शुरू होने वाले रु. 3.44 करोड़ सीएसआर हस्तक्षेपों पर खर्च करके कॉर्पोरेट नागरिक की भूमिका को पूरा किया है।

16. पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रगति

पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न मापदण्डों यथा-सकल वितरण, बजटीय सहायता, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, वसूली एवं प्रशिक्षित व्यय इत्यादि निगम की प्रगति के सम्बंध में निम्नानुसार है:-

S.N.	Particulars	8 th Plan 1992-97	9 th Plan 1997-02	10 th Plan 2002-07	11 th Plan 2007-12	12 th Plan 2012-17	2017-18 & 2019-20	Cumulative as on 31.03.2020
1	Budgetary Support (Rs. in Cr.)	198.90	191.50	69.95	212.00	451.65	320.00	1444.00
2	Disbursement (Rs. in Cr.)	197.93	443.63	581.90	842.30	1509.75	1596.26	5171.77
3	Disbursement/ Budgetary support %age)	0.99	2.32	8.31	3.97	3.34	4.99	3.58
4	Beneficiaries Assisted (Nos.)	109625	271905	448404	634336	836093	464960	2765319
5	Beneficiaries Trained (Nos.)	2423	14605	46841	51843	55563	23361	194636
6	Recovery of Loan (Rs. in Cr.)	55.47	260.10	409.87	680.35	1061.20	1133.36	3600.35

17. FINANCIAL/OPERATIONAL PERFORMANCE

17.1 Income & Expenditure Account

i) During the year 2019-20, the operating income of Corporation has increased from Rs. 40.78 crore to 48.04 crore

ii) The total expenses including employees cost has increased from Rs. 22.59 crore to Rs. 24.45 crore.

iii) Excess of Income over Expenditure during the year 2019-20 is Rs. 26.29 crore as against Rs. 27.94 crore during 2018-19.

17.2 Net Worth

The Net Worth of the Corporation has increased from Rs. 1791.46 crore to Rs. 1947.75 crore in 2019-20.


17.3 Equity Support from Government of India vs Total Disbursement

During the year, the Corporation has received equity support of Rs. 130.00 Cr. from Government of India and has disbursed Rs. 604.17 cr., which means Rs. 474.17 cr. over and above budgetary support has been disbursed from recycling of funds or internal resources of the Corporation.


The cumulative equity support up to 31.03.2020 is Rs. 1444.00 Cr. against which your Corporation achieved cumulative disbursement of Rs. 5171.77 cr. covering 27,65,319 beneficiaries. The disbursement has therefore so far been 3.58 times the equity received from Government of India.

The amount of Rs. 3727.77 cr. over and above the equity support has been met from recoveries through diligent follow up with Channel Partners and efficient management of internal resources.

Share of Equity and Internal Resources of Total Disbursement (upto 31.03.2020)




Cumulative Disbursement vs last five years Disbursement (upto 31.03.2020)



The disbursement over last five years has been 43% of the cumulative disbursement over 27 years of existence.

Cumulative Beneficiaries vs last five Years Beneficiaries (upto 31.03.2020)



क्र.स.	विवरण	8वीं योजना 1992-97	9वीं योजना 1997-2002	10वीं योजना 2002-2007	11वीं योजना 2007-2012	12वीं योजना 2012-2017	2017-18 एवं 2019-20	31.03.2020 को सकल
1	बजटीय सहायता (रु. करोड़ में)	198.90	191.50	69.95	212.00	451.65	320.00	1444.00
2	वितरण (रु. करोड़ में)	197.93	443.63	581.90	842.30	1509.75	1596.26	5171.77
3	वितरण/बजटीय सहायता %	0.99	2.32	8.31	3.97	3.34	4.99	3.58
4	सहायता प्राप्त लाभार्थी (संख्या)	109625	271905	448404	634336	836093	464960	2765319
5	प्रशिक्षित लाभार्थी (संख्या)	2423	14605	46841	51843	55563	23361	194636
6	ऋण की वसूली (रु. करोड़ में)	55.47	260.10	409.87	680.35	1061.20	1133.36	3600.35

17 वित्तीय/परिचालन कार्यनिष्पादन

17.1 आय एवं व्यय खाता

- वर्ष 2019-20 के दौरान, निगम की परिचालन आय रु. 40.78 करोड़ से बढ़कर 48.04 करोड़ हो गई है।
- कर्मचारियों की लागत सहित कुल व्यय रु. 22.59 करोड़ से बढ़कर रु. 24.45 करोड़ हो गई है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय से आय का आधिक्य 2018-19 के रु. 27.94 करोड़ की तुलना में रु. 26.29 करोड़ है।

17.2 शुद्ध मूल्य

वर्ष 2019-20 में निगम का शुद्ध मूल्य रु. 1791.46 करोड़ से बढ़कर रु. 1947.75 करोड़ हो गया है।


17.3 सरकार से प्राप्त अंश पूंजी बनाम कुल वितरण

वर्ष के दौरान निगम ने भारत सरकार से रु. 130.00 करोड़ की अंश पूंजी प्राप्त की तथा रु. 604.17 करोड़ का वितरण किया। इसका तात्पर्य यह है कि निधियों के चक्रण एवं निगम के आंतरिक संसाधनों से, बजटीय सहायता से रु. 474.17 करोड़ अधिक वितरण किया गया है।


दिनांक 31.03.2020 तक संचयी इक्विटी सहायता रु. 1444.00 करोड़ के सापेक्ष आपके निगम ने रु. 5171.77 करोड़ का संचयी वितरण कर 27,65,319 लाभार्थियों को कवर किया गया। अब तक भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी पूंजी का 3.58 गुणा वितरण किया गया है।

इक्विटी सहायता से रु. 3727.77 करोड़ अधिक की धनराशि चैनल सहभागियों से कर्मठता से अनुवर्तन के माध्यम से एवं आंतरिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन से पूरे किए गए हैं।

अंश पूंजी का भाग एवं आंतरिक संसाधन का कुल वितरण (31.03.2020 तक)




संचयी लाभार्थी बनाम गत पाँच वर्षों के लाभार्थी (31.03.2020 तक)



27 वर्षों के अस्तित्व का संचयी वितरण गत 5 वर्षों में 43% रहा है।

संचयी लाभार्थी बनाम गत पाँच वर्षों के लाभार्थी (31.03.2020 तक)



17.4 Recovery of Loan

Recovery of Loan from SCAs is receiving adequate attention of the Corporation. SCAs have been asked to strengthen the recovery mechanism, establish separate recovery cell at their Headquarters as well as District level and the responsibility be fixed at every level for timely recovery from the beneficiaries.

As a result of continuous follow-up, the Corporation was able to recover Rs. 3600.35 Cr. as against cumulative dues of the Rs. 3695.67 Cr. as on 31.03.2020. This includes Rs. 157.50 crores of long outstanding's. The cumulative amount of recoveries of Rs. 3600.35 Cr. comprises of Rs. 3038.90 Cr. as principal and Rs. 561.45. Cumulative recoveries against cumulative demands on SCAs stand at 97.42 % as on 31st March, 2020 as against 95.22% on 31.03.2020 with recovery of old overdues being nearly Rs. 74.46Crore.

SCA & State wise cumulative dues & recoveries as on 31st March, 2020 is available at **Annexure-4** (Page No. 46-48).

Your Corporation hopes to increase its recoveries in the coming year for which various steps have been initiated.

17.5 Revenue from Operations (Net)

During the year, the revenue from operation of your Corporation is Rs. 48.04 crore.

17.6 Operating profit/surplus as a percentage of Revenue from operations (net)

During the year, Operating profit/surplus as a percentage of Revenue from operations (net) of your Corporation stood at 48.79 %.

17.7 PAT or Surplus/Average Net Worth

During the year, PAT or Surplus/Average Net Worth of your Corporation stood at 1.40%.

17.8 Loans disbursed/Total Funds Available

During the year, the percentage of Loans disbursed/Total Funds Available of your

Corporation is 96.44%, which is the best amongst all sister corporations.

17.9 Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % Total Disbursement

During the year, the percentage of Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % Total Disbursement stood at 60.19%.

17.10 Overdue loans/Total loans (Net)

During the year, the percentage of Overdue loans/Total loans (Net) of your Corporation is 3.55%, which is the best amongst all sister corporations.

17.11 NPA/Total loans (Net)

During the year, the percentage of NPA/Total loans (Net) of your Corporation is 0.17%, which is the best amongst all sister corporations.

17.12 Providing Employment / Self Employment through training program me (No. of Persons).

During the year, the Corporation is able to provide employment to 21970 beneficiaries through skill development programme.

As recommended by your Directors, the entire amount of surplus of income over expenditure of Rs. 26.29 crore has been transferred to General Reserve. The Corporation is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now u/s 8 of the Companies Act 2013). Under the provisions of Sec. 8 (1) (c) of the Companies Act, 2013 and also the provisions of license issued to the Corporation by Deptt. of Company Affairs, Ministry of Law Justice & Company Affairs, Govt. of India, the Corporation is not required to pay any dividend and the Corporation can apply its surplus, if any, or other income in promoting its objects. The administrative expenses of the Corporation are met from its own resources viz. from interest on capital employed.

18. TRAINING AND SKILL UPGRADATION

NBCFDC facilitates Skill Development Training to the eligible members of target group which includes members of Other Backward Classes

17.4 ऋण की वसूली

राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से ऋण की वसूली पर निगम पर्याप्त ध्यान दे रहा है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से वसूली तंत्र को मजबूत करने, अपने मुख्यालयों के साथ-साथ जिला स्तर पर अलग वसूली प्रकोष्ठ स्थापित करने और लाभार्थियों से समय पर वसूली के लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कहा गया है।

निरंतर अनुवर्तन के परिणामस्वरूप, निगम ने 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार रु. 3695.67 करोड़ की संचयी बकाया राशि के सापेक्ष रु. 3600.35 करोड़ की राशि वसूल करने में समर्थ हुआ। इसमें लंबी अवधि का बकाया रु. 157.50 करोड़ सम्मिलित है। रु. 3600.35 करोड़ की वसूली की संचयी राशि में मूलधन के रूप में रु. 3038.90 करोड़ तथा ब्याज/अन्य प्रभार के रूप में रु. 561.45 करोड़ की राशि सम्मिलित है। 31.03.2020 के 95.22% के सापेक्ष पुराने बकाया लगभग 74.46 करोड़ की वसूली के साथ दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से संचयी मांग के सापेक्ष संचयी वसूली 97.42% है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसीवार एवं राज्यवार संचयी देय एवं वसूली अनुलग्नक-4 (पृष्ठ सं. 46-48) पर उपलब्ध है।

आपके निगम को यह आशा है कि आने वाले वर्षों में वसूली बढ़ेगी जिसके लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

17.5 परिचालन से राजस्व (शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम की संचालन से राजस्व रु. 48.04 करोड़ है।

17.6 संचालन से लाभ के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ / आधिक्य (शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम के परिचालन (शुद्ध) से राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ / आधिक्य 48.79% रहा है।

17.7 पीएटी या आधिक्य / औसत शुद्ध मूल्य

वर्ष के दौरान, आपके निगम का पीएटी या आधिक्य / औसत शुद्ध मूल्य 1.40% रहा है।

17.8 वितरित ऋण / उपलब्ध कुल धनराशि

वर्ष के दौरान, आपके निगम के लिए उपलब्ध ऋण / कुल धनराशि का प्रतिशत 96.44% है, जो समान निगमों में सबसे अच्छा है।

17.9 कुल वितरण के % के रूप में लाभार्थियों को वितरित

किया गया माइक्रो फाइनेंस ऋण

वर्ष के दौरान, कुल वितरण के रूप में लाभार्थियों को दिए गए माइक्रो फाइनेंस ऋण का प्रतिशत 60.19% रहा है।

17.10 अतिदेय ऋण / कुल ऋण (शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम के बकाया ऋण / कुल ऋण (शुद्ध) का प्रतिशत 3.55% है, जो समान निगमों में सबसे अच्छा है।

17.11 गैर निष्पादित परिसंपत्तियां / कुल ऋण (शुद्ध)

वर्ष के दौरान आपके निगम का एन.पी.ए./कुल ऋण (शुद्ध) का 0.17 प्रतिशत है, जो समान निगमों में सबसे अच्छा है।

17.12 प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार / स्व रोजगार (व्यक्तियों की संख्या) प्रदान करना।

वर्ष के दौरान, निगम कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से 21970 लाभार्थियों को रोजगार प्रदान करने में सफल रहा।

आपके निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार रु. 26.29 करोड़ की व्यय से अधिक आय की पूरी राशि सामान्य आरक्षित को हस्तांतरित कर दी गई है। निगम कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा- 8) की धारा 25 के तहत पंजीकृत है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा- 8 (1) (ग) के प्रावधानों व कंपनी मामले विभाग, कानून न्याय और कंपनी मामले मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निगम को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के तहत निगम को किसी भी लाभांश का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और निगम अपने आधिक्य, यदि कोई हो, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने में प्रयोग कर सकता है। निगम के प्रशासनिक व्यय को अपने संसाधनों अर्थात् नियोजित पूंजी पर ब्याज से पूरा किया जाता है।

18. प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. लक्षित समूह के पात्र सदस्यों को कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के सदस्य जिनकी वार्षिक आय रु. 3 लाख से कम है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई. बी.सी.) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1 लाख से कम है, गैर-अधिसूचित घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजाति (डी.एन.टी.), वरिष्ठ नागरिकों, भिखारी समुदाय के सदस्यों, ट्रांसजेंडर और मादक पदार्थों के सेवन से पीड़ित (वी.एस.ए.) व्यक्ति सम्मिलित हैं। योजना का उद्देश्य लक्षित समूह को पारंपरिक और तकनीकी व्यवसाय के क्षेत्र में

(OBC) having annual family income below Rs. 3 Lakh, Economically Backward Classes having annual family income below Rs. 1 Lakh, De-notified Nomadic and Semi Nomadic Tribe (DNT), Sr. Citizens, Transgenders and Victims of Substance Abuse (VSA). The objective of the scheme is to provide training to the target group to make them capable of self-dependent through appropriate skill and technical training in the field of traditional & technical occupation. The trainees are encouraged to obtain loan under NBCFDC general loan schemes to start their business/self-employment venture after the successful completion of the training.

The training programmes are conducted through 100% grant-in-aid in broad conformance to the Common Norms and Skill Development Training scheme of NBCFDC, primarily through Govt. Training Institutes and Sector Skill Councils constituted by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Govt. in India.

During the year 2019-20, Ministry had set a placement target of 20,000 trainees. Against the target, Corporation has provided placement to 21,970 trainees and has facilitated training of a total of 30,491 trainees. In order to achieve the targets, partnership was established by NBCFDC with following Training Institutes and Sector Skill Councils having training centers/partners at various locations in the country. Such as:

- 1 Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati
- 2 Andhra Pradesh Productivity Council (APPC), Hyderabad,
- 3 Annamalai University
- 4 Apollo Medskills
- 5 Apparel Training And Design Centre (ATDC)
- 6 CDGI, Firozabad
- 7 CEDMAP, Bhopal
- 8 Central Institute for Plastic Engineering and Technology (CIPET)
- 9 CII Institute of Logistics
- 10 CRIPS, Bhopal
- 11 Domestic Worker Sector Skill Council
- 12 ESTC, Uttarakhand
- 13 Furniture & Fittings Sector Skill Council
- 14 Gems & Jewelry Sector Skill Council
- 15 Handicrafts & Carpet Sector Skill Council
- 16 Himachal Consultancy Ltd. (HIMCON)
- 17 IED, Lucknow
- 18 Indian Institute of Carpet Technology, Srinagar
- 19 Infrastructure Equipment Skill Council (IESC)
- 20 Instrumentation Automation Surveillance and Communication Skill Council (IASC)
- 21 JKITCO, J&K
- 22 Kitco Ltd., Kerala
- 23 Life Sciences Sector Skill Council (LSSSC)
- 24 Logistics Sector Skill Council
- 25 Model Finishing School, Kerala
- 26 MPCON, Bhopal
- 27 MSME - Central Tool Room and Training Centre, Kolkatta
- 28 MSME - Tool Room and Training Centre, Bhubaneshwar
- 29 MSME - Tool Room and Training Centre Guwahati
- 30 MSME - PPDC, Agra
- 31 MSME - PPDC, Meerut
- 32 MSME Tool Room - IGTR Aurangabad, Maharashtra
- 33 MSME - Bhiwadi, Rajasthan
- 34 MSME - Indo German Tool Room, Ahmedabad
- 35 National Film Development Corporation
- 36 National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD)
- 37 NITCON Ltd.
- 38 OP Jindal Community College
- 39 Paints & Coating Sector Skill Council
- 40 Plumbing sector skill council
- 41 Power Sector Skill Council
- 42 Rubber Skill Development Council (RSDC)
- 43 Skill Council for Green Job
- 44 Sports, Physical Education, Fitness and Leisure Skills Council (SPEFLSC)
- 45 Textile Sector Skill Council
- 46 UPICA, Kanpur
- 47 Webcon Ltd, Kolkata

Overall expenditure on skill development utilizing grant-in-aid from Govt., Internal resources and limited CSR grants from other CPSEs stood at Rs. 40.32 crores.

Training Expenditure released as part

उपयुक्त कौशल और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद प्रशिक्षुओं को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की सामान्य ऋण योजनाओं के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा सामान्य मानकों और निगम की कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के अनुसार सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित सेक्टर स्किल काउंसिलों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम 100% अनुदान सहायता के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, मंत्रालय ने 20,000 प्रशिक्षुओं के नियोजन का लक्ष्य निर्धारित किया था। लक्ष्य के सापेक्ष निगम ने कुल 21,970 प्रशिक्षुओं को नियोजित किया है तथा कुल 30,491 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों और सेक्टर स्किल काउंसिलों जिनके देश में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र / साझेदार हैं के साथ साझेदारी की-

1. इण्डियन इन्सटीट्यूट ऑफ एन्टरप्रिन्वोरशिप, गुवाहाटी
2. आंध्र प्रदेश प्रोडक्टिविटी काउंसिल (ए.पी.पी.सी.), हैदराबाद,
3. अन्नामलाई यूनीवर्सिटी
4. अपोलो मेडिकल्स
5. अपरैल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेन्टर (ए.टी.डी.सी.)
6. सी.डी.जी.आई., फिरोजाबाद
7. सी.ई.डी.एम.ए.पी., भोपाल
8. सैन्ट्रल इंस्टिट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट)
9. सी.आई.आई. लॉजिस्टिक संस्थान
10. सी.आर.आई.पी.एस., भोपाल
11. डॉमेस्टिक वर्कर सेक्टर स्किल काउंसिल
12. ई.एस.टी.सी., उत्तराखंड
13. फर्नीचर एण्ड फिटिंग सेक्टर स्किल काउंसिल
14. जेम्स एण्ड ज्वैलरी सेक्टर स्किल काउंसिल
15. हैण्डिक्राफ्ट एण्ड कारपेट सेक्टर स्किल काउंसिल
16. हिमाचल कंसल्टेंसी लि. (हिमकॉन)
17. आई.ई.डी., लखनऊ
18. भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर

19. इन्फ्रास्ट्रक्चर इक्यूपमेंट स्किल काउंसिल (आई.ई.एस.सी.)
 20. इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेशन सर्विलेंस एण्ड कम्प्यूनीकेशन स्किल काउंसिल (आई.ए.एस.सी.)
 21. जे.के.आई.टी.सी.ओ., जम्मू एण्ड कश्मीर
 22. किटको लिमिटेड, केरल
 23. लाइफ साइंस सेक्टर स्किल काउंसिल (एल.एस.एस.एस.सी.)
 24. लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल
 25. मॉडल फिनिशिंग स्कूल, केरल
 26. एमपीकॉन, भोपाल
 27. एम.एस.एम.ई. - सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता
 28. एम.एस.एम.ई. - टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर
 29. एम.एस.एम.ई. - टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर गुवाहाटी
 30. एम.एस.एम.ई. - पीपीडीसी, आगरा
 31. एम.एस.एम.ई. - पीपीडीसी, मेरठ
 32. एम.एस.एम.ई. टूल रूम - आई.जी.टी.आर. औरंगाबाद, महाराष्ट्र
 33. एम.एस.एम.ई. - भिवाड़ी, राजस्थान
 34. एम.एस.एम.ई. - इंडो जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद
 35. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
 36. उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड)
 37. निटकॉन लिमिटेड
 38. ओपी जिंदल कम्प्युनिटी कॉलेज
 39. पेंट्स एंड कोटिंग सेक्टर स्किल काउंसिल
 40. प्लम्बिंग सेक्टर स्किल काउंसिल
 41. पावर सेक्टर स्किल काउंसिल
 42. रबर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल (आर.एस.डी.सी.)
 43. स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब
 44. स्पोर्ट, फिजिकल एजुकेशन फिटनेस एण्ड लेजर स्किल काउंसिल (एस.पी.ई.एफ.एल.एस.सी.)
 45. टैक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल
 46. यू.पी.आई.सी.ए., कानपुर
 47. वेबकॉन लिमिटेड, कोलकाता
- सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता, आंतरिक संसाधनों एवं अन्य केन्द्रीय लोक उद्यमों से प्राप्त सीमित सी.एस.आर. अनुदान

payment especially on training sanctioned during 2019-20 was Rs. 24.88 crores for 30,491 trainees. Statewise/Tradewise details of training during the year under report are available at **Annexure - 5** (Page No.49-71).

The Corporation also sanctioned skill training programmes for 160 members of beggars

community, of which training programmes for 120 trainees have been commenced. The Corporation also sanctioned skill development training programmes for 330 members of transgender community.

During the year, the corporation could get sanction under Corporate Social Responsibility (CSR) from the profit making PSUs as shown under:

S. No.	Name of PSU	CSR fund sanctioned (Rs. in Crores)	CSR Fund released (Rs. in Crores)	Number of trainees	Skill Training Institutes
1	Indian Railway Finance Corporation	2.99	0.89	1530	HIMCON, NITCON, NIESBUD
2	Concor Air Limited	0.29	0.08	200	Logistic SSC
3	Central Warehousing Corporation (CWC)	0.28	0.14	180	Rubber Skill Development Council
4	Central Warehousing Corporation (CWC)	0.5	0.25	200	NIESBUD
5	CONCOR	1.18	0.35	450	CII Institute of Logistics
6	Engineers India Limited	4.32	3.03	902	CIPET
Total		9.56	4.74	3462	

The skill development training programmes under the above CSR funded projects have been sanctioned in the states of Rajasthan, Jharkhand, Odisha, Haryana, West Bengal, Bihar, Assam, Maharashtra, Uttarakhand and Tamil Nadu.

19. FOCUS ON NORTH EASTERN STATES

During the year 2019-20, Corporation has allocated and disbursed 16.77% fund of the total budget allocation received from Govt. of India to the

North Eastern States. As per their legitimate demand received during the year 2019-20, loan amounting to Rs. 21.80 Cr. for 2991 beneficiaries was disbursed in the N-E States namely Tripura (Rs. 8.00 cr., Assam Rs. 11.80 Cr. and Sikkim Rs. 2.00 Cr.). This is well above the mandatory requirement to disburse Rs.13.00 Crore (10% of Rs.130.00 Crore received from GOI) for the financial year 2019-20. Cumulatively disbursement to N.E. States is under:

State	Loan Disbursed 2019-20 (Rs. in Cr.)	Cum. Loan Disbursed (Rs. in Cr.)	No. of Beneficiaries Assisted 2019-20	Cum. No. of Beneficiaries Assisted
Assam	11.80	73.99	1180	49433
Manipur	-	26.58	-	19356
Sikkim	2.00	29.63	238	5462
Tripura	8.00	165.35	1573	45567
TOTAL	21.80	295.55	2991	119818

का उपयोग करते हुए कौशल विकास पर कुल रु. 40.32 करोड़ व्यय किया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान स्वीकृत प्रशिक्षण हेतु आंशिक प्रशिक्षण व्यय के रूप में 30,491 प्रशिक्षणार्थियों हेतु रु. 24.88 करोड़ जारी किया गया है। सन्दर्भित अवधि में वर्ष के दौरान राज्यवार/ ट्रेडवार प्रशिक्षण विवरण **अनुलग्नक-5** (पृष्ठ सं. 49-71) पर दिया गया है।

निगम ने भिखारी समुदाय के 160 सदस्यों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 120 प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं। निगम ने ट्रांसजेंडर समुदाय के 330 सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी स्वीकृत किए।

वर्ष के दौरान निगम लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक उपक्रमों से निगमित सामाजिक दायित्व के तहत निम्नानुसार स्वीकृति प्राप्त की है:

क्र.स.	लोक उद्यम का नाम	स्वीकृत सी.एस.आर. धनराशि (रु. करोड़ में)	सी.एस.आर. फंड (रु. करोड़ में)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कौशल प्रशिक्षण संस्थान
1	इण्डियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन	2.99	0.89	1530	हिमकॉन, निटकॉन, निसबड
2	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	0.29	0.08	200	लॉजिस्टिक एस.एस.सी.
3	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सी.डब्ल्यू.सी.)	0.28	0.14	180	रबर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल
4	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सी.डब्ल्यू.सी.)	0.5	0.25	200	निसबड
5	कॉनकॉर	1.18	0.35	450	सी.आई.आई. इंस्टिट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स
6	इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड	4.32	3.03	902	सीपेट
	कुल	9.56	4.74	3462	

उपरोक्त निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान, झारखण्ड, उड़ीसा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु हेतु स्वीकृत किए हैं।

19. उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान

वर्ष 2019-20 में, निगम ने भारत सरकार से प्राप्त कुल बजट आवंटन की 16.77% राशि उत्तर-पूर्वी राज्यों को

आवंटित एवं वितरित की है। वर्ष 2019-20 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों से प्राप्त विधिसंगत मांग के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्य (त्रिपुरा को रु. 8.00 करोड़, असम रु. 11.80 करोड़ एवं सिक्किम रु. 2.00 करोड़) को वितरित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु. 13.00 करोड़ की अनिवार्य आवश्यकता से काफी ऊपर (भारत सरकार से प्राप्त रु. 130.00 करोड़ का 10%) वितरण किया गया। उत्तर- पूर्वी राज्यों का संचयी विवरण इस प्रकार है-

राज्य	ऋण वितरण 2019-2020 (रु. करोड़ में)	संचयी ऋण वितरण (रु. करोड़ में)	2019-2020 में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संचयी संख्या
असम	11.80	73.99	1180	49433
मणीपुर	-	26.58	-	19356
सिक्किम	2.00	29.63	238	5462
त्रिपुरा	8.00	165.35	1573	45567
योग	21.80	295.55	2991	119818

20. MARKETING LINKAGES

Besides other developmental activities, the Corporation is promoting, marketing facilities for the artisans of the target group by providing opportunities to participate in the Country's leading fairs like India International Trade Fair, Dilli Haat, Surajkund International Crafts Mela, Lokotsav etc. as well as in the exhibitions/fairs organized in their respective States. The event not only give much needed marketing exposure to these artisans, but also provide an opportunity to market their products at good price which usually they find difficult in their own places.

NBCFDC helps traditional BC Artisans by way of providing them platform to exhibit their products in the exhibitions to establish marketing linkages.

NBCFDC also motivates the SCAs to organize or participate in exhibitions to showcase the schemes of the Corporation and also to exhibit the diverse products and services for which NBCFDC has provided financial assistance to the members of Backward Classes in different parts of the Country through SCAs. The objective of such exhibitions is to generate awareness about the NBCFDC schemes as well as to give exposure to the artisans of the target group to a bigger market. Beneficiaries are also being provided to and fro expenses, etc. Detailed statement of the Fairs, Exhibitions organized/ sponsored by NBCFDC during the year 2019-20 is available at **Annexure-6** (Page No. 72)

21. NEW INITIATIVES

21.1 Information Technology (IT)

Your Corporation has embarked upon improvement of its web based software (Phase II) for generating MIS & provides easy access to the Channel Partners for ease of business with NBCFDC. NBCFDC is also facilitating training of its channel partners for using SBMS (Social Benefit Management System) developed by NeGD, MeITY on behalf of MoSJE. The software is aimed at helping the target groups to apply on line & avail loan facilities of the corporation.

21.2 Technology Upgradation of Cluster under NBCFDC Scheme objectives

In order to facilitate technological up-

gradation & capacity augmentation to clusters of target groups and to improve quality of the products and productivity thereby & to enable them to face the competition in domestic and international markets. Corporation has introduced Technology Upgradation scheme. During the year, Corporation has sanctioned an amount of Rs. 173.54 lakh to benefit 522 members of Backward Classes in the States of Karnataka (Wood Inlay Cluster in Mysuru), Assam (Artistic Textile in Morigaon) and Tripura (Bamboo Mat Weavers & Bamboo Basket Weaver in West Tripura) towards financial assistance for procurement of machinery, for development of Common Facility Centre (CFC) and Entrepreneurship Development Programme (EDP) under Technology Upgradation of Clusters Scheme of NBCFDC. During 2019-20, Corporation has released an amount of Rs.76.32 Lakh under this scheme for benefiting 408 persons.

21.3 Performance Linked Grant-In-Aid (PLGIA) Scheme

- i) In order to strengthen the infrastructure of Channel Partners of National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC). Corporation has been providing grant to the SCA under Performance Linked Grant-in-Aid (PLGIA) scheme.
- ii) Quantum of Assistance is normally restricted to 1% of the released funds in a year subject to max. of Rs.10.00 Lakhs p.a.
- iii) Corporation introduced One Time Additional Incentive of Rs.2.00 Lakh for adoption of Social Benefits Management System (SBMS) over & above under existing Performance Linked Grant-in-Aid Scheme for Channel Partners of NBCFDC and the objective is to to strengthen the IT system of our Channel Partners (CPs)
- iv) Quantum of Assistance: One time additional incentive of Rs.2.00 Lakh over & above existing limits under PLGIA Scheme to

20. विपणन संयोजन

निगम, अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के अतिरिक्त, लक्षित वर्ग के दस्तकारों को देश के मुख्य मेलों जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली हॉट एवं सुरजकुण्ड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले, लोकोत्सव इत्यादि के साथ—साथ सम्बंधित राज्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों / लोकोत्सव मेलों आदि में विपणन के अवसर उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करता है। ये आयोजन दस्तकारों को मात्र विपणन / प्रदर्शन का अवसर ही प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि एक ऐसा सुअवसर भी प्रदान करते हैं, जहां उनके उत्पादों की अच्छे मूल्य पर बिक्री होती है जो सामान्यतः उनके क्षेत्र में होना कठिन होता।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. परम्परागत पिछड़े वर्ग के दस्तकारों को प्रदर्शनियों में उत्पादों के प्रदर्शन हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर विपणन संयोजन हेतु सहायता प्रदान करता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निगम की योजनाओं के प्रदर्शन तथा विविध उत्पादों एवं सेवाओं, जिनके लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गों के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, प्रदर्शनियों का आयोजन अथवा प्रतिभागिता करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार की प्रदर्शनियों का उद्देश्य एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने सहित लक्षित वर्ग के दस्तकारों को बड़े बाजारों में पहुंच प्रदान करना है। लाभार्थियों को आने-जाने का किराया व्यय इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित / प्रायोजित मेलों, प्रदर्शनियों का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-6** (पृष्ठ सं. 72) पर उपलब्ध है।

21. नई पहल

21.1 सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)

निगम ने एम.आई.एस. के निर्माण के लिए अपने वेब आधारित सॉफ्टवेयर (द्वितीय चरण) में सुधार किया है और एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ व्यवसाय में आसानी के लिए चैनल सहयोगियों को आसान पहुँच प्रदान करता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपने चैनल सहयोगियों को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से NeGD, MeiTY द्वारा विकसित एस.बी.एम.एस. (सोशल बेनिफिट मैनेजमेंट सिस्टम) का उपयोग करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। सॉफ्टवेयर का लक्ष्य समूहों को निगम की ऋण सुविधाओं को लागू करने और उपलब्ध कराने में मदद करना है।

21.2 एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के उद्देश्य के तहत समूहों का प्रौद्योगिकी उन्नयन

लक्षित समूहों के तकनीकी उन्नयन और क्षमता वृद्धि को सुगम बनाने और उत्पादों और उत्पादकता की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और उन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम संचालित किया। निगम ने प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना शुरू की है। वर्ष के दौरान, निगम ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की क्लस्टर योजना के प्रौद्योगिकी उन्नयन के तहत मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सी.एफ.सी.) और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई.डी.पी.) के लिए राज्यों में पिछड़ा वर्ग के 522 सदस्यों जिसमें कर्नाटक (मैसूर में बुड इनले क्लस्टर), असम (मोरीगांव में कलात्मक वस्त्र) और त्रिपुरा (पश्चिम त्रिपुरा में बांस मैट बुनकर और बांस की टोकरी बुनकर) सम्मिलित हैं, को लाभ पहुंचाने के लिए रु. 173.54 लाख की राशि स्वीकृत की है। वर्ष 2019-20 के दौरान, निगम ने 408 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए इस योजना के तहत रु. 76.32 लाख की धनराशि जारी की है।

21.3 कार्यनिष्पादन से जुड़ी अनुदान योजना (पी.एल.जी.आई.ए.)

- i) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) चैनल सहभागियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, निगम कार्यनिष्पादन से जुड़ी अनुदान-सहायता (पी.एल.जी.आई.) योजना के तहत एस.सी.ए. को अनुदान प्रदान कर रहा है।
- ii) सहायता की मात्रा सामान्य रूप से एक वर्ष में जारी धनराशि के 1% तक सीमित है, जो अधिकतम रु. 10 लाख प्रति वर्ष तक सीमित है।
- iii) निगम ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के चैनल सहभागियों के लिए मौजूदा कार्यनिष्पादन से जुड़ी अनुदान-सहायता योजना के तहत सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली (एस.बी.एम.) को अपनाने के लिए रु. 2.00 लाख का एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन आरंभ किया है तथा इसका उद्देश्य अपने चैनल सहभागियों की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को मजबूत करना है।
- iv) सहायता की मात्रा: चैनल सहभागियों को पी.एल.जी.आई. योजना के तहत मौजूदा सीमा से अधिक और उसके अतिरिक्त रु. 2.00 लाख का एक बार अतिरिक्त प्रोत्साहन।

the Channel Partners.

During the year 2019-20, the Corporation has disbursed Rs 189.19 Lakhs to 28 Channel Partners under this scheme.

21.4 Skill Development Training Programme for members of Transgender' community

Ministry of Social Justice and Empowerment has entrusted the sensitive job of Skill Development Training Programme for members' of Transgender' community on pilot basis to NBCFDC, with an objective to upgrade their skills to enable them to start income generating activities of their own or get gainfully employed in wage or self-employment. The Corporation detailed deliberations with NGOs sanctioned skill development training for 330 members of Transgender' community in the state of Manipur, Karnataka, UP, Tamilnadu, Telangana & Delhi at a total cost of Rs. 87.33 lakhs

22. MONITORING & EVALUATION:

The Corporation accords due emphasis on the monitoring & evaluation studies for monitoring purpose and assessing the impact of National backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) schemes on the socio-economic states of the beneficiaries. The Channel Partners are also advised from time to time to strengthen the monitoring mechanism and take action on the observations/recommendation of evaluation studies. On-going-schemes are evaluated from time to time to have an impact assessment through independent agencies.

During the year, Corporation got done Evaluation Study for a sample size of 700 trainees to make an assessment of impact of Skill Development Training Programme of the Corporation in the State of Assam through Dr. Ambedkar Chair, Tezpur University. Further, Evaluation Study initiated last year for a sample size of 850 beneficiaries assisted under credit schemes of the Corporation in the U.T. of Puducherry got completed during the year through Dr. Ambedkar Chair, Annamalai University in Tamil Nadu. Outcome and action taken on the Evaluation Reports where final reports were received in 2019-20 are enclosed at **Annexure - 7** (Page No. 73-78).

23. PUBLICITY & AWARENESS OF NBCFDC SCHEMES:

The Corporation has taken effective steps for generating awareness amongst target group in various parts of the country. The Corporation along with its channel partners has sponsored/organized holding of Awareness Camps with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group to avail financial support in short time by registering their names at the Camps. During the year, NBCFDC and its channel partners have organized 85 Awareness Camps in various States. The officials of the Corporation and channel partners also attended the camps & facilitated the target groups in understanding the schemes. During the last five years, NBCFDC and its channel partners have organized 367 such Awareness Camps in various States.

With a view to protect the target groups and employees of channel partners, NBCFDC offered a grant of Rs. 10,000/- each of the SCAs for distribution of masks, sanitizers & and creating awareness amongst the target groups towards COVID-19 pandemic. The States of Kerala, Himachal Pradesh & J&K (U.T.) have been sanctioned the grant.

24. MAIN EVENTS DURING 2019-20

24.1 Management Development Programmes-cum-Review Meetings

The Corporation organized 03 Management Development Programme (MDP)-cum-Regional Review Meeting for Managing Directors and Senior Officers of State Channelising Agencies (SCAs) of NBCFDC/Public Sector Banks/Rural Regional Banks from 19-21 May, 2019 at Hyderabad, Telangana for Southern & Western Region, from 8-9 August, 2019 at Amritsar, Punjab for Northern Region and on 23 September, 2019 at Guwahati, Assam for Eastern and North-Eastern Region to improve the implementation of NBCFDC schemes.

In addition, meetings were routinely organized with the State Channelizing Agencies, Banks, Government Training Institutions and Sector Skill Council to update them on our financing & skilling Schemes & also take their feedback.

वर्ष 2019–20 के दौरान निगम ने इस योजना के अंतर्गत 28 चैनल सहभागियों को रु. 189.19 लाख की धनराशि वितरित की है।

21.4 ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पायलट आधार पर ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का संवेदनशील काम एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को सौंपा है ताकि वे अपने कौशल को उन्नत कर सकें तथा वे आय पैदा करने वाले कार्यकलापों को आरंभ कर सकें अथवा वेतन या स्वरोजगार में लाभप्रद रूप से कार्यरत हो सकें। निगम ने मणिपुर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली के गैर सरकारी संगठनों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के 330 सदस्यों के लिए कुल रु. 87.33 लाख की लागत के प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की।

22. निगरानी एवं मूल्यांकन:

निगम निगरानी के उद्देश्य से व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) की योजनाओं का लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक अवस्था पर प्रभाव के आकलन पर बल देता है। चैनल सहभागियों को समय-समय पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने और मूल्यांकन अध्ययन की टिप्पणियों / अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने की भी सलाह दी जाती है। स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से प्रभाव के आकलन के लिए समय-समयपर योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

वर्ष के दौरान, निगम ने 700 प्रशिक्षुओं के नमूने के आकार के लिए मूल्यांकन अध्ययन किया ताकि असम राज्य में डॉ अंबेडकर चेयर (तेजपुर विश्वविद्यालय) के माध्यम से निगम के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, पुडुचेरी में निगम की ऋण योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त 850 लाभार्थियों के नमूने के लिए पिछले वर्ष तमिलनाडु में डॉ अंबेडकर चेयर (अन्नामलाई विश्वविद्यालय) के माध्यम से आरंभ किया गया मूल्यांकन अध्ययन वर्ष के दौरान पूरा हो गया। मूल्यांकन रिपोर्टों पर परिणाम और कार्रवाई जो 2019–20 में अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, **संलग्नक-7** (पृष्ठ सं. 73–78) पर उपलब्ध है।

23. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं का प्रचार एवं जागरूकता:

निगम ने देश के विभिन्न भागों में लक्षित वर्ग के मध्य

जागरूकता पैदा करने हेतु प्रभावी कदम उठाए हैं। निगम ने अपने चैनल सहभागियों के साथ निगम की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने व अपना नाम दर्ज करवाकर संक्षिप्त अवधि में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जागरूकता शिविरों को प्रायोजित/आयोजित किया। वर्ष के दौरान, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. और इसके चैनल सहयोगियों ने विभिन्न राज्यों में 85 जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं। निगम के अधिकारियों एवं चैनल सहभागियों ने भी शिविरों में भाग लिया और योजनाओं को समझने के लिए लक्षित समूहों को सुविधा प्रदान की और उन्हें बैंकों से रियायती ऋण प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिछले पाँच वर्षों के दौरान एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एवं उसके चैनल सहभागियों द्वारा विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के 367 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।

चैनल सहभागियों के लक्षित समूहों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने मास्क, सैनिटाइजर के वितरण और कोविड-19 महामारी के प्रति लक्षित समूहों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक एस.सी.ए. को रु. 10,000 की अनुदान राशि की पेशकश की है। केरल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर (यू.टी.) राज्यों को अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

24. वर्ष 2018–19 के दौरान मुख्य आयोजन

24.1 प्रबंधन विकास कार्यक्रम-सह-समीक्षा बैठक

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंध निदेशकों एवं उसके वरिष्ठ अधिकारियों के लिए निगम ने 03 प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एम.डी.पी.)-सह-क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों का आयोजन दिनांक 19–21 मई, 2019 को हैदराबाद, तेलंगाना में दक्षिण एवं पश्चिमी क्षेत्रों की, 8–9 अगस्त, 2019 को अमृतसर, पंजाब में उत्तरी क्षेत्रों की एवं दिनांक 23 सितम्बर, 2019 को गुवाहटी, असम में पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्रों की बैठकें एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हेतु आयोजित की हैं।

इसके अतिरिक्त, बैठकें राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, बैंकों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों और सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ नियमित रूप से आयोजित की गईं ताकि हमारी वित्तपोषण और कौशल योजनाओं पर उन्हें अद्यतन जानकारी उपलब्ध करा सकें और उनकी प्रतिक्रिया भी ले सकें।

24.2 National Conference on Raising Day.

National Conference of Channel Partners (SCAs/Banks) of NBCFDC was held on 13.1.2020 at New Delhi coinciding with the Raising day of the Company. The Conference was graced by Hon'ble Minister of Social Justice & Empowerment and Secretary (SJ&E) besides senior officers of Ministry and the top officials of the Channel Partners.

During the Conference Hon'ble Minister (SJ&E) awarded the Best Performing SCAs, Public Sector Banks, Regional Rural Banks and institutes.

Hon'ble Minister (SJ&E) also released Compendium of Best Practices of NBCFDC & its Channel Partners, Guidelines for implementation of NBCFDC schemes and Hindi Rajbhasha Patrika "Subhasini".

24.3 Meeting with Principal Secretaries/ Secretaries of States/UTs & Chief Executives of SCAs/RRBs

A meeting of Principal Secretaries/ Secretaries of States/UTs and Chief Executives of Channel Partners (SCAs/RRBs) chaired by Secretary (SJE) on Enhanced Financing to BC & SC SHGs was held at New Delhi on 05.03.2020 to discuss the disbursement of finances under the schemes of the Apex Corporations (NBCFDC & NSFDC) and implementation of Annual Action Plan for 2020-21. During the meeting, Economic Advisor (SJE)/MD, NSKFDC; CMD/MD, NSFDC/NBCFDC and senior officers of NSFDC, NBCFDC and NSKFDC were present. More than 75 participants from various States/UTs attended the meeting where the targets for 2020-21 to be achieved by the various States against the Notional Allocation made by the Apex Corporations were discussed.

24.4 Exhibitions/Fairs/Melas

i) Shilpotsav – 2019

NBCFDC participated in the exhibition "Shilpotsav-2019" at Dilli Haat, Opp. INA, New Delhi from 01.11.2019 to 15.11.2019. All the 03 Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in Shilpotsav-2019.

The NBCFDC invited beneficiaries from all State State Channelizing Agencies (SCAs),

Banks and Sector Skill Councils/Training Institutes and 40 artisans from 11 States participated. The beneficiaries were given space free of cost to display their products like pottery, kashmiri shawls/stoles, embroidery, wood inlay & agarbatti, cane & bamboo, wood carving, jute products, silk sarees, handloom, kalamkari, jewellery bags, pickles & namkeens, dress material, honey & organic products, artificial jewellery, etc. during the Shilpotsav.

The Hon'ble Minister of Social Justice & Empowerment and the Secretary, Govt. of India and other senior officers of Ministry of Social Justice & Empowerment visited Shilpotsav and interacted with the artisans.

ii) India International Trade Fair (IITF) – 2019

NBCFDC participated in the Exhibition-cum-Sale at "India International Trade Fair (IITF)", Pragati Maidan, New Delhi from 14th-27th November, 2019. All the 03 Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in IITF-2019.

The NBCFDC invited beneficiaries for all State Channelizing Agencies (SCAs)/Banks and 18 artisans from 10 States participated with handicraft items like Cane & Bamboo, Handloom, Shawl & Suits, Sarees & Dress Material, Natural Fibre, Wood Inlay & Agarbatti, Honey/Pickle/Horticulture Products, Food Processing, Hand Block Printing etc.

iii) Lokotsav-2020

NBCFDC participated in Goa Lokotsav-2020 on behalf of Ministry of Social Justice & Empowerment from 10.01.2020 to 19.01.2020 at Panji, Goa organized by Directorate of Art & Culture, Goa.

During Lokotsav-2020, 02 Stalls were allocated to the beneficiaries of NBCFDC.

iv) Surajkund International Craft Mela – 2020

NBCFDC participated in 34th Surajkund International Craft Mela-2020 Exhibition on behalf of Ministry of Social Justice & Empowerment from 1-16 February, 2020 at

24.2 स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का चैनल सहभागियों का राष्ट्रीय सम्मेलन (एस.सी.ए./बैंक) का आयोजन दिनांक 13.1.2020 को नई दिल्ली में कंपनी के स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। सम्मेलन में माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और चैनल सहभागियों के शीर्ष अधिकारियों के अतिरिक्त सचिव (एस.जे.ई.) उपस्थित थे।

सम्मेलन के दौरान माननीय मंत्री (एस.जे.ई.) द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एस.सी.ए., सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और संस्थानों को सम्मानित किया गया।

माननीय मंत्री (एस.जे.ई.) द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. और इसके चैनल सहभागियों के उत्कृष्ट कार्यों का संग्रह, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश और हिंदी पत्रिका "राजभाषा सुभाषिनी" का विमोचन भी किया गया।

24.3 प्रमुख सचिवों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों एवं एस.सी.ए./क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य कार्यकारियों के साथ बैठक

शीर्ष निगमों (एन.बी.सी.एफ.डी.सी. और एन.एस.एफ.डी.सी.) की योजनाओं के तहत वित्त के वितरण और वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए दिनांक 05.03.2020 को नई दिल्ली में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजाति के स्व-सहायता समूहों के लिए वित्तपोषण बढ़ाने के संबंध में सचिव (एस.जे.ई.) की अध्यक्षता में प्रमुख सचिवों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों एवं एस.सी.ए./क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मुख्य कार्यकारियों के साथ दिनांक 05.03.2020 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान, आर्थिक सलाहकार (एस.जे.ई.)/प्रबंध निदेशक, एन.एस.के.एफ.डी.सी.; एन.एस.एफ.डी.सी./एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक और एन.एस.एफ.डी.सी., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. तथा एन.एस.के.एफ.डी.के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न राज्यों/केंद्रों के 75 से अधिक प्रतिभागियों ने बैठक में भाग लिया जहां शीर्ष निगमों द्वारा किए गए आरंभिक आवंटन के सापेक्ष विभिन्न राज्यों द्वारा वर्ष 2020-21 के लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने पर चर्चा की गई।

24.4 प्रदर्शनियाँ / उत्सव / मेले

I) शिल्पोत्सव- 2019

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने दिल्ली हॉट, आई.एन.ए. के सामने, नई दिल्ली में दिनांक 01.11.2019 से 15.11.2019 तक "शिल्पोत्सव-2019" में भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सभी 03 शीर्ष निगमों- एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.के.एफ.डी.सी. और एन.एस.एफ.डी.सी. ने शिल्पोत्सव-2019 में भाग लिया।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने सभी राज्यों की चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), बैंकों और सेक्टर स्किल

काउंसिलों/प्रशिक्षण संस्थानों के लाभार्थियों को आमंत्रित किया और 11 राज्यों के 40 दस्तकारों ने भाग लिया। शिल्पोत्सव के दौरान लाभार्थियों को अपने उत्पादों जैसे मिट्टी के बर्तन, कश्मीरी शॉल/स्टोल्स, कढ़ाई, वूड इनले और अगरबत्ती, केन और बांस के सामान, लकड़ी पर नक्काशी, जूट उत्पाद, रेशम की साड़ियां, हथकरघा, कलमकारी, जूट बैग, अचार और नमकीन, पोशाक सामग्री, शहद और जैविक उत्पादों, कृत्रिम आभूषण आदि प्रदर्शित करने के लिए निःशुल्क स्थान दिए गए।

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और भारत सरकार के सचिव तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने शिल्पोत्सव का भ्रमण किया तथा दस्तकारों के साथ बातचीत की।

ii) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई.आई.टी.एफ.)- 2019

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने दिनांक 14-27 नवंबर, 2019 तक "भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला" (आई.आई.टी.एफ.), प्रगति मैदान, नई दिल्ली में प्रदर्शनी-सह-बिक्री में भाग लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सभी 03 शीर्ष निगमों- एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.के.एफ.डी.सी. और एन.एस.एफ.डी.सी. ने आई.आई.टी.एफ.-2019 में भाग लिया।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने सभी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के लाभार्थियों को आमंत्रित किया और 10 राज्यों के 18 दस्तकारों ने हस्तशिल्प सामानों जैसे-केन एवं बांस, हथकरघा, शाल एवं सूट, साड़ी एवं ड्रेस सामग्री, प्राकृतिक धागे, वूड इनले एवं अगरबत्ती, शहद/अचार/बागवानी उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, हाथों से ब्लॉक प्रिन्टिंग इत्यादि हेतु लाभार्थियों को आमंत्रित किया।

iii) लोकोत्सव- 2020

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने पणजी, गोवा के कला एवं संस्कृति निदेशालय द्वारा आयोजित "गोवा लोकोत्सव-2020" में दिनांक 10.01.2020 से 19.01.2020 तक भाग लिया।

लोकोत्सव-2020 के दौरान एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के लाभार्थियों को 02 स्टॉल आवंटित किए गए थे।

iv) सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला - 2020

1-16 फरवरी, 2020 में फरीदाबाद, हरियाणा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला-2020 प्रदर्शनी में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा भाग लिया गया। सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत सभी 03 शीर्ष

Faridabad, Haryana. All the 03 Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the Surajkund International Craft Mela. 150 Stalls were allotted to the Ministry, out of which 50 stalls were allotted to NBCFDC in this Mela.

The NBCFDC invited the beneficiaries from all State Channelising Agencies (SCAs)/ Banks, 30 artisan beneficiaries recommended by various State Channelising Agencies (SCAs) were given space free of cost for display and sale their products. The products displayed by the artisans included shawl embroidery & suits, agriculture product-Honey, readymade garments, handloom products, banarasi saree & suits, wooden & marble items, dress material, wood inlay, toys (wooden), natural fibre products, cane & bamboo products, kantha stich saree & suits, kalamkari, block print, puchampali saree, artificial jewellery, leather products, brass items, powerloom products, ceramic pottery, terracotta items & katputhli. etc.

v) Silver Jubilee Expo-2020

NBCFDC participated in the exhibition "Silver Jubilee Expo-2020" at Palakkad District, Kerala from 24th February 2020 to 2nd March 2020 organized by Kerala State Backward Classes Finance & development Corporation (KSBCDC). The support of the Corporation was acknowledged by State Government. The Honb'le Governor of Kerala presented a token of gratitude of the SCA to MD/NBCFDC in the function organized on 28th February, 2020.

25. PUBLIC PROCUREMENT POLICY FOR MSES:

The Public Procurement policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 mandates that 20% of the total Annual procurement of goods and services by all Central Ministries/Public Sector Undertakings will be made from Micro and Small Enterprises (MSEs). Government has further earmarked a sub total of 4% procurement of goods and services, out of the 20%, from MSEs owned by SC/ST entrepreneur. In compliance of the Public

Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order 2012, your Corporation has achieved the required target during the year 2019-20.

26. IMPLEMENTATION OF AADHAAR ACT, 2016 AND DIRECT BENEFIT TRANSFER

As per the Notification published by the MOSJ&E in the Gazette of India on 1st March, 2017 for use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies as per the Section-7 of the Aadhaar Act, 2016, your Corporation requested all its State Channelizing Agencies (SCAs), Channel Partners (CPs) and Training Institutions (Tis) to provide the scheme-wise monthly data/information in the prescribed format for compilation and uploading on to the DBT Bharat Portal. Every month, your Corporation has been providing the compiled information/data in the prescribed format to the MOSJ&E based on information/data received from SCAs/CPs/Tis.

27. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The functional divisions of the Corporation viz. Planning, Project, Finance & Company Affairs Skill Development and Human Resource & Administration are operating with bare minimum staff, of fifty two employees as on 31.03.2020 which include newly recruited two officials, in spite of continued increase in the volume of work of the Corporation able to reach to the gross root level beneficiaries. Out of the total manpower of the Corporation 52 employees 08 belongs to SC category and 13 belongs to OBC category, one Ex-Serviceman and one PWD person there is no backlog vacancy exists in any cadre. Corporation is following the reservation policy and guidelines issue by Department of Enterprise, Ministry of Heavy Industries, Government of India.

Corporation strongly believes in development of human resources in order to achieve the goals, targets, fourteen officers and staff were deputed for various training programmes to keep them abreast with latest developments in the relevant functional areas.

27.1 Prevention of Sexual Harassment

The Corporation has zero tolerance for sexual harassment at workplace and has followed the provisions of the Sexual Harassment of Women

निगम – एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.के.एफ.डी.सी. और एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में भाग लिया गया। मंत्रालय को कुल 150 स्टाल आवंटित किए गए थे, जिसमें से एन.बी.सी. एफ.डी.सी. को 50 स्टॉल आवंटित किए गए थे।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने सभी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों / बैंकों के लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया, विभिन्न राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) द्वारा अनुशंसित 30 दस्तकारों के लाभार्थियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए निःशुल्क स्थान दिया गया। दस्तकारों द्वारा प्रदर्शित उत्पादों में कढ़ाई वाली शालें एवं सूट, कृषि उत्पाद—शहद, सिले—सिलाए वस्त्र, कथकरघा से बने उत्पाद, बनारसी साड़ियाँ एवं सूट, लकड़ी एवं पत्थर के सामान, ड्रेस मैटीरियल, वुड इनले, खिलौने(लकड़ी के बने), प्राकृतिक धागे से तैयार उत्पाद, केन एवं बांस के सामान, कंथा सिलाई के सूट एवं साड़ियाँ, कृत्रिम आभूषण, चमड़े उत्पाद, पीतल के सामान, पॉवरलूम उत्पाद, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा समान एवं कठपुतली इत्यादि सम्मिलित थे।

iv) रजत जयंती प्रदर्शनी—2020

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने केरल राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (के.एस.बी.सी.डी.सी.) द्वारा 24 फरवरी, 2020 से 2 मार्च, 2020 तक केरल के पलक्कड़ जिले में “रजत जयंती प्रदर्शनी—2020” में भाग लिया। निगम के सहयोग को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था। केरल के माननीय राज्यपाल ने दिनांक 28 फरवरी, 2020 को आयोजित कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक / एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को एस.सी. ए. के आभार का प्रतीक चिन्ह प्रस्तुत किया।

25. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस. एम.ई.) के लिए सार्वजनिक सुरक्षा नीति

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, आदेश, 2012 के अनुसार— अनिवार्य है कि सभी केन्द्रीय मंत्रालयों / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा माल और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का 20% माइक्रो और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमी के आधिपत्य के एम.एस.ई. से 20% में से माल और सेवाओं की 4% खरीद निर्धारित की है। वर्ष 2012 के सार्वजनिक खरीद नीति के अनुपालन में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के लिए आपके निगम ने वर्ष 2019—20 के दौरान आवश्यक लक्ष्य प्राप्त किया है।

26. आधार अधिनियम, 2016 और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का कार्यान्वयन

आधार अधिनियम, 2016 की धारा—7 के अनुसार सेवाओं या लाभ या सब्सिडी के वितरण के लिए दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग के लिए 1 मार्च, 2017 को भारत के राजपत्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, आपके निगम ने सभी स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), चैनल सहयोगियों (सी. पी.) और प्रशिक्षण संस्थानों (टी.ई.) से अनुरोध किया गया है, कि निर्धारित प्रारूप पर योजनावार मासिक डेटा / जानकारी प्रदान कर डी.बी.टी. भारत पोर्टल पर संकलन और अपलोड करें। आपका निगम एस.सी.ए./सी.पी./ टी.ई. से प्राप्त जानकारी/डेटा के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर संकलित जानकारी / डेटा प्रदान कर रहा है।

27. मानव संसाधन प्रबंधन

लगातार बढ़ते कार्यों के बावजूद जमीनी स्तर पर लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के नए तरीकों के साथ निगम के विभाग जैसे—योजना, परियोजना, वित्त और कम्पनी कार्य, कौशल विकास एवं मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य कर रहे हैं। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार निगम में कुल कर्मचारियों की संख्या 52 थी, जिसमें नए भर्ती किए गए 2 कार्मिक सम्मिलित हैं। निगम के कार्यों में लगातार वृद्धि के बावजूद निगम जमीनी स्तर पर लाभार्थियों तक पहुंच बनाने में सफल हुआ है। निगम के कुल 52 कर्मचारियों में से 08 अनुसूचित जाति वर्ग और 13 अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी से, एक भूपूर्व सैनिक एवं एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति सम्मिलित है। किसी भी कैडर में कोई भी पद रिक्त नहीं है। निगम आरक्षण नीति, लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का अनुसरण कर रहा है।

निगम अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन के विकास में दृढ़ विश्वास रखता है। 14 अधिकारियों और कर्मचारियों को घटनाक्रम से बराबर अगवत कराने के लिए उन्हें संगत कार्यात्मक क्षेत्रों में अद्यतन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया।

27.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम

निगम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए पूर्णतया असहिष्णु है एवं निगम ने महिलाओं के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषिद्ध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम एवं सुधार सम्बंधी नियमों का अनुपालन किया है। सक्षम

at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules thereunder for prevention and redressal of complaints of sexual harassment at workplace in compliance of the provisions of the Act. Competent Authority constituted the committee consisting of -

- (i) Smt. Anupama Sood GM (Proj.) - Presiding Officer
- (ii) Shri V. R. Chary, GM (HR& Admn.) - Member
- (iii) Shri Ajit Kumar Samal, GM (Fin.) - Member & C.S
- (iv) Smt. (Dr.) Navdip Kaur, NGO - Member Representative
- (v) Smt. Neelam Mudgal, Manager (Fin) - Member
- (vi) Smt. Saramma Thomas, Sr. Executive Secretary - Member

The aggrieved women employees may submit her complaints to the committee. During the financial year 2019-20, the Corporation has not received any complaints on sexual harassment from its employees.

28. NBCFDC IS IS/ISO 9001:2015 COMPANY

NBCFDC is now IS/ISO 9001:2015 certified by Bureau of Indian Standard on 15 June 2018. The Quality Objectives of the Corporation is to optimize organizational efficiency to achieve the MOU targets and continual enhancement of the customer satisfaction through redressal of customer.

Following ISO standard is, however, only a means and not an end in itself. The core of our quality objective lies in our emphasis on continuous improvement and customer satisfaction. The quality objective of the Corporation will be based on customer needs and working through proactive and responsive customer approach, leading to customer satisfaction. This shall be achieved through competency enhancement and continual improvements of systems & processes within the regulatory framework.

29. PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGE

The Corporation is following Government directives issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India for progressive use of Official Language Hindi in day to

day working of Corporation and the employees of the Corporation are also encouraged for the same

from time to time. During the year, 'Hindi Pakwada' & 'Hindi Diwas' were observed in the month of September. Winners were given suitable prizes to promote the Hindi Rajbhasha in official work. Alongwith Hindi software 'Saransh', 'Google Input Tool' has also been installed in Computers to promote the use of Hindi typing in the Computers.

The provisions of Section 3(3) of Official Language are being complied by the Corporation. Letters received in Hindi are always replied in Hindi. Four Meetings of the Official Language Implementation Committee (OLIC) were conducted during the year. Quarterly/half yearly/Annual Reports on the progressive use of Hindi were regularly sent to Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Ministry of SJ&E and to NARAKAS through online portal or in prescribed format. Four Hindi workshops were conducted for the officials of the Corporation alongwith various Hindi Classes to develop the competencies for working in Hindi. Corporation has published its Rajbhasha Grah Patrika 'Rajbhasha Subhasini' during the year.

During the reporting year, the Corporation organized 'Hindi Seminar', and Swarachit Hindi Kavita Patha Competition under the aegis of NARAKAS, Delhi (Upkram-2). For these events, the Corporation was awarded Shield by NARAKAS. Beside this, Rajbhasha Adhikari of the Corporation was also awarded for his special contribution for the promotion of Official Language.

Constant efforts were made to comply with the provisions enumerated in the 'Annual Programme' for the year 2019-20 issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India for transacting the official work of the Corporation in Hindi. The employees of the Corporation are being constantly encouraged for maximum use of Hindi Rajbhasha in their official work.

30. RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Corporation has taken action for implementation of RTI Act 2005. Nominations/Appointments of PIOs as well as Appellate Authority have been done. Compliance of the provisions of

प्राधिकारी ने निम्नलिखित अधिकारियों से बनी आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है:

- i) श्री अनुपमा सूद, महाप्रबन्धक (परि.) – पीठासीन अधिकारी
- ii) श्री वी.आर.चारी, महाप्रबन्धक (मा.स.–प्रशा.) – सदस्य
- iii) श्री अजित कुमार सामल, महाप्रबन्धक (वित्त.) / एवं कम्पनी सचिव – सदस्य
- iv) श्रीमती (डा.) नवदीप कौर, एनजीओ प्रतिनिधि – सदस्य
- v) श्रीमती नीलम मुदगल, प्रबन्धक (वित्त) – सदस्य
- vi) श्रीमती सारम्मा थॉमस, वरि. कार्यकारी –सदस्य सचिव

पीड़ित महिला कर्मचारी अपनी शिकायतें समिति को प्रस्तुत कर सकती हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निगम को अपने कर्मचारियों से यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

28. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. आई.एस. / आई.एस. ओ.9001–2015 कम्पनी

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिनांक 15 जून, 2018 को आई.एस./आई.एस.ओ. 9001–2015 कम्पनी का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत योग्यता को उपयुक्त बनाने एवं ग्राहकों के निदान द्वारा ग्राहक संतुष्टि को सतत् बढ़ाना निगम का गुणवत्ता उद्देश्य है।

आई.एस.ओ. मानक का पालन करना मात्र साधन है, साध्य नहीं है। हमारी गुणवत्ता उद्देश्यों का महत्वपूर्ण भाग ग्राहक संतुष्टि एवं निरंतर सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना है। निगम की गुणवत्ता का उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकता जिसमें ग्राहक की संतुष्टि सर्वोपरि हो, अग्रसक्रिय एवं दायित्वपूर्ण ग्राहक पहुंच पर आधारित होगा। यह नियामक ढांचे के अधीन क्षमता वृद्ध एवं प्रणाली तथा प्रक्रिया में नियमित सुधार के माध्यम से प्राप्त होगा।

29. राजभाषा का प्रगामी प्रयोग निगम

राजभाषा नीति एवं निगम के दैनिक कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुसरण कर रहा है तथा निगम के कर्मचारियों को इसके लिए समय-समय पर प्रोत्साहित भी किया जाता है। वर्ष के दौरान माह सितम्बर में

‘हिन्दी पखवाड़ा’ तथा ‘हिन्दी दिवस’ मनाए गए थे। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार प्रदान किए गए। कम्प्यूटरों के माध्यम से हिन्दी टाइपिंग हेतु हिन्दी सॉफ्टवेयर ‘सारांश’ के साथ-साथ “गूगल इनपुट टूल” संचालित किए गए हैं।

निगम में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जा रहा है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हमेशा हिन्दी में ही दिया जाता है। वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नाराकास को तिमाही/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक रिपोर्ट ऑन-लाइन पोर्टल अथवा निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से भेजी गईं। हिन्दी में कार्य करने की क्षमता को विकसित करने के लिए निगम के कार्मिकों हेतु चार हिन्दी कार्यशालाओं के साथ-साथ विभिन्न हिन्दी कक्षाएं आयोजित की गईं।

संदर्भित वर्ष के दौरान, निगम ने नराकास, दिल्ली (उपक्रम-2) के तत्वावधान में ‘हिंदी संगोष्ठी’ तथा स्व-रचित हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया। इन आयोजनों के लिए निगम को नराकास द्वारा शील्ड प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त, राजभाषा अधिकारी को राजभाषा के संवर्धन के लिए उनके विशेष योगदान हेतु भी नराकास द्वारा सम्मानित किया गया।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2019–20 के वार्षिक कार्यक्रम में किए गए प्रावधानों का अनुपालन करने के लगातार प्रयास किए गए। निगम के कर्मचारियों को अपने कार्यालयी कार्य में हिंदी राजभाषा के अधिक से अधिक उपयोग के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निगम ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का नामांकन/नियुक्ति की गई है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है एवं सूचना प्रेषण से सम्बंधित अनुरोधों पर ध्यान दिया जा रहा है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की

RTI Act, 2005 is ensured and requests for information are being attended. NBCFDC website has been updated and contains information on all 17 items as required under clause 4.1(b) of RTI Act 2005. The Corporation also submitted quarterly/annual returns regularly online on the website of Central Information Commission (CIC). During the financial year 2019-20, all complaints/applications have been disposed off within the specified time limits.

31. VIGILANCE CELL

Your Corporation observed Vigilance Awareness Week from 28th October, 2019 to 2nd November, 2019 as per the guidelines of Chief Vigilance Commission. Proper preventive vigilance is being observed in the Corporation and also notice is displayed at the Notice Board of the Corporation for improving vigilance administration. Officers & Employees were made aware about the preventive vigilance during the meetings from time to time.

32. ACHIEVEMENT AGAINST MOU 2018-19

Your Corporation continues to contribute their best and the achievement of the Corporation based on self-evaluation as also review at Board and Ministry level was 'Excellent'. However, due to a difference in accounting principle followed at the time of target setting viz-a-viz evaluation, the DPE has, adopting a conservative approach, rated the performance as 'Very Good' for the year 2018-19 giving the Corporation a score of 79.24.

33. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING & OUTGO.

The activities undertaken by your Corporation do not fall under the purview of disclosures of particulars under Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, in so far as it relates to the conservation of energy, technology absorption, foreign earnings and outgo.

34. STATUTORY AUDITORS

In terms of Section 129(4) of the Companies Act 2013, the Comptroller and Auditor General of India appointed M/s N.K.S.Chauhan & Co., Chartered Accountants, New Delhi, as Statutory Auditors of the Company for the year 2019-20. The

Statutory Auditors have audited the accounts of the Corporation for the year 2019-20 and submitted their report.

35. C&AG COMMENTS

The Accounts of the Corporation for the year 2019-20 shall also be audited by the Comptroller & Auditor General of India for providing their comments as per Companies Act 2013.

36. CORPORATE GOVERNANCE

Your Corporation believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstone for good governance. The systems and business processes of the Corporation are reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weakness, if any. It is the Corporation's endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade. A Report of Directors on Corporate Governance and certificate on Corporate Governance issued by M/s VAP & Associates, Company Secretaries, Ghaziabad are placed at **Annexure- 8** (Page No. 79-84).

37. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, the annual return of the Company is available on the Corporation's Website at the link <http://www.nbcfdc.gov.in>.

38. BOARD OF DIRECTORS

As on 31.03.2020, there are five Directors on the Board of NBCFDC including Managing Director. The following changes took place in the composition of the Board of Directors:

- Shri Vivek Krishna Sinha, GM, NABARD was appointed as part time non official Director in place of Sh. Rajiv, GM, SIDBI w.e.f. 13.01.2020.

The Board welcomes Shri Vivek Krishna Sinha, GM, NABARD as Director(s) on the Board of NBCFDC. The Board also place on record its appreciation for the valuable guidance given Sh. B. L. Meena, JS(BC), MOSJE, Sh. Shyam Kapoor, CMD, NSFDC, Sh. Rajiv, GM, NABARD, Shri. K. Hanmandloo, NOD & Smt. Saroj Kumari, NOD to the

वेबसाइट अद्यतन की गई है एवं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 4.1 (बी) के अन्तर्गत वांछित 17 मदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। निगम, केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन त्रैमासिक/वार्षिक विवरणी भेजता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में निगम को प्राप्त हुई सभी शिकायतों /आवेदनों का निपटान निर्धारित समयावधि के अन्दर किया गया है।

31. सतर्कता प्रकोष्ठ

मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार निगम द्वारा 28 अक्टूबर, 2019 से 2 नवम्बर, 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। निगम में उचित निवारक सतर्कता बरती जा रही है। सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए निगम के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना प्रदर्शित की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर आयोजित बैठकों के दौरान निवारक सतर्कता के बारे में जानकारी दी गई।

32. समझौता ज्ञापन 2018-19 के सापेक्ष उपलब्धियाँ

आपका निगम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना जारी रखा है और आत्म-मूल्यांकन के आधार पर निगम की उपलब्धि के साथ-साथ निदेशक मण्डल और मंत्रालय स्तर पर समीक्षा 'उत्कृष्ट' थी। तथापि, लक्ष्य निर्धारण के साथ-साथ मूल्यांकन के समय अपनाए गए लेखांकन सिद्धांत में अंतर के कारण, डी. पी.ई. ने एक अनुदार दृष्टिकोण अपनाते हुए वर्ष 2018-19 के लिए प्रदर्शन को 'बहुत अच्छा' आंका है, जिससे निगम को 79.24 का स्कोर मिला है।

33. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन

निगम द्वारा किए गये कार्यकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम.) की परिधि में नहीं आते हैं। फिर भी, जहां कहीं भी संभव है, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के प्रयास किए गए हैं।

34. सांविधिक लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए मैसर्स एन. के. एस. चौहान एण्ड कं., चाटर्ड एकाउन्टेंट्स, नई दिल्ली को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निगम के वर्ष 2019-20 के लेखों की लेखापरीक्षा की गई एवं उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

35. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी टिप्पणियाँ उपलब्ध कराने हेतु निगम के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा की जाएगी।

36. कॉरपोरेट प्रशासन

आपके निगम का विश्वास है कि निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धान्त अच्छे प्रशासन की आधारशिला हैं। निगम के तंत्र एवं व्यवसाय प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर कमजोर क्षेत्रों को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले उपायों, यदि कोई हों, की समीक्षा की जात है। निगम का यह प्रयास है कि उच्च कोटि के प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखे एवं समान व्यवसाय में श्रेष्ठ शासित कम्पनियों के साथ स्वयं का बेंचमार्क स्थापित किया जा सके। कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कारपोरेट प्रशासन पर मैसर्स वीएपी एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज, गाजियाबाद कारपोरेट प्रशासन द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र **अनुलग्नक-8** (पृष्ठ सं. 79-84) पर प्रस्तुत है।

37. वार्षिक रिटर्न का अंश

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार कंपनी नियम (प्रबंधन और प्रशासन), 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठनीय है, कंपनी का वार्षिक रिटर्न लिंक <http://www.nbcfdc.gov.in> पर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

38. निदेशक मण्डल

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार प्रबंध निदेशक सहित एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में पाँच निदेशक हैं। निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

- श्री विवेक कृष्णा, महाप्रबंधक, नाबार्ड को 13.01.2020 से श्री राजीव, महाप्रबंधक, नाबार्ड के स्थान पर अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशक मण्डल श्री विवेक कृष्ण, महाप्रबंधक, नाबार्ड का एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में स्वागत करता है। श्री बी.एल.मीना, संयुक्त सचिव (बी. सी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी., श्री राजीव, महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री के. हनमन्डलू, गैर-सरकारी

S.No.	Name of Directors	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1	Sh. K. Narayan, MD, NBCFDC	Managing Director	01.01.2016	Till date
2	Sh. Pravir Krishna, MD, TRIFED	Director	04.08.2017	-do-
3	Shri Sanjay Pandey, JS&FA, SJ&E	Director	15.05.2019	-do-
4	Dr. Subhransu Sekhar Acharya, GM SIDBI	Director	21.11.2018	-do-
5	Shri Vivek Krishna Sinha, GM, NABARD	Director	13.01.2020	-do-
6	Ms. Saroj Kumari, NOD	Director	02.02.2017	01.02.2020
7	Shri. K. Hanmandloo, NOD	Director	02.02.2017	01.02.2020
8	Shri Rajiv, GM, NABARD	Director	24.05.2018	19.09.2019
9	Shri Shyam Kapoor, CMD, NSFDC	Director	10.08.2016	31.08.2019
10	Sh. B. L. Meena, JS (BC), SJ & E	Director	25.06.2014	05.05.2019

management of your Corporation during their tenure as part-time Director(s). Details of tenure of Directors on the Board of Directors of the Corporation are as under:-

39. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013, your Directors state that:

- i. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and there are no material departures;
- ii. That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;
- iii. That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

- iv. That the Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis;
- v. That the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and such internal financial controls are adequate and operating effectively;
- vi. That the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively

40. PARTICULARS OF EMPLOYEES U/S 197 (12) OF THE COMPANIES ACT, 2013.

There was no employee of your company who received remuneration in excess of the limits prescribed under section 197 (12) of the Companies Act, 2013 read with Rules 5(2) 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

41. CONTRACT OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES

During the year under reference, the Corporation did not enter into any related party transaction within the meaning of Section 188 of the Companies Act, 2013.

Attention of the members is also drawn to

निदेशक एवं श्रीमती सरोज कुमारी, गैर- सरकारी निदेशक के अंशकालिक निदेशकों के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए अमूल्य सुझावों के लिए निदेशक मण्डल

उनकी प्रशंसा करता है एवं इसे अभिलेखित करता है। निगम के निदेशक मंडल में निदेशकों के कार्यकाल का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.स.	निदेशकों के नाम	पद नाम	नियुक्ति की तिथि	पद समाप्ति की तिथि
1	श्री के. नारायण, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	प्रबन्ध निदेशक	01.01.2016	अब तक
2	श्री प्रवीर कृष्ण, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड	निदेशक	04.08.2017	अब तक
3	श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक	15.05.2019	अब तक
4	डॉ. सुभ्रांशु शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी	निदेशक	21.11.2018	अब तक
5	श्री विवेक कृष्ण सिन्हा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	निदेशक	13.01.2020	अब तक
6	श्रीमती सरोज कुमारी, गैर-सरकारी निदेशक	निदेशक	02.02.2017	01.02.2020
7	श्री के. हनमन्डलू, गैर-सरकारी निदेशक	निदेशक	02.02.2017	01.02.2020
8	श्री राजीव, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	निदेशक	24.05.2018	19.09.2019
9	श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्र.नि., एन.एस.एफ.डी.सी.	निदेशक	10.08.2016	31.08.2019
10	श्री बी. एल. मीणा, संयुक्त सचिव(बी.सी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक	25.06.2014	05.05.2019

39. निदेशकों का दायित्व विवरण:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधान के अनुसार आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि:

- (I) वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू सभी लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है एवं भौतिक वस्तुओं का कोई भी प्रस्थापन नहीं हुआ है;
- (ii) यह कि निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन एवं उसकी सतत् प्रयुक्तता को लागू किया गया है, जिससे कम्पनी के कार्यों के मामलों में उपयुक्त एवं दूरदर्शी निर्णय एवं अनुमान प्राप्त हो सकें तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं उसी अवधि की कम्पनी के लाभ की सत्य एवं सही तस्वीर प्रस्तुत कर सकें;
- (iii) निगम की परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखे और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है;
- (iv) निगम के वार्षिक लेखे प्रचलित मानकों के

आधार पर निदेशकों द्वारा तैयार किए गए हैं;

- (v) निदेशकों द्वारा निर्धारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुपालन कम्पनी द्वारा किया जाना होता है और इस प्रकार के वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है एवं उनका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है;
- (vi) लागू सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समुचित तंत्र तैयार किया गया है और इस प्रकार के तंत्र पर्याप्त है व प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं।

40. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के अंतर्गत कर्मचारियों का ब्यौरा

निगम का कोई भी कर्मचारी कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिक) नियमावली 2014 के नियम 5 (2), 5 (3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।

41. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थापन

संदर्भित वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की सीमा में संबंधित पार्टी से कोई भी लेनदेन नहीं किया।

Note no.30 financial statements, which sets out related party disclosures as per Ind AS-24.

42. GENERAL

Your directors state that no disclosures or reporting is required in respect of the following items during the year under review:-

- a) A statement on declaration given by independent directors under subsection (6) of section 149;
- b) In case of a company covered under subsection (1) of section 178, company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under subsection(3) of section 178;
- c) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186.
- d) The amount, if any, which is recommended should be paid by way of dividend;
- e) No significant or material orders were passed by the Authorities or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Company's operations in future.

43. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors would like to place on record their gratitude for the continued guidance, cooperation and support received from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.

Your Directors sincerely appreciate the significant contribution made by the Directors on the Board and also the Directors who completed their terms during the financial year under review.

Your Directors would also like to place on record their appreciation for the untiring efforts and contributions made by the employees at all level to ensure that the Company continues to grow and excel.

We are also grateful to the Ministry of Corporate Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Department of Public Enterprises, State Governments/UT Administrations, State Channelising Agencies, Regional Rural Banks (RRBs), Government Training Institutes, Sector Skill Councils (SSCs) and other concerned Government Agencies for their support and cooperation in achieving the objectives of the Corporation.

Our thanks are also to the Company Auditors, Bankers and all others who have extended their support to the Corporation during the year.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

K. NARAYAN

Managing Director
(DIN No.03561648)

Sd/-

Dr. S.S. ACHARYA

Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 21/09/2020

सदस्यों का ध्यान नोट नंबर 30 वित्तीय विवरणों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जो भारतीय लेखाकरण मानक-24 के अनुसार संबंधित पार्टी के प्रकटन को निर्धारित करता है।

42 सामान्य:

आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न मदों पर प्रकटन/सूचना की आवश्यकता नहीं है

- (क) धारा 149 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर वक्तव्य;
- (ख) धारा 178 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत आच्छादित कम्पनी की दशा में, निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कम्पनी की नीति सहित योग्यता हेतु निर्धारण मापदण्ड, सकारात्मक योगदान, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य मामले, जिन्हें धारा 178 की उप-धारा (3) में दिया गया है;
- (ग) धारा 186 के अन्तर्गत ऋणों, प्रत्याभूति अथवा निवेश का विवरण;
- (घ) अनुशांसा की गई राशि, यदि कोई हो, लाभांश के रूप में भुगतान की गई,
- (ङ) अभिकरण अथवा न्यायालय अथवा ट्रैब्यूनल द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथवा मैटेरियल ऑर्डर पारित नहीं किए गए, जिनका प्रभाव कम्पनी की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य के प्रचालन पर पड़े।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21.09.2020

43. अभिस्वीकृति

आपके निदेशकगण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सतत् मार्गदर्शन, सहयोग एवं सहायता के लिए सराहना व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक, निदेशक मण्डल के निदेशकों के लिए जिन्होंने समीक्षावधि के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कम्पनी के लगातार आगे बढ़ने और उकृष्टता हासिल करने के सुनिश्चयन हेतु सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और योगदानों के लिए उनको रिकार्ड करते हैं।

हम निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कम्पनी कार्य विभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, सेक्टर स्किल काउंसिलों तथा अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के भी उनके समर्थन एवं सहयोग के लिए आभारी हैं।

हम कम्पनी के लेखा परीक्षकों, बैंकों तथा उन अन्य सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान निगम को अपना सहयोग प्रदान किया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/—
के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

ह0/—
डा0 एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

LIST OF STATE CHANNELISING AGENCIES (SCAs)

ANDHRA PRADESH

1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.,
4th Floor, Vishal Residency, Opp. Siddhartha Engineering College, Padmaja Nagar, NTR Road, Tadigadapa, Vijayawada-521 134
2. Stree Nidhi Credit Co-Operative Federation.
2nd Floor, NTR Administrative Block, RTC Complex, Vijaywada-520013,

ASSAM

3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd.,
1st floor RHHMC. (Rehabari Complex of ARTFED) A.K. Azad Road, Rehabari, Guwahati, Assam-781 008.
4. Assam State Development Corporation for Other Backward Classes Ltd.,
Dr. B.K. Kakoty Road, Gopinath Nagar, Guwahati, Assam-781 016.
5. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.,
NEDFi House,G.S. Road, Dispur, Guwahati, Assam-781 006

BIHAR

6. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation,
4th Floor, Sone Bhawan,Birchand Patel Marg, Patna, Bihar-800 001.

CHANDIGARH

7. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation,
Addl. Town Hall Building, 3rd Floor, Sector-17C, Chandigarh-160017

CHHATTISGARH

8. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,
T.R.I Bhawan, 2nd floor, Near Muktangam, Sec-24, New Raipur, Atal Nagar, Chhattisgarh.

DELHI

9. Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Development Corpn.
Ambedkar Bhawan, Institutional Area, Sector-16, Rohini, Delhi-110089

GOA

10. Goa State Scheduled Castes & Other Backward Classes Fin. & Dev. Corpn. Ltd.,
4th Floor, Patto Centre,Near KTC Bus Stand, Panaji, Goa-403 001.

GUJARAT

11. Gujarat Backward Classes Development Corpn.,
Block NO.11, 2nd Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhawan, Sector-10, Gandhi Nagar, Gujarat-382 010.
12. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd.,
Block No.7, Third Floor, Dr. Jivaraj Mehta Bhavan, Old Sachivalay, Sector-10, Gandhinagar, GUJARAT-382 010.
13. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam,
Block No.16, Ground Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan Gandhinagar, Gujarat-382 010.
14. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation,
Block No.19/2, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar-382010, Gujarat.

HARYANA

15. Haryana Backward Classes & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam,
SCONo.813-14, Sector-22-A, Chandigarh, Haryana-160022.

HIMACHAL PRADESH

16. Himachal Backward Classes Finance & Development Corporation,
Old SDM Office Building, Kangra, Himachal Pradesh-176 001

JAMMU & KASHMIR

17. Jammu & Kashmir SCs, STs & OBCs Development Corporation Ltd.
May to October
Exchange Road, Near Red Cross Office, Srinagar-190 001.
Nov. to April
715-A, Last Morh, Gandhi Nagar, Jammu-180004.
18. Jammu & Kashmir State Women's Development Corporation.
May to October
Block No.- A, First Floor, Old Secretariat, Srinagar-180001.
Nov. to April
Hall No.6-B, 2nd Floor, Auqaf Complex, Gandhi Nagar, Jammu-180004.

JHARKHAND

19. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,
1st Floor, Kalyan Complex, Balihar Road, Morabadi, Ranchi, Jharkhand-834008.

KARNATAKA

20. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn.,
No.16-D, 4th Floor, Devaraj Urs Bhavan, Miller Tank Bund Area, Vasanthnagar, Bangalore, Karnataka-560 052.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. आन्ध्र प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज को-ऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि
चौथा तल, विशाल रेजीडेंसी, सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कालेज के सामने, पदमजा नगर, एन.टी.आर. रोड, टडीगड्डपा, विजयवाड़ा, - 521134
2. स्त्रीनिधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन
द्वितीय मंजिल, एन.टी.आर. प्रशासनिक ब्लॉक, आर.टी.सी. कॉम्प्लेक्स, विजयवाड़ा-520013, आंध्र प्रदेश

असम

3. असम एपेक्स विवर्स एण्ड आर्टीजन्स कोऑपरेटिव फेडरेशन लि.
प्रथम तल, आर.एच.एच.एम.सी. (आर्टफेड रेहवरी कॉम्प्लेक्स), ए.के. आजाद रोड, रेहवरी, गुवाहाटी, असम-781008
4. असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज लि0,
डाँ0 बी.के. काकोटी रोड, गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी -781016, असम
5. नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेन्स कारपोरेशन लि0,
नेडफी हाउस, जी.एस. रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006

बिहार

6. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन,
चौथा तल, सोन भवन, बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800001, बिहार

चंडीगढ़

7. चंडीगढ़ एस.सी. /बी.सी. एण्ड माइनोंरीटीज फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
एडिशलन टाउन हॉल बिल्डिंग, तीसरी तल, सेक्टर-17 सी, चंडीगढ़-160017

छत्तीसगढ़

8. छत्तीसगढ़ स्टेट अन्त्यावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम,
टी.आर.आई. भवन, द्वितीय तल, नियर मुक्तांगन, सेक्टर-24, न्यू रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़-492101

दिल्ली

9. दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. माइनोंरीटीज एण्ड हैन्डीकैप्ड फाइनेंसियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशन एरिया, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110089

गोवा

10. गोवा स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,
चौथा तल, पाट्टो सेन्टर, नियर के.टी.सी. बस स्टैंड, पणजी-403001, गोवा

गुजरात

11. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
ब्लॉक न. -11, द्वितीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, सेक्टर-10, गाँधी नगर-382010, गुजरात
12. गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,
ब्लॉक न.-7, तृतीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, पुराना सचिवालय सेक्टर-10, गाँधी नगर-382010, गुजरात
13. गुजरात ठाकोर एण्ड कोली विकास निगम,
ब्लॉक न. -16, निचला तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, सेक्टर-10, गाँधी नगर-382010, गुजरात
14. गुजरात नौमैडिक एण्ड डी-नोटिफाइड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
ब्लॉक न. -19/2, डा0 जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर-382010, गुजरात

हरियाणा

15. हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिकली वीकर सेक्शनस् कल्याण निगम एस.सी.ओ. सं. 813-14, सेक्टर-22-ए, चण्डीगढ़ -160022, हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

16. हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
ओल्ड एस.डी.एम. कार्यालय बिल्डिंग, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश -176001

जम्मू एण्ड कश्मीर

17. जम्मू एण्ड कश्मीर एससी/एसटी एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
मई से अक्टूबर:
एक्सचेंज रोड, नियर रेड क्रॉस ऑफिस, श्रीनगर-190001
नवम्बर से अप्रैल:
715-ए, लास्ट मोड, गाँधी नगर, जम्मू-180004
18. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
मई से अक्टूबर:
ब्लाक-ए, प्रथम तल, पुराना सचिवालय, श्रीनगर-180001
नवम्बर से अप्रैल:
हॉल न. 6-बी, द्वितीय तल, एक्वाफ कॉम्प्लेक्स, गाँधी नगर, जम्मू-180004

झारखण्ड

19. झारखण्ड स्टेट ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,
प्रथम तल, कल्याण कॉम्प्लेक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, रांची, झारखण्ड-834008

कर्नाटक

20. डी. देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
स. 16-डी, चतुर्थ तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बुंद एरिया, बसंतनगर, बैंगलोर-560052, कर्नाटक

21. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,
16-D, 5th Floor, Devaraj Urs Bhavan, Miller Tank Bed Area, Vasanthnagar, Bangalore-560 052

KERALA

22. Kerala State Artisans' Development Corporation Ltd.,
'Swagath', T.C. 12/755, Govt. Law College Road, Vanchiyoor P.O., Thiruvananthapuram, Kerala-695 035.
23. Handicrafts Development Corporation of Kerala Ltd.,
Post Box No.171, Puthenchanthai, Thiruvananthapuram, Kerala-695 001.
24. Kerala State Backward Classes Development Corporation Ltd.,
"SENTINEL", 2nd Floor, T.C. 27/588 (7) & (8), Pattoor, Vanchiyoor P.O., Thiruvananthapuram, Kerala-695 035.
25. Kerala State Co-operative Federation for Fisheries Development Ltd. (MATSYAFED),
Kamaleswaram, Manacaud P.O., Thiruvananthapuram, Kerala-695 009.
26. Kerala State Development Corporation for Christian Converts from SCs & Recommended Communities (Ltd.),
Near Railway Station, Nagampadom, Kottayam, Kerala-686002.
27. Kerala State Palmyrah Products Development and Workers' Welfare Corporation Ltd.,
"Kelpalm", Kumbhumvila, Arayoor P.O., Kottamom, Kerala-695 122.
28. The Kerala State Women's Development Corporation Ltd.,
"BASANT" T.C. 20/2170, Opp. Manmohan Bungalow, Kowdiar P.O., Thiruvananthapuram, Kerala-695 003.

MAHARASHTRA

29. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Ltd.,
Administrative Building, 4th Floor, Ramakrishna Chamburkar Marg, Chambur (E), Mumbai, Maharashtra-400 071.
30. Vasantrao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,
25N, Juhu Supreme Shopping Centre, Gulmohar Cross Road NO.9, JVPD Scheme, Vile-Parle (W), Mumbai, Maharashtra-400049.

ODISHA

31. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,
Qrs. No. A/6, Unit-5, Near Rajib Bhawan, Bhubaneswar, Odisha-751001.

PUDUCHERRY

32. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,
No.1, VIII Cross St., Anna Nagar, Nellithope, Puducherry-605 005.

PUNJAB

33. Punjab Backward Classes Land Development and Finance Corporation,
SCO No. 60-61, Sector-17 A, Chandigarh, Punjab-160 017.

RAJASTHAN

34. Rajasthan Other Backward Classes Finance & Development Cooperative Corporation Ltd.,
2nd Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Nr. 22, Godaam, Jaipur, Rajasthan-302 005.

SIKKIM

35. Sikkim Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes Development Corporation Ltd.
(SABCCO),
Sonam Tshering Marg (Kazi Road), Gangtok-737 101, Sikkim

TAMIL NADU

36. Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation,
1/1(1), Mayor Ramanathan Salai (East), Egmore, (Nr. Gengureddy Subway), Chennai-600 008.

TELANGANA

37. Stree Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd.
Flat Nos, 401, 402, 5-9-22/B, My Home Sarovar Plaza, Secretariat Road, saifa bad, Hyderabad -500063
Telangana

TRIPURA

38. Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd.,
Supari Bhawan, Krishnanagar, Lake Chowmuhani, Tribal Research Building, Tripura (W), Agartala, Tripura-799001.

UTTAR PRADESH

39. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta Avam Vikas Nigam Ltd.,
4th Floor, (South Wing), PCF Building, 32, Station Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226 001.
40. U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.,
10, Mall Avenue, Lucknow, Uttar Pradesh-226001.

UTTARAKHAND

41. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam,
Directorate, Tribal Welfare Premises, Bhagat Singh Colony, Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand-248001.

West Bengal

42. West Bengal SC, ST & OBC Development and Finance Corporation,
H.O. Block CF, 217/A/1, Sector-1, Salt Lake, Kolkata, West Bengal-700 064.
43. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,
'AMBER', DD-27/E, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata, West Bengal-700 064.

21. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्प्यूनीटिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
सं. 16-डी, पंचम तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बेड
एरिया, बसंतनगर, बैंगलोर-560052, कर्नाटक

केरल

22. केरल स्टेट आर्टीजन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
'स्वागथ', टी.सी. 12/755, गवर्नमेंट लॉ कालेज रोड,
वंचीयूर पोओ., तिरुअनंतपुरम-695035, केरल
23. हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ केरल,
पो. बाक्स. सं. 171, पुथेनचन्थाई, तिरुअनंतपुरम-695001,
केरल
24. केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
'सेन्टीनेल', द्वितीय तल, टी.सी. 27/588 (7) एवं (8),
पट्टूर, वंचीयूर पो.ओ., तिरुअनंतपुरम-695035, केरल
25. केरल स्टेट को-आपरेटिव फेडरेशन फॉर फिसरीज
डेवलपमेंट लि०
(मत्स्यफेड), कमलेश्वरम्, मानाकोड पो.ओ., तिरुअनंतपुरम
-695009, केरल
26. केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स
फ्राम शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड रिक्मेंडेड कम्प्युनिटिज लि०,
रेलवे स्टेशन के पास, नागमपदम, कोट्टायम -686002,
केरल
27. केरल स्टेट पल्मीरा प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एण्ड वर्कर्स
वेलफेयर कॉरपोरेशन लि० केलपाम, कुम्भुमविला, अरायूर पो.
आ., कोट्टायम-695122, केरल
28. केरल स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
'बसन्त' टी.सी. 20/2170, मनमोहन बंगलो के सामने,
कोडियार पोओ., तिरुअनंतपुरम-695003, केरल

महाराष्ट्र

29. महाराष्ट्र राज्य इतर मागस वर्गीय वित्त एनि विकास
महामण्डल लि.,
एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, चतुर्थ तल, रामाकृष्ण चैम्बूरकर
मार्ग, चैम्बूर(ई), मुम्बई-400071, महाराष्ट्र
30. वसन्तराव नाइक विमुक्त जातिस एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.,
25-एन, जूहू सुप्रीम शॉपिंग सेन्टर, गुलमोहर क्रास रोड न.
9, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले-पारले स्कीम(वेस्ट),
मुम्बई-400049, महाराष्ट्र

ओड़ीसा

31. द ओड़ीसा बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट
को-आपरेटिव कॉरपोरेशन लि.,
क्वाटर सं. ए/6, यूनिट-5, राजीव भवन के पास, भुवनेश्वर
-751001, ओड़ीसा

पुडुच्चेरी

32. पुडुच्चेरी बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड माइनारीटीज
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.,
क्वाटर सं. 1, 8वां क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, नेलीथोपे,
पुडुच्चेरी-605005

पंजाब

33. पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस
कॉरपोरेशन,
एस.सी.ओ. सं. 60-61, सैक्टर-17ए, चण्डीगढ़-160017,
पंजाब

राजस्थान

34. राजस्थान अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट
को-ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि०,
द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, नियर 22 गोदाम, जयपुर,
राजस्थान-302005

सिक्किम

35. सिक्किम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एवं अदर बैकवर्ड
क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
सोनम शिरिंग मार्ग (काजी रोड), गंगटोक-737101, सिक्किम

तमिलनाडु

36. तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन,
1/1(1), म्योर रामानाथन सलाइ (ईस्ट), एगमौर, (नियर
गंगूरेड्डी सबवे), चेन्नई-600008, तमिलनाडु
37. स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
प्लैट सं. 401, 402, 5-9-22 / बी, मेरा घर सरोवर प्लाजा,
सचिवालय रोड, सैफा बाद, हैदराबाद-500063 तेलंगाना

त्रिपुरा

38. त्रिपुरा ओ.बी.सी. को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
लि०,
सुपारी भवन, कृष्णा नगर, लेक चौमुहानी, ट्राईबल रिसर्च
बिल्डिंग, त्रिपुरा (वेस्ट), अगरतला, त्रिपुरा-799001,

उत्तर प्रदेश

39. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास नगम लि०.,
चतुर्थ तल (साउथ विंग), पी.सी.एफ. बिल्डिंग, 32, स्टेशन
रोड, लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश
40. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०.,
10, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -224001

उत्तराखण्ड

41. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम,
निदेशालय, ट्राइबल वेलफेयर परिसर, भगत सिंह कॉलोनी,
अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001

पश्चिम बंगाल

42. पश्चिम बंगाल एस.सी.,एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी. वलपमेंट
एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन,
एच. ओ. ब्लॉक सी.एफ., 217/ए/1, सैक्टर-1, साल्ट
लेक, कोलकत्ता-700064, पश्चिम बंगाल
43. पश्चिम बंगाल माइनोरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस
कॉरपोरेशन,
'अम्बेर', डी.डी 27/ई, सेक्टर-1, साल्ट लेक सिटी,
कोलकत्ता-700064, पश्चिम बंगाल

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

LIST OF BANKS (RRBs/PSBs)

- 1. Saurashtra Gramin Bank**
Head Office, Wing-2, 1st Floor, LIC Jeevan Prakash Building, Tagore Road, Rajkot-360001, Gujarat.
- 2. Madhya Pradesh Gramin Bank**
C-21, Business Park, C21 Square, Opp. Hotel Radisson Blu, MR-10, Indore-452010, Madhya Pradesh.
- 3. Punjab Gramin Bank**
H.O. Jalandhar Road, Kapurthala-144601. Punjab.
- 4. Aryavart Bank**
H.O. A-2/46, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010. Uttar Pradesh
- 5. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank**
H.O.C-19/40, Faatman Road, Sigra, Varanasi-221002. Uttar Pradesh
- 6. Dakshin Bihar Gramin Bank**
H.O. Sri Vishnu Commercial Complex, Beside National Highway Petrol Pump, Ashochak, NH-30, Patna-800016, Bihar
- 7. Sarva Haryana Gramin Bank**
H.O. SHGB House, Plot No.1, Sector-3, Rohtak-124001, Haryana
- 8. Jharkhand Rajya Gramin Bank**
H.O. Rajendra Place, 5 Main Road, Near Over Bridge Ranchi-834001, Jharkhand
- 9. Telangana Grameena Bank,**
2-1-520, 2nd Floor, Vijaya Sri Sai Celestia, St.No.9, Shankermutt Road, Hyderabad-500044`
- 10. Prathama UP Gramin Bank**
Head Office, Ram Ganga Vihar Phase-II, Post Box NO. 446, Moradabad-244001, Uttar Pradesh (INDIA).
- 11. Andhra Pragathi Grameena Bank,**
Beside Mariyapuram Church, Mariyapuram, Kadapa - AP-516003,
- 12. The District Co-operative Central Bank Ltd.,**
Door No.46-1-C, Budhawarpeta, Opp. Government Regional Eye Hospital, Kurnool-518 002.
- 13. Langpi Dehangi Rural Bank**
H.O. Diphu, Karbi Anglong, Assam-782460
- 14. Baroda Gujarat Gramin Bank,**
101 ABN Chamber, 1st floor opposite welcome hotel, RC dutta road Alkapuri Baroda-390005
- 15. Himachal Pradesh Gramin Bank, IT Division,**
Head Office, HPGB Jail Road, Mandi, Himachal Pradesh - 17500
- 16. Rajasthan Marudhara Gramin Bank**
Tulsi Tower, 9th B Road, Sardarpura, Jodhpur - 342003, Rajasthan
- 17. Uttarakhand Gramin Bank**
H.O.18, New Road, Dehradun-248001, Uttarakhand
- 18. PURVANCHAL BANK**
Buddh Vihar Commercial Scheme, Taramandal, Gorakhpur (U.P.)- 273018 India
- 19. TRIPURA GRAMIN BANK**
V.I.P Road Abhoynagar Agartala, West Tripura-799005, Tripura
- 20. CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK**
Mahadevghat Road Sundar Nagar, Raipur-492013, Chhattisgarh
- 21. Madhyanchal Gramin Bank,**
H.O. Poddar Colony, Tili Road, Sagar-470001, Madhya Pradesh
- 22. Bank of Baroda**
Baroda Bhawan, 7th Floor, R.C. Dutt Road, Vadodara-390 007, (Gujarat) India.
- 23. Punjab National Bank**
Plot No 4, Sector -10, Dwarka, New Delhi -110075
- 24. Canara Bank,**
H.O. 112 J.C. Road, Bangalore-560002, Karnataka

बैंकों की सूची (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सार्वजनिक क्षेत्र बैंक)

1. **सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, विंग-2, प्रथम तल, एल.आई.सी. जीवन प्रकाश बिल्डिंग, टैगोर रोड़, राजकोट-360001, गुजरात
2. **मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक**
सी-21, बिजनेस पार्क, सी 21 स्क्वायर, होटल रेडिसन ब्लू के सामने, एम.आर.-10, इंदौर-452010, मध्य प्रदेश।
3. **पंजाब ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, जालन्धर रोड़, कपूरथला-146601, पंजाब
4. **आर्यव्रत बैंक**
मुख्यालय, ए-2/46, विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश
5. **काशी गोमती सम्यूत ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, 19/40, फाटमैन रोड़, सिगरा, वाराणासी-221002, उत्तर प्रदेश
6. **दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, श्री विष्णु कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नेशनल हाईवे पेट्रोल पम्प के पीछे, अशोकक, एनएच-30, पटना-800016, बिहार
7. **सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, एसएचजीबी हाउस, प्लॉट न. 1, सेक्टर-3, रोहतक-124001,
8. **झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, राजेन्द्रा प्लेस, 5, मैन रोड़, ओवर ब्रिज के नजदीक, राँची-834001, झारखण्ड
9. **तेलंगाना ग्रामीण बैंक**
2-1-520, द्वितीय तल, विजया श्री साँई सेलेस्टिया, सैट न. 9, शंकरमठ रोड़, हैदराबाद-500044
10. **प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, राम गंगा विहार चरण-II, पो. बॉक्स सं. 446, मुरादाबाद-244001, उत्तर प्रदेश (भारत)।
11. **आन्ध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक**
मरयापुरम चर्च के पास, मरयापुरम, काडपा-516001, आन्ध्र प्रदेश
12. **जिला सहकारी सेंट्रल बैंक लिदरवाजा**
सं. 46-1-सी, बुद्धवरपेटा, सरकारी क्षेत्रीय आखों के अस्पताल के सामने, कुरनूल-518 002
13. **लंगपी देहागीं रूरल बैंक**
मुख्यालय, दिण्डू, कार्वी एलॉग, असम-782460
14. **बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक,**
101 ए.बी.एन. चैंबर, प्रथम तल वैलकम होटल के सामने, दत्ता रोड़ अलकापुरी बड़ौदा-390005
15. **हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक**
आई.टी. विभाग, मुख्यालय, एच.पी.जी.बी. जेल रोड़, मण्डी-175001, हिमाचल प्रदेश
16. **राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक**
तुलसी टावर, 9वां बी रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर-342003, राजस्थान
17. **उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, 18, न्यू रोड़, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड
18. **पूर्वांचल बैंक**
बुद्ध विहार, कॉमर्शियल स्कीम, तारामण्डल, गोरखपुर -273018 (उ.प्र.) भारत,
19. **त्रिपुरा ग्रामीण बैंक**
वी.आई.पी. रोड़ अभयनगर अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा -799005, त्रिपुरा
20. **छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक**
महादेवघाट रोड़ सुंदर नगर, रायपुर -492013, छत्तीसगढ़
21. **मध्यांचल ग्रामीण बैंक**
मुख्यालय, पोद्दार कालोनी, तिलि रोड़, सागर-470001, मध्य प्रदेश
22. **बैंक ऑफ बड़ौदा**
बड़ौदा भवन ए 7 वीं मंजिल ए आर.सी. दत्त रोड़ ए वडोदरा-390 007, (गुजरात) भारत
23. **पंजाब नेशनल बैंक**
प्लाट सं.-4, सैक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
24. **केनरा बैंक**
मुख्यालय, 112, जे.सी. रोड़, बेंगलोर-560002, कर्नाटक

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION
PERFORMANCE ASSESSMENT TARGETS AND THEIR DETERMINATION (2019-20)

PART- A										
Sl. No.	Financial Performance Criteria	Unit	Marks	Best in last 5 year	“Current Year (Estimated) 2018-19”	MOU Target for the year 2019-20				
						Excellent 100%”	Very Good 80%	Good 60%”	Fair 40%	“Poor 20%”
i	Turnover Revenue from Operations (Net)	Rs. Crore	10	35.87	40.00	45.00	40.00	36.00	35.00	34.00
ii	Operating Profit/Loss									
	CPSEs with operating profit (Profit/Surplus before Tax excluding other Income, Extraordinary and Exceptional Items):- Operating profit/surplus as a percentage of Revenue from operations (net)	%	20	51.57	41.00	41.00	38.00	36.00	35.00	34.00
iii	Return on Investment:									
	Profit Earning CPSEs with no accumulated losses: PAT or Surplus as a Average Net Worth (%)	%	20	3.07	1.33	1.40	1.35	1.30	1.20	1.15
	Total (Part A)		50							
PART- B										
i	Loans disbursed/Total Funds Available	%	15	84.89	91.00	91.00	85.00	84.00	83.00	82.00
ii	Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % Total Disbursement	%	5	56.39	54.57	58.00	57.00	56.00	55.00	54.00
iii	Overdue loans/Total loans (Net)	%	10	10.00	7.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00
iv	NPA/Total loans (Principal Net)	%	5	0.13	0.14	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17
v	Providing Employment /Self Employment through training programme. (No of persons)	Nos.	10	14658	17000	20000	18000	17000	16000	15000
	Total (Part B)		45							
C										
	HR Parameters:									
	Achievement of HR parameters of continuous nature as per list given below (No. of parameters)		5			6	5	4	3	2
i)	On-line submission of ACR/APAR in respect of all executives (E0 and above) along with compliance of prescribed timelines w.r.t writing o ACR/APAR									
ii)	Online quarterly vigilance clearance updation for Senior Executives (AGM & above)									
iii)	Holding of DPC without delay for Executive (E0 and above level)									
iv)	Talent Management and carrier progression by imparting at least one week training of at least 10 Executives (E0 & above) in Centre of Excellence within India e.g IITs, IIMs, NITs, ICAI, etc.									
v)	Regular updation of online Human Resource Management System (HRMS) implementation (consisting of online employee data administration, employee self-service, exit procedure, talent management, etc) and its integration with finance.									
vi)	Review & implementation of employee performance on the lines of FR (56) J and submitting a compliance report to Board of Directors at the end of the year.									
	Total (Part C)		5							
	Total (Part A + Part B+Part C)		100							
Notes :										
1. As per MOU guidenies, targets decided in MoU are unconditional and no offset will be allowed. Further evaluation would be subject to compliance of additional eligibility criteria as contained in MoU guidelines 2018-19.										

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन लक्ष्य एवं उनका निर्धारण (2019-20)

भाग-क										
क्र. सं.	वित्तीय कार्य निष्पादन मापदण्ड	इकाई	अंक	पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	चालू वर्ष (अनुमानित) 2018-19	वर्ष 2019-20 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य				
						उत्कृष्ट 100%"	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%"	संतोष जनक 40%	घटिया 20%"
i	टर्नओवर संचालन से आय (शुद्ध)	रु. करोड	10	35.87	40.00	45.00	40.00	36.00	35.00	34.00
ii	संचालन लाभ/हानि									
	संचालन आय वाले केन्द्रीय लोक उद्यम (अन्य आय, असाधारण एवं विशेष मदों को असम्मिलित करते हुए कर से पूर्व लाभ/आधिक्य) :- संचालन लाभ/ आधिक्य संचालनों से आय (शुद्ध) के प्रतिशत के रूप में	%	20	51.57	41.00	41.00	38.00	36.00	35.00	34.00
iii	विनिवेश पर वापसी:									
	हानि का संग्रहण न करने वाले केन्द्रीय लोक उद्यमों का लाभार्जन: पैट अथवा आधिक्य / औसत निवल संपत्ति (%)	%	20	3.07	1.33	1.40	1.35	1.30	1.20	1.15
	कुल (भाग-क)		50							
भाग-ख										
i	वितरित ऋण/उपलब्ध कुल धनराशि	%	15	84.89	91.00	91.00	85.00	84.00	83.00	82.00
ii	कुल वितरण के प्रतिशत के रूप में लघु वित्त के तहत लाभार्थियों को वितरित ऋण	%	5	56.39	54.57	58.00	57.00	56.00	55.00	54.00
iii	बकाया ऋण/कुल ऋण (शुद्ध)	%	10	10.00	7.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00
iv	एन.पी.ए./कुल ऋण (शुद्ध)	%	5	0.13	0.14	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17
v	प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार / स्व-रोजगार उपलब्ध कराना (व्यक्तियों की सं.)	Nos.	10	14658	17000	20000	18000	17000	16000	15000
	कुल (भाग- ख)		45							
ग	मानव संसाधन मापदण्ड:									
	नीचे दी गई सूची के अनुसार सतत् प्रकृति के मानव संसाधन मापदंडों की उपलब्धि (मापदंडों की संख्या)		5			6	5	4	3	2
i)	निर्धारित समयसीमा के अनुपालन के साथ सभी अधिकारियों (ई-0 और ऊपर) के बारे में ए.सी.आर. / ए.पी.ए.आर. लिखने से संबंधित ए.सी.आर. / ए.पी.ए.आर. की ऑन-लाइन प्रस्तुतिकरण।									
ii)	वरिष्ठ कार्यकारियों (स.म.प्र. और ऊपर) के लिए ऑनलाइन त्रैमासिक सतर्कता अनापत्ति को अद्यतन करना.									
iii)	कार्यकारियों (ई-0 और उससे ऊपर के स्तर) के लिए बिना देरी के डीपीसी का आयोजन.									
iv)	भारत के आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.टी., आई.सी.ए.आई., आदि उत्कृष्टता केंद्र में कम से कम 10 कार्यकारियों (ई -0 और ऊपर) को कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करके प्रतिभा प्रबंधन और कैरियर विकास।									
v)	ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.) कार्यान्वयन का नियमित अपडेशन (ऑनलाइन कर्मचारी डेटा प्रशासन, कर्मचारी स्वयं-सेवा, निकास प्रक्रिया, प्रतिभा प्रबंधन, आदि) और वित्त के साथ इसका एकीकरण									
vi)	एफ.आर. (56) जे की तर्ज पर कर्मचारी प्रदर्शन की समीक्षा और कार्यान्वयन तथा निदेशक मंडल को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।									
	कुल (भाग-ग)		5							
	कुल योग (भाग क+भाग ख+भाग ग)		100							
टिप्पणी										
1 समझौता ज्ञापन गाइडलाइन्स के अनुसार, समझौता ज्ञापन में विनिर्णीत लक्ष्य शर्त रहित हैं एवं समायोजन (offset) की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि समझौता ज्ञापन दिशा-निर्देश 2018-19 में दिया गया है, अतिरिक्त योग्यता मापदण्ड के अनुपालन की दशा में मूल्यांकन होगा।										

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

MOU Performance : A Memorandum of Understanding is signed every year between your Corporation and Administrative Ministry i.e Ministry of Social Justice through which performance targets are set. MoU for 2019-20 was signed on 23rd May, 2019.

The MoU rating for the finance year 2019-20 is projected as "Excellent " which is the same as previous year's achievements of major MoU parameters are given Below

Sl. No.	Financial Performance Criteria	Unit	Marks	Best in last 5 year	"Current Year (Estimated)	MOU Target for the year 2019-20					Prov. Achievement as on 31/03/2020	MOU Raw Score
						Excellent 100%	Very Good 80%	Good 60%	Fair 40%	Poor 20%		
i	Turnover Revenue from Operations (Net)	Rs. Crore	10	35.87	40.00	45.00	40.00	38.00	35.00	34.00	48.04	10.00
ii	Operating Profit/Loss											
	Operating profit/surplus as a percentage of Revenue from operations (net)	%	20	51.57	41.00	41.00	38.00	36.00	35.00	34.00	48.79	20.00
iii	Return on Investment:											
	PAT or Surplus as a Average Net Worth (%)	%	20	3.07	1.33	1.40	1.35	1.30	1.20	1.15	1.40	20.00
	Total (Part A)		50									50.00
PART - B												
i	Loans disbursed/Total Funds Available	%	15	84.89	91.00	91.00	85.00	84.00	83.00	82.00	96.44	15.00
ii	Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % Total Disbursement	%	5	56.39	54.57	58.00	57.00	56.00	55.00	54.00	60.19	5.00
iii	Overdue loans/Total loans (Net)	%	10	10.00	7.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	3.55	10.00
iv	NPA/Total loans (Principal Net)	%	5	0.13	0.14	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.17	1.00
v	Providing Employment /Self Employment through training programme. (No of persons)	Nos.	10	14658	17000	20000	18000	17000	16000	15000	21970	10.00
	Total (Part B)		45									41.00
C HR Parameters:												
	Achievement of HR parameters of continuous nature as per list given below (No. of parameters)		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i)	On-line submission of ACR/APAR in respect of all executives (EO and above) along with compliance of prescribed timelines w.r.t writing o ACR/APAR											yes
ii)	Online quarterly vigilance clearance updation for Senior Executives (AGM & above)											yes
iii)	Holding of DPC without delay for Executive (EO and above level)											yes
iv)	Talent Management and carrier progression by imparting at least one week training of at least 10 Executives (EO & above) in Centre of Excellence within India e.g IITs, IIMs, NITs, ICAI, etc.											yes
v)	Regular updation of online Human Resource Management System (HRMS) implementation (consisting of online employee data administration, employee self-service, exit procedure, talent management, etc) and its integration with finance.											yes
vi)	Review & implementation of employee performance on the lines of FR (56) J and submitting a compliance report to Board of Directors at the end of the year.											yes
	Total (Part C)		5									5
	Total (Part A + Part B+Part C)		100									96.00

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

समझौता ज्ञापन कार्यनिष्पादन: समझौता ज्ञापन को प्रत्येक वर्ष आपके निगम एवं प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित किया जाता है जिसके माध्यम से कार्यनिष्पादन लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2019-20 का समझौता ज्ञापन दिनांक 23 मई, 2019 को हस्ताक्षरित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की समझौता ज्ञापन की रेटिंग 'उत्कृष्ट' अनुमानित है जो कि पिछले वर्ष के समझौता ज्ञापन के मुख मापदण्डों की उपलब्धियों जैसी है, जो नीचे दी गई है-

क्र.स.	वित्तीय कार्यनिष्पादन मापदण्ड	इकाई	अंक	पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ	चालू वर्ष (अनुमानित)	वर्ष 2019-20 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य			अस्थायी 31/03/2020 को उपलब्धि	समझौता ज्ञापन अस्थाईकृत स्कोर		
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 80%	अच्छा 60%			संतोष जनक 40%	घटिया 20%
i	टर्नओवर संचालन से आय (शुद्ध)	₹ करोड़	10	35.87	40.00	45.00	40.00	38.00	35.00	34.00	48.04	10.00
ii	संचालन लाभ/हानि	%	20	51.57	41.00	41.00	38.00	36.00	35.00	34.00	48.79	20.00
iii	विनिवेश पर वापसी	%	20	3.07	1.33	1.40	1.35	1.30	1.20	1.15	1.40	20.00
योग (भाग-क)			50									50.00
भाग-ख												
i	वितरित ऋण/उपलब्ध कुल धनराशि	%	15	84.89	91.00	91.00	85.00	84.00	83.00	82.00	96.44	15.00
ii	कुल वितरण के प्रतिशत के रूप में लघु वित्त के तहत लाभार्थियों को वितरित ऋण	%	5	56.39	54.57	58.00	57.00	56.00	55.00	54.00	60.19	5.00
iii	बकाया ऋण/कुल ऋण (शुद्ध)	%	10	10.00	7.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	3.55	10.00
iv	एन.पी.ए./कुल ऋण (मूलधन का शुद्ध)	%	5	0.13	0.14	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.17	1.00
v	प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार/स्व.रोजगार उपलब्ध कराना (व्यक्तियों की सं.)	सं.	10	14658	17000	20000	18000	17000	16000	15000	21970	10.00
योग (भाग-ख)			45									41.00
ग मानव संसाधन मापदण्ड:												
	नीचे दी गई सूची के अनुसार सतत प्रकृति के मानव संसाधन मापदण्डों की उपलब्धि (मापदण्डों की संख्या)		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i)	निर्धारित समयसीमा के अनुपालन के साथ सभी अधिकारियों (ई-0 और ऊपर) के बारे में ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. लिखने से संबंधित ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. की ऑन-लाइन प्रस्तुतिकरण।											yes
ii)	वरिष्ठ कार्यकारियों (सं.प्र. और ऊपर) के लिए ऑनलाइन त्रैमासिक सतर्कता अनापत्ति को अद्यतन करना।											yes
iii)	कार्यकारियों (ई-0 और उससे ऊपर के स्तर) के लिए देरी के बिना डीपीसी का आयोजन।											yes
iv)	भारत के आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.टी., आई.सी.ए.आई., आदि उत्कृष्टता केंद्र में कम से कम 10 कार्यकारियों (ई -0 और ऊपर) को कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करके प्रतिभा प्रबंधन और कैरियर विकास।											yes
v)	ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.) कार्यान्वयन का नियमित अपडेशन (ऑनलाइन कर्मचारी डेटा प्रशासन, कर्मचारी स्वयं-सेवा, विकास प्रक्रिया, प्रतिभा प्रबंधन, आदि) और वित्त के साथ इसका एकीकरण।											yes
vi)	एफ.आर. (56) जे की तर्ज पर कर्मचारी प्रदर्शन की समीक्षा और कार्यान्वयन तथा निदेशक मंडल को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।											yes
कुल (भाग-ग)			5									5
कुल योग (भाग क+भाग ख+भाग ग)			100									96.00

Annexure-3

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
STATEMENT SHOWING SCA/RRB/PSB WISE DISBURSEMENT AND NO. OF BENEFICIARIES ASSISTED
DURING 2017-18 TO 2019-20

₹ in Lakh

Sl. No.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	2017-18 (Rs.)	2018-19 (Rs.)	2019-20 (Rs.)	Cumulative as on 31.03.2020	
					Disbursement (Rs.)	No. of Beneficiaries
I.	<u>STATES</u>					
1	<u>Andhra Pradesh</u>					
1.1	Andhra Pradesh (BC)	2500.00	1500.00	0.00	20116.73	360543
1.2	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	0.00	0.00	0.00	1263.73	5546
1.3	Andhra Pradesh (Others)	0.00	0.00	0.00	20.00	210
	Sub Total (1.1 to 1.3)	2500.00	1500.00	0.00	21400.46	366299
2	<u>Assam</u>					
2.1	Assam (Artfed)	0.00	400.00	1180.00	2260.00	7302
2.2	Assam (BC)	0.00	0.00	0.00	556.78	876
2.3	Assam (Electronics)	0.00	0.00	0.00	457.64	668
	Sub Total (2.1 to 2.3)	0.00	400.00	1180.00	3274.42	8846
3	<u>Bihar</u>					
3.1	Bihar (BC)	0.00	0.00	0.00	3910.54	8928
3.2	Madhya Bihar Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	1078.81	1723
	Sub Total (3.1 to 3.2)	0.00	0.00	0.00	4989.35	10651
4	<u>Chhattishgarh</u>					
4.1	Chhattishgarh (SC/ST)	500.00	0.00	0.00	1867.32	3076
4.2	Chhattishgarh Rajya Gramin Bank	0.00	0.00	1242.32	1242.32	755
	Sub Total (4.1 to 4.2)	500.00	0.00	1242.32	3109.64	3831
5	Goa (SC/ST/BC)	150.00	150.00	130.00	2477.73	2541
6	<u>Gujarat</u>					
6.1	Gujarat (BC)	0.00	500.00	0.00	8419.79	17281
6.2	Guajrat (Gopalak)	800.00	250.00	200.00	4022.48	10088
6.3	Guajrat (Thakor)	500.00	450.00	150.00	5085.00	15449
6.4	Guajrat (Nomadic)	10.57	30.00	0.00	225.57	753
6.5	Dena Gujarat Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	500.00	325
6.6	Saurashtra Gramin Bank	0.00	2500.00	2000.00	4500.00	14907
6.7	Gujarat (Others)	0.00	0.00	0.00	45.00	1200
	Sub Total (6.1 to 6.7)	1310.57	3730.00	2350.00	22797.84	60003
7	<u>Haryana</u>					
7.1	Haryana (BC)	1000.00	1100.00	1000.00	10952.41	42295
7.2	Sarva Haryana Gramin bank	100.00	0.00	0.00	1100.00	2862
	Sub Total (7.1 to 7.2)	1100.00	1100.00	1000.00	12052.41	45157
8	<u>Himachal Pradesh</u>					
8.1	Himachal Pradesh (BC)	436.23	500.00	499.88	7477.87	10654
8.2	Himachal Pradesh Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	1351.00	3046
	Sub Total (8.1 to 8.2)	436.23	500.00	499.88	8828.87	13700
9	<u>Jammu & Kashmir</u>					
9.1	Jammu & Kashmir (SC)	0.00	100.00	300.00	821.88	1403
9.2	Jammu & Kashmir (Women)	200.00	200.00	300.00	2220.60	6969
	Sub Total (9.1 to 9.2)	200.00	300.00	600.00	3042.48	8372

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/क्षे.ग्रा.बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक-वार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए.)/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2017-18 (रु.)	2018-19 (रु.)	2019-20 (रु.)	31.03.2020 को संचयी	
					संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
I.	राज्य					
1	आंध्र प्रदेश					
1.1	आंध्र प्रदेश (बीसी)	2500.00	1500.00	0.00	20116.73	360543
1.2	आंध्र प्रदेश (टोडी टैपर्स)	0.00	0.00	0.00	1263.73	5546
1.3	आंध्र प्रदेश (अन्य)	0.00	0.00	0.00	20.00	210
	उप योग (1.1 से 1.3)	2500.00	1500.00	0.00	21400.46	366299
2	असम					
2.1	असम (आर्टफेड)	0.00	400.00	1180.00	2260.00	7302
2.2	असम (बीसी)	0.00	0.00	0.00	556.78	876
2.3	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	0.00	0.00	0.00	457.64	668
	उप योग (2.1 से 2.3)	0.00	400.00	1180.00	3274.42	8846
3	बिहार					
3.1	बिहार (बीसी)	0.00	0.00	0.00	3910.54	8928
3.2	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	1078.81	1723
	उप योग (3.1 से 3.2)	0.00	0.00	0.00	4989.35	10651
4	छत्तीसगढ़					
4.1	छत्तीसगढ़ (एससी/एएसटी)	500.00	0.00	0.00	1867.32	3076
4.2	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	1242.32	1242.32	755
	उप योग (4.1 से 4.2)	500.00	0.00	1242.32	3109.64	3831
5	गोवा (एससी/एएसटी/बीसी)	150.00	150.00	130.00	2477.73	2541
6	गुजरात					
6.1	गुजरात (बीसी)	0.00	500.00	0.00	8419.79	17281
6.2	गुजरात (गोपालक)	800.00	250.00	200.00	4022.48	10088
6.3	गुजरात (ठाकोर)	500.00	450.00	150.00	5085.00	15449
6.4	गुजरात (नोमेडिक)	10.57	30.00	0.00	225.57	753
6.5	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	500.00	325
6.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	0.00	2500.00	2000.00	4500.00	14907
6.7	गुजरात (अन्य)	0.00	0.00	0.00	45.00	1200
	उप योग (6.1 से 6.7)	1310.57	3730.00	2350.00	22797.84	60003
7	हरियाणा					
7.1	हरियाणा (बीसी)	1000.00	1100.00	1000.00	10952.41	42295
7.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	100.00	0.00	0.00	1100.00	2862
	उप योग (7.1 से 7.2)	1100.00	1100.00	1000.00	12052.41	45157
8	हिमाचल प्रदेश					
8.1	हिमाचल प्रदेश (बीसी)	436.23	500.00	499.88	7477.87	10654
8.2	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	1351.00	3046
	उप योग (8.1 से 8.2)	436.23	500.00	499.88	8828.87	13700
9	जम्मू और कश्मीर					
9.1	जम्मू और कश्मीर (एससी)	0.00	100.00	300.00	821.88	1403
9.2	जम्मू और कश्मीर (वीमेन)	200.00	200.00	300.00	2220.60	6969
	उप योग (9.1 से 9.2)	200.00	300.00	600.00	3042.48	8372

Sl. No.		State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	2017-18 (Rs.)	2018-19 (Rs.)	2019-20 (Rs.)	Cumulative as on 31.03.2020	
						Disbursement (Rs.)	No. of Beneficiaries
10		<u>Jharkhand</u>					
	10.1	Jharkhand (Tribal)	100.00	0.00	300.00	945.30	1748
	10.2	Vananchal Gramin Bank	100.00	0.00	0.00	600.00	1839
	10.3	Jharkhand Gramin Bank	500.00	0.00	0.00	600.00	910
		Sub Total (10.1 to 10.3)	700.00	0.00	300.00	2145.30	4497
11		<u>Karnataka</u>					
	11.1	D. Devraj Urs (BC)	3000.00	0.00	1500.00	41399.19	243090
	11.2	Karnataka (Vishwakarma)	500.00	0.00	0.00	1500.00	3394
		Sub Total (11.1 to 11.2)	3500.00	0.00	1500.00	42899.19	246484
12		<u>Kerala</u>					
	12.1	Kerala (Artisan)	100.00	0.00	100.00	830.29	2514
	12.2	Kerala (BC)	11000.00	13000.00	14700.00	109882.27	465583
	12.3	Kerala (Christian Converts)	0.00	0.00	0.00	1106.53	3413
	12.4	Kerala (Fisheries)	3000.00	5000.00	3700.00	36509.83	288935
	12.5	Kerala (Handicraft)	100.00	100.00	100.00	941.50	3318
	12.6	Kerala (Polymer)	0.00	0.00	0.00	140.00	521
	12.7	Kerala (Women)	3000.00	4042.50	3600.00	16738.24	36582
		Sub Total (12.1 to 12.7)	17200.00	22142.50	22200.00	166148.66	800866
13		<u>Madhya Pradesh</u>					
	13.1	Madhya Pradesh (SC)	0.00	0.00	0.00	1210.11	3516
	13.2	Madhya Pradesh (BC)	0.00	0.00	0.00	3528.15	12895
	13.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	0.00	0.00	0.00	546.25	2706
	13.4	Madhyanchal Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	100.00	120
	13.5	Narmada Jhabua Gramin Bank	203.58	1324.50	5969.63	7750.89	6953
		Sub Total (13.1 to 13.5)	203.58	1324.50	5969.63	13135.40	26190
14		<u>Maharashtra</u>					
	14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	0.00	0.00	0.00	2077.99	3659
	14.2	Maharashtra (VJNT)	0.00	0.00	0.00	7172.83	23512
	14.3	Maharashtra (Annasahib)	0.00	0.00	0.00	50.00	85
	14.4	Maharashtra (OBC)	0.00	0.00	0.00	14814.15	46760
	14.5	Maharashtra (Others)	0.00	0.00	0.00	25.00	330
		Sub Total (14.1 to 14.5)	0.00	0.00	0.00	24139.97	74346
15		<u>Manipur</u>					
	15.1	Manipur (Tribal)	0.00	0.00	0.00	407.37	561
	15.2	Manipur (Women)	0.00	0.00	0.00	75.67	500
		Sub Total (15.1 to 15.2)	0.00	0.00	0.00	483.04	1061
16		North Eastern Dev. Fin. Corpn.	0.00	0.00	0.00	6300.00	58882
17		<u>Orissa</u>					
	17.1	Orissa (BC)	0.00	0.00	0.00	1401.21	6039
	17.2	Orissa (Others)	0.00	0.00	0.00	34.40	708
		Sub Total (17.1 to 17.2)	0.00	0.00	0.00	1435.61	6747
18		<u>Punjab</u>					
	18.1	Punjab (BC)	400.00	300.00	500.00	6695.89	19709
	18.2	Punjab Gramin Bank	1980.87	1500.00	1000.00	5480.87	11774
		Sub Total (18.1 to 18.2)	2380.87	1800.00	1500.00	12176.76	31483
19		<u>Rajasthan</u>					
	19.1	Rajasthan (SC)	0.00	0.00	0.00	676.35	1213
	19.2	Rajasthan (OBC)	264.75	300.00	1700.00	8066.89	22576
		Sub Total (19.1 to 19.2)	264.75	300.00	1700.00	8743.24	23789

क्र. सं.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए.)/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2017-18 (रु.)	2018-19 (रु.)	2019-20 (रु.)	31.03.2020 को संचयी	
						संवितरण	लामार्थियों की संख्या
10		झारखंड					
	10.1	झारखंड (ट्राइबल)	100.00	0.00	300.00	945.30	1748
	10.2	वनांचल ग्रामीण बैंक	100.00	0.00	0.00	600.00	1839
	10.3	झारखंड ग्रामीण बैंक	500.00	0.00	0.00	600.00	910
		उप योग (10.1 से 10.3)	700.00	0.00	300.00	2145.30	4497
11		कर्नाटक					
	11.1	डी. देवराज उर्स (बीसी)	3000.00	0.00	1500.00	41399.19	243090
	11.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	500.00	0.00	0.00	1500.00	3394
		उप योग (11.1 से 11.2)	3500.00	0.00	1500.00	42899.19	246484
12		केरल					
	12.1	केरल (आर्टीजन)	100.00	0.00	100.00	830.29	2514
	12.2	केरल (बीसी)	11000.00	13000.00	14700.00	109882.27	465583
	12.3	केरल (क्रिश्चियन कन्वर्टस)	0.00	0.00	0.00	1106.53	3413
	12.4	केरल (फिशरीज)	3000.00	5000.00	3700.00	36509.83	288935
	12.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	100.00	100.00	100.00	941.50	3318
	12.6	केरल (पॉलिमर)	0.00	0.00	0.00	140.00	521
	12.7	केरल (वीमेन)	3000.00	4042.50	3600.00	16738.24	36582
		उप योग (12.1 से 12.7)	17200.00	22142.50	22200.00	166148.66	800866
13		मध्य प्रदेश					
	13.1	मध्य प्रदेश (एससी)	0.00	0.00	0.00	1210.11	3516
	13.2	मध्य प्रदेश (बीसी)	0.00	0.00	0.00	3528.15	12895
	13.3	मध्य प्रदेश (हरिश्चिंत्य)	0.00	0.00	0.00	546.25	2706
	13.4	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	100.00	120
	13.5	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	203.58	1324.50	5969.63	7750.89	6953
		उप योग (13.1 से 13.5)	203.58	1324.50	5969.63	13135.40	26190
14		महाराष्ट्र					
	14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	0.00	0.00	0.00	2077.99	3659
	14.2	महाराष्ट्र (वी.जे.एन.टी.)	0.00	0.00	0.00	7172.83	23512
	14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	0.00	0.00	0.00	50.00	85
	14.4	महाराष्ट्र (ओबीसी)	0.00	0.00	0.00	14814.15	46760
	14.5	महाराष्ट्र (अन्य)	0.00	0.00	0.00	25.00	330
		उप योग (14.1 से 14.5)	0.00	0.00	0.00	24139.97	74346
15		मणिपुर					
	15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	0.00	0.00	0.00	407.37	561
	15.2	मणिपुर (वीमेन)	0.00	0.00	0.00	75.67	500
		उप योग (15.1 से 15.2)	0.00	0.00	0.00	483.04	1061
16		उत्तर पूर्वी डेवलपमेंट फाइनंस कॉरपोरेशन	0.00	0.00	0.00	6300.00	58882
17		ओडिशा					
	17.1	उड़ीसा (बीसी)	0.00	0.00	0.00	1401.21	6039
	17.2	उड़ीसा (अन्य)	0.00	0.00	0.00	34.40	708
		उप योग (17.1 से 17.2)	0.00	0.00	0.00	1435.61	6747
18		पंजाब					
	18.1	पंजाब (बीसी)	400.00	300.00	500.00	6695.89	19709
	18.2	पंजाब (ग्रामीण बैंक)	1980.87	1500.00	1000.00	5480.87	11774
		उप योग (18.1 से 18.2)	2380.87	1800.00	1500.00	12176.76	31483
19		राजस्थान					
	19.1	राजस्थान (एससी)	0.00	0.00	0.00	676.35	1213
	19.2	राजस्थान (ओबीसी)	264.75	300.00	1700.00	8066.89	22576
		उप योग (19.1 से 19.2)	264.75	300.00	1700.00	8743.24	23789

Sl. No.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	2017-18 (Rs.)	2018-19 (Rs.)	2019-20 (Rs.)	Cumulative as on 31.03.2020	
					Disbursement (Rs.)	No. of Beneficiaries
20	Sikkim (SC/ST)	0.00	50.00	200.00	2962.86	5462
21	Tamilnadu					
21.1	Tamilnadu (BC)	7500.00	7500.00	8000.00	82011.97	780844
21.2	Tamilnadu (Women)	0.00	0.00	0.00	50.00	500
21.3	Tamilnadu (Others)	0.00	0.00	0.00	6.00	60
	Sub Total (21.1 to 21.3)	7500.00	7500.00	8000.00	82067.97	781404
22	Telangana					
22.1	Telangana Grameena Bank	44.35	0.00	0.00	44.35	32
23	Tripura (OBC)	3500.00	2100.00	800.00	16535.11	45567
24	Uttar Pradesh					
24.1	Uttar Pradesh (BC)	0.00	0.00	0.00	7477.80	27849
24.2	U.P. Sahkari Gramin Vikas Bank Ltd.	800.00	750.00	700.00	6075.00	15435
24.3	Sarva U.P. Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	530.00	1025
24.4	Purvanchal Gramin Bank	0.00	0.00	0.00	500.00	1643
24.5	Aryavart Bank	2500.00	2000.00	4000.00	8500.00	8555
24.6	Kashi Goumti Gramin Bank	500.00	535.00	0.00	1035.00	1225
24.7	Uttar Pradesh (Others)	0.00	0.00	0.00	5.00	50
	Sub Total (24.1 to 24.7)	3800.00	3285.00	4700.00	24122.80	55782
25	Uttarakhand (Bahuudeshiya)	100.00	100.00	100.00	555.81	989
26	West Bengal					
26.1	West Bengal (BC)	300.00	622.50	600.00	9679.02	40037
26.2	West Bengal (Minorities)	0.00	150.00	0.00	1100.00	7564
26.3	West Bengal (Others)	0.00	0.00	0.00	15.00	300
	Sub Total (26.1 to 26.3)	300.00	772.50	600.00	10794.02	47901
	TOTAL - STATES (1 - 26)	45690.35	47054.50	54571.83	496663.29	2730882
II.	PSBs					
27	Dena Bank	100.00	0.00	0.00	100.00	70
28	Vijaya Bank	982.02	4842.37	4768.50	13764.19	14900
29	Punjab National Bank	0.00	500.00	1077.00	1577.00	1231
	Sub Total - PSBs (27 - 29)	1082.02	5342.37	5845.50	15441.19	16201
III.	UT's					
30	Chandigarh (SC/BC)	0.00	10.00	0.00	130.37	323
31	Delhi (SC/ST/OBC)	8.50	21.62	0.00	421.38	654
32	Puducherry					
32.1	Puducherry (Adidravidar)	0.00	0.00	0.00	154.76	125
32.2	Puducherry (BC)	0.00	0.00	0.00	4367.37	17134
	Sub Total (32.1 to 32.2)	0.00	0.00	0.00	4522.13	17259
	TOTAL - UTs (30 - 32)	8.50	31.62	0.00	5073.88	18236
IV.	GRAND TOTAL (I + II+III)	46780.87	52428.49	60417.33	517178.36	2765319

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Sd/-
Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 21/09/2020

क्र. सं.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम (एस.सी.ए.)/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2017-18 (रु.)	2018-19 (रु.)	2019-20 (रु.)	31.03.2020 को संचयी	
					संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
20	सिक्किम (एससी/एसटी)	0.00	50.00	200.00	2962.86	5462
21	तमिलनाडु					
21.1	तमिलनाडु (बीसी)	7500.00	7500.00	8000.00	82011.97	780844
21.2	तमिलनाडु (वीमेन)	0.00	0.00	0.00	50.00	500
21.3	तमिलनाडु (अन्य)	0.00	0.00	0.00	6.00	60
	उप योग (21.1 से 21.3)	7500.00	7500.00	8000.00	82067.97	781404
22	तेलंगाना					
22.1	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	44.35	0.00	0.00	44.35	32
23	त्रिपुरा (ओबीसी)	3500.00	2100.00	800.00	16535.11	45567
24	उत्तर प्रदेश					
24.1	उत्तर प्रदेश (बीसी)	0.00	0.00	0.00	7477.80	27849
24.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	800.00	750.00	700.00	6075.00	15435
24.3	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	530.00	1025
24.4	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	500.00	1643
24.5	आर्यावर्त बैंक	2500.00	2000.00	4000.00	8500.00	8555
24.6	काशी गोमती ग्रामीण बैंक	500.00	535.00	0.00	1035.00	1225
24.7	उत्तर प्रदेश (अन्य)	0.00	0.00	0.00	5.00	50
	उप योग (24.1 से 24.7)	3800.00	3285.00	4700.00	24122.80	55782
25	उत्तराखंड (बहुउद्देशीय)	100.00	100.00	100.00	555.81	989
26	पश्चिम बंगाल					
26.1	पश्चिम बंगाल (बीसी)	300.00	622.50	600.00	9679.02	40037
26.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	0.00	150.00	0.00	1100.00	7564
26.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	0.00	0.00	0.00	15.00	300
	उप योग (26.1 से 26.3)	300.00	772.50	600.00	10794.02	47901
	कुल - राज्य (1.26)	45690.35	47054.50	54571.83	496663.29	2730882
II.	पीएसबी					
27	देना बैंक	100.00	0.00	0.00	100.00	70
28	बैंक ऑफ बड़ौदा	982.02	4842.37	4768.50	13764.19	14900
29	पंजाब नेशनल बैंक	0.00	500.00	1077.00	1577.00	1231
	उप योग - पीएसबी (27-29)	1082.02	5342.37	5845.50	15441.19	16201
III.	संघ राज्य क्षेत्र					
30	चंडीगढ़ (एससी/बीसी)	0.00	10.00	0.00	130.37	323
31	दिल्ली (एससी/एसटी/ओबीसी)	8.50	21.62	0.00	421.38	654
32	पुदुचेरी					
32.1	पुदुचेरी (आदिभविदार)	0.00	0.00	0.00	154.76	125
32.2	पुदुचेरी (बीसी)	0.00	0.00	0.00	4367.37	17134
	उप योग (32.1 से 32.2)	0.00	0.00	0.00	4522.13	17259
	कुल - संघ राज्य क्षेत्र (30-32)	8.50	31.62	0.00	5073.88	18236
IV.	कुल योग (I + II + III)	46780.87	52428.49	60417.33	517178.36	2765319

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21/09/2020

ह0/-
के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

ह0/-
डॉ. एस.एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw
funds during 2019-2020

Sl. No.	Name of States	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2019-20	Reasons
1.	Andhra Pradesh	01	1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.,	1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
2.	Bihar	01	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
3	Chhattisgarh	01	1. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,	1. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,	SCA has not submitted demand. Guarantee is not available.
4.	Gujarat	04	1. Gujarat Backward Classes Development Corporation. 2. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd., 3. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam. 4. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation.	1. Gujarat Backward Classes Development Corporation. 4. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation.	SCA has not submitted demand. SCA has not submitted demand.
5.	Karnataka	02	1. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn., 2. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,	2. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
6.	Madhya Pradesh	02	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	As per the directions of State Government not to draw funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency. As per the directions of State Government not to draw funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

जिन्होंने वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान धनराशि आहरित न करने वाले राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) की स्थिति

क्र.स.	रा.चै.ए. का नाम	रा.चै.ए. की सं.	नामित रा.चै.ए. का नाम	उस रा.चै.ए. का नाम, जिसने वर्ष 2019-20 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया	कारण
1.	आंध्र प्रदेश	01	1. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग सहकारी वित्त निगम लि.,	1. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग सहकारी वित्त निगम लि.,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
2.	बिहार	01	1. बिहार स्टेट बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	1. बिहार स्टेट बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
3	छत्तीसगढ़	01	1. छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम,	1. छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई गारंटी की अनुलब्धता।
4.	गुजरात	04	1. गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम। 2. गुजरात गोपालक विकास निगम लि., 3. गुजरात ठाकोर और कोली विकास निगम। 4. गुजरात घुमंतू और गैर-अधिसूचित जनजाति विकास निगम।	1. गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम। 4. गुजरात घुमंतू और गैर-अधिसूचित जनजाति विकास निगम।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई
5.	कर्नाटक	02	1. डी. देवराज उर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम। 2. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	2. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
6.	मध्य प्रदेश	02	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार एनबीसीएफडीसी से धनराशि आहरित नहीं की गई। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार एनबीसीएफडीसी से धनराशि आहरित नहीं की गई। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।

Sl. No.	Name of States	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2019-20	Reasons
7.	Maharashtra	02	1. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta AniVikas Mahamandal Ltd., 2. Vasantao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,	1. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta AniVikas Mahamandal Ltd., 2. Vasantao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,	As per decision of BOD of the SCA not to agreed term of LOI Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
8.	Odisha	01	1. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,	1. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,	As per directions of State Govt. not to draw funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
9.	Uttar Pradesh	02	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg VittaAvam Vikas Nigam Ltd., 2. U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.,	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg VittaAvam Vikas Nigam Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
10.	West Bengal	02	1. West Bengal SC, ST & OBC Development and Finance Corporation. 2. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,	2. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation.	SCA has not submitted demand.
11.	Delhi	01	1. Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Development Corporation.	1. Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Development Corporation.	SCA has not submitted demand.
12.	Chandigarh	01	1. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation,	1. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency.
13.	Puducherry	01	1. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,	1. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,	Govt. Guarantee is not available & huge overdues.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Sd/-
Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 21/09/2020

क्र.स.	रा.चै.ए. का नाम	रा.चै.ए. की सं.	नामित रा.चै.ए. का नाम	उस रा.चै.ए. का नाम, जिसने वर्ष 2018-19 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया	कारण
7.	महाराष्ट्र	02	1. महाराष्ट्र राज्य इतर मागस वर्गीय वित्त एनि विकास महामंडल लि। 2. वसंतराव नाइक विमुक्त जातिस एवं घुमंतू जनजाति विकास निगम लि।	1. महाराष्ट्र राज्य इतर मागस वर्गीय वित्त एनि विकास महामंडल लि। 2. वसंतराव नाइक विमुक्त जातिस एवं घुमंतू जनजाति विकास निगम लि।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार लेटर ऑफ इन्स्टेट की शर्तों पर सहमति नहीं। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.काका.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.काका.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
8.	ओडिशा	01	1. ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास-सहकारी निगम लिमिटेड,	1. ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास-सहकारी निगम लिमिटेड,	राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार एनबीसीएफडीसी से धनराशि आहरित नहीं की है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.काका.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
9.	उत्तर प्रदेश	02	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि। 2. यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.काका.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
10.	पश्चिम बंगाल	02	1. पश्चिम बंगाल एससी, एसटी एवं ओबीसी विकास एवं वित्त निगम। 2. पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम,	2. पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई।
11.	दिल्ली	01	1. दिल्ली एससी / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यक और विकलांग वित्तीय और विकास निगम।	1. दिल्ली एससी / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यक और विकलांग वित्तीय और विकास निगम।	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से माँग प्राप्त नहीं हुई।
12.	चंडीगढ़	01	1. चंडीगढ़ एससी / बी.सी. और अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम	1. चंडीगढ़ एससी / बी.सी. और अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
13.	पुडुचेरी	01	1. पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड,	1. पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड,	शासकीय गारंटी की अनुलब्धता एवं बहुत बकाया।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21/09/2020

ह0/—
कै. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

ह0/—
डॉ. एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ANNEXURE - 3.2

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
SCA/RRB/PSB/STATE WISE & SCHEME WISE LOAN DISBURSEMENT AND BENEFICIARIES ASSISTED DURING THE
YEAR 2019-20

Financial : Rs. in Lac
Physical : No. of Beneficiaries

SL. NO.	NAME OF SCAs/ STATES/UTs/RRB's/PSBs	GENERAL LOAN SCHEMES		MICRO FINANCE SCHEME		MAHILA SAMRIDHI YOJANA		TOTAL	
		FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL
I.	STATES								
1	Assam								
1.1	Assam (Artfed)	0.00	0	0.00	0	1180.00	2560	1180.00	2560
	Sub Total (1.1)	0.00	0	0.00	0	1180.00	2560	1180.00	2560
2	Chhattisgarh								
2.1	Chhattisgarh Rajya Gramin Bank	1124.06	566	118.26	190	0.00	0	1242.32	756
	Sub Total (2.1)	1124.06	566	118.26	190	0.00	0	1242.32	756
3	Goa								
3.1	Goa (SC/ST/BC)	70.00	44	60.00	77	0.00	0	130.00	121
	Sub Total (3.1)	70.00	44	60.00	77	0.00	0	130.00	121
4	Gujarat								
4.1	Guajrat (Gopalak)	50.00	81	150.00	243	0.00	0	200.00	324
4.2	Guajrat (Thakor)	17.50	38	13.50	50	119.00	250	150.00	338
4.3	Surashtra Gramin Bank	476.75	368	1523.25	6160	0.00	0	2000.00	6528
	Sub Total (4.1 to 4.3)	544.25	487	1686.75	6453	119.00	250	2350.00	7190
5	Haryana								
5.1	Haryana (BC)	200.00	400	800.00	1288	0.00	0	1000.00	1688
	Sub Total (5.1)	200.00	400	800.00	1288	0.00	0	1000.00	1688
6	Himachal								
6.1	Himachal Pradesh (BC)	270.41	218	189.47	265	40.00	80	499.88	563
	Sub Total (6.1)	270.41	218	189.47	265	40.00	80	499.88	563
7	Jammu & Kashmir								
7.1	Jammu & Kashmir (SC/BC)	300.00	368	0.00	0	0.00	0	300.00	368
7.2	Jammu & Kashmir (Women)	250.00	375	0.00	0	50.00	110	300.00	485
	Sub Total (7.1 to 7.2)	550.00	743	0.00	0	50.00	110	600.00	853
8	Jharkhand								
8.1	Jharkhand (ST)	300.00	405	0.00	0	0.00	0	300.00	405
	Sub Total (8.1)	300.00	405	0.00	0	0.00	0	300.00	405
9	Karnataka								
9.1	D. Devraj Urs (BC)	350.00	590	400.00	1080	750.00	2500	1500.00	4170
	Sub Total (9.1)	350.00	590	400.00	1080	750.00	2500	1500.00	4170
10	Kerala								
10.1	Kerala (Artisan)	0.00	0	100.00	145	0.00	0	100.00	145
10.2	Kerala (BC)	3050.00	3128	8800.00	47008	2850.00	20400	14700.00	70536

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2019-20 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी / आर.आर.बी. / पी.एस.बी. / राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी

वित्तीय : रु. लाख में

भौतिक : लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / आर.आर.बी. / पी.एस.बी. का नाम	सामान्य ऋण योजना		सूक्ष्म ऋण योजना		महिला समृद्धि योजना		कुल	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
I.	कर्नाटक								
1	असम								
1.1	असम (आर्टफेड)	0.00	0	0.00	0	1180.00	2560	1180.00	2560
	उप-योग (1.1)	0.00	0	0.00	0	1180.00	2560	1180.00	2560
2	छत्तीसगढ़								
2.1	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	1124.06	566	118.26	190	0.00	0	1242.32	756
	उप-योग (2.1)	1124.06	566	118.26	190	0.00	0	1242.32	756
3	गोवा								
3.1	गोवा (एससी / एसटी / बीसी)	70.00	44	60.00	77	0.00	0	130.00	121
	उप-योग (3.1)	70.00	44	60.00	77	0.00	0	130.00	121
4	गुजरात								
4.1	गुजरात (गोपालक)	50.00	81	150.00	243	0.00	0	200.00	324
4.2	गुजरात (ठाकोर)	17.50	38	13.50	50	119.00	250	150.00	338
4.3	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	476.75	368	1523.25	6160	0.00	0	2000.00	6528
	उप-योग (4.1 से 4.3)	544.25	487	1686.75	6453	119.00	250	2350.00	7190
5	हरियाणा								
5.1	हरियाणा (बीसी)	200.00	400	800.00	1288	0.00	0	1000.00	1688
	उप-योग (5.1)	200.00	400	800.00	1288	0.00	0	1000.00	1688
6	हिमाचल								
6.1	हिमाचल प्रदेश (बीसी)	270.41	218	189.47	265	40.00	80	499.88	563
	उप-योग (6.1)	270.41	218	189.47	265	40.00	80	499.88	563
7	जम्मू और कश्मीर								
7.1	जम्मू और कश्मीर (एससी/बीसी)	300.00	368	0.00	0	0.00	0	300.00	368
7.2	जम्मू और कश्मीर (बीसी)	250.00	375	0.00	0	50.00	110	300.00	485
	उप-योग (7.1 से 7.2)	550.00	743	0.00	0	50.00	110	600.00	853
8	झारखंड								
8.1	झारखंड (एसटी)	300.00	405	0.00	0	0.00	0	300.00	405
	उप-योग (8.1)	300.00	405	0.00	0	0.00	0	300.00	405
9	कर्नाटक								
9.1	डी.देवराज उर्स (बीसी)	350.00	590	400.00	1080	750.00	2500	1500.00	4170
	उप-योग (9.1)	350.00	590	400.00	1080	750.00	2500	1500.00	4170
10	केरल								
10.1	केरल (आटीजन)	0.00	0	100.00	145	0.00	0	100.00	145
10.2	केरल (बीसी)	3050.00	3128	8800.00	47008	2850.00	20400	14700.00	70536

SL. NO.	NAME OF SCAS/ STATES/UTs/RRB's/PSBs	GENERAL LOAN SCHEMES		MICRO FINANCE SCHEME		MAHILA SAMRIDHI YOJANA		TOTAL	
		FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL	FINANCIAL	PHYSICAL
10.3	Kerala (Fisheries)	0.00	0	2400.00	11244	1300.00	6756	3700.00	18000
10.4	Kerala (Handicraft)	43.50	99	56.50	125	0.00	0	100.00	224
10.5	Kerala (Women)	1550.00	2000	500.00	650	1550.00	4709	3600.00	7359
	Sub Total (10.1 to 10.5)	4643.50	5227	11856.50	59172	5700.00	31865	22200.00	96264
11	Madhya Pradesh								
11.1	Madhya Pradesh Gramin Bank	5154.42	3560	815.21	1418	0.00	0	5969.63	4978
	Sub Total (11.1)	5154.42	3560	815.21	1418	0.00	0	5969.63	4978
12	Punjab								
12.1	Punjab (BC)	210.00	202	240.00	364	50.00	80	500.00	646
12.2	Punjab Gramin Bank	1000.00	980.00	0.00	0	0.00	0	1000.00	980
	Sub Total (12.1 to 12.2)	1210.00	1182	240.00	364	50.00	80	1500.00	1626
13	Rajasthan								
13.1	Rajasthan (BC)	1067.50	1189	617.00	1320	15.50	330	1700.00	2839
	Sub Total (13.1)	1067.50	1189	617.00	1320	15.50	330	1700.00	2839
14	Sikkim								
14.1	Sikkim (SC/ST)	200.00	238	0.00	0	0.00	0	200.00	238
	Sub Total (14.1)	200.00	238	0.00	0	0.00	0	200.00	238
15	Tamil Nadu								
15.1	Tamilnadu (BC)	1138.00	1741	1607.00	3291	5255.00	31188	8000.00	36220
	Sub Total (15.1)	1138.00	1741	1607.00	3291	5255.00	31188	8000.00	36220
16	Tripura								
16.1	Tripura (OBC)	172.00	216	19.00	110	609.00	1247	800.00	1573
	Sub Total (16.1)	172.00	216	19.00	110	609.00	1247	800.00	1573
17	Uttar Pradesh								
17.1	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	200.00	267	500.00	667	0.00	0	700.00	934
17.2	Aryavart Bank	2339.00	1650	1661.00	1700	0.00	0	4000.00	3350
	Sub Total (17.1 to 17.2)	2539.00	1917	2161.00	2367	0.00	0	4700.00	4284
18	Uttarakhand								
18.1	Uttarakhand (Vashudeshiya)	0.00	0	50.00	100	50.00	100	100.00	200
	Sub Total (18.1)	0.00	0	50.00	100	50.00	100	100.00	200
19	Wes Bengal								
19.1	West Bengal (BC)	225.00	347	237.50	950	137.50	550	600.00	1847
	Sub Total (19.1)	225.00	347	237.50	950	137.50	550	600.00	1847
	TOTAL - STATES (1 - 19)	19758.14	19070	20857.69	78445	13956.00	70860	54571.83	168375
II	PSB's								
20	Bank of Baroda	3370.00	2356	1398.50	2062	0.00	0	4768.50	4418
20.2	Punjab National Bank	924.00	491	153.00	240	0.00	0	1077.00	731
	Total PSB's (20)	4294.00	2847	1551.50	2302	0.00	0	5845.50	5149
III	GRAND TOTAL (I+II)	24052.14	21917	22409.19	80747	13956.00	70860	60417.33	173524

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Sd/-
Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 21/09/2020

क्र.स.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/आर.आर.बी./पी.एस.बी. का नाम	सामान्य ऋण योजना		सूक्ष्म ऋण योजना		महिला समृद्धि योजना		कुल	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
10.3	केरल (फिशरीज)	0.00	0	2400.00	11244	1300.00	6756	3700.00	18000
10.4	केरल (हेल्थीक्राफ्ट)	43.50	99	56.50	125	0.00	0	100.00	224
10.5	केरल (बीमन)	1550.00	2000	500.00	650	1550.00	4709	3600.00	7359
	उप-योग (10.1 से 10.5)	4643.50	5227	11856.50	59172	5700.00	31865	22200.00	96264
11	मध्य प्रदेश								
11.1	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	5154.42	3560	815.21	1418	0.00	0	5969.63	4978
	उप-योग (11.1)	5154.42	3560	815.21	1418	0.00	0	5969.63	4978
12	पंजाब								
12.1	पंजाब (बीसी)	210.00	202	240.00	364	50.00	80	500.00	646
12.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	1000.00	980.00	0.00	0	0.00	0	1000.00	980
	उप-योग (12.1 से 12.2)	1210.00	1182	240.00	364	50.00	80	1500.00	1626
13	राजस्थान								
13.1	राजस्थान (बीसी)	1067.50	1189	617.00	1320	15.50	330	1700.00	2839
	उप-योग (13.1)	1067.50	1189	617.00	1320	15.50	330	1700.00	2839
14	सिक्किम								
14.1	सिक्किम(एससी/एसटी)	200.00	238	0.00	0	0.00	0	200.00	238
	उप-योग (14.1)	200.00	238	0.00	0	0.00	0	200.00	238
15	तमिलनाडु								
15.1	तमिलनाडु (बीसी)	1138.00	1741	1607.00	3291	5255.00	31188	8000.00	36220
	उप-योग (15.1)	1138.00	1741	1607.00	3291	5255.00	31188	8000.00	36220
16	त्रिपुरा								
16.1	त्रिपुरा (ओबीसी)	172.00	216	19.00	110	609.00	1247	800.00	1573
	उप-योग (16.1)	172.00	216	19.00	110	609.00	1247	800.00	1573
17	उत्तर प्रदेश								
17.1	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	200.00	267	500.00	667	0.00	0	700.00	934
17.2	आर्यव्रत बैंक	2339.00	1650	1661.00	1700	0.00	0	4000.00	3350
	उप-योग (17.1 से 17.2)	2539.00	1917	2161.00	2367	0.00	0	4700.00	4284
18	उत्तराखण्ड								
18.1	उत्तराखण्ड (बहुउद्देशीय)	0.00	0	50.00	100	50.00	100	100.00	200
	उप-योग (18.1)	0.00	0	50.00	100	50.00	100	100.00	200
19	पश्चिम बंगाल								
19.1	पश्चिम बंगाल (बीसी)	225.00	347	237.50	950	137.50	550	600.00	1847
	उप-योग (19.1)	225.00	347	237.50	950	137.50	550	600.00	1847
	कुल - राज्य (1 - 19)	19758.14	19070	20857.69	78445	13956.00	70860	54571.83	168375
II	पी.एस.बी.								
20	बैंक ऑफ बड़ौदा	3370.00	2356	1398.50	2062	0.00	0	4768.50	4418
20.2	पंजाब नेशनल बैंक	924.00	491	153.00	240	0.00	0	1077.00	731
	कुल पीएसबी (20)	4294.00	2847	1551.50	2302	0.00	0	5845.50	5149
III	कुल योग (I + II)	24052.14	21917	22409.19	80747	13956.00	70860	60417.33	173524

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

₹0/-

₹0/-

के. नारायण

डॉ. एस. एस. आचार्य

प्रबंध निदेशक

निदेशक

(डिन सं. 03561648)

(डिन सं. 06727939)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21/09/2020

ANNEXURE - 3.3

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Statewise/ Schemewise Disbursement and No. of Beneficiaries assisted during 2019-2020

(As on 31.03.2020)

₹ in Lakh

S. No	Name of State/UT	General Loan										Term Loan						MICRO FINANCE LOAN						Sub Total	GRAND TOTAL (Term Loan & Micro Finance)		
		Agriculture & Allied Activities		Small Business/ Artisan & Traditional Occupation		Transport Sector & Service Sector		Technical and Professional Trade/Course (Education)		New Swarnima		Education Loan		Sub Total	Micro Finance		Mahila Samridhi		Small Loan								
		Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.		Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount			Benef.	
1	Andhra Pradesh (BC)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2	Telangana	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
3	Bihar	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
4	Chandigarh	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
5	Chattisgarh	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
6	Chhattisgarh Gramin Bank	0.00	0	324.06	141	800.00	425	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1124.06	566	0.00	0	0.00	0	118.26	190	1242.32	756	190	1242.32	756	
7	Delhi	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
8	Goa	0.00	0	0.00	0	50.00	24	20.00	20	0.00	0	20.00	20	0.00	0	70.00	44	10.00	14	50.00	63	60.00	77	130.00	121		
9	Gujarat (BC)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
10	Gujarat (Gopalak)	40.50	61	0.00	0	0.00	0	0.00	0	9.50	20	0.00	0	50.00	81	0.00	0	0.00	0	150.00	243	150.00	243	200.00	324		
11	Gujarat (Thakor)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	15.00	35	2.50	3	15.00	35	0.00	0	17.50	38	13.50	50	119.00	250	0.00	0	132.50	300		
12	Gujarat (DNT)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
13	Saurashtra Gramin Bank	476.75	368	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	476.75	368	0.00	0	0.00	0	1523.25	6160	1523.25	6160	2000.00	6528		
	Total:	517.25	429	0.00	0	0.00	0	15.00	35	12.00	23	15.00	35	0.00	544.25	487	13.50	50	119.00	250	0.00	0	1523.25	6160	2000.00	6528	
14	Haryana	0.00	0	200.00	400	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	200.00	400	0.00	0	0.00	0	800.00	1288	800.00	1288	1000.00	1688		
15	Himachal Pradesh	23.80	22	94.35	85	52.70	30	95.00	74	4.56	7	95.00	74	0.00	270.41	218	40.00	80	40.00	80	149.39	185	229.39	345			
16	Jammu & Kashmir (BC)	50.00	100	50.00	100	100.00	75	53.00	43	47.00	50	33.00	33	20.00	300.00	368	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	300.00	368	
17	Jammu & Kashmir (Women)	50.00	100	50.00	100	0.00	0	50.00	25	100.00	150	50.00	25	0.00	250.00	375	0.00	0	50.00	110	0.00	0	50.00	110	300.00	485	
	Total:	100.00	200	100.00	200	100.00	75	103.00	68	147.00	200	83.00	58	20.00	550.00	743	0.00	0	50.00	110	0.00	0	50.00	110	300.00	485	
18	Jharkhand	50.00	100	150.00	200	100.00	105	0.00	0	0.00	0	0.00	0	300.00	405	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	300.00	405
19	Jharkhand Gramin Bank	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
20	Vananchal Gramin Bank	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
	Total:	50.00	100	150.00	200	100.00	105	0.00	0	0.00	0	0.00	0	300.00	405	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	300.00	405
21	Karnataka (D.Dewraj Urs)	108.00	177	30.00	74	70.00	104	42.00	35	100.00	200	42.00	35	0.00	350.00	590	250.00	780	750.00	250	150.00	300	1150.00	3580	1500.00	4170	
22	Karnataka (Vishwakarma)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
	Total:	108.00	177	30.00	74	70.00	104	42.00	35	100.00	200	42.00	35	0.00	350.00	590	250.00	780	750.00	250	150.00	300	1150.00	3580	1500.00	4170	
23	Kerala (Artisan)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
24	Kerala (BC)	800.00	892	860.00	935	1190.00	1151	100.00	50	100.00	100	100.00	50	0.00	3050.00	3128	6950.00	43766	2850.00	2040	1850.00	3242	11650.00	67408	14700.00	70536	
25	Kerala (Fisheries)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
26	Kerala (Handicraft)	0.00	0	34.00	80	0.00	0	0.00	0	9.50	19	0.00	0	0.00	43.50	99	16.50	65	0.00	0	40.00	60	56.50	125	100.00	224	
27	Kerala (Women)	500.00	700	550.00	700	0.00	0	0.00	0	500.00	600	0.00	0	0.00	1550.00	2000	100.00	150	1550.00	4709	400.00	500	2050.00	5359	3600.00	7359	
	Total:	1300.00	1592	1444.00	1715	1190.00	1151	100.00	50	609.50	719	100.00	50	0.00	4643.50	5227	9541.50	55345	5700.00	31865	2315.00	3827	17556.50	91037	22200.00	96264	

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2019-20 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसीवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या (31.03.2020) तक

(रु./लाख में)

क्र. सं.	राज्य/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम	सावधि ऋण												सूक्ष्म ऋण						कुल योग (रु. ऋण एवं सूक्ष्म वित्त)						
		सामान्य ऋण						शैक्षिक ऋण						उप-योग			उप-योग									
		कृषि और संबद्ध क्षेत्र	लघु व्यवसाय / आर्टीजन एवं पारंपरिक व्यवसाय	सेवा/ परिवहन क्षेत्र	तकनीकी और व्यवसायिक व्यापार/ पाठ्यक्रम (शिक्षा)	नई स्वयंमिमा	भारत में विदेश में	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश (बीसी)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2	तेलंगाना	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
3	बिहार	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
4	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
6	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	0.00	0	324.06	141	800.00	425	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1124.06	566	0.00	0	0.00	0	118.26	190	118.26	190	1242.32	756	756
7	दिल्ली	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
8	गोवा	0.00	0	0.00	0	50.00	24	20.00	20	0.00	0	20.00	20	0.00	0	70.00	44	10.00	14	0.00	0	50.00	63	60.00	77	130.00
9	गुजरात (बीसी)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
10	गुजरात (गोपालक)	40.50	61	0.00	0	0.00	0	0.00	0	9.50	20	0.00	0	0.00	0	50.00	81	0.00	0	0.00	0	150.00	243	150.00	243	200.00
11	गुजरात (विकार)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	15.00	35	2.50	3	15.00	35	0.00	0	17.50	38	13.50	50	119.00	250	0.00	0	132.50	300	150.00
12	गुजरात (डीएनटी)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
13	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	476.75	368	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	476.75	368	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	हरियाणा	517.25	429	0.00	0	0.00	0	15.00	35	12.00	23	15.00	35	0.00	0	544.25	487	13.50	50	119.00	250	1673.25	6403	1805.75	6703	2350.00
15	हिमाचल प्रदेश	23.80	22	94.35	85	52.70	30	95.00	74	4.56	7	95.00	74	0.00	0	270.41	218	40.00	80	40.00	80	149.39	185	229.39	345	499.80
16	जम्मू और कश्मीर (बीसी)	50.00	100	50.00	100	100.00	75	53.00	43	47.00	50	33.00	33	20.00	10	300.00	368	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	300.00
17	जम्मू और कश्मीर (महिला)	50.00	100	50.00	100	100.00	75	50.00	25	100.00	150	50.00	25	0.00	0	250.00	375	0.00	0	50.00	110	0.00	0	50.00	110	300.00
18	झारखंड	100.00	200	100.00	200	100.00	75	103.00	68	147.00	200	83.00	58	20.00	10	550.00	743	0.00	0	50.00	110	0.00	0	0.00	0	300.00
19	झारखंड ग्रामीण बैंक	50.00	100	150.00	200	100.00	105	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	300.00	405	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	300.00
20	बनावाल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	कर्नाटक (डी. देवराज जर्स)	0.00	0	150.00	200	100.00	105	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	300.00	405	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	108.00	177	30.00	74	70.00	104	42.00	35	100.00	200	42.00	35	0.00	0	350.00	590	250.00	780	750.00	2500	150.00	300	1150.00	3580	1500.00
23	केरल (आर्टीजन)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24	केरल (बीसी)	800.00	892	860.00	935	1190.00	1151	100.00	50	100.00	100	100.00	50	0.00	0	3050.00	3128	6950.00	43766	2850.00	20400	1850.00	3242	11650.00	67408	14700.00
25	केरल (मत्स्य)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	3700.00
26	केरल (हस्ताशिल्प)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	43.50	99	16.50	65	0.00	0	40.00	60	56.50	125	100.00
27	केरल (महिला)	500.00	700	550.00	700	500.00	700	0.00	0	500.00	600	600.00	0	0.00	0	1550.00	2000	100.00	150	1550.00	4709	400.00	500	2050.00	5359	3600.00
	योग	1300.00	1592	1444.00	1715	1190.00	1151	100.00	50	609.50	719	100.00	50	0.00	0	4643.50	5227	9541.50	55345	5700.00	31865	2315.00	3827	17556.50	91037	22200.00

₹ in Lakh

S. No	Name of State/UT	General Loan										Term Loan						MICRO FINANCE LOAN						Sub Total	Sub Total	GRAND TOTAL (Term Loan & Micro Finance)			
		Agriculture & Allied Activities		Small Business/ Artisan & Traditional Occupation		Transport Sector & Service Sector		Technical and Professional Trade/Courses/Education		New Swarnima		Education Loan		Sub Total		Micro Finance		Mahila Samridhi		Small Loan									
		Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.	Amount	Benef.				Amount	Benef.	
28	Madhya Pradesh (BC)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
29	Madhya Pradesh (Hastship)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
30	Madhya Pradesh Gramin Bank	2952.91	2272	1842.42	1024	107.51	45	37.65	21	213.93	198	37.65	21	0.00	0	5154.42	198	0.00	0	815.21	1418	815.21	1418	5969.63	1616	1616	1616		
	Total:	2952.91	2272	1842.42	1024	107.51	45	37.65	21	213.93	198	37.65	21	0.00	0	5154.42	3560	0.00	0	815.21	1418	815.21	1418	5969.63	1616	1616	1616		
31	Manipur	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
32	Maharashtra (OBC)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
33	Maharashtra (VINT)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
34	Puducherry	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
35	Punjab (BC)	80.00	92	50.00	40	50.00	40	10.00	10	20.00	20	10.00	10	0.00	0	210.00	202	0.00	0	200.00	80	200.00	284	290.00	444	500.00	646		
36	Punjab Gramin Bank	200.00	200	400.00	300	200.00	160	0.00	0	200.00	320	0.00	0	0.00	0	1000.00	980	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1000.00	980		
	Total:	280.00	292	450.00	340	250.00	200	10.00	10	220.00	340	10.00	10	0.00	0	1210.00	1182	0.00	0	80	50.00	80	200.00	284	290.00	444	1500.00	1626	
37	Rajasthan	152.50	175	200.00	236	0.00	0	0.00	0	715.00	778	0.00	0	0.00	0	1067.50	1189	0.00	0	660	15.50	330	386.00	660	632.50	1650	1700.00	2839	
38	Sikkim	50.00	68	100.00	120	50.00	50	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	200.00	238	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	200.00	238		
39	Tamil Nadu	177.00	300	491.00	905	170.00	144	0.00	0	300.00	392	0.00	0	0.00	0	1138.00	1741	0.00	0	588.00	1823	5255.00	31188	1019.00	1468	6862.00	34479	8000.00	36220
40	Tripura	0.00	0	100.00	72	0.00	0	72.00	144	0.00	0	72.00	144	0.00	0	172.00	216	0.00	0	110	609.00	1247	0.00	0	628.00	1357	800.00	1573	
41	Uttar Pradesh	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
42	UP Sahkari (ULDB)	0.00	0	200.00	267	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	200.00	267	0.00	0	500.00	667	0.00	0	500.00	667	700.00	934		
43	Kashi Gornit Samyut Gramin Bank	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
44	Gramin Bank Aniyat	339.00	300	0.00	0	2000.00	1350	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2339.00	1650	0.00	0	661.00	700	0.00	0	1000.00	1000	1661.00	1700	4000.00	3350
45	Purvanchal Gramin Bank	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
	Total:	339.00	300	200.00	267	2000.00	1350	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2539.00	1917	0.00	0	1161.00	1367	0.00	0	1000.00	1000	2161.00	2367	4700.00	4284
46	Jattarakhand	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	30.00	60	50.00	100	20.00	40	100.00	200	100.00	200
47	Uttarakhand Gramin Bank	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
	Total:	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	30.00	60	50.00	100	20.00	40	100.00	200	100.00	200
48	West Bengal (BC)	0.00	0	22.50	68	40.00	53	162.50	226	0.00	0	162.50	226	0.00	0	225.00	347	0.00	0	187.50	750	137.50	550	50.00	200	375.00	1500	600.00	1847
49	West Bengal (Minority)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
	Total:	0.00	0	22.50	68	40.00	53	162.50	226	0.00	0	162.50	226	0.00	0	225.00	347	0.00	0	187.50	750	137.50	550	50.00	200	375.00	1500	600.00	1847
50	Assam ARTFED	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1180.00	2560	0.00	0	1180.00	2560	1180.00	2560	1180.00	2560
51	Bank of Baroda	636.70	307	1899.85	1072	79.72	33	0.00	0	753.73	944	0.00	0	0.00	0	3370.00	2356	0.00	0	1398.50	2062	1398.50	2062	1398.50	2062	4768.50	4418		
52	Punjab National Bank	0.00	0	810.72	354	0.00	0	0.00	0	113.55	137	0.00	0	0.00	0	924.27	491	0.00	0	153.28	240	153.28	240	153.28	240	1077.55	731		
	Total:	6687.16	6234	8458.90	7273	5059.93	3789	657.15	683	3189.27	3938	637.15	673	20.00	10	24052.41	21917	0.00	0	12111.50	61119	13956.00	70860	10297.89	19628	36365.39	151607	60477.80	173524

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Sd/-

Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)Place : New Delhi
Date : 21/09/2020

क्र. सं.	राज्य/राज्य सैनोलाइजिंग एजेंसी का नाम	सावधि ऋण										सूक्ष्म ऋण				उप-योग	कुल योग (टर्म ऋण एवं सूक्ष्म वित्त)								
		कृषि और संबद्ध क्षेत्र					सामान्य ऋण					शैक्षिक ऋण		उप-योग				सूक्ष्म वित्त	महिला समृद्धि	लघु ऋण					
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	सेवा/परिवहन क्षेत्र	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि						लाभार्थी	राशि	लाभार्थी		
28	मध्य प्रदेश (बीसी)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0		
29	मध्य प्रदेश (हरितिशिल्प)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
30	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	2952.91	2272	1842.42	1024	107.51	45	37.65	21	213.93	198	37.65	21	0.00	0	5154.42	198	0.00	0	815.21	1418	815.21	1418	5969.63	1616
	योग	2952.91	2272	1842.42	1024	107.51	45	37.65	21	213.93	198	37.65	21	0.00	0	5154.42	3560	0.00	0	815.21	1418	815.21	1418	5969.63	1616
31	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
32	महाराष्ट्र (ओबीसी)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
33	महाराष्ट्र (बीजेपी)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	योग	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
34	पुडुचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
35	पंजाब (बीसी)	80.00	92	50.00	40	50.00	40	10.00	10	20.00	20	10.00	10	0.00	0	210.00	202	40.00	80	200.00	284	290.00	444	500.00	646
36	पंजाब ग्रामीण बैंक	200.00	200	400.00	300	200.00	160	0.00	0	200.00	320	0.00	0	0.00	0	1000.00	980	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1000.00	980
	योग	280.00	292	450.00	340	250.00	200	10.00	10	220.00	340	10.00	10	0.00	0	1210.00	1182	40.00	80	50.00	284	290.00	444	1500.00	1626
37	राजस्थान	152.50	175	200.00	236	0.00	0	0.00	0	715.00	778	0.00	0	0.00	0	200.00	238	0.00	0	0.00	0	0.00	0	200.00	238
38	सिक्किम	50.00	68	100.00	120	50.00	50	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1138.00	1741	588.00	1823	5255.00	31188	1019.00	1468	6862.00	34479
39	तमिलनाडु	177.00	300	491.00	905	170.00	144	0.00	0	300.00	392	0.00	0	0.00	0	172.00	216	19.00	110	609.00	1247	0.00	628.00	1357	800.00
40	त्रिपुरा	0.00	0	100.00	72	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
41	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
42	यूपी सहकारी (एरलडीबी)	0.00	0	200.00	267	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	200.00	267	500.00	667	0.00	0	0.00	0	500.00	667
43	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
44	ग्रामीण बैंक आर्य	339.00	300	0.00	0	2000.00	1350	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2339.00	1650	661.00	700	0.00	0	1000.00	1000	1661.00	1700
45	सूचाल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	योग	339.00	300	200.00	267	2000.00	1350	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	2539.00	1917	1161.00	1367	0.00	0	1000.00	1000	2161.00	2367
46	उत्तराखण्ड	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	30.00	60	50.00	100	20.00	40	100.00	200
47	उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	योग	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
48	पश्चिम बंगाल (बीसी)	0.00	0	22.50	68	40.00	53	162.50	226	0.00	0	162.50	226	0.00	0	225.00	347	187.50	750	137.50	550	50.00	200	375.00	1500
49	पश्चिम बंगाल (माइनिस्ट्रीज)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	योग	0.00	0	22.50	68	40.00	53	162.50	226	0.00	0	162.50	226	0.00	0	225.00	347	187.50	750	137.50	550	50.00	200	375.00	1500
50	असम आर्टफेड	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1180.00	2560	0.00	0	1180.00	2560
51	बैंक ऑफ बड़ोदा	636.70	307	1899.85	1072	79.72	33	0.00	0	753.73	944	0.00	0	0.00	0	3370.00	2356	0.00	0	0.00	0	1398.50	2062	1398.50	2062
52	पंजाब नेशनल बैंक	0.00	0	810.72	354	0.00	0	0.00	0	113.55	137	0.00	0	0.00	0	924.27	491	0.00	0	0.00	0	153.28	240	153.28	240
	योग	6687.16	6234	8458.90	7273	5059.93	3789	657.15	683	3189.27	3938	637.15	673	20.00	10	24052.41	21917	12111.50	61119	13956.00	70860	10297.89	19628	36365.39	151607

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0 / -
 डॉ. एस. एस. आचार्य
 प्रबंध निदेशक
 (डिन सं. 03561648)

ह0 / -

ह0 / -
 के. नारायण
 प्रबंध निदेशक
 (डिन सं. 06727939)

स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 21 / 09 / 2020

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
Statement Showing Details of Women Beneficiaries assisted under
(New Swarnima Scheme, Mahila Samridhi Yojana)
(2019-2020)

(31.03.2020)

(Rs. in Lakh)

S.No.	Name of State	New Swarnima		Mahila Samridhi Yojana	
		Financial	Physical	Financial	Physical
1	Andhra Pradesh	28.04	39	0.00	0
2	Andaman & Nicobar	0.50	1	0.00	0
3	Telangana	13.46	12	0.00	0
4	Assam	9.48	9	1180.00	2560
5	Bihar	33.37	46	0.00	0
6	Chandigarh	0.00	0	0.00	0
7	Chattisgarh	16.54	21	0.00	0
8	Delhi	0.00	0	0.00	0
9	Goa	0.00	0	0.00	0
10	Gujarat	101.55	116	119.00	250
11	Haryana	18.00	21	0.00	0
12	Himachal Pradesh	4.89	8	40.00	80
13	Jammu & Kashmir	147.00	200	50.00	110
14	Jharkhand	13.28	12	0.00	0
15	Karnataka	117.98	226	750.00	2500
16	Kerala	632.05	749	5700.00	31865
17	Madhya Pradesh	232.06	218	0.00	0
18	Maharashtra	27.18	43	0.00	0
19	Manipur	0.44	1	0.00	0
20	Odisha	23.70	34	0.00	0
21	Puducherry	5.65	6	0.00	0
22	Punjab	224.34	348	50.00	80
23	Rajasthan	840.45	937	15.50	330
24	Sikkim	0.00	0	0.00	0
25	Tamil Nadu	562.22	733	5255.00	31188
26	Tripura	0.00	0	609.00	1247
27	Uttar Pradesh	130.58	147	0.00	0
28	Uttarakhand	6.13	7	50.00	100
29	West Bengal	0.38	4	137.50	550
	Grand Total:	3189.27	3938	13956.00	70860

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

K. NARAYAN
 Managing Director
 (DIN No.03561648)

Sd/-

Dr. S.S. ACHARYA
 Director
 (DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
 Date : 21/09/2020

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

नई स्वर्णिमा, महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत महिला लाभार्थियों के विवरण को प्रदर्शित करने वाला विवरण (2019-20)

(31.03.2020)

(रु./लाख)

क्र.स.	राज्य का नाम	नई स्वर्णिमा		महिला समृद्धि योजना	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	आंध्र प्रदेश	28.04	39	0.00	0
2	अंडमान और निकोबार	0.50	1	0.00	0
3	तेलंगाना	13.46	12	0.00	0
4	असम	9.48	9	1180.00	2560
5	बिहार	33.37	46	0.00	0
6	चंडीगढ़	0.00	0	0.00	0
7	छत्तीसगढ़	16.54	21	0.00	0
8	दिल्ली	0.00	0	0.00	0
9	गोवा	0.00	0	0.00	0
10	गुजरात	101.55	116	119.00	250
11	हरियाणा	18.00	21	0.00	0
12	हिमाचल प्रदेश	4.89	8	40.00	80
13	जम्मू और कश्मीर	147.00	200	50.00	110
14	झारखंड	13.28	12	0.00	0
15	कर्नाटक	117.98	226	750.00	2500
16	केरल	632.05	749	5700.00	31865
17	मध्य प्रदेश	232.06	218	0.00	0
18	महाराष्ट्र	27.18	43	0.00	0
19	मणिपुर	0.44	1	0.00	0
20	ओडिशा	23.70	34	0.00	0
21	पुडुचेरी	5.65	6	0.00	0
22	पंजाब	224.34	348	50.00	80
23	राजस्थान	840.45	937	15.50	330
24	सिक्किम	0.00	0	0.00	0
25	तमिलनाडु	562.22	733	5255.00	31188
26	त्रिपुरा	0.00	0	609.00	1247
27	उत्तर प्रदेश	130.58	147	0.00	0
28	उत्तराखंड	6.13	7	50.00	100
29	पश्चिम बंगाल	0.38	4	137.50	550
	उप योग	3189.27	3938	13956.00	70860

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21/09/2020

ह0/-
के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

ह0/-
डॉ. एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE YEAR 2019-20

1. BRIEF OUTLINE OF THE CORPORATION'S CSR POLICY

The 'Corporate Social Responsibility Policy' (CSR Policy) of the Corporation was formulated in line with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 made thereunder and 'DPE Guidelines'. The CSR policy was approved by the Board of Directors.

The salient features of the 'CSR Policy' of the Corporation are as under:

Approach: NBCFDC shall endeavor to spend significant part of the budget in and around in notified backward districts or where the OBC clusters are located. NBCFDC will implement CSR activities to empower weaker, less-privileged and marginalized sections of the Society to create Social Capital.

Broad activities under Corporate Social Responsibility: The Corporation shall ensure to carry out CSR projects/programmes in line with activities prescribed under Schedule VII of the Companies Act, 2013.

Financial Component: In line with Section 135 of the Companies Act, 2013, at least 2% of the average 'Surplus of income over expenditure' of the Corporation during the three immediately preceding financial years shall be spent on Corporate Social Responsibility. The unutilized budget will not lapse and get carried forward to the next financial year.

Institutional set up under Corporate Social Responsibility: The institutional set up shall be as follows:

A Corporate Social Responsibility Committee of the Board ('CSR Committee') shall be constituted consisting of three or more Directors. The role and responsibility of the CSR Committee shall inter-alia include formulating and recommending CSR Policy to the Board and oversee the implementation and monitoring of the CSR Policies and all related activities included in Schedule VII of the said Act etc.

While Corporate Social Responsibility Committee of the Board shall keep an oversight on the whole activities. A CSR Management Committee comprising of senior officials of NBCFDC shall be constituted and deployed for screening and putting up of CSR project proposals as per the Delegation. This Management Committee also monitors the progress and guide the CSR initiatives of the Corporation.

Mechanism of carrying out CSR activities: The CSR activities shall be undertaken by the Company as per its CSR Policy. The Corporation may decide to undertake its CSR activities through suitable partnerships with various institutions, in line with its CSR policy.

Monitoring: The Corporation shall carry out implementation/monitoring of CSR projects in line with its CSR Policy. For detailed Corporate Social Responsibility Policy, visit the website of the Corporation under CSR Policy at the link: www.nbcfdc.gov.in. (<https://nbcfdc.gov.in/csr-policy/en>)

Overview of projects or programmes undertaken during the financial year: The overview of thematic projects/programmes undertaken /on-going during the financial year is given in **Annexure-3.6** of the Director's Report.

2. COMPOSITION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE:

In line with the Companies Act, 2013, the Corporation shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee of the Board consisting of three or more Directors.

The present Composition of the CSR Committee of Directors is as under:

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वर्ष 2019–20 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. निगम की सी.एस.आर. नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जिसे कंपनी के नियमों (निगमित सामाजिक दायित्व), 2014 के साथ पढ़ा जाता है, निगम की 'निगमित सामाजिक दायित्व नीति' (सी.एस.आर. नीति) एवं लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अंतर्गत तैयार की गई। सी.एस.आर. नीति को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

निगम की 'सी.एस.आर. नीति' की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं

पहुंच बनाना: एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अधिसूचित पिछड़े जिलों में और आस-पास अथवा जहाँ पर ओ.बी.सी. के समूह रहते हैं, स्थानों पर बजट के महत्वपूर्ण भाग को खर्च करने का प्रयास करेगा, सामाजिक पूंजी बनाने के लिए कमजोर, कम-विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सी.एस.आर. कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के तहत व्यापक कार्यकलाप: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यकलापों के अनुसार निगम सी.एस.आर. परियोजनाओं/कार्यक्रमों को संचालित करना सुनिश्चयन करेगा।

वित्तीय अवयव: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निगम ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के "व्यय से अधिक आय का आधिक्य" के औसत का कम से कम 2% निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च करेगा। अनुपयुक्त बजट समाप्त नहीं होगा और इसे अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाएगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत संस्थागत स्थापना: संस्थागत स्थापना निम्नानुसार होगी:

निदेशक मण्डल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन तीन अथवा अधिक निदेशकों से किया जाएगा। सी.एस.आर. समिति की भूमिका और दायित्व अन्य सभी मामलों के साथ-साथ निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना व संस्तुति करना तथा सी.एस.आर. नीतियों का कार्यान्वयन और निगरानी करना व कथित अधिनियम की अनुसूची-VII में सम्मिलित सभी संबंधित कार्यकलाप आदि शामिल हैं।

तथापि, निदेशक मण्डल की सी.एस.आर. समिति समस्त कार्यकलापों पर नजर रखेगी, सी.एस.आर. प्रबंधन समिति एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनेगी एवं प्रतिनिधिमंडल के अनुसार सी.एस.आर. परियोजना प्रस्तावों की छटनी एवं उन्हें प्रस्तुत करने के लिए तैनात किया जाएगा। प्रबंधन समिति, निगम के सी.एस.आर. पहल की प्रगति की निगरानी करती है तथा निगम के निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों के लिए मार्गदर्शन भी करती है।

सी.एस.आर. कार्यकलापों का संचालन तंत्र: कंपनी द्वारा अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार कार्यकलापों को किया जाएगा। निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुरूप विभिन्न संस्थानों के साथ उपयुक्त भागीदारी के माध्यम से अपने सी.एस.आर. कार्यकलापों को करने का निर्णय ले सकता है।

निगरानी: निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार सी.एस.आर. परियोजनाओं का कार्यान्वयन निगरानी करेगा। निगम की विस्तृत निगमित सामाजिक दायित्व नीति के लिए निगम की वेबसाइट लिंक: www.nbcfdc.gov.in (<https://nbcfdc.gov.in/csr-policy/en>) पर अवलोकन किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान की गई परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का अवलोकन:

वित्तीय वर्ष के दौरान विषयगत परियोजनाओं/किए गए कार्यक्रमों/चल रही परियोजनाओं का अवलोकन इस रिपोर्ट के संलग्नक 3.6 पर किया जा सकता है।

2. निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप निगम निदेशक मण्डल स्तर की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगा जो तीन अथवा अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी।

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Mr. K. Narayan, Member	Managing Director
Mr. Sanjay Pandey, Member	Director (JS & FA,M/SJE)
Ms. Saroj Kumari, Member	Independent Director *

* Upto 1st February, 2020

3. AVERAGE SURPLUS OF THE CORPORATION LAST THREE FINANCIAL YEARS

The surplus (Excess of income over expenditure) of the Corporation for the last three financial years, as per Companies Act, 2013 was as under:

Financial Year 2016-17	Rs.2567.16 lakhs
Financial Year 2017-18	Rs.1960.63 lakhs
Financial Year 2018-19	Rs.2769.65 lakhs
Average Surplus	Rs.2432.48 lakhs

4. PRESCRIBED CSR EXPENDITURE (TWO PER CENT OF THE AVERAGE AMOUNT AS IN ITEM 3 ABOVE): Rs.48.65 Lakhs.

The Board of Directors has approved CSR budget of Rs.49.00 Lakhs for financial year 2019-20 and also permitted to spend more than statutory requirements, within the revenue budget to reach out to the needy and marginalized.

5. DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR (2019-20):

- Total amount to be spent Budget for the financial year was Rs.49.00 Lakhs alongwith carry forward of Rs.31.21 lakhs of previous years.
- Total CSR amount spent during the financial year was Rs.109.97 lakhs against sanctions issued for Rs.138.15 lakhs. The sanction and expenditure are against Budget for the current year and earlier year(s).
- Amount unspent against CSR Budget, if any:
The Corporation so far sanctioned CSR Projects worth Rs.4.31 Crore upto 31.3.2020, against the statutory CSR Budget of Rs.3.14 Core upto 31.3.2020 and incurred an expenditure of Rs.3.44 Crore. The Corporation has therefore surpassed the statutory 2 % CSR expenditure of Rs.3.14 Crore upto 31.03.2020.
- Manner in which the amount spent during the financial year is at as per details Annexed to this report. **(Annexure 3.6)**

6. IN CASE THE CORPORATION HAS FAILED TO SPEND THE TWO PER CENT OF THE AVERAGE NET PROFIT OF THE LAST THREE FINANCIAL YEARS OR ANY PART THEREOF. THE CORPORATION SHALL PROVIDE THE REASONS FOR NOT SPENDING THE AMOUNT IN ITS BOARD REPORT:

NOT APPLICABLE

7. RESPONSIBILITY STATEMENT OF THE CSR COMMITTEE:

The implementation and monitoring of CSR Policy by the Company is in compliance with CSR objectives and policy of the Corporation.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Sd/-
Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 21/09/2020

वर्तमान सी.एस.आर. समिति में निदेशकों की संरचना निम्नानुसार है:

निदेशकों का नाम	श्रेणी
श्री के. नारायण, सदस्य	प्रबंध निदेशक
श्री संजय पाण्डेय, सदस्य	सरकारी निदेशक
श्रीमती सरोज कुमारी, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक*

* 1 फरवरी, 2020 तक

3. गत् तीन वित्तीय वर्षों में निगम का औसत आधिक्य

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गत् तीन वित्तीय वर्षों में निगम का आधिक्य (व्यय से आय का आधिक्य) निम्नानुसार था:

वित्तीय वर्ष, 2016–17	रु. 2567.16 लाख
वित्तीय वर्ष, 2017–18	रु. 1960.63 लाख
वित्तीय वर्ष, 2018–19	रु. 2769.65 लाख
औसत आधिक्य	रु. 2432.48 लाख

4. विनिर्धारित सी.एस.आर. व्यय (औसत धनराशि का दो प्रतिशत जैसा कि उपरोक्त मद सं. 3 में दिया गया है): रु. 48.65 लाख.

निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सी.एस.आर. बजट हेतु रु. 49.00 लाख अनुमोदित किए हैं तथा राजस्व बजट की सीमा में जरूरतमंदों एवं हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों तक पहुंच बनाने के लिए सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक व्यय की भी अनुमति दी गई है।

5. वित्तीय वर्ष (2019–20) के दौरान व्यय की गई सी.एस.आर. धनराशि का विवरण:

- क. गत् वर्ष का रु. 31.21 लाख, जो आगे लाया गया था, के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष हेतु कुल धनराशि रु. 49.00 लाख का व्यय बजट था।
- ख. रु. 138.15 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष वर्ष के दौरान व्यय कुल सी.एस.आर. धनराशि रु. 109.97 लाख थी। स्वीकृति एवं व्यय चालू वर्ष व पूर्व वर्ष (वर्षों) के बजट के सापेक्ष हैं।
- ग. सी.एस.आर. बजट के सापेक्ष उपयोग न की गई राशि, यदि कोई हो:
निगम ने 31.03.2020 तक सी.एस.आर. के सांविधिक बजट के सापेक्ष अब तक 31.3.2020 तक रु. 4.31 करोड़ की सी.एस.आर. परियोजनाओं को मंजूरी दी है और रु. 3.44 करोड़ का खर्च किया गया है। अतः निगम ने सांविधिक 2% सी.एस.आर. व्यय रु. 3.14 करोड़ को दिनांक 31.03.2020 तक पार कर लिया है।
- घ. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि की प्रणाली, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न विवरण (अनुलग्नक 3.6) के अनुसार है।

6. निगम पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रहने की स्थिति में, अपने निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के कारणों का उल्लेख करेगा: लागू नहीं

7. सी.एस.आर. समिति का दायित्व वक्तव्य:

कंपनी द्वारा सी.एस.आर. नीति का क्रियान्वयन एवं निगरानी सी.एस.आर. के उद्देश्यों एवं निगम की नीति के अनुसार किया गया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0 / -

के. नारायण

प्रबंध निदेशक

(डिन सं. 03561648)

ह0 / -

डॉ. एस. एस. आचार्य

निदेशक

(डिन सं. 06727939)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21/09/2020

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION CSR EXPENDITURE SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR 2019-20

Amount in ₹

S. No.	CSR Project or Activity identified (Approx. No. of Beneficiaries)	Sector in which the project is covered	Project or Programmes (1) Local area or other Districts Where projects was undertaken	Amount outlay (budget) project or programme wise*	Amount Spent on the programme (2019-20)			Amount spent: Direct or through implementing Agency
					Direct expenditure on projects or programme (A)	Overheads (B)	Cumulative expenditure upto the reporting period (A+B)	
1. Safe Water, Health & Hygiene, Sanitation & Slum Development								
i)	Sanitation and Cleanliness (Swachhta Pakhwada)	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health care and making available safe drinking water.	NCR Delhi	59,008	59,008	NIL	59,008	Direct
ii)	Installation of two Sanitary Napkin Vending & Incinerator Machines (662 girls.)		Two Govt. Schools of Jaipur District, Rajasthan	1,34,112	30,808	NIL	30,808	Through Implementing Agency
iii)	Medical Camps in poor localities and schools (twelve States, 47 general medical camps, 10 school medical camps, 16021 registrations.)		Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Kerala, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, UP & Uttarakhand.	19,42,580	19,42,580	NIL	19,42,580	Through Implementing Agency
iv)	Improving Access to Healthcare Services through Mobile Van for Vulnerable Children, Youth and community, 10405 nos. (Phase – I)		15 Villages of District Mewat, Haryana (Aspirational District)	13,82,850	2,60,884	NIL	2,60,884	Through Implementing Agency
v)	Improving Access to Healthcare Services through Mobile Van for Vulnerable Children, Youth and community (93 visits, 7129 registrations and 5489 health education to children, total 12618 nos.) (Phase – II)		24 Villages of District Mewat, Haryana (Aspirational District)	18,01,170	14,40,936	NIL	14,40,936	Through Implementing Agency
vi)	Construction of Eight Toilets for Girl students in Government Senior Secondary School (About 325 Approx. girl's students)		Gurugram, Haryana.	4,94,500	1,48,350	NIL	1,48,350	Through Implementing Agency
vii)	Installation of Sanitary Napkin Vending & Incinerator Machine (300 Nos. of Girls Students)		Inter College, Distt- Aligarh, UP	65,695	32,847.73	NIL	32,847.73	Through Implementing Agency
viii)	Emergency Health Support: Awareness and Preventive Action' in 20 villages, (1000 Nos. covered)		Muzaffarpur District, Bihar	5,66,500	3,39,900	NIL	3,39,900	Through Implementing Agency

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में निगमित सामाजिक दायित्व पर किए गए व्यय

क्र.सं.	सी.एस.आर. परियोजना अथवा विन्धित कार्यक्रम का नाम	क्षेत्र जिसमें परियोजना कवर है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य राज्य एवं जिला जहाँ परियोजना अथवा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, को बताएं	परियोजना अथवा कार्यक्रम - वार* धनराशि का खाका (बजट)	परियोजना अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई धनराशि (2019-20)		
					परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (क)	अतिरिक्त (ख)	संदर्भाधीन अवधि तक सकल व्यय (क+ख)
1. सुरक्षित जल, स्वास्थ्य और स्वच्छताएं स्वच्छता और स्लम विकास							
i)	साफ-सफाई और स्वच्छता (स्वच्छता पखवाड़)	मुखे गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन; निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	एनसीआर दिल्ली	59,008	शून्य	59,008	सीधे
ii)	दो सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग और इंसीनरेटर मशीनों की स्थापना (662 लड़कियां)		2 सरकारी स्कूल, जिला जयपुर, राजस्थान	1,34,112	शून्य	30,808	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
iii)	गरीब इलाकों और स्कूलों में चिकित्सा शिविर (बारह राज्य, 47 सामान्य चिकित्सा शिविर, 10 स्कूल चिकित्सा शिविर, 16021 पंजीकरण)।		बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, करल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड।	19,42,580	शून्य	19,42,580	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
iv)	कमजोर बच्चों, युवाओं और समुदाय के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार स. 10405 (चरण -1)		15 गाँव, जिला मेवात, हरियाणा (आकांक्षात्मक जिला)	13,82,850	शून्य	2,60,884	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
v)	कमजोर बच्चों, युवाओं और समुदाय के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार (93 विजिटए 7129 पंजीकरण और 5489 बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षाए कुल सं. 12618) (चरण - च)		जिला मेवात, हरियाणा के 24 गाँव (आकांक्षात्मक जिला)	18,01,170	शून्य	14,40,936	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
vi)	गवर्नमेंट शीनिंगर सैकेंडरी स्कूल में छात्राओं के लिए आठ शौचालयों का निर्माण (लगभग 325 छात्रा)		गुरग्राम, हरियाणा।	4,94,500	शून्य	1,48,350	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
vii)	सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग और इनकिनरेटर मशीन की स्थापना (सं. 300 छात्रा)		इण्टर कॉलेज, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	65,695	शून्य	32,847.73	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
viii)	आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता: 20 गावों में जागरूकता और निवारक कार्रवाई (सं. 1000 कवर)		जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	5,66,500	शून्य	3,39,900	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से

S. No.	CSR Project or Activity identified (Approx. No. of Beneficiaries)	Sector in which the project is covered	Project or Programmes (1) Local area or other Districts Where projects was undertaken	Amount outlay (budget) project or programme wise*	Amount Spent on the programme (2019-20)			
					Direct expenditure on projects or programme (A)	Overheads (B)	Cumulative expenditure upto the reporting period (A+B)	Amount spent: Direct or through implementing Agency
ix)	Providing Health Care, Medicines and Sanitation to persons affected by floods in three villages (824 Nos. coverage)		Morigaon District, Assam	8,31,000	8,31,000	Nil	8,31,000	Through Implementing Agency
x)	Construction of toilets complex cum water tank and waiting area (1000 Nos.)		Dist. Sikar, Rajasthan	5,00,000	4,00,000	Nil	4,00,000	Through Implementing Agency
xi)	Restoration of Classroom and Toilets etc. of Anganwadi Center (100 Nos.)		Distt.-Mewat, Haryana	1,49,655	1,49,655	Nil	1,49,655	Through Implementing Agency
xii)	Construction of Toilets Complex and Boundary Wall in School (500 Nos.)		Dist. Pratapgarh, Rajasthan	14,00,000	4,20,000	Nil	4,20,000	Through Implementing Agency
xiii)	COVID-19 Disease Emergency Cleanliness and Hygiene Support for maintaining seventy rescue shelters for homeless.(70 nos)		Delhi	549500	274750	Nil	274750	Through Implementing Agency
xiv)	Covid-19 Emergency: Nutrition Support to provide 500 Nutrition care kits to most vulnerable waste pickers families (500 Nos.families)		Bengaluru, Karnataka.	278000	208500	Nil	208500	Through Implementing Agency
		Sub - Total (1)		1,01,54,570.00	65,39,218.73	Nil	65,39,218.73	
2. Promotion and Development of Traditional arts and handicrafts;								
i)	Promotion of Traditional Arts and Handicraft (Pitloom replaced with Handloom) (50 Nos.)	Promotion & Development of Traditional arts & handicrafts.	Distt. Jangaon, Talangana	20,00,000	1,00,000	Nil	1,00,000	Through Implementing Agency
ii)	Development of Pottery Cluster (125 Nos.)		Distt: Bijnor (Uttar Pradesh)	18,70,000	7,48,000	Nil	7,48,000	Through Implementing Agency
			Sub Total (2)	38,70,000.00	8,48,000.00	Nil	8,48,000.00	

क्र.स.	सी.एस.आर. परियोजना अथवा चिन्हित कार्यक्रमों का विवरण	क्षेत्र जिसमें परियोजना कवर है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य परियोजना अथवा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, को बताएं	परियोजना अथवा कार्यक्रम - वार* (बजट)	परियोजना अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई धनराशि (2019-20)			व्यय की गई धनराशि: सीधे अथवा क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (क)	अतिरिक्त (ख)	संदर्भाधीन अवधि तक सकल व्यय (क+ख)	
ix)	तीन गाँवों में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल, दवाएँ और स्वच्छता प्रदान करना (सं. 824 कवररज)		जिला मोरीगांव, असम	8,31,000	शून्य	8,31,000	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
x)	शौचालय परिसर सह पानी की टंकी और वेटिंग परिया (सं. 1000) का निर्माण		जिला सीकर, राजस्थान	5,00,000	शून्य	4,00,000	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
xi)	आंगनवाड़ी केंद्र (सं. 100) की कक्षा और शौचालय आदि का जीर्णोद्धार।		जिला-मेवात, हरियाणा	1,49,655	शून्य	1,49,655	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
xii)	स्कूल में शौचालय परिसर और चारदीवारी का निर्माण (सं. 500)		जिला- प्रतापगढ़, राजस्थान	14,00,000	शून्य	4,20,000	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
xiii)	सत्तर बचाव आश्रय के अनुशिक्षण बनाए रखने के लिए कोविड-19 रोग आपातकालीन सफाई और स्वच्छता सहायता (सं. 70)।		दिल्ली	549500	शून्य	274750	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
xiv)	कोविड -19 आपातकाल: सबसे कमजोर अपशिष्ट धीनने वाले परिवारों को 500 पोषण किट प्रदान करने के लिए पोषण सहायता		बेंगलुरु, कर्नाटक।	278000	शून्य	208500	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
			कुल योग (1)	1,01,54,570.00	शून्य	65,39,218.73		
2. पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा एवं विकास:								
i)	पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना (हैंडलूम की जगह पटलूम) (सं. 50)	पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना एवं विकास	जिला जनगाँव, तेलंगना	20,00,000	शून्य	1,00,000	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
ii)	मिट्टी के बर्तनों का विकास (सं. 125)		जिला- बिजनौर, (उत्तर प्रदेश)	18,70,000	शून्य	7,48,000	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
			कुल योग (2)	38,70,000.00	शून्य	8,48,000.00		

S. No.	CSR Project or Activity identified (Approx. No. of Beneficiaries)	Sector in which the project is covered	Project or Programmes (1) Local area or other Districts Where projects was undertaken	Amount outlay (budget) project or programme wise*	Amount Spent on the programme (2018-19)			
					Direct expenditure on projects or programme (A)	Overheads (B)	Cumulative expenditure upto the reporting period (A+B)	Amount spent: Direct or through implementing Agency
3. Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children								
i)	School Adoption Program (SABCCO) (279 Nos.)	Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly, and the differently abled and livelihood enhancement projects;	Two Schools of East Sikkim District, Gangtok, Sikkim	8,00,000	80,000	Nil	80,000	Through Implementing Agency
ii)	Promotion of Sports Education and skills (1000 Nos.)		Mewat District, Haryana.	11,03,801.50	9,38,231	Nil	9,38,231	Through Implementing Agency
iii)	Upgradation of Science Lab (Physics Laboratory) (300 Nos.)		Inter College, Distt- Aligarh, UP	4,21,199	1,26,360	Nil	1,26,360	Through Implementing Agency
iv)	Up gradation of computer lab of Govt. High School (115 Nos.)		Majri Thekdara Distt-Ropar, Punjab.	4,89,900	3,91,920	Nil	3,91,920	Through Implementing Agency
			Sub Total (3)	28,14,900.50	15,36,511.00	Nil	15,36,511.00	
4. Protection of national heritage, art and culture								
i)	Taking Gandhi Heritage to Youth/Students in 21 institutions (Approx. 2100 Nos. of students)	Protection of national heritage, art and culture	Dist.Mewat(Haryana), Delhi NCR	3,31,250	35,359	Nil	35,359	Through Implementing Agency
ii)	Promoting Awareness about Gandhian values amongst DNT community & Public		Dist. Surat,Gujarat	1,00,000	50,000	Nil	50,000	Through Implementing Agency
iii)	Celebration of 150th Celebration of Bapu on 2nd October, 2019(by a school)		Dist. Aligarh, Uttar Pradesh	20,000	15,000	Nil	15,000	Through Implementing Agency
iv)	Making wide publicity of Dr. Ambedkar teachings among Children & Youth (Approx. 5000 Nos.)		PAN India basis	5,00,000	2,54,277.5	Nil	2,54,277.5	Through Implementing Agency
v)	Taking Gandhi Heritage to youth/Students in various Schools/colleges/Institutions (3000 Nos. Students)		Mewat, Delhi, North East, Central India & South India	5,04,000	4,03,200	Nil	4,03,200	Through Implementing Agency
vi)	Mahatma Gandhi 150th Birth Anniversary(various activities for under-privileged)		Delhi/NCR	2,38,874	2,38,874	Nil	2,38,874	Direct
			Sub Total (4)	16,94,124.00	9,96,710.50	Nil	9,96,710.50	

क्र.स.	सी.एस.आर. परियोजना अथवा चिन्हित कार्यक्रम/लाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना कवर है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य राज्य एवं जिला जहाँ परियोजना अथवा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, को बताएं	परियोजना अथवा कार्यक्रम - वार* (बजट)	परियोजना अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई धनराशि (2019-20)		
					परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (क)	अतिरिक्त (ख)	संदर्भाधीन अवधि तक सकल व्यय (क+ख)
3. विशेष शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने वाले वोकेशनल कौशलों सहित विशेषकर बच्चों के मध्य शिक्षा को बढ़ावा देना							
i)	स्कूल अंगीकरण कार्यक्रम (एसएबीसीसीओ) (सं. 279)	विशेष शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने वाले वोकेशनल कौशलों सहित विशेषकर बच्चों के मध्य शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं, बुजुर्गों, और दिव्यांगों हेतु आजीविका वृद्धि परियोजनाएं;	पूर्वी सिक्किम जिले के 2 स्कूल, गंगटोक, सिक्किम	8,00,000	शून्य	80,000	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
ii)	खेल शिक्षा और कौशल का संवर्धन (सं. 1000)		जिला मेवात, हरियाणा।	11,03,801.50	शून्य	9,38,231	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
iii)	विज्ञान प्रयोगशाला (शैतिकी प्रयोगशाला) का उन्नयन (सं. 300)		इंटर कॉलेज, जिला-अलीगढ़, यूपी	4,21,199	शून्य	1,26,360	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
iv)	सरकारी माध्यमिक शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब का उन्नयन (सं. 115)		माजरी थोकड़ा जिला-रोपड़, पंजाब।	4,89,900	शून्य	3,91,920	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			उप योग (3)	28,14,900.50	शून्य	15,36,511.00	
4. राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति का संरक्षण							
i)	21 संस्थानों में युवाओं/छात्रों से गांधी विरासत पर वार्ता (छात्रों की संख्या 2100)	राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	जिला मेवात (हरियाणा), दिल्ली एनसीआर	3,31,250	शून्य	35,359	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
ii)	डीएनटी समुदाय और जनता के बीच गांधीवादी मूल्यों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना		जिला सूत, गुजरात	1,00,000	शून्य	50,000	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
iii)	2 अक्टूबर 2019 को बापू की 150वीं जयन्ती का आयोजन का जश्न (स्कूल द्वारा)		जिला-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	20,000	शून्य	15,000	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
iv)	बच्चों और युवाओं के बीच डॉ. अम्बेडकर की शिक्षाओं का व्यापक प्रचार करना। (एक स्कूल द्वारा)		अखिल भारतीय स्तर पर	5,00,000	शून्य	2,54,277.5	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
v)	विभिन्न स्कूलों / कॉलेजों / संस्थानों में युवाओं / छात्रों को गांधी विरासत पर वार्ता (सं. 3000 छात्र)		मेवात, दिल्ली, उत्तर पूर्व, मध्य भारत और दक्षिण भारत	5,04,000	शून्य	4,03,200	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
vi)	महात्मा गांधी की 150 वीं जयन्ती (अधिकार हीनों के लिए विभिन्न गतिविधियों के तहत)		दिल्ली / एनसीआर	2,38,874	शून्य	2,38,874	सीधे
			उप योग (4)	16,94,124.00	शून्य	9,96,710.50	

S. No.	CSR Project or Activity identified (Approx. No. of Beneficiaries)	Sector in which the project is covered	Project or Programmes (1) Local area or other Districts Where projects was undertaken (2) Specify the state & Districts Where projects was undertaken	Amount outlay (budget) project or programme wise*	Amount Spent on the programme (2018-19)			
					Direct expenditure on projects or programme (A)	Overheads (B)	Cumulative expenditure upto the reporting period (A+B)	Amount spent: Direct or through implementing Agency
5. Promoting of livelihood enhancement Project;								
i)	Promotion of Chironji Decortication Machines designed by RUTAG IITB for Livelihood generation (80 Household (400 Nos)	Promoting of livelihood enhancement projects;	Seoni,Chindwara Districts, Tribal Areas of MP	6,38,000	2,55,200	Nil	2,55,200	Through Implementing Agency
			Sub Total (5)	6,38,000.00	2,55,200.00	Nil	2,55,200.00	
6. Setting up old age homes, facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups;								
i)	Programme for Rescue and Care of Homeless from the Streets	Promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centers and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups	Delhi	8,40,000	4,20,000	Nil	4,20,000	Through Implementing Agency
			Sub Total (6)	8,40,000.00	4,20,000.00	Nil	4,20,000.00	
7. Miscellaneous (CSR Expenses)								
i)	CSR Need Assessment, Overheads	N/A	N/A	4,01,559.02		4,01,559.02	4,01,559.02	Through Implementing Agency
			Sub Total (6)	4,01,559.02	0.00	4,01,559.02	4,01,559.02	
			Total (1+2+3+4+5+6+7)	N/A	1,05,95,640.23	4,01,559.02	1,09,97,199.25	

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Sd/-

Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 21/09/2020

क्र.स.	सी.एस.आर. परियोजना अथवा चिन्हित कार्य कलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना कवर है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य एंव जिला जहाँ परियोजना अथवा कार्यक्रम आयोजित किया गया था. को बताएं	परियोजना अथवा कार्यक्रम - वार* धनराशि का खाका (बजट)	परियोजना अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई धनराशि (2019-20)		
					परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (क)	अतिरिक्त (ख)	संदर्भाधीन अवधि तक सकल व्यय (क+ख)
5. आजीविका वृद्धि परियोजनाओं को बढ़ावा देना;							
i)	लाइवलीहुड जनरेशन के लिए रूटेग आईआईटीबी द्वारा डिजाइन चिरोजी डेकोरेशन मशीनों का सर्वेदन (80 घरेलू (सं. 400))	आजीविका वृद्धि परियोजनाओं को बढ़ावा देना;	सिवनी, जिला छिदवाड़ा, मप्र के आदिवासी क्षेत्र	6,38,000	शून्य	2,55,200	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
6. वृद्धाश्रम स्थापित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की गई असमानताओं को कम करने के उपाय;				6,38,000.00	शून्य	2,55,200.00	
i)	गलियों से बेघरों के बचाव और देखभाल के लिए कार्यक्रम	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना. महिलाओं को सशक्त बनाना. महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना; वृद्धाश्रमों की स्थापना. डे केयर सेंटर और इस तरह की अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जा रही असमानताओं को कम करने के उपाय।	दिल्ली	8,40,000	शून्य	4,20,000	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
7. विविध (सीएसआर व्यय)				8,40,000.00	शून्य	4,20,000.00	
i)	सीएसआर की जरूरत का आकलन, ओवरहेड्स	लागू नहीं	लागू नहीं	4,01,559.02	4,01,559.02	4,01,559.02	क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
				4,01,559.02	4,01,559.02	4,01,559.02	लागू नहीं
				N/A	4,01,559.02	1,09,97,199.25	

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0 / -

के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

ह0 / -

डॉ. एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21 / 09 / 2020

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION CSR ACTIVITIES/PROJECTS DURING THE YEAR 2019-20

The Corporation undertook various CSR initiatives during the year. Highlights of some of the projects are as follows:-

1. **Promoting preventive Health Care, Sanitation & Education:**
 - a) **Interventions in Aspirational District of Mewat, Haryana:**
 - **Mobile Health Van Project :** A Project towards improving the access of Health Care Services through Mobile Health Van for vulnerable children, youth and community has been implemented by Bal Umang Drishya Sanstha(Implementing Agency) for treating 7129 beneficiaries (including 3033 children) in two blocks covering 24 villages. Additionally, School students are also covered for nutrition and hygiene counselling benefitting about 5489 nos. As a outcome of this outreach, a need assessment study for setting up of modern District Early Intervention Centre (DEIC) in Mewat was also conducted by Dr. Ambedkar International Centre (DAIC), Ministry of Social Justice & Empowerment with support of interns of Delhi University.
 - **Restoration of Classroom and Toilets of an Anganwadi Centre in Ghasera, Mewat,** which is aimed to promote holistic growth and development of children at Anganwadi centre.
 - **Promotion of Sports Education:** The project covered in five schools located in Taoru Block of the District; about 3,000 school students availed the benefits of fitness and coaching in four sporting games.
 - b) **Medical Camps:-** During the year, 57 Free Eye and Medical Check-up camps were organized in 12 States in collaboration with our implementing partners. Out of these camps, 43 were General Medical Camps (GMC) for general community, 4 were Special Medical Camps for victims of violence affected areas of North-East Delhi and 10 were School Medical Camps (SMC) for school children. The School Camps covers dental check-ups, eye test followed by provision of distance vision spectacles and hemoglobin check-ups. Overall in these Camps, about 16021 patients including 2583 students have availed benefit of 33,749 OPD check-ups and 4596 free spectacles were distributed to the poor people including students.

Convergence with DSSW & INDIAN Postal Department: As part of some medical camps, services for making of New Aadhar card and opening of postal services schemes were provided by NBCFDC in collaboration with Postal Deptt, GoI. More than 400 nos. people registered for Aadhar cards & other Postal saving schemes. The Department of Social Welfare, University of Delhi ably supported these interventions in select areas by deploying their Post-Graduates students.
 - c) **Up gradation of the Computer Lab of Govt High School in Punjab'** was sanctioned to benefit about 119 students to improve their I.T. skills.
 - d) **Swachh Bharat Mission:** The Corporation has actively participated in in two Swachhta Pakhwara campaigns of the administrative Ministry and Department of Public Enterprises (DPE) under SBM, which included cleaning up of poor localities, toilet construction in some schools and also used to spread awareness amongst school children through essay competitions and in the general public through holding nukkad natak. As part of the ongoing 150th birth anniversary celebrations of Mahatma Gandhi, officials of NBCFDC also participated in "SWACHHATA HI SEVA" campaign on 27th

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि में निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलाप/परियोजनाएं

निगम ने वर्ष के दौरान विभिन्न सी.एस.आर. पहल की। कुछ परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

1. निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और शिक्षा को बढ़ावा देना:

क) मेवात, हरियाणा के एस्पिरेशनल जिले में हस्तक्षेप:

- **मोबाइल स्वास्थ्य वैन परियोजना:** बाल उमंग दृष्टि संस्था (कार्यान्वयन एजेंसी) द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच में सुधार लाने की दिशा में 24 गांवों को कवर करने वाले दो ब्लॉकों में 7129 लाभार्थियों (3033 बच्चों सहित) के इलाज के लिए कमजोर बच्चों, युवाओं और समुदाय के लिए मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से एक परियोजना लागू की गई है। इसके अतिरिक्त, स्कूल के छात्रों को भी पोषण और स्वच्छता परामर्श के बारे में लाभ के लिए 5489 कवर किया गया है। इस पहुंच के परिणामस्वरूप, मेवात में आधुनिक जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डी.ई.आई.सी.) की स्थापना के लिए एक आवश्यक मूल्यांकन अध्ययन भी दिल्ली विश्वविद्यालय के इंटरन के समर्थन से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (डीएआईसी) द्वारा किया गया।
- **मेवात के घासेड़ा में एक आंगनबाड़ी केंद्र** के कक्ष और शौचालयों का जीर्णोद्धार किया गया जिसका उद्देश्य अगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के समग्र वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है।
- **खेल शिक्षा को बढ़ावा देना:** जिले के ताउडू ब्लॉक में स्थित पांच स्कूलों में परियोजना को शामिल किया गया; चार खेल खेलों में करीब 3 हजार स्कूली छात्रों ने फिटनेस और कोचिंग का लाभ उठाया।

ख) मेडिकल कैम्प: वर्ष के दौरान हमारे कार्यान्वयन सहभागियों के सहयोग से 12 राज्यों में 57 निशुल्क नेत्र एवं चिकित्सा जांच शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में से 43 सामान्य सामान्य चिकित्सा शिविर (जी.एम.सी.) थे, 4 उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों के लिए विशेष चिकित्सा शिविर थे और 10 स्कूली बच्चों के लिए स्कूल चिकित्सा शिविर (एस.एम.सी.) थे। स्कूल शिविरों में दांतों की जांच, नेत्र परीक्षण को सम्मिलित किया गया है जिसके बाद दूर दृष्टि चश्मे और हीमोग्लोबिन जांच की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर इन शिविरों में 16021 मरीजों ने लाभ उठाया जिसमें 2583 छात्र-छात्राओं सहित लगभग 33,749 ओ.पी.डी. चेकअप का लाभ लिया और गरीब व्यक्तियों को 4596 निशुल्क चश्मे वितरित किए गए।

डी.एस.एस.डब्ल्यू. और भारतीय डाक विभाग के साथ अभिसरण: कुछ चिकित्सा शिविरों के अंग के रूप में, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा डाक विभाग, भारत सरकार के सहयोग से नए आधार कार्ड और डाक सेवा योजनाओं को खोलने के लिए सेवाएं प्रदान की गई थीं। आधार और अन्य डाक भुगतान योजनाओं के लिए 400 से अधिक व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया। दिल्ली विश्वविद्यालय के समाज कल्याण विभाग ने स्नातकोत्तर छात्रों को तैनात करके चुनिंदा क्षेत्रों में इन हस्तक्षेपों का सहयोग किया।

ग) 'पंजाब में सरकारी हाई स्कूल की कंप्यूटर लैब का उन्नयन' को मंजूरी दी गई है जिसमें लगभग 119 छात्र अपने इंजीनियरिंग कौशल में सुधार करने के लिए लाभान्वित होंगे।

घ) **स्वच्छ भारत मिशन:** निगम ने एस.बी.एम. के तहत प्रशासनिक मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दो स्वच्छता पखवाड़ा अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिसमें गरीब इलाकों की सफाई, कुछ स्कूलों में शौचालय निर्माण सम्मिलित है तथा निबंध प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्कूली बच्चों के बीच व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आम जनता में भी जागरूकता फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह के तहत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के अधिकारियों ने भी 27 सितंबर 19 को 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में भाग

Sep'19 and collected plastic waste in a nearby locality of Delhi which was sent for recycling.

2. Protection of National Heritage and Value Education:

- **To Commemorate 150th Anniversary of Bapu**, a project called "Taking Gandhi Heritage to Youth/Students in Schools in Mewat and Colleges/Institutions in Delhi" was launched last year with implementation support of 'National Gandhi Museum' and completed during the year covered approx. 2,100 Students of 21 Schools/Colleges/Institutions of Mewat (11 Nos.) & NCR (10 Nos.). Under this programme besides exhibition & film on the life & work of Gandhiji, a quiz competition was also organized in each institution. The Programmes helped in creating awareness and inculcate values of non-violence & social inclusion amongst youth. Similar commemorative programmes were also organised by NBCFDC officials in Delhi, by channel partner in Gujarat (DNTs) and by a school in Uttar Pradesh (Aligarh).
- **As a fitting tribute to Bapu on martyrdom day of Father of the Nation**, NBCFDC sanctioned a program for **rescue & care of homeless** from the streets of Delhi. Two rescue vans are functional & can be accessed through helpline (24x7) for rescuing homeless to DUSIB shelter homes.
- A project for **"Making wide publicity of Dr.Ambedkar teachings among Children & Youth** in Schools, Colleges and different institution's all over India.' It includes production and screening of a Documentary Film on Dr. Bhim Rao Ambedkar and organize exhibitions etc. to cover more than 5000 people especially children.

3. Other Support Activities during Pandemic/other Natural Disasters

- **Promoting Health Support during COVID-19 Pandemic:-** Cleanliness and Hygiene Support was provided for **maintaining seventy rescue shelters for homeless** in Delhi' by providing hand sanitizer, masks and other cleaning materials.
- **Covid-19 Emergency Nutrition Support kits** were provided to 500 vulnerable waste picker's families in Karnataka.
- **Emergency Health Support in Muzaffarpur, Bihar:** Awareness Generation and Preventive action in twenty **Acute Encephalitis Syndrom** affected villages of three blocks namely Kanti, Motipur and Meenapur of Muzaffarpur, Bihar was provided for covering about 1000 people with basic healthcare.
- **Providing Emergency Flood Relief Support in Assam:** Provided health care, medicines and sanitation material to 800 households affected by floods in villages of Morigoan District.

- 4. **Promotion of Traditional Crafts and Livelihood Projects for target groups:** Projects for Development of 'Pottery Common Facility Centre' in Bijnor (UP) by NIESBUD and development of Chironji Decortification Machines were taken up IIT(Mumbai) under their RuTAG programme in Madhya Pradesh were sanctioned. A project for supporting fishermen in Tamil Nadu was also sanctioned for improving their 'drying yard facility' to improve their productivity and earnings capacity.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Sd/-

Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 21/09/2020

लिया और दिल्ली के आस-पास इलाके में प्लास्टिक कचरे को एकत्र किया जिसे रीसाइक्लिंग के लिए भेजा गया था।

2. राष्ट्रीय विरासत और मूल्य शिक्षा का संरक्षण:

- बापू की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, 'राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय' के सहयोग से पिछले वर्ष मेवात के स्कूलों में युवाओं विद्यार्थियों एवं दिल्ली के कालेजों/संस्थानों में गांधी विरासत नामक एक परियोजना शुरू की गई थी और यह कार्य इस वर्ष के दौरान पूरा हुआ। 21 स्कूलों/कॉलेजों/मेवात के संस्थानों और एन.सी.आर. (10) के लगभग 2,100 छात्रों को कवर किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत गांधीजी के जीवन और कार्य पर प्रदर्शनी और फिल्म के अलावा प्रत्येक संस्थान में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों से युवाओं में जागरूकता पैदा करने और अहिंसा व सामाजिक समावेशन के मूल्यों को जागृत करने में मदद मिली। इसी तरह के यादगार कार्यक्रम दिल्ली में एन. बी.सी.एफ.डी.सी. के कार्मिकों द्वारा दिल्ली में एवं चैनल सहयोगी द्वारा गुजरात (डी.एन.टी.) में तथा उत्तर प्रदेश (अलीगढ़) के एक स्कूल द्वारा भी आयोजित किए गए थे।
- राष्ट्रपिता के बलिदान दिवस पर बापू को श्रद्धांजलि के रूप में, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने दिल्ली की सड़कों से बेघरों के बचाव और देखभाल के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी। दो राहत वैन कार्य कर रही हैं और डी.यू.एस.आई.बी. आश्रय गृहों में बेघरों को बचाने के लिए हेल्पलाइन (24x7) के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।
- स्कूलों, कॉलेजों और पूरे भारत में विभिन्न संस्थानों में बच्चों और युवाओं के बीच डॉ अंबेडकर की शिक्षाओं का व्यापक प्रचार करने के लिए एक परियोजना का आरंभ किया गया है। इसमें 5000 से अधिक लोगों विशेषकर बच्चों को आच्छादित करने के लिए डॉ. भीम राव अंबेडकर पर एक वृत्तचित्र फिल्म का उत्पादन और प्रदर्शन शामिल है।

3. महामारी/अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अन्य सहायता कार्यकलाप

- कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सहायता को बढ़ावा देना:- दिल्ली में बेघरों के लिए सत्तर बचाव आश्रय गृहों को हैण्ड सैनेटाइजर, मास्क एवं अन्य स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान की गई।
- कर्नाटक में 500 अपशिष्ट बीनने/उठाने वाले असुरक्षित परिवारों को कोविड-19 आपातकालीन पोषण सहायता किट प्रदान की गई।
- मुजफ्फरपुर, बिहार में आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता: बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी, मोतीपुर और मीनापुर नामक तीन प्रखंडों के बीस एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम प्रभावित गांवों में जागरूकता सृजन और निवारक कार्रवाई की व्यवस्था की गई थी।
- असम में आपात बाढ़ राहत सहायता: मोरिगोआन जिले के गांवों में बाढ़ से प्रभावित 800 परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल, दवाइयां और स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराई गई।

4. लक्षित समूहों के लिए पारंपरिक शिल्प और आजीविका परियोजनाओं को बढ़ावा देना: बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में 'मिट्टी के बर्तनों के सामान्य सुविधा केंद्र' के विकास के लिए निसबड द्वारा और चिरोनजी डिकर्टिफिकेशन मशीनों के विकास के लिए आई.आई.टी. (मुंबई) परियोजना को मध्य प्रदेश में अपने रूटैंग कार्यक्रम के तहत मंजूर किया गया था। तमिलनाडु में मछुआरों को सहयोग देने व उनकी उत्पादकता और आय क्षमता में सुधार के लिए 'ड्राई यार्ड सुविधा' में सुधार करने के लिए एक परियोजना भी स्वीकृत की गई थी।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21/09/2020

ह0/—
के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

ह0/—
डॉ. एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
STATEMENT SHOWING SCA WISE/STATE WISE CUMULATIVE DUES AND RECOVERIES
UPTO 31ST MARCH, 2020

₹ in Lakh

Sl. No.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
		(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
I.	<u>STATES</u>				
1	<u>Andhra Pradesh</u>				
1.1	Andhra Pradesh (BC)	20271.34	19619.80	651.54	97
1.2	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	1571.49	1571.49	0.00	100
1.3	Andhra Pradesh (Others)	21.29	21.29	0.00	100
	Sub Total (1.1 to 1.3)	21864.12	21212.58	651.54	97
2	<u>Assam</u>				
2.1	Assam (BC)	851.91	633.94	217.97	74
2.2	Assam (Electronics)	367.08	367.08	0.00	100
2.3	Assam (Artfed)	753.56	753.56	0.00	100
	Sub Total (2.1 to 2.3)	1972.55	1754.58	217.97	89
3	<u>Bihar</u>				
3.1	Bihar (BC)	5355.54	2275.36	3080.18	42
3.2	Madhya Bihar Gramin Bank	329.55	307.56	21.99	93
	Sub Total (3.1 to 3.2)	5685.09	2582.92	3102.17	45
4	<u>Chhattishgarh</u>				
4.1	Chhattishgarh (SC/ST)	1440.60	1218.25	222.35	85
4.2	Chhattishgarh Rajya Gramin Bank	1.81	1.81	0.00	100
	Sub Total (4.1 to 4.2)	1442.41	1220.06	222.35	85
5	Goa (SC/ST/BC)	2049.40	1998.87	50.53	98
6	<u>Gujarat</u>				
6.1	Gujarat (BC)	9771.26	9771.26	0.00	100
6.2	Guajrat (Gopalak)	2706.44	2706.44	0.00	100
6.3	Guajrat (Thakor)	3273.80	3273.80	0.00	100
6.4	Guajrat (Nomadic)	99.88	99.88	0.00	100
6.5	Dena Gujarat Gramin Bank	20.17	20.17	0.00	100
6.6	Saurashtra Gramin Bank	302.70	302.70	0.00	100
6.7	Gujarat (Others)	46.94	46.94	0.00	100
	Sub Total (6.1 to 6.7)	16221.19	16221.19	0.00	100
7	<u>Haryana</u>				
7.1	Haryana (BC)	7079.32	7079.32	0.00	100
7.2	Sarva Haryana Gramin bank	44.98	44.98	0.00	100
	Sub Total (7.1 to 7.2)	7124.30	7124.30	0.00	100
8	<u>Himachal Pradesh</u>				
8.1	Himachal Pradesh (BC)	5515.10	5515.10	0.00	100
8.2	Himachal Pradesh Gramin Bank	55.67	55.67	0.00	100
	Sub Total (8.1 to 8.2)	5570.77	5570.77	0.00	100
9	<u>Jammu & Kashmir</u>				
9.1	Jammu & Kashmir (SC)	339.49	337.73	1.76	99
9.2	Jammu & Kashmir (Women)	1404.75	1316.03	88.72	94
	Sub Total (9.1 to 9.2)	1744.24	1653.76	90.48	95

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

31 मार्च, 2020 तक एस.सी.ए.वार/राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(रु./लाख)

क्र.स.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया	सकल वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
I.		राज्य				
1		आंध्र प्रदेश				
	1.1	आंध्र प्रदेश (बीसी)	20271.34	19619.80	651.54	97
	1.2	आंध्र प्रदेश (टोडी टैपर्स)	1571.49	1571.49	0.00	100
	1.3	आंध्र प्रदेश (अन्य)	21.29	21.29	0.00	100
		उप योग (1.1 से 1.3)	21864.12	21212.58	651.54	97
2		असम				
	2.1	असम (बीसी)	851.91	633.94	217.97	74
	2.2	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	367.08	367.08	0.00	100
	2.3	असम (आर्टफेड)	753.56	753.56	0.00	100
		उप योग (2.1 से 2.3)	1972.55	1754.58	217.97	89
3		बिहार				
	3.1	बिहार (बीसी)	5355.54	2275.36	3080.18	42
	3.2	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	329.55	307.56	21.99	93
		उप योग (3.1 से 3.2)	5685.09	2582.92	3102.17	45
4		छत्तीसगढ़				
	4.1	छत्तीसगढ़ (एससी/एएसटी)	1440.60	1218.25	222.35	85
	4.2	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	1.81	1.81	0.00	100
		उप योग (4.1 से 4.2)	1442.41	1220.06	222.35	85
5		गोवा (एससी/एएसटी/बीसी)	2049.40	1998.87	50.53	98
6		गुजरात				
	6.1	गुजरात (बीसी)	9771.26	9771.26	0.00	100
	6.2	गुजरात (गोपालक)	2706.44	2706.44	0.00	100
	6.3	गुजरात (ठाकोर)	3273.80	3273.80	0.00	100
	6.4	गुजरात (नोमेडिक)	99.88	99.88	0.00	100
	6.5	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	20.17	20.17	0.00	100
	6.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	302.70	302.70	0.00	100
	6.7	गुजरात (अन्य)	46.94	46.94	0.00	100
		उप योग (6.1 से 6.4)	16221.19	16221.19	0.00	100
7		हरियाणा				
	7.1	हरियाणा (बीसी)	7079.32	7079.32	0.00	100
	7.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	44.98	44.98	0.00	100
		उप योग (7.1 से 7.2)	7124.30	7124.30	0.00	100
8		हिमाचल प्रदेश				
	8.1	हिमाचल प्रदेश (बीसी)	5515.10	5515.10	0.00	100
	8.2	हिमाचल ग्रामीण बैंक	55.67	55.67	0.00	100
		उप योग (8.1 से 8.2)	5570.77	5570.77	0.00	100
9		जम्मू और कश्मीर				
	9.1	जम्मू और कश्मीर (एससी)	339.49	337.73	1.76	99
	9.2	जम्मू और कश्मीर (वीमेन)	1404.75	1316.03	88.72	94
		उप योग (9.1 से 9.2)	1744.24	1653.76	90.48	95

Sl. No.		State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
10		<u>Jharkhand</u>				
	10.1	Jharkhand (Tribal)	571.44	566.26	5.18	99
	10.2	Vananchal Gramin Bank	166.63	166.63	0.00	100
	10.3	Jharkhand Gramin Bank	113.72	113.72	0.00	100
		Sub Total (10.1 to 10.3)	851.79	846.61	5.18	99
11		<u>Karnataka</u>				
	11.1	D. Devraj Urs (BC)	36106.68	36106.68	0.00	100
	11.2	Karnataka (Vishwakarma)	414.08	134.53	279.55	32
		Sub Total (11.1 to 11.2)	36520.76	36241.21	279.55	99
12		<u>Kerala</u>				
	12.1	Kerala (Artisan)	596.48	582.17	14.31	98
	12.2	Kerala (BC)	73144.49	73144.49	0.00	100
	12.3	Kerala (Christian Converts)	1128.81	1128.74	0.07	100
	12.4	Kerala (Fisheries)	27519.10	27519.10	0.00	100
	12.5	Kerala (Handicraft)	530.69	508.94	21.75	96
	12.6	Kerala (Polymer)	154.72	79.61	75.11	51
	12.7	Kerala (Women)	7185.40	7185.40	0.00	100
		Sub Total (12.1 to 12.7)	110259.69	110148.45	111.24	100
13		<u>Madhya Pradesh</u>				
	13.1	Madhya Pradesh (SC)	1547.26	1393.17	154.09	90
	13.2	Madhya Pradesh (BC)	4617.90	4398.23	219.67	95
	13.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	623.74	623.74	0.00	100
	13.4	Madhyanchal Gramin Bank	13.79	13.65	0.14	99
	13.5	Narmada Jhabua Gramin Bank	362.67	362.67	0.00	100
		Sub Total (13.1 to 13.5)	7165.36	6791.46	373.90	95
14		<u>Maharashtra</u>				
	14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	2273.21	2204.49	68.72	97
	14.2	Maharashtra (VJNT)	8042.31	7283.06	759.25	91
	14.3	Maharashtra (Annasahib)	3.97	3.97	0.00	100
	14.4	Maharashtra (OBC)	16574.14	16431.76	142.38	99
	14.5	Maharashtra (Others)	25.08	25.08	0.00	100
		Sub Total (14.1 to 14.5)	26918.71	25948.36	970.35	96
15		<u>Manipur</u>				
	15.1	Manipur (Tribal)	684.54	684.54	0.00	100
	15.2	Manipur (Women)	91.44	91.44	0.00	100
		Sub Total (15.1 to 15.2)	775.98	775.98	0.00	100
16		North Eastern Dev. Fin. Corpn.	6353.86	6353.86	0.00	100
17		<u>Orissa</u>				
	17.1	Orissa (BC)	2287.73	2287.73	0.00	100
	17.2	Orissa (Others)	45.61	29.55	16.06	65
		Sub Total (17.1 to 17.2)	2333.34	2317.28	16.06	99
18		<u>Punjab</u>				
	18.1	Punjab (BC)	5152.49	5058.37	94.12	98
	18.2	Punjab Gramin Bank	1311.94	1311.94	0.00	100
		Sub Total (18.1 to 18.2)	6464.43	6370.31	94.12	99
19		<u>Rajasthan</u>				
	19.1	Rajasthan (SC)	462.81	462.81	0.00	100
	19.2	Rajasthan (OBC)	5142.99	4966.19	176.80	97
		Sub Total (19.1 to 19.2)	5605.80	5429.00	176.80	97

क्र.स.		राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.) / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया	सकल वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
			(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
10		झारखंड				
	10.1	झारखंड (ट्राइबल)	571.44	566.26	5.18	99
	10.2	वनांचल ग्रामीण बैंक	166.63	166.63	0.00	100
	10.3	झारखंड ग्रामीण बैंक	113.72	113.72	0.00	100
		उप योग (10.1 से 10.3)	851.79	846.61	5.18	99
11		कर्नाटक				
	11.1	कर्नाटक (बीसी)	36106.68	36106.68	0.00	100
	11.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	414.08	134.53	279.55	32
		उप योग (11.1 से 11.2)	36520.76	36241.21	279.55	99
12		केरल				
	12.1	केरल (आर्टीजन)	596.48	582.17	14.31	98
	12.2	केरल (बीसी)	73144.49	73144.49	0.00	100
	12.3	केरल (क्रिश्चियन कन्वर्टस)	1128.81	1128.74	0.07	100
	12.4	केरल (फिशरीज)	27519.10	27519.10	0.00	100
	12.5	केरल (हैण्डिक्राफ्ट)	530.69	508.94	21.75	96
	12.6	केरल (पॉलिमर)	154.72	79.61	75.11	51
	12.7	केरल (वीमेन)	7185.40	7185.40	0.00	100
		उप योग (12.1 से 12.7)	110259.69	110148.45	111.24	100
13		मध्य प्रदेश				
	13.1	मध्य प्रदेश (एससी)	1547.26	1393.17	154.09	90
	13.2	मध्य प्रदेश (बीसी)	4617.90	4398.23	219.67	95
	13.3	मध्य प्रदेश (हस्तिशिल्प)	623.74	623.74	0.00	100
	13.4	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	13.79	13.65	0.14	99
	13.5	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	362.67	362.67	0.00	100
		उप योग (13.1 से 13.4)	7165.36	6791.46	373.90	95
14		महाराष्ट्र				
	14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	2273.21	2204.49	68.72	97
	14.2	महाराष्ट्र (वी.जे.एन.टी.)	8042.31	7283.06	759.25	91
	14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	3.97	3.97	0.00	100
	14.4	महाराष्ट्र (ओबीसी)	16574.14	16431.76	142.38	99
	14.5	महाराष्ट्र (अन्य)	25.08	25.08	0.00	100
		उप योग (14.1 से 14.5)	26918.71	25948.36	970.35	96
15		मणिपुर				
	15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	684.54	684.54	0.00	100
	15.2	मणिपुर (वीमेन)	91.44	91.44	0.00	100
		उप योग (15.1 से 15.2)	775.98	775.98	0.00	100
16		उत्तर पूर्वी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन	6353.86	6353.86	0.00	100
17		ओडिशा				
	17.1	उडीसा (बीसी)	2287.73	2287.73	0.00	100
	17.2	उडीसा (अन्य)	45.61	29.55	16.06	65
		उप योग (17.1 से 17.2)	2333.34	2317.28	16.06	99
18		पंजाब				
	18.1	पंजाब (बीसी)	5152.49	5058.37	94.12	98
	18.2	पंजाब (ग्रामीण बैंक)	1311.94	1311.94	0.00	100
		उप योग (18.1 से 18.2)	6464.43	6370.31	94.12	99
19		राजस्थान				
	19.1	राजस्थान (एससी)	462.81	462.81	0.00	100
	19.2	राजस्थान (ओबीसी)	5142.99	4966.19	176.80	97
		उप योग (19.1 से 19.2)	5605.80	5429.00	176.80	97

Sl. No.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
		(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
20	Sikkim (SC/ST)	3242.67	2995.56	247.11	92
21	Tamilnadu				
21.1	Tamilnadu (BC)	61665.93	61565.81	100.12	100
21.2	Tamilnadu (Women)	52.68	52.68	0.00	100
21.3	Tamilnadu (Others)	6.43	6.43	0.00	100
	Sub Total (21.1 to 21.3)	61725.04	61624.92	100.12	100
22	Tripura (OBC)	8030.30	6453.38	1576.92	80
23	Uttar Pradesh				
23.1	Uttar Pradesh (BC)	10845.53	10845.53	0.00	100
23.2	U.P. Sahkari Gramin Vikas Bank Ltd.	3517.30	3517.30	0.00	100
23.3	Sarva U.P. Gramin Bank	15.30	14.86	0.44	97
23.4	Purvanchal Gramin Bank	11.74	11.74	0.00	100
23.5	Gramin Bank of Aryavart	174.32	174.32	0.00	100
23.6	Kashi Goumti Gramin Bank	708.09	708.09	0.00	100
23.7	Uttar Pradesh (Others)	0.50	0.50	0.00	100
	Sub Total (23.1 to 23.7)	15272.78	15272.34	0.44	100
24	Uttarakhand (Bahuudeshiya)	294.75	282.12	12.63	96
25	West Bengal				
25.1	West Bengal (BC)	7441.29	7441.29	0.00	100
25.2	West Bengal (Minorities)	761.42	714.55	46.87	94
25.3	West Bengal (Others)	16.32	16.32	0.00	100
	Sub Total (25.1 to 25.3)	8219.03	8172.16	46.87	99
	TOTAL - STATES (1 - 25)	363708.36	355362.03	8346.33	98
II.	Ut's				
26	Chandigarh (SC/BC)	104.01	104.01	0.00	100
27	Delhi (SC/ST/OBC)	404.18	401.67	2.51	99
28	Puducherry				
28.1	Puducherry (Adidraavidar)	177.65	177.65	0.00	100
28.2	Puducherry (BC)	3169.55	2008.99	1160.56	63
	Sub Total (28.1 to 28.2)	3347.20	2186.64	1160.56	65
	TOTAL - UTs (26 - 28)	3855.39	2692.32	1163.07	70
III.	PSBs				
29	Bank of Baroda	1916.11	1916.11	0.00	100
30	Punjab National Bank	74.42	53.63	20.79	72
31	Dena Bank	12.66	12.66	0.00	100
	Sub Total - PSBs (29 - 31)	2003.19	1982.40	20.79	99
IV.	GRAND TOTAL (I + II+III)	369566.94	360036.75	9530.19	97

Note : The Percentage of recoveries in Column 4 has been rounded off.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Sd/-
Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 21/09/2020

क्र.स.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सकल बकाया	सकल वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
		(1)	(2)	(3)	(4 = 2/1*100)
20	सिक्किम (एससी/एसटी)	3242.67	2995.56	247.11	92
21	तमिलनाडु				
21.1	तमिलनाडु (बीसी)	61665.93	61565.81	100.12	100
21.2	तमिलनाडु (वीमेन)	52.68	52.68	0.00	100
21.3	तमिलनाडु (अन्य)	6.43	6.43	0.00	100
	उप योग (21.1 से 21.3)	61725.04	61624.92	100.12	100
22	त्रिपुरा (ओबीसी)	8030.30	6453.38	1576.92	80
23	उत्तर प्रदेश				
23.1	उत्तर प्रदेश (बीसी)	10845.53	10845.53	0.00	100
23.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	3517.30	3517.30	0.00	100
23.3	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	15.30	14.86	0.44	97
23.4	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	11.74	11.74	0.00	100
23.5	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	174.32	174.32	0.00	100
23.6	काशी गौमती ग्रामीण बैंक	708.09	708.09	0.00	100
23.7	उत्तर प्रदेश (अन्य)	0.50	0.50	0.00	100
	उप योग (23.1 से 23.7)	15272.78	15272.34	0.44	100
24	उत्तराखंड (बहुउद्देशीय)	294.75	282.12	12.63	96
25	पश्चिम बंगाल				
25.1	पश्चिम बंगाल (बीसी)	7441.29	7441.29	0.00	100
25.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	761.42	714.55	46.87	94
25.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	16.32	16.32	0.00	100
	उप योग (25.1 से 25.3)	8219.03	8172.16	46.87	99
	कुल - राज्य (1 - 25)	363708.36	355362.03	8346.33	98
II.	संघ राज्य क्षेत्र				
26	चंडीगढ़ (एससी/बीसी)	104.01	104.01	0.00	100
27	दिल्ली (एससी/एसटी/ओबीसी)	404.18	401.67	2.51	99
28	पुडुचेरी				
28.1	पुडुचेरी (आदिवासी)	177.65	177.65	0.00	100
28.2	पुडुचेरी (बीसी)	3169.55	2008.99	1160.56	63
	उप योग (28.1 से 28.2)	3347.20	2186.64	1160.56	65
	कुल - संघ राज्य क्षेत्र (26 - 28)	3855.39	2692.32	1163.07	70
III.	पीएसबी				
29	बैंक ऑफ बड़ौदा	1916.11	1916.11	0.00	100
30	पंजाब नेशनल बैंक	74.42	53.63	20.79	72
31	देना बैंक	12.66	12.66	0.00	100
	उप योग पी.एस.बी. (29 से 31)	2003.19	1982.40	20.79	99
IV.	कुल योग (I + II + III)	369566.94	360036.75	9530.19	97

टिप्पणी: कॉलम 4 में वसूली के प्रतिशत को पूर्ण अंक में प्रदर्शित किया गया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21/09/2020

ह0/-
के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

ह0/-
डॉ. एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

Annexure-5

National Backward Classes Finance and Development Corporation
Institute-wise Sanction Disbursement Chart 2019-20

As on 31-03-2020

Sl. No:	Name of SSC/TT	State	District	Job Role	Duration (Hrs./Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)	
1	Apparel Training And Design Centre (ATDC) (carry forwarded)	Kerala	Kochi	Sewing Machine Operator	270 Hrs.	50	721750	278700	
			Trivandrum (Changed from Palakkad)	Sewing Machine Operator	270 Hrs.	9	129915	51457.5	
			Residential						0
			Palakkad	Sewing Machine Operator	270 Hrs.	41	1206835	603417.5	
		Madhya Pradesh	Chhindwara	Sewing Machine Operator	270 Hrs.	70	2060450	1030225	
			Chhindwara	Sampling Coordinator	360 Hrs.	9	299214	149607	
		Total				179	4418164	2113407	
	Apparel Training And Design Centre (ATDC) Phase 1	Kerala	Ernakulam	Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	15	283170	116451	
			Kannur	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180	
			Kollam	Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	50	943900	388170	
			Malappuram	Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	50	943900	388170	
			Malappuram (Changed from Palakkad)	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	24	475488	193046.4	
			Palakkad	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	26	515112	209133.6	
			Thiruvananthapuram	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	25	495300	201090	
		Haryana	Faridabad	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180	
			Sirsa	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	25	495300	201090	
				Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	30	566340	232902	
			Bhiwani	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	30	594360	241308	
				Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	30	566340	232902	
		Bihar (changed from Delhi)	Sitamarhi	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	30	594360	241308	
			Saharsa	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	30	594360	241308	
			Sasaram	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	30	594360	241308	
		Delhi	North East Delhi	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	30	594360	241308	
			South West Delhi	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	20	396240	160872	
				Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	40	755120	310536	
				Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	40	792480	321744	
		Uttar Pradesh	Agra	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	13	257556	104566.8	

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
वर्ष 2019-20 के लिए संस्था-वार स्वीकृति एवं वितरण चार्ट

31.03.2020 तक के अनुसार

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणा र्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किरत)	
1	अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए.टी.डी.सी.) (आगे बढ़ाया)	केरल	कोच्ची	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे	50	721750	278700	
			त्रिवेन्द्रम (पलक्कड़ से बदला गया)	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे	9	129915	51457.5	
		रेजिडेंशियल							0
			पलक्कड़	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे	41	1206835	603417.5	
		मध्य प्रदेश	छिन्दवाड़ा	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे	70	2060450	1030225	
		छिन्दवाड़ा	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे	9	299214	149607		
		कुल				179	4418164	2113407	
अपैरल ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर (ए.टी.डी.सी.) <u>फ़ेस 1</u>	केरल	इर्नाकुलम	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	15	283170	116451		
		कन्नूर	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180		
		कोलम	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	50	943900	388170		
		मलापुरम	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	50	943900	388170		
		मलापुरम (पलक्कड़ से बदला गया)	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	24	475488	193046.4		
		पलक्कड़	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	26	515112	209133.6		
		थिरुअन्नतपुरम	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	25	495300	201090		
	हरियाणा	फरीदाबाद	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180		
		सिरसा	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	25	495300	201090		
			सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	566340	232902		
		भिवाड़ी	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	30	594360	241308		
			सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	566340	232902		
	बिहार (दिल्ली से परिवर्तित)	सीतामढ़ी	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	30	594360	241308		
		साहरसा	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	30	594360	241308		
		सासाराम	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	30	594360	241308		
	दिल्ली	उत्तरी पूवी दिल्ली	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	30	594360	241308		
		दक्षिण पश्चिम दिल्ली	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	20	396240	160872		
			सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	40	755120	310536		
			सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	40	792480	321744		
	उत्तर प्रदेश	आगरा	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	13	257556	104566.8		

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd)
			Barabanki	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180
			Bareilly	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	48	950976	386092.8
			Kanpur(Nagar)	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180
			Lucknow	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	40	792480	321744
			Pratapgarh	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180
			Raebareili	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	80	1584960	643488
			Unnao	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180
		Madhya Pradesh	Chhindwara	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180
				Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180
			Bhopal	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180
			Jabalpur	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180
			Khandwa	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180
			Khargone	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180
			Mandla	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180
			Ratlam	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180
			Sehore	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180
			Indore	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	39	772668	313700.4
			Dewas (11 Changed from Indore)	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	61	1208532	490659.6
		Chhattisgarh	Durg	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	30	594360	241308
			Raipur (20 Changed from Durg)	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	20	396240	160872
			Rajnandgaon	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	25	495300	201090
			Surguja	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180
		Gujarat	Ahmedabad (17 changed from Agra)	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	67	1327404	538921.2
				Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	30	566340	232902
			Surat (15 from Ernakulam))	Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	65	1227070	504621
			Surat (25 & 20 from Valsad & Agra)	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	95	1882140	764142
			Valsad	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	25	495300	201090
			Vadodara (20 chnaged from Ernakulam)	Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	20	377560	155268

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणा धियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किरत)
			बाराबंकी	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180
			बरेली	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	48	950976	386092.8
			कानपुर (नगर)	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180
			लखनऊ	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	40	792480	321744
			प्रतापगढ़	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180
			रायबरेली	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	80	1584960	643488
			उन्नाव	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180
		मध्य प्रदेश	छिदवाड़ा	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180
				सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180
			भोपाल	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180
			जबलपुर	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180
			खंडवा	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180
			खरगोन	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180
			मंडला	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180
			रतलाम	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180
			सीहोर	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180
			इंदौर	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	39	772668	313700.4
			देवास (इंदौर से 11 बदले गए)	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	61	1208532	490659.6
		छत्तीसगढ़	दुर्ग	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	30	594360	241308
			रायपुर (दुर्ग से 20 बदले गए)	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	20	396240	160872
			राजनंदगांव	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	25	495300	201090
			सरगुजा	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180
		गुजरात	अहमदाबाद (आगरा से 17 बदले गए)	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	67	1327404	538921.2
				सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	566340	232902
			सूरत (15 एर्नाकुलम से)	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	65	1227070	504621
			सूरत (25 एवं 20 वलसाड एवं आगरा से)	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	95	1882140	764142
			वलसाड	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	25	495300	201090
			वडोदरा (एर्नाकुलम से 20 बदले गए)	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	20	377560	155268

Sl. No:	Name of SSC/TT	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)	
		Odisha	Ganjam	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180	
			Kandhamal	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180	
			Baripada (Changed from Koraput)	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180	
			Sambalpur	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	50	990600	402180	
		WB	North 24 Parganas	Sampling Coordinator	360 Hrs/3 Months	37	733044	297613.2	
				Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	41	839516	337954.8	
				Self Employed Tailor	340 Hrs/3 Months	25	511900	206070	
		Total				2286	45025836	18308350.8	
		Residential							0
		Sikkim	East Sikkim (Training will be conducted in East Sikkim)	Fashion Design Technology	720 Hrs/ 6 Months	15	1044360	570780	
		Manipur	Imphal East (Training will be conducted in Faridabad (changed from Gurgoan)	Fashion Design Technology	720 Hrs/ 6 Months	15	1044360	570780	
		Total				30	2088720	1141560	
		Sub Total				2495	51532720	21563317.8	
2	Apollo Med skills Carry Forward	Andhra Pradesh	Chittoor-20 Vishakhapatnam-10	General Duty Assistant	240 Hrs.	30	321360	130680	
			Vishakhapatnam (Change from Vijayawada)	General Duty Assistant	240 Hrs.	60	642720	269088	
		Tamil Nadu	Chennai	Home Health Aide	240 Hrs.	60	642720	261360	
		Delhi	Delhi	Home Health Aide	240 Hrs.	60	642720	261360	
				Geriatric Aide	480 Hrs.	10	204240	87120	
		Karnataka	Bengaluru	General Duty Assistant	240 Hrs.	9	96408	39204	
		Andhra Pradesh	Chittoor (Changed From Bengluru)	General Duty Assistant	240 Hrs.	62	664144	286043	
			Vishakhapatnam (Changed from Hyderabad)	General Duty Assistant	240 Hrs.	30	321360	130680	
		Andhra Pradesh	Vishakhapatnam (Change from Hyderabad)	General Duty Assistant	240 Hrs.	30	321360	138408	
		Bihar	Patna (Changed From Guwahati)	Geriatric Aide	480 Hrs.	90	1838160	740448	
		Bihar	Patna (Changed from Hyderabad)	Geriatric Aide	480 Hrs.	22	449328	191664	
		Kerela	Ernakulam	Hospital Front Desk Coordinator	300 Hrs.	30	416700	163350	
		Total				493	6561220	2699405	
	Apollo Medskills 2nd Phase	AP	Chittoor	Geriatric Aide	480 Hrs./ 3 Months	30	666000	262800	
		Bihar	Patna	Geriatric Aide	480 Hrs./ 3 Months	60	1332000	525600	
		Delhi	Delhi	Emergency Medical Technician	750 Hrs./ 5 Months	30	1200750	465225	

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किरत)	
		ओडीसा	गंजम	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180	
			कंधमाल	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180	
			बारीपदा (कोरापुट से परिवर्तित)	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180	
			संबलपुर	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	50	990600	402180	
		पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना	सैंपलिंग कोऑर्डिनेटर	360 घन्टे/3 माह	37	733044	297613.2	
				सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	41	839516	337954.8	
				सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	25	511900	206070	
		कुल				2286	45025836	18308350.8	
		आवासीय							0
		सक्किम	पूर्व सक्किम (पूर्व सक्किम में प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा)	फैशन डिजाइन प्रौद्योगिकी	720 घन्टे/6 माह	15	1044360	570780	
		मनीपुर	पूर्व इम्फाल (प्रशिक्षण फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा) (गुडगांव से परिवर्तित)	फैशन डिजाइन प्रौद्योगिकी	720 घन्टे/6 माह	15	1044360	570780	
		कुल				30	2088720	1141560	
		कुल योग				2495	51532720	21563317.8	
2	अपोलो मेड स्कूल (आगे लाए गए)	आन्ध्र प्रदेश	चित्तौड़-20 विशाखापटनम-10	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	240 घन्टे	30	321360	130680	
			विशाखापटनम (विजयवाड़ा से परिवर्तित)	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	240 घन्टे	60	642720	269088	
		तमिलनाडु	चेन्नई	घर के लिए स्वास्थ्य सहायक	240 घन्टे	60	642720	261360	
		दिल्ली	दिल्ली	घर के लिए स्वास्थ्य सहायक	240 घन्टे	60	642720	261360	
				जराचिकित्सा सहयोगी	480 घन्टे	10	204240	87120	
		कर्नाटक	बेंगलुरु	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	240 घन्टे	9	96408	39204	
		आन्ध्र प्रदेश	चित्तौड़ (बेंगलुरु से परिवर्तित)	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	240 घन्टे	62	664144	286043	
			विशाखापटनम (हैदराबाद से परिवर्तित)	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	240 घन्टे	30	321360	130680	
		आन्ध्र प्रदेश	विशाखापटनम (हैदराबाद से परिवर्तित)	जनरल ड्यूटी असिस्टेंट	240 घन्टे	30	321360	138408	
		बिहार	पटना (गुवाहटी से परिवर्तित)	जराचिकित्सा सहयोगी	480 घन्टे	90	1838160	740448	
		बिहार	पटना (हैदराबाद से परिवर्तित)	जराचिकित्सा सहयोगी	480 घन्टे	22	449328	191664	
		केरल	ईर्नाकुलम	हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को-ऑर्डिनेटर	300 घन्टे	30	416700	163350	
		कुल				493	6561220	2699405	
	अपोलो मेड स्कूल फेस-2	आन्ध्र प्रदेश	चित्तुर	जराचिकित्सा सहयोगी	480 घन्टे/3	30	666000	262800	
		बिहार	पटना	जराचिकित्सा सहयोगी	480 घन्टे/3	60	1332000	525600	
		दिल्ली	दिल्ली	आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन	750 घन्टे/3	30	1200750	465225	

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
		Jammu & Kashmir	Jammu	Emergency Medical Technician	750 Hrs./ 5 Months	25	1000625	387687.5
		Bihar	Patna (Changed from Benguluru)	Geriatric Aide	480 Hrs./ 3 Months	30	666000	262800
		UP	Lucknow	Emergency Medical Technician	750 Hrs./ 5 Months	30	1200750	465225
				Geriatric Aide	480 Hrs./ 3 Months	30	666000	262800
		Bihar	Patna	Geriatric Aide	480 Hrs (3 Months)	7	155400	61320
		Total				242	6887525	2693457.5
		Sub Total				735	13448745	5392862.7
3	CDGI Phase 1	UP	Firozabad	Furnace Operator	270 Hrs/3 Months	50	690000	270000
				Decorative Painter Glass	240 Hrs./3 Months	50	630000	240000
		Total				100	1320000	510000
	CDGI Phase 2	UP	Firozabad	Decorative Cutter Glassware	250 Hrs./2 Months	30	360000	166200
				Decorative Painter Glassware	240 Hrs./2 Months	30	348000	159552
				Furnace Operator	270 Hrs./2 Months	30	384000	179496
				Goods & Service Tax(GST) Account Assistant	100 Hrs./1 Months	30	130200	55510.8
						120	1222200	560759
		Total				220	2542200	1070758.8
4	CII Logistic Phase 1	Andhra Pradesh	Vishakapatnam	Inventory Clerk	250 Hrs / 2 Months	50	683750	291875
			Vijayangram	Documentation Assistant	270 Hrs./ 2 Months	50	640000	270000
		Kerla	Ernakullam	Courier Delivery Executive	270 Hrs./ 2 Months	50	640000	270000
			Pallakad	Warehouse Packer	270 Hrs./ 2 Months	50	730450	315225
		Tamil Nadu	Chennai	Warehouse Packer	270 Hrs./ 2 Months	50	730450	315225
			Virdhunagar			50	730450	315225
		Telengana	Hyderabad	Inventory Clerk	250 Hrs. / 2 Months	50	683750	291875
				Consignment Tracking executive	270 Hrs./ 2 Months	50	640000	270000
		Total				400	5478850	2339425
	CII Logistic CONCOR-CSR	Tamil Nadu	Chennai	Warehouse Supervisor	360 Hrs	50	1350000	237600
				Courier Sorter	250 Hrs.	150	3142500	549450
				Courier Delivery Executive	350 Hrs	200	5320000	882000
				Warehouse Picker & Packer	350 Hrs	50	1447250	147105
		Total				450	11259750	1816155
		Total				850	16738600	4155580

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणा धियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किश्त)
		जम्मू एण्ड कश्मीर	जम्मू	आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन	750 घन्टे/5 माह	25	1000625	387687.5
		बिहार	पटना (बेंगलुरु से परिवर्तित)	जराचिकित्सा सहयोगी	480 घन्टे/3 माह	30	666000	262800
		उत्तर प्रदेश	लखनऊ	आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन	750 घन्टे/5 माह	30	1200750	465225
				जराचिकित्सा सहयोगी	480 घन्टे/3 माह	30	666000	262800
		बिहार	पटना	जराचिकित्सा सहयोगी	480 घन्टे माह	7	155400	61320
		कुल				242	6887525	2693457.5
		कुल योग				735	13448745	5392862.7
3	सीडीजीआई फेस-2	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	फर्नेस संचालक	270 घन्टे/3 माह	50	690000	270000
				सजावटी पेंटर ग्लास	240 घन्टे/3 माह	50	630000	240000
		कुल				100	1320000	510000
	सीडीजीआई फेस-2	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	सजावटी कलर ग्लासवैर	250 घन्टे/2 माह	30	360000	166200
				सजावटी पेंटर ग्लासवैर	240 घन्टे/2 माह	30	348000	159552
				फर्नेस संचालक	270 घन्टे/2 माह	30	384000	179496
				गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) खाता सहायक	100 घन्टे/1 माह	30	130200	55510.8
						120	1222200	560759
		कुल				220	2542200	1070758.8
4	सीआईआई लॉजिस्टिक फेस-1	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापटनम	इन्वेन्ट्री क्लर्क	250 घन्टे/2 माह	50	683750	291875
			विजयनग्राम	प्रलेखन सहायक	270 घन्टे/2 माह	50	640000	270000
		केरल	इर्नाकुलम	कूरियर वितरण कार्यकारी	270 घन्टे/2 माह	50	640000	270000
			पल्लकड	वेयरहाउस पैकर	270 घन्टे/2 माह	50	730450	315225
		तमिलनाडु	चेन्नई	वेयरहाउस पैकर	270 घन्टे/2 माह	50	730450	315225
			विरुधुनगर			50	730450	315225
		तेलंगाना	हैदराबाद	इन्वेन्ट्री क्लर्क	250 घन्टे/2 माह	50	683750	291875
				खेप ट्रेकिंग कार्यकारी	270 घन्टे/2 माह	50	640000	270000
		कुल				400	5478850	2339425
	सीआईआई लॉजिस्टिक कॉन्कोर-सीएसआर	तमिलनाडु	चेन्नई	वेयरहाउस पर्यवेक्षक	360 घन्टे	50	1350000	237600
				कूरियर सॉर्टर	250 घन्टे	150	3142500	549450
				कूरियर वितरण कार्यकारी	350 घन्टे	200	5320000	882000
				वेयरहाउस पैकर एण्ड पैकर	350 घन्टे	50	1447250	147105
		कुल				450	11259750	1816155
		कुल				850	16738600	4155580

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
Residential								0
5	Central Institute for Plastic Engineering and Technology (CIPET) Carry Forward	Rajasthan	Jaipur (Changed from Ahmedabad)	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE	480 Hrs./ 3 Months	30	1149840	574920
		Assam	Guwahati/PWMC	MOA-PP	480 Hrs./ 3 Months	40	1614440	1614440
			Guwahati/PWMC	MOA-IM	480 Hrs./ 3 Months	74	2986714	2986714
		Tripura	Agartala	MOA-IM	480 Hrs./ 3 Months	40	1614440	1614440
		Total				184	7365434	6790514
Residential with OJT								0
	Central Institute for Plastic Engineering and Technology (CIPET) Phase 1	Assam	Kamrup	MO-PP, MO-IM, MO-BM, MO-PE,MO-PR, MO&P-CNC-L	960 Hrs. (4 Months trg + 2 Months OJT)	320	25390080	12695040
		Manipur	Imphal	MO-PP, MO-IM, MO-BM, MO-PE,MO-PR, MO&P-CNC-L	960 Hrs. (4 Months trg + 2 Months OJT)	200	15868800	7934400
		Tripura	Agartala	MO-PP, MO-IM, MO-BM, MO-PE,MO-PR, MO&P-CNC-L	960 Hrs. (4 Months trg + 2 Months OJT)	160	12695040	6347520
		Total				680	53953920	26976960
Residential without OJT								0
		Haryana	Sonepat (Murthal)	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	80	2993280	1496640
		Himachal Pradesh	Solan (Baddi)	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1496640	748320
		Kerala	Kochi	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1496640	748320
		Madhya Pradesh	Bhopal	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1496640	748320
		Maharashtra	Aurangabad	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1496640	748320
		Telangana	Hyderabad	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	30	1122480	561240
		Uttar Pradesh	Lucknow	MO-PP, MO-IM, MO-BM, MO-PE,MO-PR, MO&P-CNC-L	480 Hrs/3 Months	80	2993280	1496640
		Bihar	Hajipur	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1496640	748320
		Chhatisgarh	Raipur	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	39	1459224	729612
		Jharkhand	Ranchi	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1496640	748320

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किश्त)
रेजिडेंशियल								0
5	सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग (सीपेट) (आगे बढ़ाया)	राजस्थान	जयपुर (अहमदाबाद से परिवर्तित)	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई	480 घन्टे/3 माह	30	1149840	574920
		असम	गुवाहटी/पीडब्ल्यूएमसी	एमओए-पीपी	480 घन्टे/3 माह	40	1614440	1614440
			गुवाहटी/पीडब्ल्यूएमसी	एमओए-आईएम	480 घन्टे/3 माह	74	2986714	2986714
		त्रिपुरा	अगरतला	एमओए-आईएम	480 घन्टे/3 माह	40	1614440	1614440
	कुल					184	7365434	6790514
रेजिडेंसियल ओजेटी के साथ								0
	सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग (सीपेट) <u>फ़ेस-1</u>	असम	कामरुम	एमओ-पीपी, एमओ-आईएम, एमओ-बीएम, एमओ-पीई, एमओ-पीआर, एमओ एण्ड पी-सीएनसी-एल	960 घन्टे (4 माह प्रशिक्षण + 2 माह ओजेटी)	320	25390080	12695040
		मनीपुर	इम्फाल	एमओ-पीपी, एमओ-आईएम, एमओ-बीएम, एमओ-पीई, एमओ-पीआर, एमओ एण्ड पी-सीएनसी-एल	960 घन्टे (4 माह प्रशिक्षण + 2 माह ओजेटी)	200	15868800	7934400
		त्रिपुरा	अगरतला	एमओ-पीपी, एमओ-आईएम, एमओ-बीएम, एमओ-पीई, एमओ-पीआर, एमओ एण्ड पी-सीएनसी-एल	960 घन्टे (4 माह प्रशिक्षण + 2 माह ओजेटी)	160	12695040	6347520
		कुल					680	53953920
रेजिडेंसियल बिना ओजेटी के								0
		हरियाणा	सोनीपत (मुरथल)	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	80	2993280	1496640
		हिमाचल प्रदेश	सोलन (बदी)	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1496640	748320
		केरल	कोची	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1496640	748320
		मध्य प्रदेश	भोपाल	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1496640	748320
		महाराष्ट्र	औरंगाबाद	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1496640	748320
		तेलंगाना	हैदराबाद	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	30	1122480	561240
		उत्तर प्रदेश	लखनऊ	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	80	2993280	1496640
		बिहार	हाजीपुर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1496640	748320
		छत्तीसगढ़	रायपुर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	39	1459224	729612
		झारखण्ड	राँची	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1496640	748320

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
		Karnataka	Mysuru	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1496640	748320
		Madhya Pradesh	Gwalior	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1496640	748320
		Maharashtra	Chandrapur	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1496640	748320
		Odisha	Bhubaneswar	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1496640	748320
			Balasore	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1496640	748320
		Punjab	Amritsar	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1496640	748320
		Rajasthan	Jaipur	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1496640	748320
		West Bengal	Haldia	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1496640	748320
		Total				789	29521224	14760612
	Non-Residential							0
		Andhra Pradesh	Kanuru (Vijayvada)	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1016640	388992
		Bihar	Hajipur	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	80	2033280	777984
		Chhatisgarh	Raipur	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1016640	388992
		Gujarat	Valsad	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1016640	388992
		Haryana	Sonepat (Murthal)	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	80	2033280	777984
		Jharkhand	Ranchi	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	80	2033280	777984
		Kerala	Kochi	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1016640	388992
		Madhya Pradesh	Bhopal	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1016640	388992
			Gwalior	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1016640	388992
		Maharashtra	Aurangabad	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1016640	388992

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणा र्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किश्त)
		कर्नाटक	मैसूरु	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1496640	748320
		मध्य प्रदेश	गवालियर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1496640	748320
		महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1496640	748320
		ओडीसा	भुवनेश्वर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1496640	748320
			बालासोर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1496640	748320
		पंजाब	अमृतसर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1496640	748320
		राजस्थान	जयपुर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1496640	748320
		पश्चिम बंगाल	हल्दिया	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1496640	748320
		कुल				789	29521224	14760612
	नान-रेजिडेंसियल							0
		आन्ध्र प्रदेश	कनुरू (विजयवाड़ा)	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1016640	388992
		बिहार	हाजीपुर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	80	2033280	777984
		छत्तीसगढ़	रायपुर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1016640	388992
		गुजरात	वलसाड	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1016640	388992
		हरियाणा	सोनीपत (मुरथल)	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	80	2033280	777984
		झारखण्ड	राँची	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	80	2033280	777984
		केरल	कोची	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1016640	388992
		मध्य प्रदेश	भोपाल	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1016640	388992
			गवालियर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1016640	388992
		महाराष्ट्र	औरंगाबाद	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1016640	388992

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
			Chandrapur	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	80	2033280	777984
		Himachal Pradesh	Baddi (Changed from Bhubneshwar)	MO-PP, MO-IM, MO-BM, MO-PE,MO-PR, MO&P-CNC-L	480 Hrs/3 Months	40	1016640	388992
		Odisha	Balasore	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1016640	388992
				MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1016640	388992
		Punjab	Amritsar	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	80	2033280	777984
		Rajasthan	Jaipur	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1016640	388992
		Uttarakhand	Dehradun	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1016640	388992
		Uttar Pradesh	Lucknow	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	80	2033280	777984
		West Bengal	Haldia	MOA-PP, MOA-IM, MOA-MOA-BM, MOA-PE,MOA-PR	480 Hrs/3 Months	40	1016640	388992
		Total				1000	25416000	9724800
		Residential (without OJT)						
	CIPET- 2 phase	Assam	Guwahati	Machine Operator Plastic Processing	480 Hrs (3 Months)	80	3173760	1586880
		Manipur	Imphal	Machine Operator Injection Moulding	480 Hrs (3 Months)	80	3173760	1586880
		Kerala	Kochi	Machine Operator Injection Moulding	480 Hrs (3 Months)	40	1496640	748320
		Uttar Pradesh	Lucknow	Machine Operator - Blow Moulding	480 Hrs (3 Months)	40	1496640	748320
		Himachal Pradesh	Baddi	Machine Operator Plastic Extrusion	480 Hrs (3 Months)	80	2993280	1496640
						320	12334080	6167040
	CIPET EIL -CSR	Telangana	Hyderabad	MOA-PP	640 Hrs	40	1920000	576000
		Bihar	Hajipur	MOA-PP, MOA-IM, MOA-PE	640 Hrs	102	4896000	1468800
		Maharashtra	Aurangabad	MOA-IM, MOA-BM	640 Hrs	80	3840000	1152000
		Gujrat	Valsad	MOA- IM	640 Hrs	40	1920000	576000
		Rajasthan	Jaipur	MOA-PP, MOA-IM, -MOA-BM, MOA-PE	640 Hrs	160	7680000	2304000
		Kerala	Kochi	MOA - BM	640 Hrs	40	1920000	576000
		Uttar Pradesh	Lucknow	MOA-PP, MOA-IM, MOA-BM	640 Hrs	120	5760000	1728000
		Haryana	Murthal	MOA-PP, MOA-IM, MOA-BM, MOA-PE	640 Hrs	160	7680000	2304000
		Andhra Pradesh	Vijaywada	MOA-PP	640 Hrs	40	1920000	576000
		Himachal Pradesh	Baddi	MOA-PP, MOA-IM, MOA-PE	640 Hrs	120	5760000	1728000
		Total				902	43296000	12988800
		Sub Total				3875	171886658	77408726

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणा धियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किरत)	
			चन्द्रपुर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	80	2033280	777984	
		हिमाचल प्रदेश	बढ़ी (भुवनेश्वर से परिवर्तित)	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1016640	388992	
		ओडीसा	बालासोर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1016640	388992	
				एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1016640	388992	
		पंजाब	अमृतसर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	80	2033280	777984	
		राजस्थान	जयपुर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1016640	388992	
		उत्तराखण्ड	देहरादून	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1016640	388992	
		उत्तर प्रदेश	लखनऊ	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	80	2033280	777984	
		पश्चिम बंगाल	हल्दिया	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-एमओए-बीएम, एमओए-पीई, एमओए-पीआर	480 घन्टे/3 माह	40	1016640	388992	
		कुल				1000	25416000	9724800	
			रेजिडेंशियल (ओजेटी के बिना)						
	सीपेट फ़ेस-2	असम	गुवाहाटी	मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग	480 घन्टे (3 माह)	80	3173760	1586880	
		मनीपुर	इंफाल	मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग	480 घन्टे (3 माह)	80	3173760	1586880	
		केरल	कोच्चि	मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग	480 घन्टे (3 माह)	40	1496640	748320	
		उत्तर प्रदेश	लखनऊ	मशीन ऑपरेटर - ब्लो मोल्डिंग	480 घन्टे (3 माह)	40	1496640	748320	
		हिमाचल प्रदेश	बढ़ी	मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक एक्सट्रूशन	480 घन्टे (3 माह)	80	2993280	1496640	
						320	12334080	6167040	
	सीपेट इआईएल -सीएसआर	तेलंगाना	हैदराबाद	एमओए-पीपी	640 घन्टे	40	1920000	576000	
		बिहार	हाजीपुर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-पीई	640 घन्टे	102	4896000	1468800	
		महाराष्ट्र	औरंगाबाद	एमओए-आईएम, एमओए-बीएम	640 घन्टे	80	3840000	1152000	
		गुजरात	वलसाड	एमओए-आईएम	640 घन्टे	40	1920000	576000	
		राजस्थान	जयपुर	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, -एमओए-बीएम, एमओए-पीई	640 घन्टे	160	7680000	2304000	
		केरल	कोच्चि	एमओए-बीएम	640 घन्टे	40	1920000	576000	
		उत्तर प्रदेश	लखनऊ	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-बीएम	640 घन्टे	120	5760000	1728000	
		हरियाणा	मुश्कल	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, -एमओए-बीएम, एमओए-पीई	640 घन्टे	160	7680000	2304000	
		आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	एमओए-पीपी	640 घन्टे	40	1920000	576000	
		हिमाचल प्रदेश	बढ़ी	एमओए-पीपी, एमओए-आईएम, एमओए-बीएम	640 घन्टे	120	5760000	1728000	
		कुल				902	43296000	12988800	
		कुल योग				3875	171886658	77408726	

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
6	Domestic Worker Sector Skill Council Phase 1	Assam	Barpetta	House Keeper cum cook	400 Hrs/ 4 Months	60	1473600	616800
		Mizoram	Aizawal	House Keeper cum cook	400 Hrs/ 4 Months	60	1473600	616800
		odisha	Rourkela	House Keeper cum cook	400 Hrs/ 4 Months	60	1360800	560400
		Bihar	Munger	House Keeper cum cook	400 Hrs/ 4 Months	59	1338120	551060
		Kerela	Palakad	Genral House Keeper	200 Hrs/ 2 Months	180	1800000	720000
		Rajasthan	Nagaour	House Keeper cum cook	400 Hrs/ 4 Months	99	2245320	924660
		Total				518	9691440	3989720
		RPL - Upskilling						0
		Delhi	Delhi	House Keeper cum cook	80 Hrs.	100	517600	258800
			Delhi (Changed from Hyderabad)	House Keeper cum cook	80 Hrs.	80	414080	207040
		UP	Noida	House Keeper cum cook	80 Hrs.	100	517600	258800
		Total				280	1449280	724640
		Sub Total				798	11140720	4714360
7		RPL - Upskilling						0
	Furniture & Fittings Sector Skill Council Carry Forward	Bihar	Gaya-90	Assistant Carpenter- Wooden Furniture	80 Hrs./20 Days	90	447120	655776
		Punjab	Hoshiyarpur	Lead carpenter Wooden Furniture	80 Hrs./20 Days	54	268272	397440
		Total				144	715392	1053216
	Furniture & Fittings Sector Skill Council Phase 1	Assam	Baksa	Asst. Carpenter- Wooden Furniture	240 Hrs. (2 Months)	30	376800	158400
			Darrang	Asst. Carpenter- Wooden Furniture	240 Hrs. (2 Months)	30	376800	155040
			Dhubri (60 Changed from Baksa to Goalpara and Goalpara to Dhubari)	Asst. Carpenter- Wooden Furniture	240 Hrs. (2 Months)	90	1130400	465120
			Udalgiri (Changed from Imphal West)	Asst. Carpenter- Wooden Furniture	240 Hrs. (2 Months)	90	1130400	465120
		Bihar	Begusarai	Asst. Carpenter- Wooden Furniture	240 Hrs. (2 Months)	60	696000	288000
		MP	Tikamgarh (Changed from Gaya)	Asst. Carpenter- Wooden Furniture	240 Hrs. (2 Months)	60	696000	292800
		Haryana	Mewat	Asst. Carpenter- Wooden Furniture	240 Hrs. (2 Months)	60	696000	288000
			Hisar	Asst. Carpenter- Wooden Furniture	240 Hrs. (2 Months)	60	696000	288000
			Kurukshetra	Asst. Carpenter- Wooden Furniture	240 Hrs. (2 Months)	60	696000	288000
		UP	Fatehpur	Asst. Carpenter- Wooden Furniture	240 Hrs. (2 Months)	50	580000	240000
						590	7074400	2928480
		RPL -Upskilling						0
		Assam	Udalaguri (Changed from Dhubri)	Lead Carpenter- Wooden Furniture	80 Hrs	120	659040	329520
		UP	Moradabad (Changed from Munger)	Lead Carpenter- Wooden Furniture	80 Hrs	60	313200	156600

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किश्त)
6	डोमेस्टिक वर्कर सैक्टर स्किल काउंसिल फ़ेस-1	असम	बारपेटा	हाउस कीपर कम कुक	400 घन्टे/4 माह	60	1473600	616800
		मिजोरम	आइजोल	हाउस कीपर कम कुक	400 घन्टे/4 माह	60	1473600	616800
		ओडीसा	राउरकेला	हाउस कीपर कम कुक	400 घन्टे/4 माह	60	1360800	560400
		बिहार	मुंगेर	हाउस कीपर कम कुक	400 घन्टे/4 माह	59	1338120	551060
		केरल	पलक्कड़	जनरल हाउस कीपर	400 घन्टे/4 माह	180	1800000	720000
		राजस्थान	नागौर	हाउस कीपर कम कुक	400 घन्टे/4 माह	99	2245320	924660
	कुल					518	9691440	3989720
		आपीएल -अपस्किलिंग						0
		दिल्ली	दिल्ली	हाउस कीपर कम कुक	80 घन्टे	100	517600	258800
			दिल्ली (हैदराबाद से परिवर्तित)	हाउस कीपर कम कुक	80 घन्टे	80	414080	207040
		उत्तर प्रदेश	नोयडा	हाउस कीपर कम कुक	80 घन्टे	100	517600	258800
		कुल				280	1449280	724640
		कुल योग				798	11140720	4714360
7		आरपीएल - अपस्किलिंग						0
	फर्नीचर एण्ड फिटिश सैक्टर स्किल काउंसिल आगे बढ़ाया	बिहार	गया.90	असिस्टेंट कॉरपेन्टर - वुडन फर्नीचर	80 घन्टे/20 दिन	90	447120	655776
		पंजाब	होशियारपुर	लिड कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	80 घन्टे/20 दिन	54	268272	397440
		कुल				144	715392	1053216
	फर्नीचर एण्ड फिटिश सैक्टर स्किल काउंसिल फ़ेस-1	असम	बक्स	असिस्टेंट कॉरपेन्टर - वुडन फर्नीचर	240 घन्टे (2 माह)	30	376800	158400
			दरांग	असिस्टेंट कॉरपेन्टर - वुडन फर्नीचर	240 घन्टे (2 माह)	30	376800	155040
			धुबर (60 बक्स से गोलपारा और गोलपारा से धुबरी तक परिवर्तित)	असिस्टेंट कॉरपेन्टर - वुडन फर्नीचर	240 घन्टे (2 माह)	90	1130400	465120
			उड़लगिरी (पश्चिम इम्फाल से परिवर्तित)	असिस्टेंट कॉरपेन्टर - वुडन फर्नीचर	240 घन्टे (2 माह)	90	1130400	465120
		बिहार	बेगूसराय	असिस्टेंट कॉरपेन्टर - वुडन फर्नीचर	240 घन्टे (2 माह)	60	696000	288000
		मध्य प्रदेश	टिकमगढ़ (गया से परिवर्तित)	असिस्टेंट कॉरपेन्टर - वुडन फर्नीचर	240 घन्टे (2 माह)	60	696000	292800
		हरियाणा	मेवात	असिस्टेंट कॉरपेन्टर - वुडन फर्नीचर	240 घन्टे (2 माह)	60	696000	288000
			हिसार	असिस्टेंट कॉरपेन्टर - वुडन फर्नीचर	240 घन्टे (2 माह)	60	696000	288000
			कुरुक्षेत्र	असिस्टेंट कॉरपेन्टर - वुडन फर्नीचर	240 घन्टे (2 माह)	60	696000	288000
		उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	असिस्टेंट कॉरपेन्टर - वुडन फर्नीचर	240 घन्टे (2 माह)	50	580000	240000
						590	7074400	2928480
		आरपीएल - अपस्किलिंग						0
		असम	उड़लगिरी (धुबरी से परिवर्तित)	लिड कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	120	659040	329520
		उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद (मुंगेर से परिवर्तित)	लिड कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	60	313200	156600

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)	
		Chastisgarh	Mahasamund	Lead Carpenter- Wooden Furniture	80 Hrs	120	626400	313200	
		Maharshata	Latur (Changed from Narmada)	Lead Carpenter- Wooden Furniture	80 Hrs	119	621180	310590	
		Jharkhand	Ranchi	Lead Carpenter- Wooden Furniture	80 Hrs	120	626400	313200	
		Maharshata	Gadchiroli	Lead Carpenter- Wooden Furniture	80 Hrs	120	626400	313200	
		UP	Allahabad (Changed from Moga)	Lead Carpenter- Wooden Furniture	80 Hrs	120	626400	313200	
		Rajasthan	Alwar (Changed from Jaipur)	Lead Carpenter- Wooden Furniture	80 Hrs	100	522000	261000	
			Dholpur (Changed from Udaipur)	Lead Carpenter- Wooden Furniture	80 Hrs	99	516780	258390	
		West Bengal	Birbhum	Lead Carpenter- Wooden Furniture	80 Hrs	100	522000	261000	
		Total				1078	5659800	2829900	
		Sub Total				1812	13449592	6811596	
8	Gems & Jewelry Sector Skill Council Phase 1	RPL -Upskilling							0
		UP	Agra	Payal Maker	80 hrs	90	510840	255420	
			SonBhadra	Frame Maker	80 hrs	60	340560	170280	
			Chitrakut	Frame Maker	80 hrs	50	283800	141900	
						200	1135200	567600	
	Gems & Jewelry Sector Skill Council Phase 2	Jammu & Kashmir	Jammu	Stringing/Beading Artisan (Fashion Jewelry)	80 Hrs.	120	626400	313200	
		Total				120	626400	313200	
		Total				320	1761600	880800	
9	Handicrafts & Carpet Sector Skill Council Phase 1	Assam	Sivasagar	Bamboo Utility Handicrafts Assemblers	290Hrs./ 3Months	100	1576000	638000	
			Dhamaji	Engraving /Carving/ Etching Asst	310Hrs/3 Months	100	1437700	568850	
		Tripura	North Tripura	Bomboo Mat weavers	240Hrs/ 2 Months	100	1256000	528000	
			West Tripura	Bomboo basket Maker	300Hrs/ 3Months	100	1620000	660000	
		Total				400	5889700	2394850	
		RPL- Upskilling							0
		Tripura	Sephaijala	Bamboo Utility Handicrafts Assemblers	80 Hrs	50	274600	137300	
		UP	Khurja	Jigger Opreator (Ceramics)	80 Hrs	100	477120	238560	
		Rajasthan	Barmer	Carpet weaver (Knotted)	80 Hrs	100	522000	261000	
		Total				250	1273720	636860	
		Sub Total				650	7163420	3031710	
10	Himachal Consultancy Ltd. (HIMCON) Phase 1	Himachal Pradesh	Kangara	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	50	780450	315225	
				Pickle Making	240 Hrs (2 Months)	50	660400	268120	
			Chamba	Pickle Making	240 Hrs (2 Months)	50	660400	280200	
				Hand Embroiderer	200 Hrs.(2 Months)	50	567000	233500	

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणा धियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किरत)
		छत्तीसगढ़	महासमुंद	लिड कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	120	626400	313200
		महाराष्ट्र	लातूर (नर्मदा से परिवर्तित)	लिड कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	119	621180	310590
		झारखण्ड	रांची	लिड कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	120	626400	313200
		महाराष्ट्र	गडचिरोली	लिड कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	120	626400	313200
		उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद (मोगा से परिवर्तित)	लिड कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	120	626400	313200
		राजस्थान	अलवर (जयपुर से परिवर्तित)	लिड कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	100	522000	261000
			धौलपुर (उदयपुर से परिवर्तित)	लिड कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	99	516780	258390
		पश्चिम बंगाल	बीरभूम	लिड कारपेन्टर वुडन फर्नीचर	80 घन्टे	100	522000	261000
		कुल				1078	5659800	2829900
		योग कुल				1812	13449592	6811596
8	जेम्स एण्ड ज्वैलरी सैक्टर स्किल काउंसिल फ़ेस-1	आर.पी.एल. - अपस्किलिंग						0
		उत्तर प्रदेश	आगरा	पायल मेकर	80 घन्टे	90	510840	255420
			सोनभद्र	फ्रेम मेकर	80 घन्टे	60	340560	170280
			चित्रकूट	फ्रेम मेकर	80 घन्टे	50	283800	141900
						200	1135200	567600
	जेम्स एण्ड ज्वैलरी सैक्टर स्किल काउंसिल फ़ेस-2	जम्मू एण्ड कश्मीर	जम्मू	स्ट्रिंगिंग/बिडिंग आर्टीजन (फ़ैशन ज्वैलरी)	80 घन्टे	120	626400	313200
		कुल				120	626400	313200
		कुल				320	1761600	880800
9	हैण्डिक्राफ़्ट एण्ड कॉरपेट सैक्टर स्किल काउंसिल फ़ेस-1	असम	शिवसागर	बैम्बू यूटीलिटी हैण्डिक्राफ़्टस एसेम्बलर्स	290घन्टे/3 माह	100	1576000	638000
			धमाजी	इंग्रेविंग/कारविंग/इचिंग एसिस्टेंट	310घन्टे/3 माह	100	1437700	568850
		त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा	बैम्बू मेट विवर्स	240घन्टे/3 माह	100	1256000	528000
			पश्चिम त्रिपुरा	बैम्बू बासकेट मेकर	300घन्टे/3 माह	100	1620000	660000
		कुल				400	5889700	2394850
		आरपीएल- अपस्किलिंग						0
		त्रिपुरा	सेफाइजला	बैम्बू यूटीलिटी हैण्डिक्राफ़्ट एसेम्बलर्स	80 घन्टे	50	274600	137300
		उत्तर प्रदेश	खुर्जा	जिग्गर आपरेटर (सेरेमिक्स)	80 घन्टे	100	477120	238560
		राजस्थान	बाड़मेर	कारपेट विवर (गाँठ)	80 घन्टे	100	522000	261000
		कुल				250	1273720	636860
		कुल योग				650	7163420	3031710
10	हिमाचल कन्सलटैंसी लि. (हिमाकॉन) फ़ेस-1	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270घन्टे/3 माह	50	780450	315225
				पिकल मेकिंग	240घन्टे/2 माह	50	660400	268120
			चंबा	पिकल मेकिंग	240घन्टे/2 माह	50	660400	280200
				हैण्ड इम्ब्रोइडरर	200घन्टे/2 माह	50	567000	233500

Sl. No:	Name of SSC/TT	State	District	Job Role	Duration (Hrs./Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
		Uttarakhand	Haridwar	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	100	1560900	630450
				Pickle Making	240 Hrs (2 Months)	50	660400	280200
		Punjab	Moga	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	50	780450	315225
				Hand Embroiderer	200 Hrs.(2 Months)	50	567000	233500
		Haryana	Palwal	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	200	3121800	1260900
		J&K (Job role & location Chnaged from Palwal)	Kathua	Hand Embroiderer	200 Hrs(2 Months)	150	1701000	700500
		Assam	Kamrup	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	100	1687800	693900
			Udalaguri	Bamboo Utility Handicraft Assembler	230Hrs. (2Months)	100	1212000	506000
			Barpetta	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	100	1687800	693900
				Hand Embroiderer	200 Hrs.(2 Months)	50	614000	257000
		Manipur	Imphal East	Hand Embroiderer	200 Hrs.(2 Months)	50	614000	254200
				Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	50	843900	346950
			Imphal West	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	50	843900	346950
				Hand Embroiderer	200 Hrs.(2 Months)	50	614000	254200
		Meghalaya	West Khasi Hills	Hand Embroiderer	200 Hrs.(2 Months)	100	1228000	508400
			East Khasi Hills	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	100	1687800	693900
		Sikkim	South Sikkim	Hand Rolled Aggarbatti Maker	300 Hrs.(3 Months)	100	1620000	660000
			West Sikkim	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	50	843900	346950
				Hand Rolled Aggarbatti Maker	300 Hrs.(3 Months)	100	1620000	660000
		Tripura	Unakoti	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	100	1687800	693900
			North Tripura	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	100	1687800	693900
		Total				2000	29552500	12127970
	Himachal Consultancy Ltd. (HIMCON) Phase-2	Assam	Kamrup	Sewing Machine Operator	270 (3 Months)	30	506340	208170
			Dhubri	Sewing Machine Operator	270 (3 Months)	30	506340	208170
		Himachal Pradesh	Una	Pickle Making Technician	240 (2 Months)	50	660400	268120
			Bilaspur	Pickle Making Technician	240 (2 Months)	50	660400	268120
						160	2333480	952580

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणा र्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किश्त)
		उत्तराखण्ड	हरिद्वार	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे (3 माह)	100	1560900	630450
				पिकल मेकिंग	240 घन्टे (2 माह)	50	660400	280200
		पंजाब	मोगा	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे (3 माह)	50	780450	315225
				हैण्ड इम्ब्रोइडरर	200 घन्टे (2 माह)	50	567000	233500
		हरियाणा	पलवल	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे (3 माह)	200	3121800	1260900
		जम्मू एण्ड कश्मीर (जॉब रोल एवं स्थान पलवल से बदल दिया गया)	कटुआ	हैण्ड इम्ब्रोइडरर	200 घन्टे (2 माह)	150	1701000	700500
		असम	कामरुम	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे (3 माह)	100	1687800	693900
			उडलगुरी	बैम्बू यूटीलिटी हैण्डिक्राफ्ट एसेम्बलर्स	230 घन्टे	100	1212000	506000
			बारपेट्टा	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे (2 माह)	100	1687800	693900
				हैण्ड इम्ब्रोइडरर	200 घन्टे (2 माह)	50	614000	257000
		मनीपुर	पूर्व इम्फाल	हैण्ड इम्ब्रोइडरर	200 घन्टे (2 माह)	50	614000	254200
				सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे (3 माह)	50	843900	346950
			पश्चिम इम्फाल	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे (3 माह)	50	843900	346950
				हैण्ड इम्ब्रोइडरर	200 घन्टे (2 माह)	50	614000	254200
		मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स	हैण्ड इम्ब्रोइडरर	200 घन्टे (2 माह)	100	1228000	508400
			पूर्वी खासी हिल्स	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे (3 माह)	100	1687800	693900
		सक्किम	दक्षिण सक्किम	हैण्ड रोलड अगरबत्ती मेकर	300 घन्टे (3 माह)	100	1620000	660000
			पूर्व सक्किम	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे (3 माह)	50	843900	346950
				हैण्ड रोलड अगरबत्ती मेकर	300 घन्टे (3 माह)	100	1620000	660000
		त्रिपुरा	उनाकोटी	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे (3 माह)	100	1687800	693900
			उत्तर त्रिपुरा	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे (3 माह)	100	1687800	693900
		कुल				2000	2952500	12127970
	हिमाचल कन्सलटेंसी लि. (हिमकॉन) फेस-2	असम	कामरुप	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे (3 माह)	30	506340	208170
			धुबरी	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे (3 माह)	30	506340	208170
		हिमाचल प्रदेश	ऊना	पिकल मेकिंग टेक्नीशियन	240 घन्टे (2 माह)	50	660400	268120
			बिलासपुर	पिकल मेकिंग टेक्नीशियन	240 घन्टे (2 माह)	50	660400	268120
						160	2333480	952580

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)	
	Himachal Consultancy Ltd. (HIMCON) CSR - IRFC	Haryana	Mewat	Sewing Machine Operator	270	300	6327813	1389105	
		Haryana	Mewat	Hand Embroiderer	200	140	2043244	439740	
		Haryana	Mewat	Pickle Making Technician	240	100	1659352	364920	
		Total				540	10030409	2193765	
		Sub Total				2700	41916389	15274315	
11	Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati Carry Forward	Assam	Dhubri	Pickle Making Tech.	240 Hrs.	30	364920	152460	
			Baksa	Organic Grower	200 Hrs.	30	277800	108900	
			Dhemaji	Chauffeur/Taxi Driver	400 Hrs.	30	598200	254100	
		Total				90	1240920	515460	
	Indian Institute of Entrepreneurship (IIE) Phase 1	Assam	Dhemaji	Jacquard Weavers-Handloom	300 Hrs./3 Months	120	2210400	915120	
			Sivsagar	Jacquard Weavers-Handloom	300 Hrs./3 Months	60	1105200	457560	
		Tripura	Shipahijela	Bamboo Utility Handicraft Assembler	230 Hrs/ 2 Months	60	727200	302160	
				Bamboo Basket Maker	240 Hrs/ 2 Months	60	753600	310080	
			North Tripura	Bamboo Utility Handicraft Assembler	230 Hrs/ 2 Months	60	727200	302160	
		Total				360	5523600	2287080	
		Residential							0
		Assam	Guwahati	Asst. Beauty Therapist	250 Hrs/2 Months	30	690000	345000	
				Self Employed Tailor	340 Hrs/ 3 Months	30	1064280	532140	
				Jacquard Weavers-Handloom	300 Hrs./3 Months	30	1002600	501300	
				Polisher & Cleaner	200 Hr / 2 Months	25	557000	278500	
				Asst. Electrician	400 Hrs/ 3 Months	25	964000	482000	
		Total				140	4277880	2138940	
		Sub Total				590	11042400	4941480	
12	Instrumentation Automation Surveillance and Communication Skill Council (IASC) Phase 1	UP	Bareilly	DTH Set Top Box Installation and Service	200Hrs/ (2 Month)	120	1360800	560400	
			Kanpur	DTH Set Top Box Installation and Service	200Hrs/ (2 Month)	60	680400	280200	
				DTH Set Top Box Installation and Service	200Hrs/ (2 Month)	60	680400	280200	
		Maharashtra	Nagpur	DTH Set Top Box Installation and Service	200Hrs/ (2 Month)	60	680400	280200	
		Kerala	Plakkad	DTH Set Top Box Installation and Service	200Hrs/ (2 Month)	55	623700	256850	
				CCTV Installation Technician	360Hrs/ (3 Month)	25	495300	210150	
		Kerala	Pathanamthitta	DTH Set Top Box Installation and Service	200Hrs/ (2 Month)	60	680400	280200	
		Total				440	5201400	2148200	
13	Infrastructure Equipment Skill Council (IESC) Phase 1	UP	Gouttam Budh Nagar	Junior Backhoe Operator	150 Hrs/2 Months	102	918510	357255	
		Tamilnadu	Chennai	Junior Backhoe Operator	150 Hrs/2 Months	218	1963090	672480.5	

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किश्त)	
	हिमाचल कन्सलटैंसी लि. (हिमकोन) सीएसआर - आईआरएफसी	हरियाणा	मेवात	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270	300	6327813	1389105	
		हरियाणा	मेवात	हैण्ड इन्ट्रोड्यूसर	200	140	2043244	439740	
		हरियाणा	मेवात	पिकल मेकिंग टेक्नीशियन	240	100	1659352	364920	
		कुल				540	10030409	2193765	
		कुल योग				2700	41916389	15274315	
11	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रिन्चोरशिप आगे बढ़ाया	असम	धुबरी	पिकल मेकिंग टेक्नीशियन	240 घन्टे	30	364920	152460	
			बक्सा	ऑर्गनिक ग्रोवर	200 घन्टे	30	277800	108900	
			धेमाजी	चौफूर/टैक्सी ड्राइवर	400 घन्टे	30	598200	254100	
		कुल				90	1240920	515460	
	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रिन्चोरशिप (आईआईई) फेस-1	असम	धेमाजी	जैक्वार्ड वीवर्स- हैंडलूम	300 घन्टे/3 माह	120	2210400	915120	
			शिवसागर	जैक्वार्ड वीवर्स- हैंडलूम	300 घन्टे/3 माह	60	1105200	457560	
		त्रिपुरा	शिपाइजेला	बैम्बू यूटीलिटी हैण्डिक्राफ्ट एसेम्बलर्स	230 घन्टे/2 माह	60	727200	302160	
				बैम्बू बॉसकेट मेकर	240 घन्टे/2 माह	60	753600	310080	
			उत्तर त्रिपुरा	बैम्बू यूटीलिटी हैण्डिक्राफ्ट एसेम्बलर्स	230 घन्टे/2 माह	60	727200	302160	
		कुल				360	5523600	2287080	
		Residential							0
		असम	गुवाहटी	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	690000	345000	
				सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	1064280	532140	
				जैक्वार्ड वीवर्स- हैंडलूम	300 घन्टे/3 माह	30	1002600	501300	
				पॉलिसर एण्ड क्लिनर	200 घन्टे/2 माह	25	557000	278500	
				असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	400 घन्टे/3 माह	25	964000	482000	
		कुल				140	4277880	2138940	
		कुल योग				590	11042400	4941480	
12	इंस्ट्रुमेंटेशन ऑटोमेशन सर्विलियंस एण्ड कम्प्यूटेशन स्किल काउंसिल (आईएससी) फेस-1	उत्तर प्रदेश	बेरली	डीटीएच सेट टॉप बॉक्स इंस्टालेशन एण्ड सर्विस	200 घन्टे/2 माह	120	1360800	560400	
			कानपुर	डीटीएच सेट टॉप बॉक्स इंस्टालेशन एण्ड सर्विस	200 घन्टे/2 माह	60	680400	280200	
				डीटीएच सेट टॉप बॉक्स इंस्टालेशन एण्ड सर्विस	200 घन्टे/2 माह	60	680400	280200	
		महाराष्ट्र	नागपुर	डीटीएच सेट टॉप बॉक्स इंस्टालेशन एण्ड सर्विस	200 घन्टे/2 माह	60	680400	280200	
		केरल	पलक्कड़	डीटीएच सेट टॉप बॉक्स इंस्टालेशन एण्ड सर्विस	200 घन्टे/2 माह	55	623700	256850	
				सी.सी.टी.वी. इंस्टालेशन टेक्नीशियन	360 घन्टे/3 माह	25	495300	210150	
		केरल	पथानामथिट्टा	डीटीएच सेट टॉप बॉक्स इंस्टालेशन एण्ड सर्विस	200 घन्टे/2 माह	60	680400	280200	
			कुल				440	5201400	2148200
13	इन्फ्राटेक्चर ई-इक्यूपमेंट स्किल काउंसिल (आईएससी) फेस-1	उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	जूनियर बेकहो ऑपरेटर	150 घन्टे/2 माह	102	918510	357255	
		तमिलनाडु	चेन्नई	जूनियर बेकहो ऑपरेटर	150 घन्टे/2 माह	218	1963090	672480.5	

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
				Junior Excavator Operator	170 Hrs/2 Months	60	596340	238170
				Junior Operator Crane	150 Hrs/2 Months	30	270150	105075
		Maharashtra	Nagpur	Junior Backhoe Operator	150 Hrs/2 Months	60	540300	210150
		Total				470	4288390	1583131
14	Indian Institute of Carpet Technology, Srinagar Phase 1	Jammu & Kashmir	Srinagar	Carpet Weaver-Knotted	450 Hrs./ 5 Months	200	4600000	1800000
		Total				200	4600000	1800000
15	Life Science Sector Skill Council (1st Phase)	Odisha	Cuttack	Medical Sales Representative	480 Hrs/ 4 Months	50	1160000	480000
		West Bengal	Jalpaiguri (Changed from Bahraich)	Store Asst. Life Science	280 Hrs/ 3 Months	50	803800	326900
			Murshidabad (Changed from Gautam Budh Nagar)	Store Asst. Life Science	280 Hrs/ 3 Months	50	803800	326900
		Total				150	2767600	1133800
16	Logistics Sector Skill Council Carry Forward	RPL- Upskilling						0
		Karnataka	Bengaluru	Courier Delivery Executive	80 Hrs.	100	405700	202850
		Uttar Pradesh	Gautam Budh Nagar	Warehouse Packer	80 Hrs.	100	405700	202850
		Total				200	811400	405700
	Logistics Sector Skill Council Phase 1	Andhra Pradesh	Nellore	Consignment Tracking Executve	270 Hrs. (3 Months)	100	1380000	540000
		Tamil Nadu	Salem	Documentation Assistant	270 Hrs. (3 Months)	49	676200	264600
			Chennai	Documentation Assistant	270 Hrs. (3 Months)	100	1380000	540000
		UP	Gautam Budh Nagar	Courier Delivery Executive	270 Hrs. (3 Months)	100	1380000	540000
		Total				349	4816200	1884600
	Logistics Sector Skill Council CSR CONCOR AIR LTD	Maharashtra	Mumbai	Consignment Booking Assistant	310	40	528000	158400
		Maharashtra	Mumbai	Consignment Tracking Executve	310	40	528000	158400
		Maharashtra	Mumbai	Inventory Clerk	290	40	573720	172116
		Maharashtra	Mumbai	Warehouse Picker	310	40	611080	183324
		Maharashtra	Mumbai	Warehouse Packer	310	40	611080	183324
		Total				200	2851880	855564
		Grand Total				749	8479480	3145864
17	MPCON Phase 1	Madhya Pradesh	Narshingpur	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	30	468270	189135
			Hoshangabab	Self Employed Trailor	340 Hrs.(3 Months)	30	566340	238170
				Hand Embroiderer	200 Hrs.(2 Months)	30	340200	140100
			Harda	Pickle Making Technician	240 Hrs.(2 Months)	30	396240	168120
				Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	30	468270	189135
				Dairy Farnming Entrepreneur	200 Hrs.(2 Months)	30	340200	140100

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणा धियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किरत)
				जूनियर एक्सकेवेटर ऑपरेटर	170 घन्टे/2 माह	60	596340	238170
				जूनियर क्रेन ऑपरेटर	150 घन्टे/2 माह	30	270150	105075
		महाराष्ट्र	नागपुर	जूनियर बेकहो ऑपरेटर	150 घन्टे/2 माह	60	540300	210150
		कुल				470	4288390	1583131
14	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपेट टेक्नोलॉजी, श्रीनगर फेस-1	जम्मू एण्ड कश्मीर	श्रीनगर	कारपेट विवर-नॉटेट	450 घन्टे/5 माह	200	4600000	1800000
		कुल				200	4600000	1800000
15	लाइफ साइंस स्किल काउंसिल फेस-1	ओडीसा	कटक	मेडीकल सेल्स रिप्रजेन्टेटिव	480 घन्टे/4 माह	50	1160000	480000
		पश्चिम बंगाल	जलपाइगुडी (बहराइच से परिवर्तित)	स्टोर असिस्टेंट लाइफ साइंस	280 घन्टे/3 माह	50	803800	326900
			मुरादाबाद (गौतम बुध नगर से परिवर्तित)	स्टोर असिस्टेंट लाइफ साइंस	280 घन्टे/3 माह	50	803800	326900
		कुल				150	2767600	1133800
16	लॉजिस्टिक सैक्टर स्किल काउंसिल आगे बढ़ाया	आरपीएल- अप-स्किलिंग						0
		कर्नाटक	बैंगलुरु	कूरियर वितरण कार्यकारी	80 घन्टे	100	405700	202850
		उत्तर प्रदेश	गौतम बुध नगर	वेयरहाउस पैकर	80 घन्टे	100	405700	202850
		कुल				200	811400	405700
	लॉजिस्टिक सैक्टर स्किल काउंसिल फेस-1	आन्ध्र प्रदेश	नेल्लौर	कसाइनमेंट ट्रेकिंग एक्जिक्यूटिव	270 घन्टे/3 माह	100	1380000	540000
		तमिलनाडु	सेलम	डेक्यूमेंट असिस्टेंट	270 घन्टे/3 माह	49	676200	264600
			चेन्नई	डेक्यूमेंट असिस्टेंट	270 घन्टे/3 माह	100	1380000	540000
		उत्तर प्रदेश	गौतम बुध नगर	कूरियर वितरण कार्यकारी	270 घन्टे/3 माह	100	1380000	540000
		कुल				349	4816200	1884600
	लॉजिस्टिक सैक्टर स्किल काउंसिल सीएसआर कॉनकोर एयर लि.	महाराष्ट्र	मुम्बई	कसाइनमेंट बुकिंग एक्जिक्यूटिव	310	40	528000	158400
		महाराष्ट्र	मुम्बई	कसाइनमेंट बुकिंग एक्जिक्यूटिव	310	40	528000	158400
		महाराष्ट्र	मुम्बई	इन्वेंट्री क्लर्क	290	40	573720	172116
		महाराष्ट्र	मुम्बई	वेयरहाउस पिकर	310	40	611080	183324
		महाराष्ट्र	मुम्बई	वेयरहाउस पिकर	310	40	611080	183324
		कुल				200	2851880	855564
		कुल योग				749	8479480	3145864
17	एमपीकॉन फेस-1	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	30	468270	189135
			होशंगाबाद हरदा	सेल्फ इमप्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	566340	238170
				हैण्ड इम्ब्रोइडरर	200 घन्टे/2 माह	30	340200	140100
			भोपाल सीहोर देवास	पिकल मेकिंग टेक्नीशियन	240 घन्टे/2 माह	30	396240	168120
				सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	30	468270	189135
				डेयरी फार्मिंग एन्टरप्रेन्योर	200 घन्टे/2 माह	30	340200	140100

Sl. No:	Name of SSC/TT	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
			Bhopal	Hand Embroiderer	200 Hrs.(2 Months)	60	680400	280200
				Recyclable Waste Collector& seggregator	160 Hrs.(2 Months)	60	568320	224160
				Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	30	468270	189135
		Sehore		Self Employed Trailor	340 Hrs.(3 Months)	30	566340	238170
		Dewas		Asstt. Beauty Therapist	250 Hrs(2 Months)	30	360000	150000
		Vidisa		Jam, Jelly & Ketchup Processing Tech.	240 Hrs. (2 Months)	30	396240	168120
				Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	30	468270	189135
				Dairy Farnming Entrepreneur	200 Hrs.(2 Months)	30	340200	140100
		Sagar		Pickle Making Technician	240 Hrs.(2 Months)	30	396240	168120
		Rajgarh		Asstt. Beauty Therapist	250 Hrs 2 Months	30	360000	150000
				Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	30	468270	189135
		Chhatarpur		Asstt. Beauty Therapist	250 Hrs 2 Months	30	360000	150000
				Self Employed Trailor	340 Hrs.(3 Months)	30	566340	238170
		Sehore (Chnaged from Chhatarpur)		Asst Electrician	400 Hrs.(3 Months)	30	650400	280200
		Newari		Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	30	468270	189135
		Damoh		Pickle Making Technician	240 Hrs.(2 Months)	30	396240	168120
		Raisen		Asstt. Beauty Therapist	250 Hrs 2 Months	30	360000	150000
				Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	30	468270	189135
		Agar Malwa		Processed Food Entreprenuer	240 Hrs.(2 Months)	30	300480	120240
				Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	30	468270	189135
	Madhya Pradesh	Ujjain		Jam, Jelly & Ketchup Processing Tech.	240 Hrs. (2 Months)	30	396240	168120
				Pickle Making Technician	240 Hrs.(2 Months)	30	396240	168120
		Indore		Asstt. Beauty Therapist	250 Hrs 2 Months	30	360000	150000
				Processed Food Entreprenuer	240 Hrs.(2 Months)	30	300480	120240
		Khandwa		Asstt. Beauty Therapist	250 Hrs 2 Months	30	360000	150000
				Dairy Farnming Entrepreneur	200 Hrs.(2 Months)	30	340200	140100
		Barwani		Asst Electrician	400 Hrs.(3 Months)	30	650400	280200
	Chhastiarh	Raipur		Jam, Jelly & Ketchup Processing Tech.	240 Hrs.(2 Months)	30	396240	168120

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणा धियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किरत)
			भोपाल	हैण्ड इन्ट्रोडरर	200 घन्टे/2 माह	60	680400	280200
				रिसाइकेबल वेस्ट कलैक्टर एण्ड सेग्रिगेटर	160 घन्टे/2 माह	60	568320	224160
				सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	30	468270	189135
		सीहोर		सेल्फ इमपलॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	566340	238170
		देवास		असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	360000	150000
		विदिशा		जैम, जैली एण्ड कैचप प्रोसेसिंग टेक्नीशियन	240 घन्टे/2 माह	30	396240	168120
				सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	30	468270	189135
				डेयरी फार्मिंग एन्टरप्रिन्चौर	200 घन्टे/2 माह	30	340200	140100
		सागर		पिकल मेकिंग टेक्नीशियन	240 घन्टे/2 माह	30	396240	168120
		रायगढ़		असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	360000	150000
				सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	30	468270	189135
		छत्तरपुर		असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	360000	150000
				सेल्फ इमपलॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	566340	238170
		सिहौर (छत्तरपुर से परिवर्तित)		असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन	400 Hrs.(3 माह)	30	650400	280200
		नेवाड़ी		सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	30	468270	189135
		दमोह		पिकल मेकिंग टेक्नीशियन	240 घन्टे/2 माह	30	396240	168120
		रायसेन		असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	360000	150000
				सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	30	468270	189135
		आगर मालवा		प्रोसेसड फूड एन्टरप्रिन्चौर	240 घन्टे/2 माह	30	300480	120240
				सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	30	468270	189135
	मध्य प्रदेश	उज्जैन		जैम, जैली एण्ड कैचप प्रोसेसिंग टेक्नीशियन	240 घन्टे/2 माह	30	396240	168120
				पिकल मेकिंग टेक्नीशियन	240 घन्टे/2 माह	30	396240	168120
		इंदौर		असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	360000	150000
				प्रोसेसड फूड एन्टरप्रिन्चौर	240 घन्टे/2 माह	30	300480	120240
		खंडवा		असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	360000	150000
				डेयरी फार्मिंग एन्टरप्रिन्चौर	200 घन्टे/2 माह	30	340200	140100
		बड़वानी		असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन	400 घन्टे/3 माह	30	650400	280200
	छत्तीसगढ़	रायपुर		जैम, जैली एण्ड कैचप प्रोसेसिंग टेक्नीशियन	240 घन्टे/2 माह	30	396240	168120

Sl. No:	Name of SSC/TT	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
				Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	30	468270	189135
				Dairy Farming Entrepreneur	200 Hrs.(2 Months)	30	340200	140100
			Durg	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	30	468270	189135
				Asstt. Beauty Therapist	250 Hrs 2 Months	30	360000	150000
				Hand Embroiderer	200 Hrs.(2 Months)	30	340200	140100
			Rajnand Gaon	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	30	468270	189135
				Hand Embroiderer	200 Hrs.(2 Months)	30	340200	140100
				Processed Food Entrepreneur	240 Hrs.(2 Months)	30	300480	120240
		Odisha	Dhankanal	Hand Embroiderer (Changed from Dairy Farming Entrepreneur)	200 Hrs.(2 Months)	30	340200	140100
				Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	30	468270	189135
				Asst Electrician	400 Hrs.(3 Months)	30	650400	280200
			Kalahandi	Sewing Machine Operator	270 Hrs.(3 Months)	30	468270	189135
				Hand Embroiderer	200 Hrs.(2 Months)	30	340200	140100
				Dairy Farming Entrepreneur	200 Hrs.(2 Months)	30	340200	140100
		Total				1500	20583570	8506785
	MPCON Phase 2	Madhya Pradesh	Panna	Asst. Beauty Therapist	250 Hrs (2 Months)	30	360000	150000
			Bhopal	Sewing Machine Operator	270 Hrs (3 Months)	30	468270	203481
			Timarni (Harda)	Asst. Beauty Therapist	250 Hrs (2 Months)	30	360000	150000
			Harda	Self Employed Tailor	340 Hrs (3 Months)	30	566340	232902
			Sehore	Self Employed Tailor	340 Hrs (3 Months)	30	566340	232902
			Rajgarh	Self Employed Tailor	340 Hrs (3 Months)	30	566340	232902
			Raisen	Self Employed Tailor	340 Hrs (3 Months)	30	566340	232902
			Vidisha	Asst. Beauty Therapist	250 Hrs (2 Months)	30	360000	150000
			Indore	Asst. Beauty Therapist	250 Hrs (2 Months)	30	360000	150000
			Betul	Hand Embroiderer	200 Hrs (2 Months)	30	340200	144060
						300	4513830	1879149
						1800	25097400	10385934
18	MSME ToolRoom Indo-German Toolroom, Ahmedabad Phase 1	Gujarat	Ahmedabad	Master Certificate Course in Computer Aided Tool Engineering	780 Hrs (6 Months)	20	848520	338556

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणा थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किरत)
				सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	30	468270	189135
				डेयरी फार्मिंग एन्टरप्रिन्चौर	200 घन्टे/2 माह	30	340200	140100
		दुर्ग		सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	30	468270	189135
				असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	360000	150000
				हैण्ड इम्ब्रोइडरर	200 घन्टे/2 माह	30	340200	140100
		राजनंद गाँव		सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	30	468270	189135
				हैण्ड इम्ब्रोइडरर	200 घन्टे/2 माह	30	340200	140100
				प्रोसेसड फूड एन्टरप्रिन्चौर	240 घन्टे/2 माह	30	300480	120240
	ओडीसा	धनकेनल		हैण्ड इम्ब्रोइडरर (डेयरी फार्मिंग एन्टरप्रिन्चौर में परिवर्तित)	200 घन्टे/2 माह	30	340200	140100
				सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	30	468270	189135
				असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन	400 घन्टे/3 माह	30	650400	280200
		कालाहाँड़ी		सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	30	468270	189135
				हैण्ड इम्ब्रोइडरर	200 घन्टे/2 माह	30	340200	140100
				डेयरी फार्मिंग एन्टरप्रिन्चौर	200 घन्टे/2 माह	30	340200	140100
		कुल				1500	20583570	8506785
	एमपीकॉन फेस-2	मध्य प्रदेश	पन्ना	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	360000	150000
			भोपाल	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	30	468270	203481
			टिमरनी (हरदा)	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	360000	150000
			हरदा	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	566340	232902
			सीहोर	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	566340	232902
			राजगढ़	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	566340	232902
			रायसेन	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	566340	232902
			विदिशा	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	360000	150000
			इंदौर	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	360000	150000
			बेतुल	हैण्ड इम्ब्रोइडरर	200 घन्टे/2 माह	30	340200	144060
						300	4513830	1879149
						1800	25097400	10385934
18	एमएसएफई टूलरूम इण्डो-जर्मन टूलरूम, अहमदाबाद फेस-1	गुजरात	अहमदाबाद	कंप्यूटर एडेड टूल इंजीनियरिंग में मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स	780 घन्टे/6 माह	20	848520	338556

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
			Ahmedabad	Certificate Course in CNC Milling	780 Hrs (6 Months)	20	848520	364260
				Certificate Course in CNC Turning	780 Hrs (6 Months)	58	2460708	981812.4
			Ahmedabad	Master Certificate Course in CAD/CAM	780 Hrs (6 Months)	23	975798	418899
			Rajkot	Master Certificate Course in CAD/CAM	780 Hrs (6 Months)	55	2333430	969585
		Total				176	7466976	3073112.4
19	MSME ToolRoom Central Tool Room and Training Centre, Bhubaneswar Phase 1	Odisha	Khurda	Advance Dip in CNC programming Technique & Practices (ADCNC)	900 Hrs/ 6 Months	100	4803000	1860900
				Advance Dip in Machine Maintenance & Automation (ADMMA)	900 Hrs/ 6 Months	183	7763958	3097787
		Total				283	12566958	4958687
20	MSME ToolRoom Central Tool Room and Training Centre, Kolkata Phase 1	West Bengal	Noth 24 Paragana	Arise room air conditioner & Home Appliances (RACHA)	610 Hrs/5 Months	75	2511525	892688.2
			Noth 24 Paragana	Arise Handheld products	460 Hrs/4 Months	97	2471754	866902.2
			Noth 24 Paragana	Arise Audio Vido (AV)	460 Hrs/4 Months	68	1732776	564008.8
		Total				240	6716055	2323599.2
21	MSME - Tool Room and Treaining Centre Guwahati Phase 1	Assam	Kamrup	Certificate course in fitter & Rigger	780 Hrs/ 4 Months	120	5291040	1923312
				Certificate course in CNC Milling	780 Hrs/ 4 Months	90	3968280	1442484
				Certificate course in CNC Turning	780 Hrs/ 4 Months	90	3968280	1442484
		Total				300	13227600	4808280
22	Model Finishing School, Kerala Phase 1	Kerla	Mallapuram	Junior Software Devlopers	400 Hrs/3 Months	30	570000	261360
			Ernakulam	Solar Panel Installtion Technician	400 Hrs/3 Months	30	650400	290062.8
				DTH Settop Box Installation & Service technician	200 Hrs./2 Months	30	340200	160031.4
			Mallapuram	Field Technician- Computing & Peripherals	300 Hrs/ 3Months	30	510300	240047.1
			Alapuzha	DTH Settop Box Installation & Service technician	200 Hrs./2 Months	30	340200	160031.4
				Solar Panel Installtion Technician	400 Hrs/3 Months	30	650400	290062.8
			Pathanchitta	Solar Panel Installtion Technician	400 Hrs/3 Months	30	650400	290062.8
			Thiruvananthapuram	DTH Settop Box Installation & Service technician	200 Hrs./2 Months	30	340200	160031.4
			Mallapuram	Field Technician- Computing & Peripherals	300 Hrs/ 3Months	30	510300	234107.1
			Kozhikod	Field Technician- Other home appliances	360 Hrs/ 3Months	30	594360	270056.52

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किस्त)
			अहमदाबाद	सीएनसी मिलिंग में सर्टिफिकेट कोर्स	780 घन्टे/6 माह	20	848520	364260
				सीएनसी मिलिंग में सर्टिफिकेट कोर्स	780 घन्टे/6 माह	58	2460708	981812.4
			अहमदाबाद	सीएडी / सीएएम में मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स	780 घन्टे/6 माह	23	975798	418899
			राजकोट	सीएडी / सीएएम में मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स	780 घन्टे/6 माह	55	2333430	969585
		कुल				176	7466976	3073112.4
19	एमएसएफई टूलरूम सैन्ट्रल टूलरूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर एभुवनेश्वर फेस-1	ओडीसा	खुर्दा	सीएनसी प्रोग्रामिंग तकनीक और टेक्निक में अग्रिम प्रैक्टिस (ए.डी.सी.एन.सी.)	900 घन्टे/6 माह	100	4803000	1860900
				मशीन रखरखाव एण्ड स्वचालन में अग्रिम डिप्लोमा (ए.डी.एम.एम.ए.)	900 घन्टे/6 माह	183	7763958	3097787
		कुल				283	12566958	4958687
20	एमएसएफई टूलरूम सैन्ट्रल टूलरूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर ए कोलकटा फेस-1	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना	कमरे में एयर कंडीशनर और घरेलू उपकरण (आर.ए.सी.एच.ए.)	610 घन्टे/5 माह	75	2511525	892688.2
			उत्तर 24 परगना	अराइज हैण्डहैल्ड प्रोडक्ट	460 घन्टे/4 माह	97	2471754	866902.2
			उत्तर 24 परगना	अराइज आउडियो विडियो (एवी)	460 घन्टे/4 माह	68	1732776	564008.8
		कुल				240	6716055	2323599.2
21	एमएसएफई- टूलरूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, गुवाहटी फेस-1	असम	कामरूप	सर्टिफिकेट कोर्स इन फिटर एण्ड रिग्गर	780 घन्टे/4 माह	120	5291040	1923312
				सर्टिफिकेट कोर्स इन सीएनसी मिलिंग	780 घन्टे/4 माह	90	3968280	1442484
				सर्टिफिकेट कोर्स इन सीएनसी टर्निंग	780 घन्टे/4 माह	90	3968280	1442484
		कुल				300	13227600	4808280
22	मॉडल फिनिशिंग स्कूल, केरल फेस-1	केरल	मल्लापुरम	जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स	400 घन्टे/3 माह	30	570000	261360
			एर्नाकुलम	सोलर पेनल इन्स्टॉलेशन टेक्नीशियन	400 घन्टे/3 माह	30	650400	290062.8
				डीटीएच सैटटॉप बॉक्स इन्स्टॉलेशन एण्ड सर्विस टेक्नीशियन	200 घन्टे/2 माह	30	340200	160031.4
			मल्लापुरम	फिल्ड टेक्नीशियन- कम्प्यूटिंग एण्ड पेरिफेरल्स	300 घन्टे/3 माह	30	510300	240047.1
			अलपुझा	डीटीएच सैटटॉप बॉक्स इन्स्टॉलेशन एण्ड सर्विस टेक्नीशियन	200 घन्टे/2 माह	30	340200	160031.4
				सोलर पेनल इन्स्टॉलेशन टेक्नीशियन	400 घन्टे/3 माह	30	650400	290062.8
			पठान चित्त	सोलर पेनल इन्स्टॉलेशन टेक्नीशियन	400 घन्टे/3 माह	30	650400	290062.8
			तिरुवनंतपुरम	डीटीएच सैटटॉप बॉक्स इन्स्टॉलेशन एण्ड सर्विस टेक्नीशियन	200 घन्टे/2 माह	30	340200	160031.4
			मलप्पुरम	फिल्ड टेक्नीशियन- कम्प्यूटिंग एण्ड पेरिफेरल्स	300 घन्टे/3 माह	30	510300	234107.1
			कोझिकोड	फिल्ड टेक्नीशियन- अन्य होम अप्लाइन्सेज	360 घन्टे/3 माह	30	594360	270056.52

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)	
	Model Finishing School, Kerala Phase 2	Kerala	Ernakulam	Solar Panal Installation Technician	400 Hrs/ 3 Months	30	650400	181277	
				Field Technician-other Home Appliances	360 Hrs/ 3 Months	30	594360	181277	
				Electrician Domestic Solution	350 Hrs/ 3 Months	30	580350	181277	
				Malapuram	DTH Set Top Box Installation & Service Technician	200 Hrs/ 2 Months	30	340200	181278
					Field Technician-Other Home Appliances	360 Hrs/ 3 Months	30	594360	181278
					Electrician Domestic Solution	350 Hrs/ 3 Months	30	580350	181277
					Domestic Data Entry Operator	400 Hrs/ 3 Months	30	570000	181277
					Solar Panal Installation Technician	400 Hrs/ 3 Months	30	650400	181277
		Total			540	9717180	3806071		
23	National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD) Phase 1	UP	Noida	Self Employed Tailor	340 Hrs (3 Month)	30	566340	238170	
				Pickle Making	240 Hrs. (2 Month)	30	396240	168120	
				Asst Beauty Therapist	250 Hrs. (2 Month)	30	360000	150000	
				Field Technician other home appliances	360 Hrs. (3 Month)	30	594360	252180	
				Hnad Repairs Engineer	300 Hrs. (3 Month)	30	450000	180000	
		Utatrakhand	Dehradun	Self Employed Tailor	340 Hrs. (3 Month)	50	943900	396950	
				Asst Beauty Therapist	250 Hrs. (2 Month)	50	600000	250000	
		Himachal Pradesh	Chamba (Change from Chennai)	Field Technician computing and Peripherals	300 Hrs. (3 Month)	50	850500	350250	
				Hnad Repairs Engineer	300 Hrs. (3 Month)	50	750000	300000	
			Kangra	Pickle Making	240 Hrs. (2 Month)	90	1188720	504360	
			Mandi	Pickle Making	240 Hrs. (2 Month)	60	792480	336240	
				Asst Beauty Therapist	250 Hrs. (2 Month)	30	360000	150000	
		Telagana	Hyderabad	Self Employed Tailor	340 Hrs. (3 Month)	100	1887800	793900	
		Bihar	Munger	Asst Beauty Therapist	250 Hrs. (2 Month)	60	720000	300000	
				Self Employed Tailor	340 Hrs. (3 Month)	60	1132680	476340	
		Jharkhand	Ranchi	Self Employed Tailor	340 Hrs. (3 Month)	60	1132680	465804	
				Pickle Making	240 Hrs. (2 Month)	30	396240	160872	
Maharashtra	Nagpur	Hnad Repairs Engineer	300 Hrs. (3 Month)	50	750000	300000			

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किश्त)	
	मॉडल फिनिशिंग स्कूल, केरल फेस-2	केरल	एर्नाकुलम	सोलर पेनल इन्स्टॉलेशन टेक्नीशियन	400 घन्टे/3 माह	30	650400	181277	
				फिल्ड टेक्नीशियन- अन्य होम अप्लाइन्सेज	360 घन्टे/3 माह	30	594360	181277	
					इलेक्ट्रीशियन डॉमेस्टिक सॉल्यूशन	350 घन्टे/3 माह	30	580350	181277
			मलप्पुरम	डीटीएच सैटटॉप बॉक्स इन्स्टॉलेशन एण्ड सर्विस टेक्नीशियन	200 घन्टे/2 माह	30	340200	181278	
					फिल्ड टेक्नीशियन- अन्य होम अप्लाइन्सेज	360 घन्टे/3 माह	30	594360	181278
					इलेक्ट्रीशियन डॉमेस्टिक सॉल्यूशन	350 घन्टे/3 माह	30	580350	181277
					डॉमेस्टिक डाटा एन्ट्री आपरेटर	400 घन्टे/3 माह	30	570000	181277
					सोलर पेनल इन्स्टॉलेशन टेक्नीशियन	400 घन्टे/3 माह	30	650400	181277
		कुल				540	9717180	3806071	
23	नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रिन्शोरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट (निसबड) फेस-1	उत्तर प्रदेश	नोयडा	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	566340	238170	
				पिकल मेकिंग	240 घन्टे/2 माह	30	396240	168120	
					असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	360000	150000
					फिल्ड टेक्नीशियन- अन्य होम अप्लाइन्सेज	360 घन्टे/3 माह	30	594360	252180
					हैण्ड रिपेयर्स इंजीनियर	300 घन्टे/3 माह	30	450000	180000
		उत्तराखण्ड	देहरादून	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	50	943900	396950	
				असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	50	600000	250000	
		हिमाचल प्रदेश	चम्बा (चेन्नई से परिवर्तित)	फिल्ड टेक्नीशियन- कम्प्यूटिंग एण्ड पेरिफेरल्स	300 घन्टे/3 माह	50	850500	350250	
				हैण्ड रिपेयर्स इंजीनियर	300 घन्टे/3 माह	50	750000	300000	
			कांगड़ा	पिकल मेकिंग	240 घन्टे/2 माह	90	1188720	504360	
			मंडी	पिकल मेकिंग	240 घन्टे/2 माह	60	792480	336240	
				असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	30	360000	150000	
		तेलंगाना	हैदराबाद	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	100	1887800	793900	
		बिहार	मुंगेर	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	60	720000	300000	
				सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	60	1132680	476340	
		झारखण्ड	रांची	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	60	1132680	465804	
पिकल मेकिंग	240 घन्टे/2 माह			30	396240	160872			
महाराष्ट्र	नागपुर	हैण्ड रिपेयर्स इंजीनियर	300 घन्टे/3 माह	50	750000	300000			

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
				Domestic Data Entry Operator	400 Hrs. (4 Month)	50	1000000	400000
		West Benagal	Howrah	Self Employed Tailor	340 Hrs. (3 Month)	60	1132680	465804
		Total				1000	16004620	6638990
	National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD) CSR -IRFC	Rajasthan	Jhunjhunu (Changed from Jaisalmer)	Consignment Booking Assistant	310	100	1714400	424320
		Rajasthan	Barmer	Consignment Tracking Assistant	310	100	1714400	424320
		Bokaro	Jharkhand	Field Technician Networking & Storage	360	100	1976400	502920
		Koraput	Odisha	Mobile Phone Hardware Repair Technician	360	150	2964600	754380
		Chandauli	Uttar Pradesh	Make-up artist	270	150	2392200	582660
		Total				600	10762000	2688600
	National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD) 2nd Phase	Bihar	Motihari	Self Employed Tailor	340 Hrs./ 3 Months	100	1887800	776340
		Jammu & Kashmir	Jammu	Self Employed Tailor	340 Hrs./ 3 Months	50	943900	388170
		Punjab	Amritsar	Self Employed Tailor	340 Hrs./ 3 Months	100	1887800	776340
		Rajasthan	Pratapgarh	Self Employed Tailor	340 Hrs./ 3 Months	30	566340	232902
				Pickle Making Technician	240 Hrs./ 2 Monnths	30	396240	160872
		Uttarakhand	Dehradun	Self Employed Tailor	340 Hrs./ 3 Months	25	471950	194085
				Beauty Therapist	350 Hrs./ 3 Months	25	425000	180000
		UP	Noida	Beauty Therapist	350 Hrs./ 3 Months	30	510000	216000
				Self Employed Tailor	340 Hrs./ 3 Months	30	566340	232902
		Total				420	7655370	3157611
	National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD) CSR CWC	Uttarakhand	Haridwar	Self-Employed Tailor	340 Hrs	200	4795600	2397800
		Total				200	4795600	2397800
	National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD) Adoloscent Child Labourers	UP	Firozabad	Beauty Therapist	350 Hrs. (3 Month)	20	340000	144000
				Self Employed Tailor	340 Hrs. (3 Month)	90	1699020	698706
				Field Technician other home appliances	360 Hrs. (3 Month)	55	1089660	442398
		Total				165	3128680	1285104
		Grand Total				2385	42346270	16168105
24	NITCON Ltd. Carry Forward	Assam	Barpeta	Hosekeeping Supervisor	220 Hrs.	50	540000	220000
			Darang	Assistant Beauty Therapist	250 Hrs.	50	600000	250000
		Sikkim	East Sikkim	Assistant Beauty Therapist	250 Hrs.	50	600000	250000
		Tripura	South Tripura	Asstt. Beauty Therapist	250 Hrs	50	600000	250000

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणा र्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किरत)
				डॉमेस्टिक डाटा एन्ट्री आपरेटर	400 घन्टे/4 माह	50	1000000	400000
		पश्चिम बंगाल	हावड़ा	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	60	1132680	465804
		कुल				1000	16004620	6638990
	नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रिन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनस डेवलपमेंट (निसबड) सीएसआर – आईआर एफसी	राजस्थान	झुंझुनू (जैसलमेर से परिवर्तित)	कंसाइनमेंट ट्रेकिंग असिस्टेंट	310	100	1714400	424320
		राजस्थान	बाडमेर	कंसाइनमेंट ट्रेकिंग असिस्टेंट	310	100	1714400	424320
		बोकारो	झारखण्ड	फिल्ड टेक्नीशियन नेटवर्किंग एण्ड स्टोरेज	360	100	1976400	502920
		कोरापूत	ओडीसा	मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन	360	150	2964600	754380
		चन्दौली	उत्तर प्रदेश	मेकअप आर्टिस्ट	270	150	2392200	582660
		कुल				600	10762000	2688600
	नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रिन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनस डेवलपमेंट (निसबड) फेस-2	बिहार	मोतिहारी	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	100	1887800	776340
		जम्मू एण्ड कश्मीर	जम्मू	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	50	943900	388170
		पंजाब	अमृतसर	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	100	1887800	776340
		राजस्थान	प्रतापगढ़	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	566340	232902
				पिकल मेकिंग टेक्नीशियन	240 घन्टे/2 माह	30	396240	160872
		उत्तराखण्ड	देहरादून	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	25	471950	194085
				ब्यूटी थैरेपिस्ट	350 घन्टे/3 माह	25	425000	180000
		उत्तर प्रदेश	नोएडा	ब्यूटी थैरेपिस्ट	350 घन्टे/3 माह	30	510000	216000
				सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	566340	232902
		कुल				420	7655370	3157611
	नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रिन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनस डेवलपमेंट (निसबड) सीएसआर सीडब्ल्यूसी	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	सेल्फ-इम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे	200	4795600	2397800
		Total				200	4795600	2397800
	नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रिन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनस डेवलपमेंट (निसबड) एडोलोसेंट चाइ चाइल्ड लेबर्स	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	ब्यूटी थैरेपिस्ट	350 घन्टे/3 माह	20	340000	144000
				सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	90	1699020	698706
				फिल्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लाईसेज	360 घन्टे/3 माह	55	1089660	442398
		कुल				165	3128680	1285104
		कुल योग				2385	42346270	16168105
24	नितकॉन लि. आगे बढ़ाया	असम	बारपेट्टा	हाउसकीपिंग सुपरवाइजर	220 घन्टे.	50	540000	220000
			दरंग	असिस्टेंट ब्यूटी थैरेपिस्ट	250 घन्टे	50	600000	250000
		सक्किम	पूवी सक्किम	असिस्टेंट ब्यूटी थैरेपिस्ट	250 घन्टे	50	600000	250000
		त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	असिस्टेंट ब्यूटी थैरेपिस्ट	250 घन्टे	50	600000	250000

Sl. No:	Name of SSC/TT	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
			West Tripura	Hosekeeping Supervisor	220 Hrs	100	1080000	440000
		Punjab	Moga	Data Entry Operator	130 Hrs.	25	167975	58987.5
				Self Employed Tailor	340 Hrs	25	434975	179987.5
				Beauty Therapist	350 Hrs.	25	392625	158812.5
				Retail Sales Associate	280 Hrs.	25	329100	127050
			Firozpur	Self Employed Tailor	340 Hrs	25	434975	179987.5
				Data Entry Operator	130 Hrs.	25	167975	58987.5
				Mobile Phone Hardware Repair Technician	360 Hrs.	25	456150	190575
				Field Technician- Air Conditioner	300 Hrs	25	392625	158812.5
		Uttar Pradesh	Chandauli	Data Entry Operator	130 Hrs.	60	403140	141570
				Sewing Machine Operator	270 Hrs	30	403050	171525
			Sonbhadra	Domestic Data Entry Operator	400 Hrs.	30	525600	217800
		Total				620	7528190	3054095
	NITCON Ltd. Phase 1	Assam	Tinsukia Dist. (changed from Guwahati)	Beauty Therapist	350hrs/ 3Months	60	1104000	507096
			Guwahati	Self Employed Tailor	340hrs/ 3 Months	60	1228560	580902.24
			Baksa	Beauty Therapist	350hrs/ 3Months	60	1104000	511896
			Barpetta	Cellular Phone Repair and Service	240hrs/ 2Months	30	376800	175507.2
			Dhubri	Cellular Phone Repair and Service	240hrs/ 2Months	30	376800	175507.2
			Dhubri	Beauty Therapist	350hrs/ 3Months	60	1104000	511896
		Total				300	5294160	2462804.64
				RPL Upskilling				0
		Assam	Baksa	Mason Genral	80Hrs.	60	359700	212223
			Moregoan	Plumber Genral	80Hrs.	30	164850	97261.5
		Oddisa	Gajapati	Plumber Genral	80Hrs.	60	310560	183230.4
			Gajapati	Mason Genral	80Hrs.	60	340560	200930.4
		West Bengal	Budge-Budge/ Howrah (chnaged from Rayagada)	Field Technician AC	80Hrs.	60	310560	183230.4
		Tripura	Agartala to Dhalai Change	Beauty Therapist	80Hrs.	30	149760	88358.4
				Mason Genral	80Hrs.	60	359700	212223
		West Bengal	Dakshin Dinajpur	Mason Marble, Granite & Stone	80Hrs.	70	397320	234418.8
			Maldah	Field Technician AC	80Hrs.	40	207040	122153.6
			Purulia	Field Technician Refrigerator	80Hrs.	30	155280	91615.2
		Total				500	2755330	1625644.7
			Phase 1 Total			800	8049490	4088449.34
	NITCON Ltd. CSR IRFC	Assam	Barpetta	Electrical technician	200	60	900958	223487
		Bihar	Muzzaffarpur	Electrical technician	200	60	900958	223487
		Jharkhand	Sahibganj	Beauty Therapist	350	30	778423	201126
		Jharkhand	Pakur	Electrical technician	200	60	900958	223487
		West Bengal	Dakshin Dinajpur	Sewing Machine Operator	400	60	1817458	462437

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणा धियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किरत)
			पश्चिम त्रिपुरा	हाउसकीपिंग सुपरवाइजर	220 घन्टे	100	1080000	440000
		पंजाब	मोगा	डाटा एन्ट्री आपरेटर	130 घन्टे	25	167975	58987.5
				सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे	25	434975	179987.5
				ब्यूटी थेरेपिस्ट	350 घन्टे	25	392625	158812.5
				रिटेल सेल्स एसोशिएट	280 घन्टे	25	329100	127050
			फिरोजपुर	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे	25	434975	179987.5
				डाटा एन्ट्री आपरेटर	130 घन्टे	25	167975	58987.5
				मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन	360 घन्टे	25	456150	190575
				फिल्ड टेक्नीशियन - एयर कंडीशनर	300 घन्टे	25	392625	158812.5
		उत्तर प्रदेश	चंदौली	डाटा एन्ट्री आपरेटर	130 घन्टे	60	403140	141570
				सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे	30	403050	171525
			सोनभद्र	डॉमेस्टिक डाटा एन्ट्री आपरेटर	400 घन्टे	30	525600	217800
		कुल				620	7528190	3054095
	निकॉन लि. फेस-1	असम	जिला तिनसुखिया (गुहावटी से परिवर्तित)	ब्यूटी थेरेपिस्ट	350 घन्टे/3 माह	60	1104000	507096
			गुवाहाटी	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	60	1228560	580902.24
			बक्स	ब्यूटी थेरेपिस्ट	350 घन्टे/3 माह	60	1104000	511896
			बारपेट्टा	सेल्यूलर फोन रिपेयर एण्ड सर्विस	240 घन्टे/2 माह	30	376800	175507.2
			धुबरी	सेल्यूलर फोन रिपेयर एण्ड सर्विस	240 घन्टे/2 माह	30	376800	175507.2
			धुबरी	ब्यूटी थेरेपिस्ट	350 घन्टे/3 माह	60	1104000	511896
		कुल				300	5294160	2462804.64
				आरपीएल अप-रिकलिंग				0
		असम	बक्स	जनरल मेसन	80 घन्टे	60	359700	212223
			मोरीगाँव	प्लम्बर जनरल	80 घन्टे	30	164850	97261.5
		ओड़ीसा	गजपति	प्लम्बर जनरल	80 घन्टे	60	310560	183230.4
			गजपति	जनरल मेसन	80 घन्टे	60	340560	200930.4
		पश्चिम बंगाल	बज-बज/ हावड़ा (रयागढ़ा से परिवर्तित)	फिल्ड टेक्नीशियन एसी	80 घन्टे	60	310560	183230.4
		त्रिपुरा	अगरतला से धलाई परिवर्तित	ब्यूटी थेरेपिस्ट	80 घन्टे	30	149760	88358.4
				जनरल मेसन	80 घन्टे	60	359700	212223
		पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर	मेसन मार्बल, ग्रेनाइट एण्ड स्टोन	80 घन्टे	70	397320	234418.8
			मालदा	फिल्ड टेक्नीशियन एसी	80 घन्टे	40	207040	122153.6
			पुरुलिया	फिल्ड टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर	80 घन्टे	30	155280	91615.2
		कुल				500	2755330	1625644.7
			फेस-1 कुल			800	8049490	4088449.34
	निकॉन लि. सीएसआर आईआरएफसी	असम	बारपेट्टा	इलेक्ट्रीकल टेक्नीशियन	200	60	900958	223487
		बिहार	मुजफ्फरपुर	इलेक्ट्रीकल टेक्नीशियन	200	60	900958	223487
		झारखण्ड	साहेबगंज	ब्यूटी थेरेपिस्ट	350	30	778423	201126
		झारखण्ड	पाकुर	इलेक्ट्रीकल टेक्नीशियन	200	60	900958	223487
		पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर	सिलाई मशीन ऑपरेटर	400	60	1817458	462437

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)	
			Dakshin Dinajpur	Electrical technician	200	60	900958	223487	
		West Bengal	Nadia	Beauty Therapist	350	60	1556846	402254	
		Total				390	7756557.2	1959766	
		Sub Total				1810	23334237.2	9102311	
25	OP Jindal Community College Phase 1	Jharkhand	Ramgarh	Asst. Electrician (Changed from Genral Mason)	400 Hrs/ 3 Months	25	542000	215100	
				Asst. Electrician	400 Hrs/ 3 Months	25	542000	215100	
		Odisha	Angul	Genral Mason	400 Hrs/ 3 Months	25	542000	215100	
				Asst. Electrician (changed from Bar Bendre and Steel Fixer)	400 Hrs/ 3 Months	25	542000	215100	
				Asst. Electrician	400 Hrs/ 3 Months	25	542000	215100	
				Asst. Electrician (Changed from Cunstruction Painter & Decorator)	400 Hrs/ 3 Months	25	542000	215100	
			Bodbil	Genral Mason	400 Hrs/ 3 Months	50	1084000	430200	
		Residential							0
		Chhastigarh	Raigarh (Residential)	Asst. Electrician (Changed from Genral Mason)	400 Hrs/ 3 Months	25	917000	458500	
				Asst. Electrician	400 Hrs/ 3 Months	50	1834000	917000	
				Shuttering Carpenter System	400 Hrs/ 3 Months	25	917000	458500	
		Total				300	8004000	3554800	
26	Paints & Coating SSC Carry Forward	Assam	Dhubri	Assistant Decorative Painter	240 Hrs.	60	696000	288000	
					240 Hrs.	60	696000	288000	
		Upskilling						0	0
		UP	Ballia	Assistant Decorative Painter	48 Hrs.	100	330700	165350	
					48 Hrs.	50	165350	82675	
		Total				270	1888050	824025	
	Paints & Coating SSC Phase 1	Assam	Darang	Asst Decoratative Painter	240 Hrs./2 Months	120	1507200	620160	
		West Bengal	Kalimpong	Asst Decoratative Painter	80 Hrs.	180	849600	424800	
		Total				300	2356800	1044960	
		Grand Total				570	4244850	1868985	
27	Plumbing sector skill council Carry Forward	West Bengal	Siliguri	Plumber General	320 Hrs.	120	1986240	813120	
		Odisha	Dhankenal	Plumber General	320 Hrs.	120	1986240	813120	
		Total				240	3972480	1626240	
28	Power Sector Skill Council Phase 1	Assam	Barpetta	Electrician Domestic Solution	350 Hrs (3 Months)	60	1259400	503820	
			Darrang	Distribution Linemen	350 Hrs (3 Months)	60	1259400	503820	
			Moregoan	Distribution Linemen	350 Hrs (3 Months)	60	1259400	503820	
		Haryana	Nuh	Electrician Domestic Solution	350 Hrs (3 Months)	120	2321400	948420	

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किश्त)
			दक्षिण दिनाजपुर	इलेक्ट्रीकल टेक्नीशियन	200	60	900958	223487
		पश्चिम बंगाल	नादिया	ब्यूटी थेरेपिस्ट	350	60	1556846	402254
		कुल				390	7756557.2	1959766
		कुल योग				1810	23334237.2	9102311
25	ओपी जिन्दल कम्प्यूनीटी कॉलेज फ़ेस-1	झारखण्ड	रामगढ़	असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन (जनरल मेसन में परिवर्तित)	400 घन्टे/3 माह	25	542000	215100
				असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	400 घन्टे/3 माह	25	542000	215100
		ओडीसा	अंगुल	जनरल मेसन	400 घन्टे/3 माह	25	542000	215100
				असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन (बार बेन्दी एण्ड स्टील फिक्सर में परिवर्तित)	400 घन्टे/3 माह	25	542000	215100
				असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	400 घन्टे/3 माह	25	542000	215100
				असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन (कंस्ट्रक्सन पेन्टर एण्ड डेकोरेटर में परिवर्तित)	400 घन्टे/3 माह	25	542000	215100
		बोदबिल		जनरल मेसन	400 घन्टे/3 माह	50	1084000	430200
		रेजिडेंसियल						0
		छत्तीसगढ़	रायगढ़ (रेजिडेंसियल)	असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन (जनरल मेसन में परिवर्तित)	400 घन्टे/3 माह	25	917000	458500
				असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन	400 घन्टे/3 माह	50	1834000	917000
				शटरिंग कॉरपेन्टर सिस्टम	400 घन्टे/3 माह	25	917000	458500
		कुल				300	8004000	3554800
26	पेंट एण्ड कोटिंग एसएससी आगे बढ़ाया	असम	धुबरी	असिस्टेंट डेकोरेटिव पेन्टर	240 घन्टे	60	696000	288000
					240 घन्टे	60	696000	288000
		अपस्किलिंग						0
		उत्तर प्रदेश	बलिया	असिस्टेंट डेकोरेटिव पेन्टर	48 घन्टे	100	330700	165350
					48 घन्टे	50	165350	82675
		कुल				270	1888050	824025
	पेंट एण्ड कोटिंग एसएससी फ़ेस-1	असम	दारंग	असिस्टेंट डेकोरेटिव पेन्टर	240 घन्टे/3 माह	120	1507200	620160
		पश्चिम बंगाल	कलिम्पोंग	असिस्टेंट डेकोरेटिव पेन्टर	80 घन्टे	180	849600	424800
		कुल				300	2356800	1044960
		कुल योग				570	4244850	1868985
27	प्लम्बिंग सैक्टर स्किल काउंसिल आगे बढ़ाया	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी	प्लम्बर जनरल	320 घन्टे	120	1986240	813120
		ओडीसा	धनकनाल	प्लम्बर जनरल	320 घन्टे	120	1986240	813120
		कुल				240	3972480	1626240
28	पावर सैक्टर स्किल काउंसिल फ़ेस-1	असम	बारपेट्टा	इलेक्ट्रीशियन डॉमेस्टिक सोल्यूशन	350 घन्टे/3 माह	60	1259400	503820
			दरांग	डिस्ट्रीब्यूशन लाइनमैन	350 घन्टे/3 माह	60	1259400	503820
			मोरीगांव	डिस्ट्रीब्यूशन लाइनमैन	350 घन्टे/3 माह	60	1259400	503820
		हरियाणा	नुह	इलेक्ट्रीशियन डॉमेस्टिक सोल्यूशन	350 घन्टे/3 माह	120	2321400	948420

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)	
	Power Sector Skill Council Phase 2	J&K	Kathua	Electrician Domestic Solutions	350 Hrs (3 Months)	30	580350	237105	
			Jammu	Consumer Energy Meter Technician	350 Hrs (3 Months)	30	580350	237105	
		Grand Total				360	7260300	2934090	
29	Rubber Skill Development Council (RSDC) Phase 1	Assam	Goalpara (changed from Boangaigaon)	Latex Harvest Technician	200 Hrs. (2 Months)	60	648000	264000	
		UP	Gouttam Budh Nagar	Tyre Fitter	350 Hrs(3 Months)	80	1547600	632280	
		Haryana	Nuh	Tyre Fitter	350 Hrs (3 Months)	60	1160700	474210	
		Total				200	3356300	1370490	
		RPL - Upskilling							0
		Assam	Darrang	Latex Harvest Technician	80 Hrs	100	499200	249600	
			Halia Kandi	Latex Harvest Technician	80 Hrs	100	499200	249600	
		Tripura	North Tripura	Latex Harvest Technician	80 Hrs	100	499200	249600	
			Sephaijala	Latex Harvest Technician	80 Hrs	100	499200	249600	
		Tamilnadu	Kanyakumari	Latex Harvest Technician	80 Hrs	200	944000	472000	
		Total				600	2940800	1470400	
	Rubber Skill Development Council (RSDC) CSR - CWC	Haryana	Nuh (Mewat)	Tyre Fitter	350 Hrs	60	890400	445200	
				Tyre Fitter	350 Hrs	60	890400	445200	
		Total				120	1780800	890400	
	Rubber Skill Development Council (RSDC) Phase 2	RPL Upskilling							0
		Tripura	Dhalai Tripura	Latex harvest Technician	80 Hrs.	60	299520	149760	
		Total				60	299520	149760	
		Grand Total				980	8377420	3881050	
30	Skill Council for Green Job (Carry Forward)	Karnataka	Belgaum	Solar PV Installer (Suryamitra)	300 Hrs.	30	471150	190575	
			Bidar	Solar PV Installer (Suryamitra)	300 Hrs.	25	392625	158812.5	
		Odisha	Bargarh	Solar PV Installer (Suryamitra)	300 Hrs.	52	816660	330330	
						107	1680435	679717.5	
31	Sports, Physical Education, Fitness and Leisure Skills Council (SPEFLSC) Phase 1	Odisha	Sambalpur	Fitness Trainer	250Hrs/ 2 Months	49	588000	245000	
			Koraput	Fitness Trainer	250Hrs/ 2 Months	32	384000	160000	
		Haryana	Mewat	Fitness Trainer	250Hrs/ 2 Months	60	720000	300000	
			Karnal	Fitness Trainer	250Hrs/ 2 Months	60	720000	300000	
		Chandigarh	Chandigarh	Yoga Trainer	300Hrs/ 3Months	60	900000	360000	
		Punjab	Jalandhar	Yoga Trainer	300Hrs/ 3Months	60	900000	360000	
			Mohali	Fitness Trainer	250Hrs/ 2 Months	60	720000	300000	
		Kerla	Trivandrum	Life Guard Pool	250Hrs/ 2 Months	59	708000	295000	
			Kollam	Life Guard Pool	250Hrs/ 2 Months	60	720000	300000	
		Rajasthan	Jaipur	Fitness Trainer	250Hrs/ 2 Months	90	1080000	450000	

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किश्त)
	पावर सैक्टर रिक्त काउंसिल फेस-2	जम्मू एण्ड कश्मीर	कठुआ	इलेक्ट्रीशियन डॉमेस्टिक सोल्यूशन	350 घन्टे/3 माह	30	580350	237105
			जम्मू	कंजूमर इनर्जी मीटर टेक्नीशियन	350 घन्टे/3 माह	30	580350	237105
		कुल योग				360	7260300	2934090
29	रबर रिक्त डेवलपमेंट काउंसिल (आरएसडीसी) फेस-1	असम	गोलपारा (बोंगईगाँव से परिवर्तित)	लेटेक्स हरवेस्ट टेक्नीशियन	200 घन्टे/2 माह	60	648000	264000
		उत्तर प्रदेश	गौतम बुद्ध नगर	टायर फिटर	350 घन्टे/3 माह	80	1547600	632280
		हरियाणा	नुह	टायर फिटर	350 घन्टे	60	1160700	474210
		कुल				200	3356300	1370490
		आरपीएल - अपस्किंग						0
		असम	दरांग	लेटेक्स हरवेस्ट टेक्नीशियन	80 घन्टे	100	499200	249600
			हलिया कांडी	लेटेक्स हरवेस्ट टेक्नीशियन	80 घन्टे	100	499200	249600
		त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा	लेटेक्स हरवेस्ट टेक्नीशियन	80 घन्टे	100	499200	249600
			सेफाइजेला	लेटेक्स हरवेस्ट टेक्नीशियन	80 घन्टे	100	499200	249600
		तमिलनाडु	कन्याकूमारी	लेटेक्स हरवेस्ट टेक्नीशियन	80 घन्टे	200	944000	472000
		कुल				600	2940800	1470400
	रबर रिक्त डेवलपमेंट काउंसिल (आरएसडीसी)सीएसआर-सीडब्ल्यूसी	हरियाणा	नुह (मेवात)	टायर फिटर	350 घन्टे	60	890400	445200
				टायर फिटर	350 घन्टे	60	890400	445200
		कुल				120	1780800	890400
	रबर रिक्त डेवलपमेंट काउंसिल (आरएसडीसी) फेस-2	आरपीएल अपस्किंग						0
		त्रिपुरा	धलाई त्रिपुरा	लेटेक्स हरवेस्ट टेक्नीशियन	80 घन्टे	60	299520	149760
		कुल				60	299520	149760
		कुल योग				980	8377420	3881050
30	रिक्त काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब (आगे बढ़ाया)	कर्नाटक	बेलगाम	सोलर पीवी इन्स्टालर (सूर्यमित्र)	300 घन्टे	30	471150	190575
			बीदर	सोलर पीवी इन्स्टालर (सूर्यमित्र)	300 घन्टे	25	392625	158812.5
		ओडीसा	बारगढ़	सोलर पीवी इन्स्टालर (सूर्यमित्र)	300 घन्टे	52	816660	330330
						107	1680435	679717.5
31	स्पोर्ट, फिजिकल इजुकेशन, फिटनेस एण्ड लेजर रिक्त काउंसिल (एसपीइएफएलएससी) फेस-1	ओडीसा	संबलपुर	फिटनेस ट्रेनर	250 घन्टे/2 माह	49	588000	245000
			कोरापुट	फिटनेस ट्रेनर	250 घन्टे/2 माह	32	384000	160000
		हरियाणा	मेवात	फिटनेस ट्रेनर	250 घन्टे/2 माह	60	720000	300000
			करनाल	फिटनेस ट्रेनर	250 घन्टे/2 माह	60	720000	300000
		चण्डीगढ़	चंडीगढ़	योगा ट्रेनर	300 घन्टे/2 माह	60	900000	360000
		पंजाब	जालंधर	योगा ट्रेनर	300 घन्टे/2 माह	60	900000	360000
			मोहाली	फिटनेस ट्रेनर	250 घन्टे/2 माह	60	720000	300000
		केरल	त्रिवेंद्रम	लाइफ गार्ड पूल	250 घन्टे/2 माह	59	708000	295000
			कोल्लम	लाइफ गार्ड पूल	250 घन्टे/2 माह	60	720000	300000
		राजस्थान	जयपुर	फिटनेस ट्रेनर	250 घन्टे/2 माह	90	1080000	450000

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)	
		Maharashtra	Pune	Fitness Trainer	250Hrs/ 2 Months	60	720000	300000	
				Yoga Trainer	300Hrs/ 3Months	60	900000	360000	
		Total				710	9060000	3730000	
32	Textile Sector Skill Council Phase 1	Andhra Pradesh	Guntur	Cone Wending operator	300 hrs/3 Months	50	850500	350250	
			Guntur	Ring Frame Tenter	300 hrs/3 Months	110	1871100	770550	
			Prakasam	Cone Wending operator	300 hrs/3 Months	90	1530900	630450	
				Shuttles Loom Weaver -AIRJET	300 hrs/3 Months	75	1275750	525375	
		Tamil Nadu	Coimbatore	Ring Frame Tenter	300 hrs/3 Months	25	425250	175125	
				Auto Coner Tenter	300 hrs/3 Months	39	663390	273195	
		Total				389	6616890	2724945	
		RPL - Upskilling							
		Gujrat	Mehsana	Two Shaft Handloom weaver	80 hrs	140	794640	397320	
				Hank Dyre	80 hrs	30	170280	85140	
			Bhuj (80)	Two Shaft Handloom weaver	80 hrs	8	45408	22704	
			Mehsana	Warper	80 hrs	40	227040	113520	
		Tamilnadu	Virdhunagar	Textile Designer Handloom Jacquard	80 hrs	60	340560	170280	
		Total				278	1577928	788964	
		Sub Total				667	8194818	3513909	
33	UPICA Phase 1	UP	Bareilly	Sewing Machine Operator	270 Hrs/3 Months	120	1873080	756540	
			Pillibhit	Sewing Machine Operator	270 Hrs/3 Months	60	936540	378270	
			Badaun	Sewing Machine Operator	270 Hrs/3 Months	120	1873080	756540	
		Total				300	4682700	1891350	
34	Webcon Phase 1	West Bengal	South 24 Pargana	Basic cutting Operator	300 hrs/ 3 Months	120	2041200	840600	
			North 24 Pargana	Basic Closing Operator	300 hrs/ 3 Months	60	1020600	420300	
				Basic cutting Operator	300 hrs/ 3 Months	60	1020600	420300	
			Murshidabad	Basic Closing Operator	300 hrs/ 3 Months	60	1020600	420300	
		Total				300	5103000	2101500	
35	MSME Tool Room - IGTR Aurangabad Phase - 1	Maharashtra	Aurangabad	Certificate Course in CNC Turning	780 Hrs. (5 Months)	60	2485560	955668	
				Master Certificate Course in CAD/CAM	780 Hrs. (5 Months)	80	3314080	1313564.08	
				Master Certificate Course in Product Design	780 Hrs. (5 Months)	30	1242780	477834	
				Advance Diploma in Machine Maintenance & Automation	780 Hrs. (5 Months)	50	2071300	835730.08	

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणा र्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किश्त)
		महाराष्ट्र	पुणे	फिटनेस ट्रेनर	250 घन्टे/2 माह	60	720000	300000
				योगा ट्रेनर	300 घन्टे/3 माह	60	900000	360000
		कुल				710	9060000	3730000
32	टैक्सटाइल सैक्टर स्किल काउंसिल फ़ेस-1	आन्ध्र प्रदेश	गुंटूर	कॉन वेंडिंग ऑपरेटर	300 घन्टे/3 माह	50	850500	350250
			गुंटूर	रिग फ्रेम टेनर	300 घन्टे/3 माह	110	1871100	770550
			प्रकाशम	कॉन वेंडिंग ऑपरेटर	300 घन्टे/3 माह	90	1530900	630450
				शैटल्स लूम विवर-एयरजेट	300 घन्टे/3 माह	75	1275750	525375
		तमिलनाडु	कोयंबटूर	रिग फ्रेम टेनर	300 घन्टे/3 माह	25	425250	175125
				आटो कॉनर टेण्टर	300 घन्टे/3 माह	39	663390	273195
		कुल				389	6616890	2724945
आरपीएल - अपरिक्लिग								
		गुजरात	मेहसाणा	टू शॉफ्ट हैण्डलूम विवर	80 घन्टे	140	794640	397320
			भुज (80)	हैंक डायर	80 घन्टे	30	170280	85140
			मेहसाणा	टू शॉफ्ट हैण्डलूम विवर	80 घन्टे	8	45408	22704
			विरुधुनगर	वार्पर	80 घन्टे	40	227040	113520
		तमिलनाडु	मेहसाणा	टैक्सटाइल डिजाइनर हैण्डलूम जैक्वार्ड	80 घन्टे	60	340560	170280
		कुल				278	1577928	788964
		कुल योग				667	8194818	3513909
33	यूपीआईसीए फ़ेस-1	उत्तर प्रदेश	बरेली	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	120	1873080	756540
			पीलीभीत	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	60	936540	378270
			शाहजहांपुर	सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/3 माह	120	1873080	756540
		कुल				300	4682700	1891350
34	वेबकॉन फ़ेस-1	पश्चिम बंगाल	दक्षिणी 24 परगना	बेसिक कटिंग आपरेटर	300 घन्टे/3 माह	120	2041200	840600
			उत्तरी 24 परगना	बेसिक क्लोजिंग आपरेटर	300 घन्टे/3 माह	60	1020600	420300
				बेसिक कटिंग आपरेटर	300 घन्टे/3 माह	60	1020600	420300
			मुर्शिदाबाद	बेसिक क्लोजिंग आपरेटर	300 घन्टे/3 माह	60	1020600	420300
		कुल				300	5103000	2101500
35	एमएसएमई टूल रूम-आईजीटीआर औरंगाबाद फ़ेस-1	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	सर्टीफिकेट कोर्स इन सीएनसी टर्निंग	780 घन्टे/5 माह	60	2485560	955668
				मास्टर सर्टीफिकेट कोर्स इन सीएडी/सीएम	780 घन्टे/5 माह	80	3314080	1313564.08
				मास्टर सर्टीफिकेट कोर्स इन सीएडी/सीएम	780 घन्टे/5 माह	30	1242780	477834
				एडवांस डिप्लोमा इन मशीन मैटनेस एण्ड ऑटोमेशन	780 घन्टे/5 माह	50	2071300	835730.08

Sl. No:	Name of SSC/TT	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
				Master Certificate Course in Tool Design	780 Hrs. (5 Months)	50	2071300	835730.08
				Advance Diploma in Strutral Desing & Analysis	780 Hrs. (5 Months)	30	1242780	477834
		Total				300	12427800	4896360.24
36	IED, Lucknow 1st Phase	Uttar Pradesh	Lucknow	CCTV Installation Technician	360 Hrs. (3 Months)	60	1188720	537087
		Total				60	1188720	537086.88
37	Andhra Pradesh Productivity Council (APPC), Hyderabad, 1st Phase	Andhra Pradesh	Srikakulam	Self Employed Tailor	340 Hrs. (3 Months)	30	566340	232902
			Vijayanagaram			30	566340	232902
		Total				60	1132680	465804
38	MSME- PPDC Meerut	Uttar Pradesh	Meerut	Asst. Beauty Therapist	250 Hrs (2 Months)	60	720000	300000
				Account Executive (Recording and Reporting)	100 Hrs (1 Month)	30	140100	63030
				Domestic Data Entry Operator	400 Hrs (3 Months)	30	570000	240000
				Dairy Farming Entrepreneur	200 Hrs (2 Months)	30	340200	144060
				Hand Embroiderer	200 Hrs (2 Months)	30	340200	144060
				Sewing Machine Operator	270 Hrs (2 Months)	90	1314810	520443
				Yoga Trainer	300 Hrs (3 Months)	30	450000	180000
		Total				300	3875310	1591593
39	CRIPS	Madhya Pradesh	Bhopal	Graphic Designer	430 Hrs (4 Months)	60	1272000	516000
		Total				60	1272000	516000
40	ESTC	Uttarakhand	Ramnagar	Electrician Domestic Solution	350 Hrs. (3 Months)	30	580350	263584
				Welding & Fabrication	240 Hrs. (2 Months)	30	396240	179029
		Total				60	976590	442613
41	MSME-PPDC,Agra	Uttar Pradesh	Agra	Certificate Course In CNC Milling	780 Hrs. (6 Months)	30	1272780	507834
				Certificate Course In CNC Turning	780 Hrs. (6 Months)	30	1272780	507834
				Solar PV Technician	300 Hrs (3 Months)	60	1020600	432180
				Certificate Course In Foundry Technology	780 Hrs. (6 Months)	30	1272780	507834
				Advance Diploma in Computer Application, Accounting & Publishing	200 Hrs (2 Months)	30	300000	132000
				Computre Hardware and Networking	360 Hrs (3 Months)	60	1044000	439200
				Repairs & Maintenance of Power supply, Inverter & UPS	350 Hrs (3 Months)	60	1020000	432000
		Total				300	7202940	2958882

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किश्त)
				मास्टर सर्टीफिकेट कोर्स इन टूल डिजाइन	780 घन्टे/5 माह	50	2071300	835730.08
				एडवांस डिप्लोमा इन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग एण्ड एनालाइसिस	780 घन्टे/5 माह	30	1242780	477834
		कुल				300	12427800	4896360.24
36	आईईडी, लखनऊ फेस-1	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	सीसीटीवी इन्स्टॉलेशन टेक्नीशियन	360 घन्टे/3 माह	60	1188720	537087
		कुल				60	1188720	537086.88
37	आन्ध्र प्रदेश प्रोडक्टिविटी काउंसिल (ए.पी.पी.सी.) हैदराबाद, फेस-1	आन्ध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	सैल्फ एम्प्लॉयड टेलर	340 घन्टे/3 माह	30	566340	232902
			विजयनगरम			30	566340	232902
		कुल				60	1132680	465804
38	एमएसएमई- पीपीडीसी मेरठ	उत्तर प्रदेश	मेरठ	असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट	250 घन्टे/2 माह	60	720000	300000
				एकाउन्ट एकिजक्यूटिव (रिर्काइडिंग एण्ड रिपोर्टिंग)	100 घन्टे/1 माह	30	140100	63030
				डॉमेस्टिक डाटा एन्ट्री आपरेटर	400 घन्टे/3 माह	30	570000	240000
				डेयरी फार्मिंग एन्टरप्रिन्शियर	200 घन्टे/2 माह	30	340200	144060
				हैण्ड इम्ब्रोइडर	200 घन्टे/2 माह	30	340200	144060
				सिलाई मशीन ऑपरेटर	270 घन्टे/2 माह	90	1314810	520443
				योगा ट्रेनर	300 घन्टे/3 माह	30	450000	180000
		कुल				300	3875310	1591593
39	सीआरआईपीएस	मध्य प्रदेश	भोपाल	ग्राफिक्स डिजाइनर	430 घन्टे/4 माह	60	1272000	516000
		कुल				60	1272000	516000
40	ईएसटीसी	उत्तराखण्ड	रामनगर	इलेक्ट्रीशियन डॉमेस्टिक सॉल्यूशन	350 घन्टे/3 माह	30	580350	263584
				वेल्डिंग एण्ड फेब्रिकेशन	240 घन्टे/2 माह	30	396240	179029
		कुल				60	976590	442613
41	एमएसएमई- पीपीडीसी, आगरा	उत्तर प्रदेश	आगरा	सर्टीफिकेट कोर्स इन सीएनसी मिलिंग	780 घन्टे/6 माह	30	1272780	507834
				सर्टीफिकेट कोर्स इन सीएनसी टर्निंग	780 घन्टे/6 माह	30	1272780	507834
				सोलर पीवी टेक्नीशियन	300 घन्टे/3 माह	60	1020600	432180
				सर्टीफिकेट कोर्स इन फाउंडरी टेक्नालॉजी	780 घन्टे/6 माह	30	1272780	507834
				एडवांस डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन एण्ड एकाउन्टिंग एण्ड पब्लिसिंग	200 घन्टे/2 माह	30	300000	132000
				कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग	360 घन्टे/3 माह	60	1044000	439200
				रिपेयर एण्ड मैटेनेन्स ऑफ पावर सप्लाय, इन्वर्टर एण्ड यूपीएस	350 घन्टे/3 माह	60	1020000	432000
		कुल				300	7202940	2958882

Sl. No:	Name of SSC/TI	State	District	Job Role	Duration (Hrs./ Month)	No. of Trainees	Total Sanctioned cost	Total Amount Disbursed (1st+2nd Instalment)
42	KITCO Ltd.	Bihar	Araria	Beauty Therapist	350 Hrs. (3 Months)	30	510000	232680
			Banka	Beauty Therapist	350 Hrs. (3 Months)	30	510000	232680
			Kathihar	Beauty Therapist	350 Hrs. (3 Months)	30	510000	232680
				Houshkeeping Supervisor	220 Hrs (2 Months)	30	324000	146256
						120	1854000	844296
43	MSME, Bhiwadi	Rajasthan	Alwar	Master Certificate Course in Computer Aided Tool Engineering (MCCTE)	780 Hrs./ 5 Monnth	5	207130	79639
				Advance Diploma in Machine Maintenance & Automation.	780 Hrs./ 5 Monnth	8	331408	127422
				Certificate Course in CNC Milling (CCCM)	780 Hrs./ 5 Monnth	6	248556	95566.8
				Certificate Course in CNC Turning (CCCT)	780 Hrs./ 5 Monnth	30	1242780	477834
						49	2029874	780462
44	JK ITCO	Jammu & Kashmir	Kathua	Plumber General	200 Hrs./ 2 Months	60	680400	310462
		Total				60	680400	310462
		Grand Total				30491	601652907	248807801

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
K. NARAYAN
 Managing Director
 (DIN No.03561648)

Sd/-
Dr. S.S. ACHARYA
 Director
 (DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
 Date : 21/09/2020

क्र.स.	एसएससी/प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	राज्य	जिला	जॉब रोल	अवधि (घन्टे/माह)	प्रशिक्षणा र्थियों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	कुल वितरित राशि (प्रथम + द्वितीय किरत)
42	किटको लि.	बिहार	अररिया	ब्यूटी थेरेपिस्ट	350 घन्टे/3 माह	30	510000	232680
			बांका	ब्यूटी थेरेपिस्ट	350 घन्टे/3 माह	30	510000	232680
			कठिहार	ब्यूटी थेरेपिस्ट	350 घन्टे/3 माह	30	510000	232680
				हाउसकीपिंग सुपरवाइजर	220 घन्टे/2 माह	30	324000	146256
						120	1854000	844296
43	एमएसएमई, भीवाड़ी	राजस्थान	अलवर	मास्टर सर्टीफिकेट कार्स इन कम्प्यूटर, इडेड टूल इंजीनि (नरगजएमसीसीटीई)	780 घन्टे/5 माह	5	207130	79639
				एडवॉस डिप्लोमा इन मशीन मैटनेंस एण्ड आटोमेशन	780 घन्टे/5 माह	8	331408	127422
				सर्टीफिकेट कोर्स इन सी,नसी मिन्लगजसीसीसीएम	780 घन्टे/5 माह	6	248556	95566.8
				सर्टीफिकेट कोर्स इन सी,नसी मिन्लगजसीसीसीएम	780 घन्टे/5 माह	30	1242780	477834
						49	2029874	780462
44	जम्मू एण्ड कश्मीर इटको	जम्मू एण्ड कश्मीर	कटुआ	प्लम्बर जनरल	200 घन्टे/2 माह	60	680400	310462
		कुल				60	680400	310462
		कुल योग				30491	601652907	248807801

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21/09/2020

ह0/—
के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

ह0/—
डॉ. एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ANNEXURE-6**NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
MARKETING LINKAGS (2019-20)**

S. No.	Name of Mela	State/UT	Date
1.	Swadeshi Mela-Dwarka	New Delhi	15 Oct-21 Oct'2019
2.	Kullu Dashehra-2019	Himachal Pradesh	08 Oct-14 Oct'2019
3.	Shilpotsav, Dilli Haat-2019	New Delhi	01 Nov-15 Nov'2019
4.	IITF-2019	New Delhi	14 Nov-27 Nov'2019
5.	Goa Lokotsav-2020	Goa	10 Jan-19 Jan'2020
6.	Swadeshi Mela-2020	Uttar Pradesh	25 Jan-03 Feb'2020
7.	Surajkund Mela-2020	Haryana	01 Feb-16 Feb'2020
8.	Keral Silver Jubilee Expo	Kerala	24 Feb to 02 Mar'2020

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Sd/-

Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 21/09/2020

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

विपणन संयोजन (2018-19)

क्र.सं.	नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक
1.	स्वदेशी मेला – द्वारका	नई दिल्ली	15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2019
2.	कुल्लू दशहरा – 2019	हिमाचल प्रदेश	08 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2019
3.	शिल्पोत्सव, दिल्ली हॉट – 2019	नई दिल्ली	01 नवम्बर से 15 नवम्बर 2019
4.	आई.आई.टी.एफ – 2019	नई दिल्ली	14 नवम्बर से 27 नवम्बर 2019
5.	गोवा लोकोत्सव – 2020	गोवा	10 जनवरी से 19 जनवरी 2020
6.	स्वदेशी मेला – 2020	उत्तर प्रदेश	25 जनवरी से 03 फरवरी 2020
7.	सूरजकुंड मेला – 2020	हरियाणा	01 फरवरी से 16 फरवरी 2020
8.	केरल सिल्वर जुबली एक्सपो	केरल	24 फरवरी से 02 मार्च 2020 तक

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21/09/2020

ह0/—
के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

ह0/—
डॉ. एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION
A. EVALUATION STUDY OF LOAN SCHEMES OF NBCFDC IN THE STATE OF PUDUCHERRY

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
Recommendations of Evaluating Agency in respect of Puducherry and Comments/Action Taken by NBCFDC		
1.	Skill Development Training is required for the SHG members; women members are more interested to do skill related business activities.	Based on assessment of State Channel Partners(CPs) interested members can be sent for Skill Development Programs conducted by NBCFDC through the Training Institutes.
2.	The loan application and their enclosures should be in a uniform and simplified manner which will ease the loan process.	CPs are continually being advised to use Social Benefit Management System (online facility). The system allows entering details and uploading requisite documents from remote place without the need of visiting office. Details entered in system are examined by CPs and thereafter interview is conducted. Eligible loans can be sanctioned online through SBMS thereby providing uniform and faster means to provide service to beneficiaries.
3.	Apart from Micro Credit loan, term loan and educational loan and other NBCFDC schemes should be entertained in all the districts of Puducherry.	NBCFDC doesn't put any bar on type of scheme to be employed in State/UT. CPs are free to provide loan under any of the schemes after doing proper assessment of the need of beneficiaries in their State/UT.
4.	Nearly three fourth % of respondents doesn't know fully about other schemes of NBCFDC. Hence state channelizing agencies should give wide publicity by way of advertisement about the schemes of NBCFDC.	NBCFDC sponsors and encourages CPs to organise Awareness Camps and also publicise through innovative digital means.
Actionable Points Suggested by Evaluating Agency applicable at NBCFDC level		
5.	NBCFDC can encourage the PBCMDC (Puducherry Backward Classes AND Minority Development Corporation) by rewarding them with financial and non-financial rewards based on their performance.	NBCFDC provides incentive (1% of released funds subject to maximum of Rs. 10.00 Lakh) to its CPs based on their performance under its PLGIA(Performance Linked Grant in Aid Scheme) scheme
6.	The NBCFDC should collect the Utilization certificate along with the list of beneficiaries with their respective Aadhar numbers through online from PBCMDC.	CPs are required to submit UC in prescribed format at LEAP portal. Presently, system of taking list of prospective beneficiary is also started.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

क. पुडुचेरी राज्य में एनबीसीएफडीसी की ऋण योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन

क्र.सं.	संस्तुति	एनबीसीएफडीसी द्वारा की गई टिप्पणियाँ / कार्रवाई
पुडुचेरी के सम्बंध में मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशें एवं टिप्पणियाँ / एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा कृत कार्रवाई		
1.	स्व-सहायता समूह सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है; महिला सदस्य कौशल संबंधी व्यावसायिक कार्यकलापों को करने में अधिक रुचि रखती हैं।	राज्य चैनल सहभागियों (सी.पी.) के आकलन के आधार पर इच्छुक सदस्यों को प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से एनबीसीएफडीसी द्वारा आयोजित कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए भेजा जा सकता है।
2.	ऋण आवेदन और उसके संलग्नक समरूपी और सरलीकृत होने चाहिए जिससे ऋण प्रक्रिया में आसानी होगी।	चैनल सहभागियों को लगातार सामाजिक लाभ प्रबंधन प्रणाली (ऑनलाइन सुविधा) का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। तंत्र विवरणों को दर्ज करने और कार्यालय आने की आवश्यकता के बिना दूरस्थ स्थान से अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति देता है। तंत्र में दर्ज विवरण की जांच चैनल सहभागियों द्वारा की जाती है और उसके बाद साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। पात्र ऋणों को एसबीएमएस के माध्यम से ऑनलाइन मंजूरी दी जा सकती है, जिससे लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए समान और तेज गति के साधन उपलब्ध होंगे।
3.	माइक्रो क्रेडिट ऋण के अलावा, सावधी ऋण तथा शैक्षिक ऋण एवं एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की अन्य योजनाओं को पुडुचेरी के सभी जिलों हेतु विचार किया जाना चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में नियोजित किए जाने वाली किसी भी प्रकार की योजना पर कोई रोक नहीं लगाता है। चैनल सहभागियों अपने राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थियों की आवश्यकता का उचित मूल्यांकन करने के बाद किसी भी योजना के तहत ऋण प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।
4.	लाभार्थियों का लगभग तीन चौथाई भाग एनबीसीएफडीसी की अन्य योजनाओं के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता है। इसलिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को एनबीसीएफडीसी की योजनाओं के बारे में विज्ञापन के माध्यम से व्यापक प्रचार करना चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. चैनल सहभागियों को जागरूकता शिविर और नवीन डिजिटल साधनों के माध्यम से प्रायोजित करने को प्रोत्साहित करता है।
एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के स्तर पर लागू कार्रवाई योग्य मूल्यांकन एजेंसी के सुझाव		
5.	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. प्रदर्शन के आधार पर वित्तीय और गैर-वित्तीय पुरस्कारों से पुरस्कृत करके पी.बी.सी.एम.डी.सी. (पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास निगम) को प्रोत्साहित कर सकता है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपनी पी.एल.जी.आई.ए. (कार्यनिष्पादन से संबद्ध अनुदान सहायता योजना) के तहत उनके प्रदर्शन के आधार पर अपने चैनल सहभागियों को प्रोत्साहन (जारी धनराशि का 1% अधिकतम रु. 10.00 लाख) प्रदान करता है।
6.	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को पी.बी.सी.एम.डी.सी. से ऑनलाइन माध्यम से उपभोग प्रमाण-पत्र के साथ लाभार्थियों की सूची उनके संबंधित आधार नंबर सहित प्राप्त करना चाहिए।	चैनल सहयोगियों को लीप पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। वर्तमान में, संभावित लाभार्थी की सूची लेने की प्रणाली भी शुरू की गई है।

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
7.	The occupation classification of beneficiaries before and after loan for term loan and micro finance loan clearly indicate that NBCFDC loan scheme drastically changed the quality of life of beneficiaries and also increased the socio economic status of the beneficiaries. Hence NBCFDC can allocate more loans to PBCMDC after recovering previous dues; hence more untapped beneficiaries can be utilized through the scheme.	NBCFDC provides funds once CPs fulfils prudential lending norms. Post repayment if SCA submits additional Annual Action Plan then the same is also considered. However ,as mentioned the SCA also needs to fulfil prudential norms especially with regard to payment of dues and utilization of loans.
8.	The NBCFDC should encourage the successful MFS and TL beneficiaries to participate in mela stalls at Chennai or nearby places	NBCFDC invites beneficiaries from all its SCAs to participate in all major exhibitions conducted across India by providing them stalls free of cost space. TA, DA and freight cost is also provided to first/second time beneficiaries. NBCFDC has considered nomination from Puducherry BC in the past two years even though they have not drawn any funds in the past two years and has not repaid the outstanding dues. The Corporation consider nomination of beneficiaries for participation in Melas in South in future.
9.	For educational loan, all the beneficiaries were paid 5 % of loan amount as margin money for their educational loan. If margin money is increased we can expect more commitment from the beneficiaries for their repayment.	For Education Loan (for studies in India) 90% is NBCFDC's share and remaining 10% is CPs/Beneficiary share.
10.	In the recent past, many central government schemes were implemented through nationalized banks. With this in mind, NBCFDC may decide to implement its schemes through nationalized banks for reaching the nook and corners of the country.	All active PSBs who are channel partners of NBCFDC provide loan facilities to eligible beneficiaries.
11.	It is suggested to NBCFDC to implement the schemes through multiple SCAs in Puducherry. For example, the NBCFDC can implement the loan schemes through PACCS, Cooperative banks, etc.	State Government can nominate more than one SCA in a particular State/UT. However, it is completely the onus of State/UT Government.
12.	Regarding the interest for the term loan, it is suggested that NBCFDC may give concession to widow and physically challenged beneficiaries. This may give strong impact on the livelihood.	NBCFDC is presently providing rebate of 0.25% for persons with disability (40% and above).

क्र.सं.	संस्तुति	एनबीसीएफडीसी द्वारा की गई टिप्पणियाँ / कार्रवाई
7.	टर्म लोन और माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए ऋण से पहले और बाद में लाभार्थियों के व्यवसाय का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से दर्शाता हो कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण योजनाओं ने लाभार्थियों के जीवन की गुणवत्ता में काफी बदलाव किया है और लाभार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी ऊपर उठाया है। अतः एन.बी.सी.एफ.डी.सी. पिछले बकाया की वसूली के बाद पी.बी.सी.एम.डी.सी. को अधिक ऋण आबंटित कर सकता है; उक्त योजना के माध्यम से छूट गए अधिक लाभार्थियों का आच्छादन किया जा सकता है।	चैनल सहभागियों को विवेकपूर्ण उधार मानदंडों को पूरा करने के बाद एनबीसीएफडीसी निधि प्रदान करता है। वसूली के बाद यदि राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसी अतिरिक्त वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करता है तो उस पर भी विचार किया जाता है। हालांकि, जैसा कि उल्लेख किया गया है कि राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसी को विशेष रूप से विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से देय राशि के भुगतान और ऋण के उपयोग के संबंध में।
8.	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सफल एम.एफ.एस. और सावधि ऋण लाभार्थियों को चेन्नई अथवा आस-पास के स्थानों के मेला स्टालों में प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपने सभी एससीए के लाभार्थियों को भारत भर में आयोजित सभी प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए उन्हें मुफ्त में स्टॉल प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता है। पहली/दूसरी बार लाभार्थियों को टीए, डीए और माल दुलाई खर्च भी प्रदान किया जाता है। एनबीसीएफडीसी ने पिछले दो वर्षों में पुडुचेरी बीसी से नामांकन पर विचार किया है, भले ही उन्होंने पिछले दो वर्षों में कोई धनराशि न निकाली हो और बकाया राशि का भुगतान न किया हो। निगम भविष्य में दक्षिण में मेलों में भाग लेने के लिए लाभार्थियों के नामांकन पर विचार करेगा।
9.	शैक्षिक ऋण के लिए, सभी लाभार्थियों ने अपने शैक्षिक ऋण के लिए मार्जिन राशि के रूप में 5% राशि का भुगतान किया था। यदि मार्जिन मनी बढ़ जाती है तो हम लाभार्थियों से उनके पुनर्भुगतान के लिए अधिक प्रतिबद्धता की उम्मीद कर सकते हैं।	शिक्षा ऋण के लिए (भारत में अध्ययन के लिए) 90% एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का हिस्सा है और शेष 10% चैनल सहभागियों/लाभार्थी का हिस्सा है।
10.	हाल के दिनों में, राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. देश के कोने-कोने तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से अपनी योजनाओं को लागू करने का निर्णय ले सकता है।	सभी सक्रिय पी.एस.बी. जो एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के चैनल सहभागी हैं, पात्र लाभार्थियों को ऋण सुविधा प्रदान करते हैं।
11.	पुडुचेरी में कई एससीए के माध्यम से योजनाओं को लागू करने के लिए एनबीसीएफडीसी को सुझाव दिया करता है। उदाहरण के लिए, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. पी.ए.सी.सी.एस., सहकारी बैंकों, आदि के माध्यम से ऋण योजनाओं को लागू कर सकता है।	राज्य सरकार किसी विशेष राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में एक से अधिक एस.सी.ए. को नामित कर सकती है। हालाँकि, यह पूरी तरह से राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का दायित्व है।
12.	सावधि ऋण के लिए ब्याज के बारे में, यह सुझाव दिया जाता है कि एनबीसीएफडीसी विधवा और शारीरिक रूप से विकलांग लाभार्थियों को रियायत दे सकता है। इससे आजीविका पर प्रभावी असर पड़ सकता है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. वर्तमान में दिव्यांगता (40% और अधिक) वाले व्यक्तियों के लिए 0.25% की छूट प्रदान कर रहा है।

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
Actionable Points Suggested by Evaluating Agency applicable at State Channelising Agency(SCA)/Channel Partner (CP)Level		
13.	Proper guidance should be provided to the beneficiaries at the time of filling up loan application form and at the time of submission a declaration should be obtained from the beneficiaries that the loan amount is fully repayable with interest.	CPs (Channel Partner of Puducherry) advised by NBCFDC to take necessary action .
14.	The major difficulty faced by the beneficiaries across Puducherry is delay in processing and sanctioning of loan amount. This may be due to lack of sufficient fund. Hence a detail mechanism should be devised by the PBCMDC to arrange funds and also to speed up the processing and disbursement of the loan in a specific time-line i.e., a period of maximum three months.	CPs advised by NBCFDC to take necessary action ..
15.	In general there is no awareness amongst the beneficiaries about the NBCFDC schemes, therefore SCA should give wide publicity and advertisements to create awareness among the OBC people. In puducherry, only the Micro credit loan is provided to the beneficiaries. Likewise, other NBCFDC schemes like Skill Development, etc. should be entertained in all the districts. The Hoardings of the sponsoring agency should be displayed in PACCs and the name of the sponsoring agency should be imprinted in Loan application and at the project site of the beneficiary.	CPs advised by NBCFDC to take necessary action .
16.	As per the business requirement of the beneficiaries, the Entrepreneurial skill training should be provided for the needy to do their business in a successful manner.	CPs advised by NBCFDC to take necessary action .

क्र.सं.	संस्तुति	एनबीसीएफडीसी द्वारा की गई टिप्पणियाँ / कार्रवाई
मूल्यांकन एजेंसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.) / चैनल सहयोगियों (सी.पी.) स्तर पर लागू कार्रवाई योग्य सुझाव		
13.	ऋण आवेदन पत्र भरने के समय लाभार्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए और जमा करते समय लाभार्थियों से एक घोषणा प्राप्त की जानी चाहिए कि ऋण की पूरी राशि ब्याज के साथ चुकाने योग्य है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल सहयोगियों (पुडुचेरी के चैनल सहयोगी) को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी है।
14.	पुडुचेरी में लाभार्थियों के सामने आने वाली बड़ी कठिनाई ऋण राशि की प्रक्रिया और अनुमोदन में देरी है। यह पर्याप्त निधि की कमी के कारण हो सकता है। इसलिए धन की व्यवस्था करने के लिए और विशिष्ट समय-रेखा यानी अधिकतम तीन महीने की अवधि में ऋण को प्रक्रियागत करने और संवितरण को गति देने के लिए पी.बी.सी.एम.डी.सी. द्वारा एक विस्तृत तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।	एनबीसीएफडीसी द्वारा चैनल पाटनर्स को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
15.	सामान्य तौर पर एनबीसीएफडीसी योजनाओं के बारे में लाभार्थियों में कोई जागरूकता नहीं है, अतः एससीए को ओबीसी व्यक्तियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार और विज्ञापन देना चाहिए। पुडुचेरी में, लाभार्थियों को केवल माइक्रो क्रेडिट ऋण प्रदान किया जाता है। इसी तरह एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की अन्य योजनाओं जैसे कौशल विकास आदि को सभी जिलों के लिए लागू किया जाना चाहिए। प्रायोजक एजेंसी के होर्डिंग्स को पी.ए.सी.सी.एस. में प्रदर्शित किया जाना चाहिए और प्रायोजक एजेंसी का नाम ऋण आवेदन में और लाभार्थी के परियोजना स्थल पर अंकित किया जाना चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल सहभागियों को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
16.	लाभार्थियों की व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार, जरूरतमंदों को उनके व्यवसाय को सफल तरीके से संचालित करने के लिए उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल सहभागियों को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

S.No.	Recommendations	Comments/Action taken by NBCFDC
17.	SCA should entertain Self-Help Groups for availing loan, because majority of loan amount was given to the individual members, which hamper recovery. The SCA may also consider bringing forward more SHG members of all the villages, having variety of skills which remains untapped. Their skills have to be utilized in a proper way for their economic development. For which, SCA may give advertisement in their local newspaper for registration of SHG on their portal.	CPs advised by NBCFDC to take necessary action .
18.	As part of regular follow up, in case of business, SCA may ensure photographs of Assets creation just after six months of loan disbursement to beneficiaries and also to ascertain the current status of business.	CPs advised by NBCFDC to take necessary action .
19.	There is a need for improvement in the monitoring of utilization of loan amount at SCA level. Regular follow up should be made by the SCA to recover the loan amount. SCA should take necessary action against loan defaulters and issue notices followed with regular visit to remind them in order to strengthen the recovery part at SCA level.	CPs advised by NBCFDC to take necessary action .
20.	SCA should obtain Project Appraisal Report as per local need in respect of the business chosen by the beneficiary for loan amount Rs.2.00 lakh or more, to do successful business.	CPs advised by NBCFDC to take necessary action .
21.	The SCA should guide the students of education Loan about the selection of institute, keeping in view about the placement status of the institution.	CPs advised by NBCFDC to take necessary action .
22.	The present status of underemployment/ job searching is 85 out of 100 nos. after completion of their Education through NBCFDC loan. In this regard, the SCA should track the students for their present status of employment. In case of unemployed or underemployed, the SCA may recommend NBCFDC for providing them Skill Development Training of their choice for speedy employment	CPs advised by NBCFDC to take necessary action .

क्र.सं.	संस्तुति	एनबीसीएफडीसी द्वारा की गई टिप्पणियाँ / कार्रवाई
17.	रा.चै.ए. को ऋण प्राप्त करने के लिए स्व-सहायता समूहों को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि ऋण राशि का अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत सदस्यों को दिया गया है, जिससे वसूली में बाधा आई। रा.चै.ए. सभी गाँवों के स्व-सहायता समूह सदस्यों को आगे लाने पर विचार कर सकती है, जिनमें विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं जो अप्रयुक्त रहते हैं। उनके कौशल का उनके आर्थिक विकास के लिए उचित तरीके से उपयोग किया जाना है। जिसके लिए, रा.चै.ए. अपने पोर्टल पर स्व-सहायता समूह के पंजीकरण के लिए अपने स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन दे सकता है।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल सहभागियों को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
18.	व्यवसाय के मामले में नियमित रूप से अनुवर्तन के भाग के रूप में, रा.चै.ए. लाभार्थियों को ऋण संवितरण के छह महीने के बाद परिसंपत्ति सृजन और व्यवसाय की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए भी फोटोग्राफ का सुनिश्चयन करें।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल सहभागियों को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
19.	रा.चै.ए. स्तर पर ऋण राशि के उपयोग की निगरानी में सुधार की आवश्यकता है। ऋण राशि की वसूली के लिए रा.चै.ए. द्वारा नियमित रूप से अनुवर्तन किया जाना चाहिए। रा.चै.ए. स्तर पर वसूली को मजबूत बनाने के लिए रा.चै.ए. का ऋण चूककर्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें याद दिलाने के लिए नियमित निरीक्षण के साथ नोटिस जारी करना चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल सहभागियों को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
20.	सफलता पूर्वक व्यवसाय हेतु लाभार्थियों द्वारा रु. 2.00 लाख से अधिक ऋण राशि की चुनी गई, परियोजनाओं के संबंध में एस.सी.ए.को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल सहभागियों को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
21.	रा.चै.ए. को चाहिए कि वह शैक्षिक ऋण योजना के छात्रों को संस्थान के चयन के बारे में संस्थान के नियोजन स्थिति को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन करें।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल सहभागियों को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
22.	ऋण के माध्यम से उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद बेरोजगारी/नौकरी की खोज की वर्तमान स्थिति की संख्या 100 में से 85 है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. इस संबंध में, रा.चै.ए. को छात्रों को उनके वर्तमान रोजगार की स्थिति के लिए ट्रैक करना चाहिए। बेरोजगारों या रोजगार के अपने मामले में, रा.चै.ए. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को सिफारिश करें कि शीघ्र रोजगार के लिए उनकी पसंद का कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करें।	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा चैनल सहभागियों को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

B. EVALUATION STUDY OF SKILL DEVELOPMENT TRAINING PROGRAMME OF NBCFDC IN STATE OF ASSAM

S.No.	Recommendations of evaluation agency	Action taken by NBCFDC
Recommendations of Evaluating Agency in respect of Assam and Comments/Action Taken by NBCFDC		
1.	Stipend related – There's a time lapse and non-receipt of stipend apart from low stipend to the trainees. As the training providers take no interest in the disbursement of stipend, the trainees were found to be at their mercy. Therefore, it's suggested that it needs monitoring by NBCFDC where a condition should be made such that final instalment to Sector Skill Council (SSC)/Training Partner (TP) is disbursed only if the stipend to trainees is granted.	Now, the Corporation has made it mandatory to disburse the second instalment only after release of stipend to the trainees
2.	Facilities related – There's lack of appropriate toilet/drinking water facility in the training institution especially for female trainees and also for those belonging to other disadvantaged categories of gender	The corporation has advised the Sector Skill Council (SSC)/Training Institutions(TIs) to ensure that there is proper separate hygienic toilet for men and women. During the sanction for the current financial year the corporation shall also be giving weightage to the infrastructure facility.
3.	Duration related – There's lot of dissatisfaction for short duration of the training program in terms of remunerative gain from the training program. Also, in some cases exploitative timing of more than six hours in a day was observed which appears to be impractical and one allowing scope for missing classes. It's suggested that training hours should be adequately spread even if it requires extension of the training program to a greater number of weeks	From the current financial year, the corporation will be implementing Long term Training programmes along with the short term, upskilling and EDP training. In case of upskilling the TPs will be advised to finalize the duration of training in consultation with the trainees.
4.	Program related – It's found that question paper (for external evaluation) was in Hindi while the training was conducted in Assamese. Therefore, such a discrepancy should be removed at the earliest	The SSC/TIs have been advised to take the assessment in the vernacular language.
5.	Provision of internship and interaction with former learners/role models during the training program could enhance the motivation and effectiveness of the program.	The SSC/ TIs are being advised to organize such sessions,
6.	Soft skill training as a component can add value and economic returns to the skill development training program.	The training programmes are being conducted as per National Occupation Standard. Further, SSCs/TIs will be advised to include soft skills training in the curriculum (if not already included)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

बी. असम राज्य में एनबीसीएफडीसी के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन

क्र.स.	मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशें	एनबीसीएफडीसी द्वारा कार्रवाई की गई
असम के सम्बंध में मूल्यांकन एजेंसी की संस्तुतियाँ एवं टिप्पणियाँ / एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा कृत कार्यवाही		
1.	छात्रवृत्ति से संबंधित – प्रशिक्षुओं को कम छात्रवृत्ति के अलावा लगा समय और छात्रवृत्ति की रसीद प्राप्त न होना है। चूंकि प्रशिक्षणप्रदाता छात्रवृत्ति के संवितरण में कोई रुचि नहीं लेते हैं, प्रशिक्षुओं को उनकी दया पर निर्भर होना पड़ता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा इसकी निगरानी की आवश्यकता है जहां एक शर्त ऐसी बनाई जानी चाहिए कि सेक्टर स्किल काउंसिल (एस.एस.सी.) / ट्रेनिंग पार्टनर (टी.पी.) को अंतिम किस्त केवल तभी दी जाए जब प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति दिया जाए।	अब, प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति जारी करने के बाद ही निगम ने दूसरी किस्त का वितरण अनिवार्य कर दिया है
2.	सुविधाओं से संबंधित – विशेष रूप से महिला प्रशिक्षुओं और लिंग की अन्य वंचित श्रेणियों से संबंधित के लिए प्रशिक्षण संस्थान में उपयुक्त शौचालय / पेयजल की सुविधा का अभाव है।	निगम ने सेक्टर स्किल काउंसिल (एस.एस.सी.) / प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.) को सलाह दी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग स्वच्छ शौचालय हो। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मंजूरी के दौरान निगम बुनियादी ढांचे की सुविधा का भी ध्यान रखेगा।
3.	अवधि से संबंधी – प्रशिक्षण कार्यक्रम से पारिश्रमिक प्राप्ति के संदर्भ में छोटी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बहुत असंतोष है। इसके अलावा, कुछ मामलों में एक दिन में छह घंटे से अधिक का समय देखा गया, जो अव्यावहारिक प्रतीत होता है और यह कक्षा को छोड़ने की संभावना को अनुमति देता है। यह सुझाव दिया गया है कि प्रशिक्षण के घंटों को पर्याप्त रूप से विस्तारित किया जाना चाहिए, यदि इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक हफ्तों तक विस्तार की आवश्यकता हो।	चालू वित्तीय वर्ष से, निगम अल्पावधि, अपस्किलिंग और ईडीपी प्रशिक्षण के साथ दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करेगा। कौशल उन्नयन के मामलों में प्रशिक्षण प्रदाताओं को सलाह दी जाएगी कि प्रशिक्षणार्थियों से परामर्श करके प्रशिक्षण अवधि को अंतिम रूप दें।
4.	कार्यक्रम से संबंधित – यह पाया गया कि प्रश्न पत्र (बाहरी मूल्यांकन के लिए) हिंदी में था जबकि प्रशिक्षण असमिया भाषा में आयोजित किया गया था। अतः इस तरह की विसंगति को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए।	सैक्टर स्किल काउंसिल / टी.आई. को सलाह दी गई है कि वे क्षेत्रीय भाषा में मूल्यांकन करें।
5.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पूर्व शिक्षार्थियों / रोल मॉडल के साथ इंटरनशिप और बातचीत का प्रावधान कार्यक्रम को प्रेरक बना सकता है और प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है।	सैक्टर स्किल काउंसिल / टी.आई. को ऐसे सत्र आयोजित करने की सलाह दी जा रही है।
6.	एक घटक के रूप में सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक सार्थक और आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है।	प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय व्यवसाय मानक के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सैक्टर स्किल काउंसिल / टी.आई. को सलाह दी जाएगी कि वे सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग को पाठ्यक्रम में शामिल करें (यदि पहले से शामिल नहीं हैं)।

S.No.	Recommendations of evaluation agency	Action taken by NBCFDC
7.	Gender aspect was an issue of concern as 'males' were conspicuously absent. The reason identified was low/insufficient incentive to take care of the opportunity cost of the person who's a bread earner for the family. Also, inconvenient timing and duration of the course was also seen responsible for such a scenario. This aspect needs attention to undo such a gendered scenario at macro level.	The corporation will be implementing PM-DAKSH scheme from the current financial year. As per the said scheme, in case of up skilling training programme the trainees would be paid wage compensation allowance of Rs. 2500/- per trainee in addition to the stipend amount of Rs. 500/- which is built in training cost.
8.	It's found that market linkage is essentially needed to make training successful at local level. This becomes important in the wake of immobility of the trainees due to their peculiar family situation. Therefore, some arrangements such as organising of local haats, markets should be there to provide convenient sale of the product produced as a result of their skilled labour. Alternatively, some strategy could be developed to integrate them through e-business platforms such that remunerative gains are possible.	The Corporation organizes annual fairs at different places, for example Shilpotsav, Dilli Haat, Surajkund Crafts Mela, Faridabad etc., wherein the trainees are given stalls for free of cost and they can sell the products made by them. Further, possibilities for e-commerce platform will also be explored.
9.	In order to check the absenteeism and arbitrary functioning of the training providers, it's highly recommended to enhance monitoring by the NBCFDC especially when the program is being conducted.	Physical inspections of the training programmes as well as regular monitoring through video calls is being done by the Corporation. The frequency of the monitoring/inspections will further be increased.
10.	Centre of TP and the site of training should not be located at a distance that curtails daily commutation from one place to other.	The SSCs/TIs are being advised by NBCFDC to take necessary action.
11.	Record keeping exercise for the trainees should be strictly enforced by SSCs and implemented through TP. This should be done in digital format to avoid any loss of data pertaining to all the information of the trainees viz. contact details, attendance records, stipend receipts, external evaluation, certification, and placement/self-employment. This data should be kept for minimum period of three years which can be later continued on the basis of available storage resources at SSC level	The SSCs/TIs are being advised by NBCFDC to take necessary action.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Sd/-
Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 21/09/2020

क्र.स.	मूल्यांकन एजेंसी की सिफारिशें	एनबीसीएफडीसी द्वारा कार्रवाई की गई
7.	लिंग पहलू चिंता का विषय था क्योंकि 'पुरुष' विशेष रूप से अनुपस्थित थे। इसका चिन्हित किया गया कारण था—परिवार के लिए रोजी-रोटी कमाने वाले व्यक्ति को कम/अपर्याप्त प्रोत्साहन राशि। साथ ही, इस तरह के परिदृश्य के लिए पाठ्यक्रम का असुविधाजनक समय और अवधि भी जिम्मेदार पाई गई। इस पहलू को वृहद स्तर पर इस तरह के जेंडर परिदृश्य को बदलने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।	निगम चालू वित्त वर्ष से प्रधानमंत्री-दक्ष योजना लागू करेगा। उक्त योजना के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं को भत्ते के मुआवजे का रु. 500/- जो प्रशिक्षण लागत से जुड़ी है, के अतिरिक्त रु. 2500/- प्रति प्रशिक्षणार्थी का भुगतान किया जाएगा।
8.	यह पाया गया है कि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिए बाजार से संयोजन आवश्यक है। यह उनके असामान्य पारिवारिक स्थिति के कारण प्रशिक्षुओं की गतिहीनता के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः स्थानीय हाट के आयोजन जैसी कुछ व्यवस्था, उनके कुशल श्रम के परिणामस्वरूप उत्पादित उत्पाद की सुविधाजनक बिक्री प्रदान करने के लिए होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, ई-व्यापार प्लेटफार्मों के माध्यम से उन्हें एकीकृत करने के लिए कुछ रणनीति विकसित की जा सकती है, जिससे कि पारिश्रमिक लाभ संभव हैं।	निगम विभिन्न स्थानों पर वार्षिक मेले का आयोजन करता है, उदाहरण के लिए शिल्पोत्सव, दिली हाट, सूरजकुंड शिल्प मेला, फरीदाबाद आदि, जिसमें प्रशिक्षुओं को मुफ्त में स्टॉल दिए जाते हैं और वे अपने बनाए गए उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा।
9.	प्रशिक्षण प्रदाताओं की अनुपस्थिति और मनमानी कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए, विशेष रूप से जब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हो एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा निगरानी में वृद्धि की सिफारिश की जाती है।	प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भौतिक निरीक्षण के साथ-साथ वीडियो कॉल के माध्यम से निगम द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है। निगरानी / निरीक्षण की आवृत्ति को और बढ़ाया जाएगा।
10.	टी.पी. का केंद्र और प्रशिक्षण का स्थान ज्यादा दूरी पर स्थित नहीं होनी चाहिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दैनिक संचार को कम करती है।	आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा सेक्टर स्किल काउंसिल / आई.टी. को सलाह दी जा रही है।
11.	एस.एस.सी. द्वारा प्रशिक्षुओं का रिकार्ड रखने की कवायद को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और टी.पी. के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षुओं की सभी सूचनाओं से संबंधित डेटा, संपर्क विवरण, उपस्थिति रिकॉर्ड, स्टाइपेंड रसीदें, बाहरी मूल्यांकन, प्रमाणीकरण, और नियोजन/स्व-रोजगार के किसी भी नुकसान से बचने के लिए इसे डिजिटल प्रारूप में किया जाना चाहिए। यह डेटा न्यूनतम तीन साल की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए जिसे बाद में एसएससी स्तर पर उपलब्ध भंडारण संसाधनों के आधार पर सुरक्षित रखा जा सकता है।	आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. सेक्टर स्किल काउंसिल / आई.टी. को सलाह दी जा रही है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21/09/2020

ह0/-
के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

ह0/-
डॉ. एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION REPORT OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance is a set of systems and practices to ensure that the affairs of the company are being managed in a way which ensures accountability, transparency and fairness in all its transactions in the widest sense and meet its stakeholder's aspirations and societal expectations. The Corporation's philosophy of Corporate Governance is based on the principles of transparency, compliance of laws, procedures and meeting ethical standards to take care of the interest of all the stakeholders

NBCFDC believes that good governance should entail trusteeship, empowerment and accountability of the management while remaining proactive to the Government policies. The main objectives of the Corporation are to promote economic and developmental activities for the benefit of members of backward classes through State Channelising Agencies nominated by the concerned State Governments/Union Territories. The Corporation constantly endeavors to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate

governance that optimizes the value of all its stakeholders and the society at large.

1. Board of Directors: Composition

NBCFDC is a Govt. of India Company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act 2013. The appointment / nomination of all Directors is done by the President of India, through Ministry of Social Justice & Empowerment. Under the provisions of the Articles of Association of the Corporation, the number of Directors shall not be less than four and not more than thirteen. The Board comprises Whole Time Director i.e. Managing Director and others part-time/non-executive/Govt. Directors who bring a wide range of skills and experience. The members of the Board are from diversified backgrounds and have varied expertise and considerable experience in the respective fields. The Board of the Corporation strives to optimize value for all stakeholders like shareholders, employees, channel partners and the society at large. The Board defines the policies and programmes and oversees its implementation.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Name of Director (S/Sri/Smt./Dr)	Category	Attendance at Board Meeting/ Total Meetings after appt. as Director	Whether attended last AGM (Yes/No)	No. of Directorships **
K. Narayan (DIN 03561648)	Executive	4/4	Yes	4
Sanjay Pandey* (DIN 08453230)	Non-Executive	4/4	No	3
Pravir Krishna (DIN 06519104)	Non-Executive	0/4	No	3
Dr. Subhransu Sekhar Acharya (DIN 06727939)	Non-Executive	0/4	No	2
Vivek Krishna Sinha\$ (DIN 08667163)	Non-Executive	0/4	No	2
Saroj Kumari @ (DIN 07753419)	Independent	4/4	No	-
K. Hanmandloo@ (DIN 02746832)	Independent	4/4	Yes	1
Rajiv Siwach@@ (DIN 08177717)	Non-Executive	0/4	No	-
Shyam Kapoor# (DIN 02693416)	Non-Executive	1/4	No	13
B. L. Meena*## (DIN 07715960)	Non-Executive	0/4	No	1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम निगमित प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन

कॉरपोरेट प्रशासन, तंत्रों एवं कार्य प्रणालियों का समुच्चय है जिसके माध्यम से कम्पनी के कार्य का प्रबंधन इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाता है कि इसके समस्त लेन-देन में व्यापक रूप से जवाबदेही, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके एवं इसके द्वारा अंशधारकों की आकांक्षा एवं सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। निगम के कॉरपोरेट प्रशासन का मूल विचार पारदर्शिता के सिद्धान्तों, विधि, प्रक्रिया का अनुपालन करना एवं समस्त अंशधारकों के लाभार्थ नैतिक मानकों का संरक्षण करना है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का मानना है कि प्रबंधन के अच्छे प्रशासन में न्यासधारिता, सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व अपरिहार्य होना चाहिए; जबकि शेष सरकार की नीतियों के लिए अग्रसक्रिय रहना चाहिए। निगम का मुख्य उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है। निगम का निरंतर यह प्रयास रहता है कि कॉरपोरेट प्रशासन के सर्वोत्तम सिद्धान्तों का पालन कर अपने हितधारकों तथा व्यापक रूप से समाज के हितों की सुरक्षा निश्चित की जाए।

1. निदेशक मण्डल का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्नियमों के अंतर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. भारत सरकार की एक कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। निगम के संगम ज्ञापन के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की संख्या चार से कम व तेरह से अधिक नहीं होगी। निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् प्रबंध निदेशक तथा अन्य अंशकालिक/गैर-कार्यपालक/सरकारी निदेशक होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कौशलों और अनुभवों से युक्त होते हैं। निदेशक मंडल के सदस्य विविध पृष्ठभूमि से होते हैं तथा उनके पास सम्बंधित क्षेत्रों में अत्यधिक अनुभव एवं विविध विशेषताएं होती हैं। निगम का निदेशक मण्डल सभी हितधारकों जैसे अंशधारकों, कर्मचारियों, चैनल सहभागियों एवं वृहत स्तर पर समाज के मूल्य को अधिकतम करने का प्रयत्न करता है। निदेशक मंडल नीतियां एवं कार्यक्रमों को परिभाषित करते हैं व क्रियान्वयन पर नजर रखते हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक का नाम (एस./महोदय/महोदया/डा.)	श्रेणी	निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद निदेशक मण्डल की बैठकों में उपस्थिति/कुल बैठकें	क्या पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया (हाँ/नहीं)	संख्या जिसमें निदेशक हैं **
के. नारायण (डिन 03561648)	कार्यकारी	4/4	हाँ	4
संजय पाण्डेय* (डिन 08453230)	गैर-कार्यकारी	4/4	नहीं	3
प्रवीर कृष्ण (डिन 06519104)	गैर-कार्यकारी	0/4	नहीं	3
डा0 सुभाशु शेखर आचार्य (डिन 06727939)	गैर-कार्यकारी	0/4	नहीं	2
विवेक कृष्ण सिन्हा\$ (डिन 08667163)	गैर-कार्यकारी	0/4	नहीं	2
सरोज कुमारी@ (डिन 07753419)	स्वतंत्र	4/4	नहीं	-
के. हनमन्डलू@ (डिन 02746832)	स्वतंत्र	4/4	हाँ	1
राजीव सिवाज@@ (डिन 08177717)	गैर-कार्यकारी	0/4	नहीं	-
श्याम कपूर# (डिन 02693416)	गैर-कार्यकारी	1/4	नहीं	13
बी.एल. मीना*## (डिन 07715960)	गैर-कार्यकारी	0/4	नहीं	1

Note: * Nominees of Govt. of India

** Other than NBCFDC

\$ Appointed as Director w.e.f. 13.01.2020

@ Ceased to be Directors w.e.f.01.02.2020

@@ Ceased to be Directors w.e.f.19.09.2020

Ceased to be Directors w.e.f.31.08.2019

Ceased to be Directors w.e.f.05.05.2019

2. Responsibilities

The Board has a formal schedule of matters reserved for its consideration and decision which includes reviewing corporate performance, ensuring adequate accountability of financial resources and reporting to Shareholders.

Further, an annual Memorandum of Understanding (MoU) is entered into by the Corporation with the Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI in the beginning of the year, setting the targets in the financial and nonfinancial area with weightages decided in consultation with the GOI. The performance of the Company is measured at the end of the year vis-à-vis these targets. The performance with regard to the MOU is reviewed regularly within the Company on a quarterly basis as well as in the administrative Ministry. Slippages, if any, are identified and necessary remedial actions are suggested in these forums.

At the end of each financial year the MoU achievements report is furnished to the Ministry of Social Justice & Empowerment and performance of the company is evaluated by the Ministry of Social Justice & Empowerment and Department of Public Enterprises on the basis of actual achievements as per the signed MoU.

3. Board Meetings

3.1 Size of the Board;

NBCFDC is covered within the meaning of Section 2 (45) of the Companies Act 2013, as the President of India presently hold 100% of the total paid up share capital. As per Article of Association, the power to appoint Directors vests with the President of India. In terms of the Articles of Association of the Corporation strength of the Board shall not be less than four and not more than thirteen Directors.

3.2 Board Procedure;

The meetings of the Board of Directors are generally held at our registered office of the Corporation at New Delhi. The Board meets at least once a quarter to review the quarterly performance and the financial results. The Board of Directors plays the primary role in ensuring good governance and functioning of the Company. The meetings are governed by a structured agenda. All the agenda items are backed by comprehensive agenda notes, containing all the vital information, so as to enable the Directors to have focused discussion at the meeting and to take decisions. The agenda and agenda notes are circulated to all the Directors in advance of each meeting of the Board of Directors. Where it is not practical to send the relevant information as a part of the agenda paper, the same were tables in the meeting. All the decisions are taken after detailed discussions by the Board Members at the meetings. During the financial year 2019-20, Four Board meetings were held. The maximum interval between any two meetings was well within the permissible gap of 120 days. Attendance of the directors at the above Board meetings has been as under:

BOARD MEETING NO.	HELD ON	DIRECTORS PRESENT	DIRECTORS ABSENT
117	26.04.2019	SHRI K. NARAYAN,MD NBCFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SMT. SAROJ KUMARI, DIRECTOR SHRI K. HANMANDLOO, DIRECTOR	SHRI B.L.MEENA,JS(BC), SJ&E SHRI PRAVIR KRISHNA, MD, TRIFED SHRI SHYAM KAPOOR,CMD,NSFDC DR. SUBHRANSU SEKHAR ACHARYA,GM, SIDBI SHRI RAJIV,GM, NABARD
118	11.07.2019	SHRI K. NARAYAN,MD NBCFDC SHRI SHYAM KAPOOR,CMD,NSFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SMT. SAROJ KUMARI, DIRECTOR SHRI K. HANMANDLOO, DIRECTOR	SHRI PRAVIR KRISHNA, MD, TRIFED SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, GM, SIDBI SHRI RAJIV,GM, NABARD

नोट: *भारत सरकार द्वारा नामित

**एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के अतिरिक्त

\$दिनांक 13.01.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्त

@दिनांक 01.02.2020 के निदेशक के रूप में नियुक्ति समाप्त

@@दिनांक 19.09.2020 से निदेशक के रूप में नियुक्ति समाप्त

दिनांक 31.08.2019 से निदेशक के रूप में नियुक्ति समाप्त

##दिनांक 05.05.2019 से निदेशक के रूप में नियुक्ति समाप्त

2. दायित्व

निदेशक मण्डल के पास मामलों की औपचारिक अनुसूची इसके विचारार्थ और निर्णय हेतु होती है जिसमें वित्तीय कॉरपोरेट के कार्य-निष्पादन की समीक्षा, संसाधनों की पर्याप्त जवाबदेही तथा अंशधारकों को सूचना सुनिश्चित करना शामिल होता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के आरंभ में वित्तीय एवं गैर वित्तीय क्षेत्रों में भारत सरकार से परामर्श के आधार पर भार निर्धारण लक्ष्यों को निर्धारित करते हेतु निगम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ प्रत्येक वर्ष एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करता है। कम्पनी का कार्य निष्पादन तथा इसके लक्ष्यों को वर्ष के अंत में आंका जाता है। समझौता-ज्ञापन के संबंध में लक्ष्यों के सापेक्ष प्रशासनिक मंत्रालय के साथ-साथ कंपनी में भी कार्य निष्पादन की त्रैमासिक आधार पर निरन्तर समीक्षा की जाती है। यदि कोई कमी रह जाती है, तो इसकी पहचान की जाती है और इन मंचों में आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही हेतु सुझाव दिए जाते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एम.ओ.यू. की उपलब्धियों की रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाती है तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं लोक उद्यम विभाग द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अनुसार वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर कम्पनी का मूल्यांकन किया जाता है।

3. निदेशक मण्डल की बैठकें

3.1 निदेशक मण्डल का आकार

एन.बी.सी.एफ.डी.सी., कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अन्तर्गत आती है, चूंकि भारत के राष्ट्रपति कुल प्रदत्त अंश पूंजी के 100% के अंशधारक है। संस्था के संगम ज्ञापन के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है। निगम के संगम ज्ञापन के अनुसार निदेशक मण्डल में निदेशकों की संख्या चार से कम और तेरह से अधिक नहीं होगी।

3.2 निदेशक मण्डल की प्रक्रिया

निदेशक मण्डल की बैठकें सामान्यतः नई दिल्ली स्थित निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होती हैं। तिमाही कार्य निष्पादन और वित्तीय परिणामों की समीक्षा के लिए निदेशक मण्डल की तिमाही में कम से कम एक बैठक होती है। निदेशक मण्डल अच्छे प्रशासन एवं कम्पनी की कार्यप्रगति में प्रमुख भूमिका अदा करता है। संरचित एजेण्डा के माध्यम से बैठकें संचालित की जाती हैं। प्रत्येक एजेण्डा मद में विस्तृत एजेण्डा टिप्पणी होती है तथा सभी महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित की जाती है, ताकि निदेशकगण बैठक में विचार-विमर्श पर ध्यान केन्द्रित कर सकें और निर्णय ले सकें। एजेण्डा एवं एजेण्डा टिप्पणियां सभी निदेशकों को प्रत्येक निदेशक मण्डल की बैठक से पूर्व प्रेषित की जाती हैं। एजेण्डा कागजातों के रूप में जहां कहीं भी इन कागजातों को भेजना व्यावहारिक नहीं होता है, को बैठक में प्रदान किया जाता है। बैठक में सभी निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों के विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त लिए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मण्डल की चार बैठकें आयोजित की गईं। किन्हीं भी दो बैठकों के मध्य अधिकतम अन्तराल 'अनुज्ञेय' 120 दिनों के अंदर था। निदेशक मण्डल की उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार रही।

बैठक सं	बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशक	अनुपस्थित निदेशक
117	26.04.2019	श्री के. नारायण, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्रीमती सरोज कुमारी, निदेशक श्री के. हनमन्डलू, निदेशक	श्री बी. एल. मीना, संयुक्त सचिव(बी.सी.), सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्री प्रवीर कृष्ण, प्र.नि. ट्राइफेड श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी. डॉ० सुभ्रांशु शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी श्री राजीव, महाप्रबन्धक, नाबार्ड
118	11.07.2019	श्री के. नारायण, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री श्याम कपूर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी. श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्रीमती सरोज कुमारी, निदेशक श्री के. हनमन्डलू, निदेशक	श्री प्रवीर कृष्ण, प्र.नि. ट्राइफेड डॉ० सुभ्रांशु शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी श्री राजीव, महाप्रबन्धक, नाबार्ड

BOARD MEETING NO.	HELD ON	DIRECTORS PRESENT	DIRECTORS ABSENT
119	19.09.2019	SHRI K. NARAYAN, MD, NBCFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SMT. SAROJ KUMARI, NON OFFICIAL DIRECTOR SHRI K. HANMANDLOO, NON OFFICIAL DIRECTOR	SHRI PRAVIR KRISHNA, MD, TRIFED SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, GM, SIDBI
120	16.12.2020	SHRI K. NARAYAN, MD NBCFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SMT. SAROJ KUMARI, DIRECTOR SHRI K. HANMANDLOO, DIRECTOR	SHRI PRAVIR KRISHNA, MD, TRIFED SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, GM, SIDBI

3.4. Code of Conduct

NBCFDC follows a well-defined Code of Conduct, which fairly addresses the issues of integrity, conflict of interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good governance. Code of Conduct is applicable to Board level and below Board level, i.e. one grade below Board level up to General Manager Cadre is in existence. A copy of the Code of Conduct is available on the website of the Corporation i.e. www.nbcfdc.gov.in. All the Board Members and Senior Managerial Personnel have affirmed compliance to the Code of Conduct.

4. Sub-Committees of the Board

The Board of Directors of the Corporation has constituted various sub-committees of Directors to look into different areas of strategic impotence in terms of Companies Act 2013 as well as Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE.

4.1 Audit Committee of the Board (ACB)

The Corporation is registered under Section 8 of the Companies Act 2013 (earlier section 25 of the Companies Act, 1956) as a Company not for profit. It is neither a Public Company nor a subsidiary of a Public Company. It is a Private Govt. Company and not listed with any Stock Exchanges. Since the Company does not fall under the definition of listed Public Company, the provision of the constitution of the Audit Committee was not applicable to the Corporation. However, keeping in view the Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE, Audit Committee of the Board was reconstituted on 26.04.2019. During the financial year only one meeting of the audit committee was

held on 11.07.2019.

The Committee acts as a link between the Management, the Auditors and the Board of Directors to oversee the financial reporting process. During the year under review, the Audit Committee met with Auditor's to get their inputs on significant matters relating to their areas of audit. The composition of Audit Committee as on 31.03.2020 is as under:

Name of Director (S/Shri/ Smt)	Category
Sanjay Pandey, Chairman	Official Director
K. Hanmandloo, Member	Independent Director (NOD)*
K. Narayan, Member	Managing Director

* Upto 1st February, 2020

None of the non-executive Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year. The part time Government Directors are ex-officio appointees and their terms is co-terminus with the term of the respective position held by them in Government at the time of appointment on the Company's Board.

4.2 Remuneration Committee of the Board

The Department of Public Enterprises (DPE) vide Office Memorandum dated 03.08.2017, has notified the revision of pay scales for Board level and below Board level executives and Non-Unionized Supervisors w.e.f. 01.01.2017. As per guidelines issued by DPE each CPSE shall constitute a Remuneration Committee comprising of part time

बैठक सं	बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशक	अनुपस्थित निदेशक
119	19.09.2019	श्री के. नारायण, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्रीमती सरोज कुमारी, निदेशक श्री के. हनमन्डलू, निदेशक	श्री प्रवीर कृष्ण, प्र.नि. ट्राइफेड डॉ० सुभ्रांशु शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी
120	16.12.2020	श्री के. नारायण, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री संजय पांडे, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्रीमती सरोज कुमारी, निदेशक श्री के. हनमन्डलू, निदेशक	श्री प्रवीर कृष्ण, प्र.नि. ट्राइफेड डॉ० सुभ्रांशु शेखर आचार्य, महाप्रबन्धक, सिडबी

3.3 आचार संहिता

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एक सुपरिभाषित आचार संहिता का अनुपालन करता है जिसमें सत्यनिष्ठा, हितों की टकराहट, गोपनीयता एवं नैतिक आचरण पर बल देने संबंधी मामलों का उचित रूप से निवारण किया जाता है, जो अच्छे प्रशासन का आधार है। आचार संहिता निदेशक मण्डल स्तर एवं निदेशक मंडल स्तर से एक श्रेणी नीचे यानी महाप्रबन्धक संवर्ग तक लागू होती है। आचार संहिता की प्रति निगम की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धकीय कार्मिकों ने इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

4. निदेशक मण्डल की उप समितियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर दृष्टि रखने हेतु निगम के निदेशक मण्डल में निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

4.1 निदेशक मण्डल की लेखा-परीक्षा समिति

निगम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 (इससे पूर्व कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत) बिना लाभ की कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कम्पनी है और न ही किसी सार्वजनिक कम्पनी की सहायक है। यह एक निजी सरकारी कम्पनी है तथा किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि यह कम्पनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, अतः इस कम्पनी पर लेखापरीक्षा समिति के गठन के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यद्यपि लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु जारी दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 26.04.2019 को किया गया था। इस वित्तीय वर्ष में

लेखापरीक्षा समिति की मात्र एक बैठक दिनांक 11.07.2019 को हुई थी।

प्रबंधन, अंकेक्षकों एवं निदेशक मण्डल के निदेशकों के मध्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए समिति संयोजन का कार्य करती है। वर्ष के दौरान समीक्षा अवधि में लेखा परीक्षा समिति अंकेक्षकों से उनके अंकेक्षण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर इनपुट प्राप्त करने हेतु बैठक की। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की मौजूदा संरचना निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
संजय पाण्डेय, अध्यक्ष	सरकारी निदेशक
के हनमन्डलू, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक (एनओडी)*
के. नारायण, सदस्य	प्रबंध निदेशक

* 1 फरवरी, 2020 तक

वर्ष के दौरान किसी भी गैर सरकारी निदेशक का कम्पनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन देन नहीं हुआ। अंशकालिक सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पदेन होती है एवं सरकार में उनकी नियुक्ति के समय उनकी कार्यकाल की अवधि उनकी संबंधित अवधि से को-टर्मिनस होती है तथा निगम के निदेशक मण्डल में नियुक्ति संबंधित अवधि के अनुसार ही समाप्त होती है।

4.2. निदेशक मण्डल की पारिश्रमिक समिति

लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) ने दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा बोर्ड स्तर तथा बोर्ड से नीचे के कार्यकारियों एवं गैर यूनियनकृत पर्यवक्षकों के लिए 01.01.2017 से वेतनमानों के संशोधन को अधिसूचित किया है। लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को अंशकालिक निदेशकों अथवा स्वतंत्र निदेशकों से गठित एक पारिश्रमिक समिति

directors or independent directors, which will decide the annual bonus/variable pool and policy for its distribution across the executive and Non-Unionized Supervisors within the prescribed limits.

In accordance with the directions of DPE, the Board of NBCFDC had constituted a Remuneration Committee to decide the Performance Related Payment/variable pay pool for employees of the Corporation. The Remuneration Committee was reconstituted from time to time. During the financial year only one meeting of the Remuneration Committee was held on 16.12.2019. The composition of Remuneration committee as on 31.03.2020 is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Sanjay Pandey, Member	Official Director
K. Hanmandloo, Member	Independent Director (NOD)*
K. Narayan, Member	Managing Director

* Upto 1st February, 2020

4.3 CSR Committee of the Board

In line with section 135 and Schedule VII of the Companies Act 2013 and the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014, the Company has constituted CSR Committee on 26.04.2019. The role of the committee should inter-alia include the following;

- Formulation & recommendation of CSR Policy to the Board.
- Recommendation of CSR Expenditure.
- Monitoring & implementation of CSR Projects

The Committee met twice during the year under review on 26.04.2019 & 16.12.2019. The composition of CSR committee as on 31.03.2020 is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Sanjay Pandey, Member	Official Director
Saroj Kumari, Member	Independent Director*
K. Narayan, Member	Managing Director

* Upto 1st February, 2020

5. Remuneration to Directors

Being a Central Government Public Sector Enterprise, the appointment, tenure and remuneration of Managing Director is decided by the Government of India. The Government letter appointing Managing Director indicate the detailed terms & conditions of their appointment, including the period of appointment, scale of pay etc., and it also indicates that in respect of other terms & conditions not covered in the letter, the relevant rules of eth Corporation shall apply.

5.1 Non-Official Part Time Govt. Nominee Directors

Non Official Part Time Government Nominee Directors are not paid any remuneration and also not paid sitting fees for attending Board/ Committee meetings. None of the Govt. Nominee Directors have any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year.

5.2 Independent Directors

Independent Directors are currently paid sitting fee of Rs. 4000/- per meeting of Board/Committee of Board attended which is within the overall limit prescribed under the Companies Act 2013.

5.3 Extract of Annual Return

In terms of Section 92(3) of the Companies Act 2013 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of the Annual Return in form MGT 9 is annexed to the Directors' Report and also uploaded on the Company's website i.e. www.nbcfdc.gov.in.

6. Risk Management

As a part of the implementation of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE, a Risk Management Policy for drawing of appropriate risk assessment, management and minimization framework as also internal risk assessment framework, integrated and aligned with Corporate has been approved by the Board of Directors of NBCFDC.

7. Annual General Meetings

Annual General Meetings are held either at

बनाने का निर्देश दिया, जो निर्धारित सीमा में कार्यकारी तथा गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय पूल एवं इसके वितरण की पॉलिसी का निर्णय करेगी।

लोक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार एन.बी.सी. एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल ने निगम के कर्मचारियों के लिए निष्पादन से जुड़े भुगतान/परिवर्तनीय मूल वेतन के लिए पारिश्रमिक समिति गठित की थी। पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन समय-समय पर किया गया। इस वित्तीय वर्ष में पारिश्रमिक समिति की मात्र एक बैठक दिनांक 16.12.2019 को हुई थी। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक समिति की मौजूदा संरचना निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
संजय पाण्डेय, अध्यक्ष	सरकारी निदेशक
के. हनमन्डलू, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक (एनओडी)*
के. नारायण, सदस्य	प्रबंध निदेशक

* 1 फरवरी, 2020 तक

4.3. निदेशक मण्डल की सी.एस.आर. समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं अनुसूची-VII एवं कंपनी के नियम, 2014 (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) के अनुसार कंपनी ने दिनांक 23.05.2017 को सी.एस.आर. समिति का गठन किया है। अन्य कार्यों के साथ-साथ समिति की भूमिका में निम्न सम्मिलित है:

- निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना एवं संस्तुति करना।
- सी.एस.आर. व्यय की संस्तुति।
- सी.एस.आर. परियोजनाओं की देख-रेख एवं क्रियान्वयन।

वर्ष के दौरान समीक्षाधीन अवधि में समिति की दो बार दिनांक 26.04.2019 एवं 16.12.2019 को बैठक हुई। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में समिति का गठन निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
संजय पाण्डेय, अध्यक्ष	सरकारी निदेशक
सरोज कुमारी, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक (एनओडी)*
के. नारायण, सदस्य	प्रबंध निदेशक

* 1 फरवरी, 2020 तक

5. निदेशकों को पारिश्रमिक

केन्द्र सरकार का उद्यम होने के नाते प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल एवं पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रबंध निदेशक के नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की विस्तृत सेवा शर्तें, नियुक्ति की अवधि सहित वेतनमान इत्यादि सहित दर्शाए जाते हैं और यह भी संसूचित होता है कि अन्य सेवा-शर्तें जो नियुक्ति पत्र में आच्छादित न हों, निगम के संगत नियम लागू होंगे।

5.1 सरकार के नामिनी गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

सरकार के नामिनी गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है और न ही निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकार के नामिनी निदेशकों द्वारा कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध अथवा लेन-देन नहीं किया गया।

5.2 स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को वर्तमान में निदेशक मण्डल/निदेशक मण्डल की समितियों की बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक रु. 4000/- का भुगतान किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित सम्पूर्ण सीमा के अन्दर है।

5.3 वार्षिक रिटर्न का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अन्तर्गत जो कंपनी नियम, 2014 (प्रबंधन एवं प्रशासन) के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिटर्न का अंश **एम.जी.टी. 9 फार्म** में निदेशकों के प्रतिवेदन में अनुलग्नक के रूप में दिया गया है एवं कंपनी की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर अपलोड किया गया है।

6. जोखिम प्रबंधन

लोक उद्यम विभाग द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन पर जारी दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के एक अंग के रूप में उपयुक्त रूप से जोखिम आकलन को संज्ञानित करने, प्रबंधन एवं आन्तरिक जोखिम आंकलन, को संज्ञानित करने, प्रबंधन एवं आन्तरिक जोखिम आंकलन, ढांचे को लघुतम करने, व्यवसाय के साथ समेकित एवं संरेखित करने हेतु जोखिम प्रबंधन को एन.बी.सी. एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

7. वार्षिक सामान्य बैठकें

वार्षिक सामान्य बैठकें या तो नई दिल्ली स्थित निगम

के पंजीकृत

the Registered Office of the Corporation at Delhi or within the NCT of Delhi. The location, date & time for the last three AGMs are as under:

S. No.	Financial Year	Date & Time	Venue
1	2016-2017	18.09.2017 1100 hours	Conference Room, 6th Floor, Room No. 603, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
2	2017-2018	25.09.2018 1100 hours	Conference Room, 6th Floor, Room No. 603, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
3	2018-2019	20.09.2019 1130 hours	Conference Room, 6th Floor, Room No. 603, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001

8. Disclosures

- There was no material transaction with the Directors or the Management or their relatives that may have potential conflict with the interest of the Company at large.
- The Company has adopted all suggested items to be included in the Report on Corporate Governance as required under the Code of Corporate Governance issued by DPE.
- There is no inter-se relationship between Directors of the Company, as per declarations received.
- The financial statements are prepared in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant

presentational requirements of the Companies Act.

9. Shareholdings

The paid up Capital of the Corporation as on 31.3.2020 is Rs. 1444.00 Crore. The Corporation received Rs. 130.00 Crore as budgetary support from the Govt. during the year under report. Against the paid up capital received from Govt. of India, 14,43,999 shares of Rs. 1000/- each have been allotted and registered in the name of the President of India. 01 share of Rs. 1000/- only has been allotted and registered in the name of Joint Secretary (BC), SJ&E, Govt. of India on behalf of President of India.

10. Means of Communication

Company's financial results, official news release and other general information about the Company are uploaded on the Company's website i.e. www.nbcfdc.gov.in. Shareholders are apprised about the working performance of the Company at the Annual General Meetings. Monthly/quarterly progress/performance of the Corporation is sent to the Ministry from time to time. An MOU is also signed between Corporation & the Administrative Ministry in consultation with DPE which is also reviewed by the Ministry at the end of the financial year. Besides, the working and progress of the Corporation is also reviewed by the Joint Parliamentary Committee/Standing Committee and other such committees, from time to time.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Sd/-

Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Place : New Delhi
Date : 21/09/2020

कार्यालय में अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित की जाती है। गत तीन वार्षिक सामान्य बैठकों का स्थान, तारीखें एवं समय इस प्रकार है:

क्र.स.	वित्तीय वर्ष	दिनांक एवं समय	स्थान
1	2016-2017	18.09.2017 1100 बजे	कांफ्रेंस कक्ष, छठा तल, कमरा सं. 603, ए-विंग, शात्री भवन, नई दिल्ली-110001
2	2017-2018	25.09.2018 1100 बजे	कांफ्रेंस कक्ष, छठा तल, कमरा सं. 603, ए-विंग, शात्री भवन, नई दिल्ली-110001
3	2018-2019	20.09.2019 1130 hours	कांफ्रेंस कक्ष, छठा तल, कमरा सं. 603, ए-विंग, शात्री भवन, नई दिल्ली-110001

8. प्रकटन

- क) निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भौतिक लेनदेन नहीं किया गया, जिससे कि बड़े पैमाने पर कम्पनी के हितों पर संभावित विवाद पैदा होता हो।
- ख) कारपोरेट प्रशासन रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु कम्पनी ने केन्द्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट प्रशासन संहिता के अंतर्गत सुझाई गई समस्त आवश्यक मदों को अंगीकार किया है।
- ग) प्राप्त घोषणाओं के अनुसार कम्पनी के निदेशकों के मध्य कोई परस्पर संबंध नहीं है।
- घ) लागू वित्तीय विवरण आवश्यक लेखाकरण मानकों और कम्पनी अधिनियम की संगत प्रस्तुतिकरण के अनुसार तैयार किए गए हैं।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 21/09/2020

9. अंशधारिता

दिनांक 31.03.2020 को निगम की प्रदत्त अंश पूंजी रु. 1444.00 करोड़ है। संदर्भाधीन अवधि में वर्ष के दौरान भारत सरकार से रु. 130.00 करोड़ की बजटीय सहायता प्राप्त हुई है। भारत सरकार से प्राप्त प्रदत्त पूंजी की तुलना में रु. 1000 / - प्रत्येक के 14,43,999 अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम आवंटित और पंजीकृत किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति के निमित्त रु. 1000 / - मात्र का 01 शेयर सरकारी हैसियत से संयुक्त सचिव (बी.सी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नाम आवंटित एवं पंजीकृत किया गया है।

10. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणाम, कार्यालयी समाचार विज्ञप्तियां एवं कंपनी के बारे में अन्य सामान्य सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर अपलोड की जाती हैं। शेयरधारकों को वार्षिक साधारण बैठकों में कम्पनी के कार्य-निष्पादन के बारे में जानकारी दी जाती है। मंत्रालय को समय-समय पर निगम की मासिक/तिमाही प्रगति/कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजी जाती है। लोक उद्यम विभाग के परामर्श से निगम और प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसकी समीक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम के कार्य और प्रगति की समीक्षा संयुक्त संसदीय समिति/स्थायी समिति एवं इस प्रकार की अन्य समितियों द्वारा भी समय-समय पर की जाती है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0 / -
के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

ह0 / -
डॉ. एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

THE CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE NORMS

To
The Members,
National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company')
New Delhi.

We have examined the relevant books, records and statements in connection with compliance of the conditions of Corporate Governance by National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company') for the financial year ended 31st March, 2020, as stipulated in the guidelines on Corporate Governance Norms for Central Public Sector. Enterprises 2007 issued by the Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises (DPE) and revised further vide Office Memorandum No. 18(8)/2005-GM, dated May 14, 2010.

The compliance of the conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as laid down in the above said guidelines. Our Certification is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has substantially complied with the conditions of Corporate Governance Norms as stipulated in the abovementioned DPE Guidelines, except the following provisions:

- i. As per DPE Guidelines, two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors. However, on perusal of records of the Company, we observed that the Audit Committee of the Company consist only One (1) Independent Director in the Audit Committee.
- ii. Independent Directors have not appointed as Chairman of Audit Committee and Rem uneration Committee.
- iii. Audit Committee shall meet at least four times in a year. However, on perusal of records of the Company, we observed that the Audit Committee has met only 1 (one) time during the year i.e. 11 .Q7.2019.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the management has conducued the affairs of the company.

For VAP & Associates
Company Secretaries

Sd/-

Parul Jain
Proprietor
CP No. 13901
M.No. F8323

Place: Ghaziabad
Date: 29.07.2020

कॉरपोरेट प्रशासन मानदंडों के अनुपालन पर प्रमाण-पत्र

सेवा में,

सदस्यगण

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी)

नई दिल्ली।

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी) के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में, हमने संगत बहियों, रिकार्ड और विवरणों का परीक्षण, भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उद्यम, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, 2007 के लिए जारी दिशा-निर्देशों और इसके आगे संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (8)/2005-जीएम., दिनांक 14 मई, 2010 के अनुसार किया है।

कॉरपोरेट प्रशासन की दशाओं के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण कंपनी द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में उक्त कथित मार्ग निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया तक ही सीमित है। हमारा प्रमाणन न तो लेखापरीक्षा है और ना ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि निगम को लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के लिए जारी उक्त कारपोरेट प्रशासन दिशानिर्देश में निहित निम्नलिखित दशाओं को छोड़कर, समस्त दशाओं का अनुपालन किया गया है।

- i. लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, अंकेक्षण समिति में दो-तिहाई निदेशक "स्वतंत्र निदेशक" होने चाहिए। तथापि, कंपनी के अभिलेखों के अवलोकन करने पर, हम पाते हैं कि कंपनी की अंकेक्षण समिति मात्र एक स्वतंत्र निदेशक से बनी है।
- ii. अंकेक्षण समिति एवं पारिश्रमिक समिति में स्वतंत्र निदेशक को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है।
- iii. अंकेक्षण समिति की एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें होनी चाहिए। तथापि, कंपनी के अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि समिति की बैठक वर्ष में एक बार अर्थात् 11.07.2019 को हुई है।

हम आगे यह व्यक्त करते हैं कि इस तरह के अनुपालन कंपनी के लिए न तो भविष्य की व्यवहारिता के रूप में आश्वासन है और न ही प्रभाविता की दक्षता के, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोशिएट
कम्पनी सचिव

स्थान: गाज़ियाबाद
दिनांक: 29.07.2020

ह0/—
पारूल जैन
प्रोप्राइटर
सी.पी.न. 13901
सदस्य सं. एफ. 8323



कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002

Office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare and Rural Development)
Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

गोपनीय

संख्या: एएमजी-II/PDA(H.W&RD)/NBCFDC/19-20/4-15/2020-21/493

दिनांक: 28.12.2020

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन,
पंचम तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3,
सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली -110 016

विषय: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6) (b) के अंतर्गत नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 143 अनुच्छेद 2013 (6) (b) के अंतर्गत नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के 31 मार्च को समाप्त वर्ष के वित्तीय 2020 लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करता हूँ। इन टिप्पणियों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाय।

कृपया इस पत्र की पावती भेजेने की कृपा करें।

भवदीय

अशोक सिन्हा

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)

संलग्न: यथोपरि



कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002

Office of the Principal Director of Audit (Health, Welfare and Rural Development)
Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

गोपनीय

संख्या: एएमजी-II/PDA(H.W&RD)/NBCFDC/19-20/4-15/2020-21/493

दिनांक: 28.12.2020

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन,
पंचम तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3,
सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली -110 016

विषय: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6) (b) के अंतर्गत नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियाँ।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 143 अनुच्छेद 2013 (6) (b) के अंतर्गत नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के 31 मार्च को समाप्त वर्ष के वित्तीय 2020 लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित करता हूँ। इन टिप्पणियों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाय।

कृपया इस पत्र की पावती भेजेने की कृपा करें।

भवदीय

अशोक सिन्हा

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास)

संलग्न: यथोपरि

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020.

The preparation of financial statements of National Backward Classes Finance And Development Corporation for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29th July, 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Backward Classes Finance And Development Corporation for the year ended 31 March, 2020 under section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6) (b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.


1. Income and Expenditure Statement

1.1 Revenue from Operations (Note 17)

Rendering of Services: Interest on Loans and Advances (General Loan) Rs. 3497 lakh

The above included Rs. 54.60 lakh interest on education loan, which was neither accrued nor due. This resulted in overstatement of Revenue from operations (Note 17) by Rs. 54.60 lakh and overstatement of other non-current assets (Note 7) by the same amount.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**



**Place:
Dated:**

(Ashok Sinha)
Principal Director of Audit
Health, Welfare and Rural Development

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय लेखों पर, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का दायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांघिक लेखा परीक्षक का दायित्व है कि अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुरूप धारा 143 पर आधारित इन वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह उल्लेख किया जाता है कि यह उनकी अंकेक्षित रिपोर्ट दिनांक 29 जुलाई, 2020 के द्वारा की गई है।

मैंने, कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा, स्वतंत्र रूप से सांघिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों की पहुंच के बिना एवं सांघिक लेखा परीक्षकों की प्राथमिक जांच पड़ताल एवं कम्पनी के कर्मचारियों तथा लेखा अभिलेखों के कुछ चुनिन्दा परीक्षणों तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को रेखांकित करना चाहूंगा, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझने हेतु आवश्यक हैं।


1. आय—व्यय विवरण

1.1 संचालनों से राजस्व (टिप्पणी 17)

सेवाओं का प्रतिपादन: ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सामान्य ऋण) रु. 3497 लाख

उपरोक्त में शिक्षा ऋण पर रु. 54.60 लाख का ब्याज सम्मिलित है, जो न तो अर्जित किया गया था और न ही देय था। इसके परिणामस्वरूप परिचालन से राजस्व (नोट 17) में रु. 54.60 लाख की राशि का अत्युक्तिपूर्ण कथन हुआ एवं उसी राशि तक अन्य गैर—वर्तमान परिसंपत्तियों (नोट 7) में अत्युक्तिपूर्ण कथन हुआ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से एवं उनके लिए



(अशोक सिन्हा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
स्वास्थ्य, कल्याण एवं ग्रामीण विकास

स्थान:
दिनांक:

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION

Addendum to the Director's Report (2019-20)
 Replies of Management of NBCFDC on the observation of Observation
 of Comptroller and Auditor General of India given in their Report for the year 2019-20
 (Required under section 143 (6)(b) of the Companies Act 2013)

Observation/comments of Comptroller and Auditor General of India (C&AG)	Information and Explanation on Comment of CAG
<p>Revenue From Operation : Rendering of Services : Interest on Loans and Advances (General Loan) Rs. 3497 Lakh</p> <p>The above included Rs. 54.60 Lakh Interest on Education Loan, which was neither accrued nor due. This resulted in overstated of Revenue from Operations (Note 17) by Rs. 54.60 lakh and overstatement of other non-current assets (Note 7) by the same amount.</p>	<p>This omission in excess accrual of income/ non-current assets happened due to a minor technical bug in the newly introduced Loan Accounting Software, which has since been corrected. The software is currently under up-gradation subsequent to which a comprehensive IT audit will also be carried out to eliminate any chances of recurrence.</p> <p>It is also mention worthy that in terms of IND AS, the overstated revenue has been incorporated in the Books of Accounts in the FY 2020-21.</p>

For and on behalf of the Board of Directors

Place : New Delhi
 Date : 29-12-2020

Sd/-
K. NARAYAN
 Managing Director

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुशेष (2019–20)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2019–20 की रिपोर्ट के प्रेक्षणों पर

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के प्रबंधन के उत्तर

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत आवश्यक)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रेक्षण/टिप्पणियाँ (सी.एण्ड ए.जी.)	सी. एण्ड ए.जी. की टिप्पणियों पर सूचना एवं स्पष्टीकरण
<p>संचालन से राजस्व: प्रदत्त सेवाएँ: ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज (सामान्य ऋण) रु. 3497 लाख</p> <p>उपरोक्त में शिक्षा ऋण पर रु. 54.60 लाख का ब्याज सम्मिलित है, जो न तो अर्जित किया गया था और न ही देय था। इसके परिणामस्वरूप परिचालन से राजस्व (नोट 17) में रु. 54.60 लाख की राशि का अत्युक्तिपूर्ण कथन हुआ एवं उसी राशि तक अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों (नोट 7) में अत्युक्तिपूर्ण कथन हुआ।</p>	<p>अधिक उपाजित आय/गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में हुई चूक शुरू किए गए नए ऋण लेखा सॉफ्टवेयर में एक मामूली तकनीकी बग के कारण हुई है, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। इस सॉफ्टवेयर का वर्तमान में अप-ग्रेडेशन किया जा रहा है तत्पश्चात पुनरावृत्ति की किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए एक व्यापक आई.टी. ऑडिट भी किया जाएगा।</p> <p>यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में लेखा पुस्तिकाओं में अत्युक्तिपूर्ण राजस्व को समाविष्ट किया गया है।</p>

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.12.2020

ह0 / -
के. नारायण
प्रबंध निदेशक

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the audit of the financial statements

Opinion

We have audited the accompanying standalone IND AS financial statements of **National Backward Classes Finance and Development Corporation** ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at **March 31, 2020**, the Statement of Income and Expenditure, statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by **the Company Act, 2013** ('Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at **March 31, 2020**, its **profit/surplus** and cash flows for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit of the separate Ind AS financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

Information other than the financial statements and auditors' report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

अभिमत

हमने नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ("एक कंपनी") के अंकेक्षित वित्तीय वक्तव्यों जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, आय एवं व्यय पर वक्तव्य, उसी समाप्त वर्ष पर रोकड़ प्रवाह वक्तव्य, एवं वित्तीय विवरणों पर वक्तव्य जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित है, का लेखा परीक्षण किया है।

हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम द्वारा आवश्यक सूचना की जानकारी इस रूप में देते हैं, जैसा कि आवश्यक है, लेखाकरण सिद्धांतों व अनुरूपता के दृष्टिगत भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी के कार्यों की स्थिति के में 31 मार्च, 2020 की एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ/हानि एवं इसके नकदी प्रवाह की सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों (एस.ए.एस.) के अनुसार विभिन्न भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खण्ड के अंकेक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों को आगे बताया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता तथा साथ ही साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र हैं जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं, वह हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय बयानों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में इन मामलों का समाधान वित्तीय वक्तव्यों और उस पर अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय नहीं रखते हैं।

एस.ए. 701 के अनुसार, प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का है। अन्य जानकारी में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट सहित निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट सम्मिलित है किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's responsibility for the financial statements

The Company's board of directors are responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The boards of directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not

वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ वास्तव में असंगत है अथवा अन्यथा वास्तव में गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना का एक भौतिक बयान गलत है, तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के मामलों हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व—इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, अधिनियम की धारा 133 के तहत वर्णित, वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं कंपनी के नकदी प्रवाह के दृष्टिगत एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, और वे सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु लेखाकरण अभिलेखों का पर्याप्त रूप से अनुरक्षण करने एवं धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग, निर्णय लेने एवं उपयुक्तता व मितव्यता का अनुमान करने, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, जो लेखाकरण अभिलेखों के यथार्थ व परिपूर्ण क्रियान्वयन एवं संचालन को प्रभावशाली रूप से संचालित करते हुए वित्तीय विवरणों को उपयुक्त रूप से तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरण जिससे एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जाती है, जो मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वे धोखाधड़ी / त्रुटियों से होती हैं, भी सम्मिलित है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी प्रबंधन का दायित्व है कि चिंता के विषय को सतत् रखने की क्षमता का आकलन करने, खुलासा करने, प्रकटन करने, जैसा भी लागू हो, लेखाकरण से संबंधित मामलों में चिंता के विषय को सतत् बनाए रखने जब—तक कि प्रबंधन कंपनी के पास कम्पनी को समाप्त करने अथवा कार्यों को रोकने या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व:

उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारे उद्देश्य हैं कि क्या समग्र रूप से वित्तीय बयान गलत बयान से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। आश्वासन उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस.ए.एस. के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा से हमेशा भौतिक गलत बयानबाजी, जब भी यह हो, का पता लगाया जा सके। गलत बयानबाजी, धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और इसे भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या मिलकर यथोचित इन वित्तीय बयानों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा हो।

एस.ए.एस. के अनुसार लेखापरीक्षा के अंग के रूप में, हमने लेखापरीक्षा के माध्यम से व्यावसायिक निर्णय एवं व्यावसायिक संशयवाद को अनुरक्षित करने की कवायद की है। हम यह भी:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयानों के, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जोखिमों की पहचान और आकलन किया है, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन और उन जोखिमों के जिम्मेदार लेखापरीक्षा प्रक्रिया को किया है, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जो हमारी राय के लिए एक आधार

detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

The provisions of the **Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order")**, issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 is not applicable to the Company as the company licensed to operate under section 8 of the Companies Act, 2013.

1. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखेबाजी के कारण भौतिक गलत बयानबाजी का परिणाम त्रुटि का पता नहीं लगने के परिणाम से उच्च है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण सम्मिलित हो सकता है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अभिकल्पन के क्रम में आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त की जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित पार्टि प्रकटन का मूल्यांकन किया।
- प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता हेतु लागू लेखांकन एवं, लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, कि क्या घटनाओं अथवा दशाओं से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, और किए जा रहे कार्यकलापों पर कंपनी को योग्यता की कीमत चुकानी है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को बदलने की, हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या दशाओं के कारण कंपनी की सतत्ता समाप्त हो सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषय वस्तु का मूल्यांकन सहित प्रकटन, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं एवं घटनाएं इस प्रकार है जो उचित प्रस्तुतिकरण करती हैं।

अन्य मामलों के अतिरिक्त, पहचान किए गए मामलों में से जिन्हें प्रशासन के संबंध में प्रभारित किया गया है और समय व महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां सम्मिलित हैं, जिनकी अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, हम संसूचित करते हैं।

हम उन प्रभारों को प्रशासन के साथ एक संबंधित सुरक्षा उपाय पर वक्तव्य प्राप्त करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संसूचित करने के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है, और जहां लागू हो। प्रशासन के बारे में उन प्रभारों के मामलों को संसूचित करते हैं, हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे, अतः इसलिए ये मामले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं चाहे कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करता हो, अथवा अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी ऐसे मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से सार्वजनिक हित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद हो।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("द ऑर्डर") के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत संचालित करने का लाइसेंस है।

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) में वांछित है, हम सूचित करते हैं कि:

- क) हमने उन सभी सूचनाओं व स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किए, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

(c) The balance sheet, the statement of Income and Expenditure, and the cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

(d) In our opinion, the aforesaid standalone Ind AS financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the **Companies (Accounts) Rules, 2014**.

(e) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2020 taken on record by the board of directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2020 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;

(f) With respect to the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A".

(g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the **Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014**, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

- i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position;
- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and
- iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company

2. As required under Section 143(5) of the Companies Act 2013, we enclose herewith, as per **Annexure-B**, our report for the Company on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

Place: New Delhi
Date: 29/07/2020

For NKS Chauhan & Associates
(Chartered Accountants)
FRN No:013940N

Sd/-
CA NKS Chauhan
Partner
M.No:088165
UDIN 20088165AAAAHA7518

अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।

- ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित लेखों की बहियों को तैयार किया गया है तथा उन बहियों को हमारे परीक्षण में दिखाया गया है।
- ग) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए तुलन-पत्र, आय व व्यय के ब्यौरे और नकदी प्रवाह के ब्यौरे एवं अंशों में परिवर्तन के ब्यौरे, लेखों की बहियों के समानुरूप है।
- घ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणी कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम-7 के साथ पठित अधिनियम की धारा-133 के अंतर्गत निहित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।
- ङ) 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर निदेशक-मंडल द्वारा इन्हें रिकार्ड में लिया गया है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के अंतर्गत निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में, अनुलग्नक-‘क’ पर हमारी अलग रिपोर्ट को देखें।
- छ) कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम-11 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय व हमारी सर्वोत्तम जानकारी में व दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:-
- i) कंपनी के पास मुकदमेबाजी का कोई भी लंबित मामला नहीं है, जिससे इसकी वित्तीय स्थिति पर असर होगा।
- ii) कंपनी के पास अमौलिक अनुबंध सहित लंबी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिससे कोई पूर्वाभासी भौतिक हानि हुई हो।
- iii) कंपनी द्वारा निवेशकों की शिक्षा व संरक्षण निधि को हस्तांतरित की जाने वाली राशियों को हस्तान्तरित करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।
2. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अनुसार वांछित है, भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके साथ कंपनी के लिए हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्न है।

कृते एन.के.एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 013940एन

ह0/-
सी.ए.एन.के.एस. चौहान
पार्टनर
सदस्य सं.: 088165
यू.डी.आई.एन. 20088165AAAAHA7518

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.07.2020

ANNEXURE – A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of National Backward Classes Finance And Development Corporation ("the Corporation") as of March 31, 2020 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the Guidance Note) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and the guidance notes on audit of internal financial control over financial reporting, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my /our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एकल वित्तीय विवरणी पर समसख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा-143 की उप-धारा 3 के क्लॉज (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी) के 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी की एकल वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन का दायित्व कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस टिप्पणी) पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करना, और यह मानते हुए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के गाइडेंस नोट में वर्णित (दिशा-निर्देश टिप्पणी) आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को स्थापित करना और उसको बनाए रखना है। जैसा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जिससे व्यवसाय का संचालन यथाक्रम एवं दक्षतापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जा सके जिसमें जो कंपनी की नीतियों से संबद्धता, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, किसी भी धोखे व त्रुटियों की रोकथाम व उनका पता लगाने, लेखाकरण रिकार्ड की शुद्धता व पूर्णता और भरोसेमंद वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने का अनुपालन करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु लेखापरीक्षण पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा दायित्व है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु (गाइडेंस टिप्पणी) इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी गाइडेंस टिप्पणी एवं लेखापरीक्षण के मानकों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्धारित हैं, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग दोनों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की मार्गदर्शन टिप्पणियाँ लागू होती हैं, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, के अनुसार हमने लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन और योजना व लेखा परीक्षा के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई और उसे बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए गए।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना सम्मिलित है कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्पन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित कार्यप्रणाली लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयान के जोखिमों का आकलन सम्मिलित है, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर मेरीधमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकार्य सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय विवरण तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में बाह्य उद्देश्यों हेतु पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और

as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Place: New Delhi
Date: 29/07/2020

For NKS Chauhan & Associates
(Chartered Accountants)
FRN No:013940N

Sd/-
CA NKS Chauhan
Partner
M.No:088165
UDIN 20088165AAAAHA7518

प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बंधित, उपयुक्त विवरण, लेन-देन का शुद्ध एवं उचित रूप से विवरण एवं कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति के बारे में (2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना जैसा कि आवश्यक हो। सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमति के लिए लेन-देन रिकार्ड किए जाते हैं एवं (3) कंपनी की अनाधिकृत परिसंपत्तियों के अर्जन, प्रयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति जिससे मूर्त रूप से वित्तीय विवरणों पर प्रभाव हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाओं के कारण सॉट-गॉट की संभावना को सम्मिलित करते हुए नियंत्रण की अवहेलना हेतु अनुपयुक्त प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण मूर्त मिथ्या कथन हो सकते हैं और पता नहीं किया जा सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई मूल्यांकन भविष्य की समयावधि हेतु जोखिम के अधीन होते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर, दशाओं के परिवर्तन, अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की तीव्रता आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा प्रक्रिया को क्षय कर सकता है।

अभिमत

हमारी राय में सभी मूर्त सामग्रियों के सम्बंध में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग का पर्याप्त वित्तीय तंत्र है और 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शन टिप्पणी में कहा गया है कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आवश्यक घटक पर विचार करने पर आधारित थे।

कृते एन.के.एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 013940एन

ह0 / -
सी.ए.एन.के.एस. चौहान
पार्टनर
सदस्य सं.: 088165
यू.डी.आई.एन. 20088165AAAAHA7518

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.07.2020

Annexure B to the Independent Audit Report

Report on directions issued under section 143(5) of the Companies Act, 2013 by the Comptroller & Audit General of India

With reference letter No.41/PDCA/HS/MAB-4/Appt.Adrs/NBCFDC/12-13/8696 dated 18.03.2019 of office of the PDCA & Ex. Office Member Audit Board IV, New Delhi.

Sl.No.	Directions	Reply
1.	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes. All accounting transactions' are being made through' IT system' i.e. the tally/ customized software except Management Information System Reports.
2.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	No borrowing was made during the year, hence, not applicable to the Corporation.
3.	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	Yes, the funds received for the specific schemes from Central/State agencies were properly accounted as per terms and there is no case of deviation.

Place: New Delhi
Date: 29/07/2020

For NKS Chauhan & Associates
(Chartered Accountants)
FRN No:013940N

Sd/-
CA NKS Chauhan
Partner
M.No:088165
UDIN 20088165AAAAHA7518

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट डीपीसीए एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड IV, नई दिल्ली के पत्र सं.41/डीपीसीए/एचएस/एमएबी-4/एपीपीटी. एडीआरएस / एनबीसीएफडीसी / 12-13 / 8696 दिनांक 18.03.2019 के संदर्भ में।

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रक्रियागत करने के लिए तंत्र है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ आई.टी. प्रणाली के बिना लेखांकन लेनदेन के प्रक्रियागत निहितार्थ, यदि कोई हों, बताए जाएं।	वर्ष के दौरान किसी भी तरह का ऋण नहीं लिया गया अतः निगम के लिए लागू नहीं है।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण की भुगतान सूची पुनः बनाई गई है या कंपनी को ऋण देने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट/ माफी के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए।	वर्ष के दौरान किसी भी तरह का ऋण नहीं लिया गया अतः निगम के लिए लागू नहीं है।
3.	क्या केंद्र / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि को अवधि और शर्तों के अनुसार उपयोग करने के लिए ठीक से हिसाब लगाया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हाँ, केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि को शर्तों के अनुसार ठीक से हिसाब लगाया गया है और विचलन का कोई मामला नहीं है।

कृते एन.के.एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
एफ.आर.एन.सं.: 013940एन

ह0/-
सी.ए.एन.के.एस. चौहान
पार्टनर
सदस्य सं.: 088165
यू.डी.आई.एन. 20088165AAAAHA7518

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.07.2020

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

BALANCE SHEET as at 31st March, 2020

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Note No.	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
I. ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment	3	62.01	75.48
(b) Other intangible assets	4	10.50	15.49
(i) Intangible asset under development		-	-
(c) Financial assets			
(i) Loans	5	134,009.66	120,423.88
(ii) Others	6	703.69	526.51
(d) Other non-current assets	7	70.87	80.46
		134,856.73	121,121.82
2 Current assets			
(a) Financial assets			
(i) Trade Receivable/Debtors	5	7.14	-
(ii) Cash and cash equivalents	9	7,178.47	9,938.18
(iii) Bank balances other than (i) above	10	-	-
(iv) Loans	6	55,829.61	48,553.66
(v) Others	7	2,377.27	3,687.16
(b) Current tax asset (Net)	11	55.71	53.48
(c) Other current assets	8	56.12	62.65
		65,504.32	62,295.13
Total Assets		200,361.05	183,416.95
II. EQUITY AND LIABILITIES			
1 Equity			
(a) Equity share capital	12	144,400.00	131,400.00
(b) Other equity	13	50,375.32	47,746.78
		194,775.32	179,146.78
2 Liabilities			
(i) Non-current liabilities			
(a) Provisions	14	9.10	34.97
		9.10	34.97
(ii) Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Others	15	5,099.14	3,918.08
- Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		1.92	3.41
- Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		87.19	113.19
(b) Other Current Liabilities	16	388.38	200.52
(c) Provisions	14	5,576.63	4,235.19
		5,576.63	4,235.19
Total Equity and Liabilities		200,361.05	183,416.95
III. See accompanying notes to the financial statements			

As per our Report of even date attached

For N K S Chauhan & Associate

Sd/-
Chartered Accountants
FRN 013940N

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
G. M (Finance) & Company Secretary

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Partner: N.K.S.Chauhan
M. No. 088165
UDIN 200 88 165 AAAAHA7518
Place : New Delhi
Date : 29/7/2020

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन स. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र (बैलेन्स शीट)

(लाख रु. में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
I. परिसम्पत्तियाँ			
1 गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियाँ			
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	3	62.01	75.48
(ख) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	4	10.50	15.49
(i) विकास के अधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ		-	-
(ग) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
(i) ऋण	5	134,009.66	120,423.88
(ii) अन्य	6	703.69	526.51
(घ) अन्य गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियाँ	7	70.87	80.46
		134,856.73	121,121.82
2 वर्तमान परिसम्पत्तियाँ			
(क) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
(i) प्राप्य व्यवसाय/ देनदार	5	7.14	-
(ii) नकद एवं नकदी समकक्ष	9	7,178.47	9,938.18
(iii) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त बैंक अवशेष	10	-	-
(iv) ऋण	6	55,829.61	48,553.66
(v) अन्य	7	2,377.27	3,687.16
(ख) वर्तमान कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध)	11	55.71	53.48
(ग) अन्य वर्तमान देएताएं	8	56.12	62.65
		65,504.32	62,295.13
कुल परिसम्पत्तियाँ		200,361.05	183,416.95
II. इक्विटी व देयताएं			
1 इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	12	144,400.00	131,400.00
(ख) अन्य इक्विटी	13	50,375.32	47,746.78
		194,775.32	179,146.78
2 देयताएं			
(i) गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) प्रावधान	14	9.10	34.97
		9.10	34.97
(ii) वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) अन्य	15	5,099.14	3,918.08
- सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अतिरिक्त उधारदाताओं के देय कुल बकाया			
- सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के कुल देय बकाया		1.92	3.41
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	16	87.19	113.19
(ग) प्रावधान	14	388.38	200.52
		5,576.63	4,235.19
कुल इक्विटी एवं देयताएं		200,361.05	183,416.95
III. वित्तीय विवरण के लिए संगत टिप्पणियां देखें			

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स

ह0/-

चाटर्ड एकाउन्टेंट्स

एफआरएन 013940एन

भागीदार: एन.के.एस. चौहान

सदस्य स. 088165

यू.डी.आई.एन. 200 88 165 AAAHA7518

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 29.07.2020

ह0/-

अजित कुमार सामल

महाप्रबंधक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

ह0/-

डॉ० एस. एस. आचार्य

निदेशक

(डिन सं. 06727939)

ह0/-

के. नारायण

प्रबंध निदेशक

(डिन सं. 03561648)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Income & Expenditure Statement for year ended 31st March, 2020

(Rs. in Lakhs)

Particulars		Note No.	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
I	Revenue from operations	17	4,804.11	4,077.71
II	Other Income	18	272.40	684.64
III	Total Revenue (I+II)		5,076.51	4,762.35
IV	Expenses			
	Allowance for Loans & advances	19	-	30.32
	Penal Interest waived off and others	20	79.21	212.85
	Employee Benefit Expense	21	1,040.70	925.59
	Depreciation and Amortization Expense	22	25.89	24.30
	Training & Development Expenses	23	774.61	454.59
	Rebate on Interest on Loans & Advances	24	12.05	9.42
	Other Expenses	25	399.39	472.32
	Corporate Social Responsibility Expenses	28	112.63	129.86
	Total Expenses (IV)		2,444.48	2,259.24
V	Excess of Income over expenditure before Exceptional Items and Tax (III - IV)		2,632.03	2,503.11
VI	Exceptional Items			
VII	Excess of Income over expenditure before Tax (V - VI)		(12.75)	(304.49)
VIII	Tax expense:	27	2,644.78	2,807.61
	(1) Current tax			
	(2) Deferred tax		-	-
IX	Excess of Income over expenditure for the period from continuing operations (VII-VIII)		2,644.78	2,807.61
X	Excess of Income over expenditure from discontinued operations		2,644.78	2,807.61
XI	Tax expense of discontinued operations		-	-
XII	Excess of Income over expenditure discontinued operations (X - XI)		-	-
XIII	Excess of Income over expenditure for the period (IX + XII)		-	-
XIV	Other Comprehensive Income / (Expenses)	26	2,644.78	2,807.61
	A. (i) Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account			
	(ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account		(16.24)	(13.93)
	B. (i) Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
XV	Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprising Excess of Income over expenditure and Other Comprehensive Income for the period)	29	2,628.54	2,793.68
XVI	Earning per equity share:			
	(1) Basic (Rs. In Lakhs ₹)		19.20	22.19
	(2) Diluted (Rs. in Lakhs ₹)		19.10	21.86
XVII	Earnings Per Equity Share: (For discontinuing Operation)			
	(1) Basic (Rs. In Lakhs ₹)		-	-
	(2) Diluted (Rs. in Lakhs ₹)		-	-
XVIII	Earnings Per Equity Share: (For discontinued and continuing Operation)			
	(1) Basic (Rs..)	29	19.20	22.19
	(2) Diluted (Rs.)		19.10	21.86
XIX	See accompanying notes to the financial statements			

As per our Report of even date attached

For N K S Chauhan & Associate

Sd/-
Chartered Accountants
FRN 013940N

Partner: N.K.S.Chauhan
M. No. 088165
UDIN 200 88 165 AAAAHA7518
Place : New Delhi
Date : 29/7/2020

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
G. M (Finance) & Company Secretary

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन स. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय विवरण

(लाख रु. में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
I	संचालनों से आय	17	4,804.11	4,077.71
II	अन्य आय	18	272.40	684.64
III	कुल व्यय (I+II)		5,076.51	4,762.35
IV	व्यय			
	ऋणों एवं अग्रियों की अनुमति	19	-	30.32
	माफ किया गया दण्ड ब्याज माफ एवं अन्य	20	79.21	212.85
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	1,040.70	925.59
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	22	25.89	24.30
	प्रशिक्षण और विकास व्यय	23	774.61	454.59
	ऋणों पर ब्याज एवं अग्रियों पर छूट	24	12.05	9.42
	अन्य खर्च	25	399.39	472.32
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	28	112.63	129.86
	कुल व्यय (IV)		2,444.48	2,259.24
V	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (III - IV)		2,632.03	2,503.11
VI	असाधारण मदें			
VII	कर से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (V - VI)		(12.75)	(304.49)
VIII	कर व्यय:	27	2,644.78	2,807.61
	(1) वर्तमान कर			
	(2) आस्थगित कर		-	-
IX	निरंतर संचालन से अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य (VII-VIII)		2,644.78	2,807.61
X	संचालन बंद करने से व्यय से आय का आधिक्य		2,644.78	2,807.61
XI	बंद संचालनों पर कर व्यय		-	-
XII	संचालन बंद करने से व्यय से आय का आधिक्य (X - XI)		-	-
XIII	अवधि में व्यय से आय का आधिक्य (IX + XII)		-	-
XIV	अन्य व्यापक आय / (व्यय)	26	2,644.78	2,807.61
	क. (i) मदें जो आय एवं व्यय लेख में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी			
	(ii) आयकर से संबंधित मदें जिन्हें आय और व्यय खाते के लिए पुनर्परिभाषित नहीं किया जाएगा		(16.24)	(13.93)
	ख. (i) मदें जिन्हें आय और व्यय खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर से संबंधित मदें जिन्हें आय और व्यय खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
XV	अवधि में कुल व्यापक आय (XIII- XIV) (अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य एवं अन्य समग्र आय से निर्मित)	29	2,628.54	2,793.68
XVI	प्रति साम्य अंश अर्जन:			
	(1) मूलभूत (रु.लाख में)			
	(2) तनुकृत (रु.लाख में)		19.20	22.19
XVII	प्रति साम्य अंश अर्जन		19.10	21.86
	(बंद संचालन एवं निरंतर परिचालन से)			
	(1) मूलभूत (रु.लाख में)			
	(2) तनुकृत (रु.लाख में)		-	-
XVIII	प्रति साम्य अंश अर्जन		-	-
	(बंद संचालन एवं निरंतर परिचालन से)			
	(1) मूलभूत (रु.)	29	19.20	22.19
	(2) तनुकृत (रु.)		19.10	21.86
XIX	वित्तीय विवरण के लिए संगत टिप्पणियां देखें			

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स

ह0 / -

चाटर्ड एकाउन्टेंट्स

एफआरएन 013940एन

ह0 / -

अजित कुमार सामल

महाप्रबंधक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

ह0 / -

डॉ० एस. एस. आचार्य

निदेशक

(डिन सं. 06727939)

ह0 / -

के. नारायण

प्रबंध निदेशक

(डिन सं. 03561648)

भागीदार: एन.के.एस.चौहान

सदस्य स. 088165

यू.डी.आई.एन. 200 88 165 AAAHA7518

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 29.07.2020

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2020

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
A Cash Flow from Operating Activities		
Excess of income over expenditures before exceptional items and tax	2,632.03	2,503.11
Net excess of income over expenditures before exceptional items and tax	2,632.03	2,503.11
<i>Adjustments to reconcile net profit to net cash provided by operating activities:</i>		
Exceptional Items	12.75	304.49
Depreciation	25.89	24.30
Provision for loans and advances	-	-
Other Comprehensive Income/(Expense)	(16.24)	(13.93)
Loss/(Profit) on sale/impairment/exchange of assets	-	-
Operating profit before changes in operating Assets & liabilities	2,654.43	2,817.98
<i>(1) Adjustments for:</i>		
Decrease/(Increase) in Current Trade receivable	(7.14)	-
Decrease/(Increase) in Non-Current loans	(13,585.78)	(16,654.66)
Decrease/(Increase) in Other Non-Current financial assets	(177.18)	(230.07)
Decrease/(Increase) in Current loans	(7,275.96)	(710.35)
Decrease/(Increase) in other current financial assets-others	1,309.89	1,519.90
Decrease/(Increase) in other non current assets	9.59	(11.39)
Decrease/(Increase) in current tax assets	(2.23)	(29.44)
Decrease/(Increase) in other current assets	6.54	(75.59)
(Decrease)/ Increase in other current financial liability	1,179.57	2,988.24
(Decrease)/ Increase in other current liability	(26.00)	52.29
(Decrease)/ Increase in non current provisions	(25.87)	(19.20)
Changes in Other Bank Balances	-	3,999.00
(Decrease)/ Increase in Current provisions	187.85	(9.40)
Cash generated from operation	(18,406.73)	(9,180.67)
Income Tax Paid	-	-
Net Cash Outflow from Operating Activities	(15,752.30)	(6,362.69)
Cash Flow From Investing Activities		
Sale/Disposal of Property, Plant and Equipment's	1.01	(0.09)
Purchase of Property, Plant and Equipment's	(8.42)	(33.57)
Net Cash Inflow from Investing Activities	(7.41)	(33.66)
Cash Flow From Financing Activities		
Issue of Share Capital	13,000.00	10,000.00
Increase in share application money pending allotment	-	-
Net Cash Inflow from Financing Activities	13,000.00	10,000.00
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	(2,759.71)	3,603.65
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year (Refer note :- 8)	9,938.18	6,334.53
Closing Cash & Cash Equivalents	7,178.47	9,938.18
Reconciliation of Cash & Cash Equivalents		
Cash and Cash Equivalents as at end of the year (Refer note :- 8)	7,178.47	9,938.18
Cash and Cash equivalents as at the end of the year (Refer note :- 8)	7,178.47	9,938.18
Reconciliation of Cash & Cash Equivalents		
Cash - in - hand	0.00	0.00
Saving Bank Accounts	2,514.01	6,166.07
Other Bank Balance (Grant Funds)	4,664.46	3,772.11
Share Application Money Pending allotment	.00	.00
Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	7,178.47	9,938.18

Notes:-

1. The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

2 Amendment to Ind-As 7

Effective April 1, 2017, the company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements. 3. Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

As per our Report of even date attached

For N K S Chauhan & Associate

Sd/-
Chartered Accountants
FRN 013940N

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
G. M (Finance) & Company Secretary

Partner: N.K.S.Chauhan
M. No. 088165
UDIN 200 88 165 AAAAHA7518
Place : New Delhi
Date : 29/7/2020

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन स. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क. संचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह		
अतिरिक्त मदों एवं टैक्स से पूर्व आय से व्यय का आधिक्य	2,632.03	2,503.11
अतिरिक्त मदों एवं टैक्स से पूर्व आय से व्यय का शुद्ध आधिक्य	2,632.03	2,503.11
परिचालन कार्यकलापों से उपलब्ध शुद्ध लाभ से शुद्ध नकदी का मिलान व समायोजन	12.75	304.49
असाधारण मदें	25.89	24.30
मूल्यहास	-	-
ऋण एवं अग्रिमों हेतु प्रावधान	-	-
अन्य व्यापक आय / (व्यय) / (परिसंपत्तियों के बिक्री) / क्षति / विनिमय से हानि / (लाभ)	(16.24)	(13.93)
	-	-
संचालन परिसंपत्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तन से पूर्व संचालन लाभ	2,654.43	2,817.98
(1) समायोजन हेतु:		
चालू व्यवसायिक प्राप्य में कमी / (बढ़ोत्तरी)	(7.14)	-
गैरवर्तमान ऋण में कमी / (बढ़ोत्तरी)	(13,585.78)	(16,654.66)
अन्योप वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (बढ़ोत्तरी)	(177.18)	(230.07)
वर्तमान ऋण में कमी / (बढ़ोत्तरी)	(7,275.96)	(710.35)
अन्यवर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (बढ़ोत्तरी)	1,309.89	1,519.90
अन्योप-वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी / (बढ़ोत्तरी)	9.59	(11.39)
वर्तमान कर परिसंपत्तियों में कमी / (बढ़ोत्तरी)	(2.23)	(29.44)
अन्यवर्तमान परिसंपत्तियों में कमी / (बढ़ोत्तरी)	6.54	(75.59)
अन्यवर्तमान वित्तीय दायित्व में (कमी) / बढ़ोत्तरी	1,179.57	2,988.24
अन्यवर्तमान दायित्व में (कमी) / बढ़ोत्तरी	(26.00)	52.29
गैर वर्तमान प्रावधानों में (कमी) / बढ़ोत्तरी	(25.87)	(19.20)
अन्य बैंक अवशेष में परिवर्तन	-	3,999.00
वर्तमान प्रावधानों में (कमी) / बढ़ोत्तरी	187.85	(9.40)
	(18,406.73)	(9,180.67)
संचालन से सृजित नकदी	(15,752.30)	(6,362.69)
(1+2)		
भुगतान किया गया आय कर	-	-
संचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकद बहिर्गम	(15,752.30)	(6,362.69)
ख. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की बिक्री / निपटान	1.01	(0.09)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद	(8.42)	(33.57)
निवेश कार्यकलापों से शुद्ध नकदी आगम	(7.41)	(33.66)
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
अंश पूंजी का निर्गम	13,000.00	10,000.00
अंश अनुप्रयोग राशि के लंबित आवंटन में वृद्धि	-	-
वित्तीय कार्यकलापों से शुद्ध नकदी आगम	13,000.00	10,000.00
नकद एवं नकदी समकक्ष में शुद्ध बढ़ोत्तरी / (कमी) (क + ख + ग)	(2,759.71)	3,603.65
वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समकक्ष (टिप्पणी 8 देखें)	9,938.18	6,334.53
अंत: नकद एवं नकदी समकक्ष	7,178.47	9,938.18
नकद एवं नकदी समकक्ष का मिलान		
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष (टिप्पणी 8 देखें)	7,178.47	9,938.18
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष (टिप्पणी 8 देखें)	7,178.47	9,938.18
नकद एवं नकदी समकक्ष का मिलान		
पास में नकदी	0.00	0.00
बचत खातों में	2,514.01	6,166.07
अन्य बैंक अवशेष(अनुदान निधियों)	4,664.46	3,772.11
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	.00	.00
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष	7,178.47	9,938.18
टिप्पणियाँ		
1. इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखाकरण मानक-7 में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।		
2. भारतीय लेखाकरण मानक-7 में संशोधन को 1 अप्रैल, 2017 से अंगीकार किया है जिसके लिए संस्थाओं को प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तन सम्मिलित हैं, प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वित्त पोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन-पत्र के आरंभिक शेष और अंत: शेष में मिलान को शामिल करने का सुझाव देता है। संशोधन की ग्राह्यता का कोई भी भौतिक प्रभाव वित्तीय विवरणों पर नहीं है।		
3. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने एवं पुष्टि हेतु इन्हें पुन:वर्गीकृत / पुन:समूहीकृत किया गया है।		

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स

ह0/-

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन 013940एन

भागीदार: एन.के.एस.चौहान

सदस्य स. 088165

यू.डी.आई.एन. 200 88 165 AAAHA7518

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 29.07.2020

ह0/-

अजित कुमार सामल

महाप्रबंधक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

ह0/-

डॉ० एस. एस. आचार्य

निदेशक

(डिन सं. 06727939)

ह0/-

के. नारायण

प्रबंध निदेशक

(डिन सं. 03561648)

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March , 2020

(Rs. in Lakhs)

A. Equity share capital

Particulars	Number of shares	Amount
Balance at the beginning of the year	13,140,000.00	131,400.00
Issue of equity shares capital during the year	1,300,000.00	13,000.00
Balance at the end of the year	14,440,000.00	144,400.00

B. Other Equity

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Share Application money pending allotment	Reserve		Retained Earnings	Total
		Special	General		
Balance at the beginning of the year	-	2,500.00	45,270.90	-	47,770.90
Prior period Adjustments/Change in Accounting Policy (Refer note no. 36).	-	-	(24.03)	-	(24.03)
- Adjustment of depreciation	-	-	(0.09)	-	(0.09)
Restated balance at the beginning of the year	-	2,500.00	45,246.78	-	47,746.78
Profit for the year	-	-	-	2,644.78	2,644.78
Other Comprehensive Income for the year	-	-	-	(16.24)	(16.24)
Total Comprehensive Income for the year	-	-	-	2,628.54	2,628.54
Transfer to general reserve	-	-	2,628.54	(2,628.54)	-
Others	-	-	-	-	-
- Adjustment of depreciation	-	-	-	-	-
- Addition During The Year	13,000.00	-	-	-	-
- Share Capital issued during the year	(13,000.00)	-	-	-	-
Balance at the end of the year	-	2,500.00	47,875.32	-	50,375.32

Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March 2019

A. Equity share capital

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Number of shares	Amount
Balance at April 1, 2018	11,840,000.00	118,400.00
Issue of equity shares capital during the year	1,300,000.00	13,000.00
Balance at March 31, 2019	13,140,000.00	131,400.00

B. Other Equity

Particulars	Share Application money pending allotment	Special Reserve	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	3,000.00	2,500.00	42,445.06	-	44,945.06
Prior period Adjustments (Refer Note :- 36)	-	-	8.13	-	8.13
Restated balance at the beginning of the year	3,000.00	2,500.00	42,453.19	-	44,953.19
Profit for the year restated	-	-	-	2,807.61	2,807.61
Other Comprehensive Income for the year	-	-	-	(13.93)	(13.93)
Total Comprehensive Income for the year	-	-	-	2,793.68	2,793.68
Others	-	-	-	-	-
- Adjustment of depreciation	-	-	-	-	-
Transfer to General Reserve	-	-	2,793.68	(2,793.68)	-
Addition During The Year	10,000.00	-	-	-	-
Share Capital issued during the year	(13,000.00)	-	-	-	-
Balance at the end of the year	-	2,500.00	45,246.87	-	47,746.87

As per our Report of even date attached

For N K S Chauhan & Associate

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Chartered Accountants
FRN 013940N

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
G. M (Finance) & Company Secretary

Sd/-
Dr. S.S. ACHARYA
Director
(DIN No. 06727939)

Sd/-
K. NARAYAN
Managing Director
(DIN No.03561648)

Partner: N.K.S.Chauhan
M. No. 088165
UDIN 200 88 165 AAAAHA7518
Place : New Delhi
Date : 29/7/2020

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(सीआईएन स. U74899DL1992NPL047146)

क. साम्य अंश पूंजी 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अंशों में परिवर्तन का विवरण (एस.ओ.सी.ई.) (लाख रु. में)

विवरण	अंशों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में अवशेष	13,140,000.00	131,400.00
वर्ष के दौरान निर्गत साम्य अंश पूंजी	1,300,000.00	13,000.00
वर्ष के अंत में अवशेष	14,440,000.00	144,400.00

ख. अन्य साम्य (लाख रु. में)

विवरण	आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	आरक्षित		धारित आय	योग
		विशेष	सामान्य		
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	2,500.00	45,270.90	-	47,770.90
पूर्वावधि समायोजन/लेखा नीति में परिवर्तन (टिप्पणी 36 देखें)	-	-	(24.03)	-	(24.03)
- मूल्यहास का अवमूल्यन	-	-	(0.09)	-	(0.09)
वर्ष के आरंभ में पुनर्वर्णित अवशेष	-	2,500.00	45,246.78	-	47,746.78
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	2,644.78	2,644.78
वर्ष में अन्य व्यापक आय	-	-	-	(16.24)	(16.24)
वर्ष में कुल व्यापक आय	-	-	-	2,628.54	2,628.54
सामान्य आरक्षित को अंतरित अन्य	-	-	2,628.54	(2,628.54)	-
- अवमूल्यन का समायोजन	-	-	-	-	-
- वर्ष के दौरान जुड़ा	13,000.00	-	-	-	-
- वर्ष के दौरान जारी अंश पूंजी	(13,000.00)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में अवशेष	-	2,500.00	47,875.32	-	50,375.32

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अंशों में परिवर्तन का विवरण (एस.ओ.सी.ई.)

क. साम्य अंश पूंजी (लाख रु. में)

विवरण	अंशों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2018 को अवशेष	11,840,000.00	118,400.00
वर्ष के दौरान निर्गत साम्य अंश पूंजी	1,300,000.00	13,000.00
31 मार्च, 2019 को अवशेष	13,140,000.00	131,400.00

ख. अन्य साम्य

विवरण	आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	विशेष आरक्षित	सामान्य आरक्षित	धारित आय	योग
वर्ष के आरंभ में अवशेष	3,000.00	2,500.00	42,445.06	-	44,945.06
पूर्वावधि समायोजन (टिप्पणी 36 देखें)	-	-	8.13	-	8.13
वर्ष के आरंभ में पुनर्वर्णित अवशेष	3,000.00	2,500.00	42,453.19	-	44,953.19
पुनर्वर्णित वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	2,807.61	2,807.61
वर्ष में अन्य व्यापक आय	-	-	-	(13.93)	(13.93)
वर्ष में कुल व्यापक आय	-	-	-	2,793.68	2,793.68
अन्य	-	-	-	-	-
- मूल्यहास का समायोजन	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित को अंतरित	-	-	2,793.68	(2,793.68)	-
- वर्ष के दौरान जोड़े	10,000.00	-	-	-	-
- वर्ष के दौरान जारी अंश पूंजी	(13,000.00)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में अवशेष	-	2,500.00	45,246.87	-	47,746.87

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स

ह0/-

चाटर्ड एकाउन्टेंट्स

एफआरएन 013940एन

भागीदार: एन.के.एस.चौहान

सदस्य स. 088165

यू.डी.आई.एन. 200 88 165 AAAHA7518

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 29.07.2020

ह0/-

अजित कुमार सामल

महाप्रबंधक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव

ह0/-

डॉ० एस. एस. आचार्य

निदेशक

(डिन सं. 06727939)

ह0/-

के. नारायण

प्रबंध निदेशक

(डिन सं. 03561648)

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

NOTES TO ACCOUNTS

Note :- 1 Corporate Information

National Backward Classes and Finance Corporation is a not for profit company domiciled in India and was incorporated on 13th January 1992 under Section 25 of the Companies Act 1956 (now section 8 of Companies Act 2013). Company provides concessional finance assistance to the person belonging to Other Backward Classes (OBC's) for the socio-economic development and to upgrade the technological and entrepreneurial skills of individuals or groups through state channelizing agents, financial institutions and skill sector councils training partners. The registered office of the company is located at 5th floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

Note :- 2 Accounting Policies

a) Statement of Compliance

The financial statements as at and for the year ended March 31, 2020 have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under section 133 of the Companies Act 2013 as companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, 2016 and Companies (Indian accounting standards) Amendment Rules 2017 & 2018.

b) Basis of preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the following item that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS.

- (a) Defined benefit Plan and other long term employee benefits
- (b) Certain financial assets and liabilities

c) Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS which requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates include estimated useful life of property, plant and equipment, intangible assets and future obligation under employee benefit plan. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialize.

d) All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakhs upto two decimals except where otherwise stated.

e) Statement of Cash Flow

Cash flows are reported using the indirect method, whereby "excess of income over expenditures before exceptional items and tax" is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purposes of statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

लेखों पर टिप्पणियां

टिप्पणी 1 निगमित सूचना

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बिना लाभ की कंपनी है तथा निर्दिष्ट स्थान भारत है, की स्थापना दिनांक 13 जनवरी, 1992 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8) के अंतर्गत की गई थी। कंपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों एवं स्किल सेक्टर काउंसिलों के प्रशिक्षण सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं उनके समूहों में अथवा व्यक्तिगत रूप से तकनीकी एवं उद्यमीय कौशलों हेतु रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वां तल, एन.सी.यू.आई. भवन, 3, सीरी इन्सटीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में स्थित है।

टिप्पणी 2 लेखाकरण नीतियां

क) अनुपालन का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी के रूप में (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम 2015, 2016 एवं कंपनी के संशोधन नियम, 2017 एवं 2018 (भारतीय लेखाकरण मानकों) के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष एवं उसी तिथि की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

ख) तैयार करने का आधार

जैसा कि संगत भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार अपेक्षित है, निम्न मदों जिनका मापन वास्तविक मूल्य के आधार पर किया गया है, के अतिरिक्त वित्तीय विवरणी को व्यवहारिक ऐतिहासिक लागत एवं संभूति आधार के अंतर्गत तैयार किया गया है

(क) परिभाषित लाभ योजना एवं अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ

(ख) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां

ग) अनुमानों का उपयोग

प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान करने एवं पूर्वानुमानों जो लेखाकरण नीतियों को प्रभावित करते हैं एवं परिसम्पत्तियों की सूचित की गई मात्रा, दायित्व, आकस्मिक परिसम्पत्तियां व वित्तीय विवरण की तिथि पर उत्तरदायित्व एवं आय व व्यय की सूचित धनराशि की वित्तीय विवरणी भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। उदाहरण के तौर पर, इस प्रकार के अनुमानों जिसमें संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान, संयंत्र व उपस्कर, अमूर्त परिसम्पत्तियां व कर्मचारी लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य की बाध्यताएं सम्मिलित हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलन एवं स्थापित किए गए पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। आकलनों में परिवर्तनों के कारण भविष्य में परिणाम भिन्न हो सकते हैं एवं वास्तविक परिणाम एवं आकलन के मध्य अंतर उस अवधि में जिसमें परिणाम संज्ञान में आए / प्रकट हुए हैं, माना गया है।

घ) समस्त वित्तीय सूचनाएं भारतीय रुपये में प्रस्तुत की गई हैं एवं जहां अन्यथा वर्णित किया गया है, के अतिरिक्त सभी मान दशमलव के बाद दो अंकों तक लाख में पूर्ण कर प्रदर्शित किए गए हैं।

ङ) नकदी प्रवाह का विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति को उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह को सूचित किया गया है, जिसके द्वारा 'असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय के आधिक्य' का समायोजन लेन-देन की नकदी रहित प्रङ्ङति और अस्थगित अदायगी, पिछले या भविष्य की संभूति रसीदों या भुगतानों के प्रभाव से हुआ है। नकदी प्रवाह कंपनी के परिचालन विनिवेश एवं वित्तीय कार्यकलापों को उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रथक किया गया है।

नकदी प्रवाह विवरण नगद एवं नगदी समकक्ष जिसमें पास की नगद रकम, बैंक में नकदी एवं बैंकों के पास जमा मांगे, बैंक में बकाया शुद्ध अवशेष, बैंक डॉप्ट जिनका मांग पर पुनर्भुगतान किया जाना है, के उद्देश्य से कंपनी के नकद प्रबंधन तंत्र का भाग माना गया है।

निगम ने भारतीय लेखा मानक-7 के रूप में संशोधन को अपनाया है, जिसमें संस्थाओं को ऐसे प्रकटन की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं नकदी प्रवाह और गैर-नकदी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तनों को तुलन-पत्र में प्रारंभिक जमा एवं अंतः शेष के मध्य मिलान को सम्मिलित करने का सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने से वित्तीय वक्तव्यों पर कोई वस्तुगत प्रभाव नहीं पड़ा।

The Corporation has adopted the amendment to Ind- As 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flow and non-cash changes, suggesting inclusion of reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosures requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

f) Functional and Presentation Currency

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (i.e. Functional Currency). The financial statements are presented in Indian rupees, which is functional as well as presentation currency of company.

- Transactions in foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time the transactions are affected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Income and Expenditure.
- Monetary items denominated in foreign currency are restated and converted into Indian rupees using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting exchange difference is recognized in the Statement of Income and Expenditure.

g) Revenue recognition

- a) Corporation recognizes revenue from contracts with customers based on a five -steps as set out in Ind As-115 :-
- (i) Identify contracts with a customer :- A contract is defined as an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations and sets out the criteria for every contract that must be met.
 - (ii) Identify performance obligations in the contract : A performance obligation is a promise in a contract with a customer to transfer a good or service to the customer.
 - (iii) Determine the transaction price: The transaction price is the amount of consideration to which the corporation expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties.
 - (iv) Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract : For a contract that has more than one performance obligation, the Corporation allocates the transaction price to each performance obligation in an amount that depicts the amount of consideration to which the corporation expects to be entitled in exchange for satisfying each performance obligation.
 - (v) Recognise revenue when or as the Corporation satisfies a performance obligation by transferring a promised goods or services to a customer. An asset is transferred when the customer obtains control of the asset.

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation and the revenue can be reliably measured. However when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable, is recognized as an expense rather than as an adjustment of the amount of revenue already recognized.

- b) Interest on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognized on accrual basis at effective rate of interest.
- c) Interest on funds re-appropriated by SCAs in the other sanctioned schemes is recognized in the year of its determination after receipt of scheme wise details of utilization at effective rate of interest.
- d) The Corporation provides Loans through State Channelizing Agencies (SCAs), Rural Banks and other

च) क्रियाशील एवं प्रदर्शन मुद्रा

प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा का उपयोग करके वित्तीय वक्तव्यों में शामिल वस्तुओं को मापा जाता है जिसमें कंपनी अपना कार्य संचालन (अर्थात् कार्यशील मुद्रा) करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रूपये को प्रदर्शित करते हैं जो कि कंपनी की प्रस्तुतीकरण मुद्रा के साथ-साथ प्रयोजन मूलक है।

- विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन के समय में प्रचलित विनियम दर पर अभिलेखित किया गया है। आय एवं व्यय विवरण में विदेशी मुद्रा लेनदेन का निस्तारण उत्पन्न हुए विनियम अंतरों पर माना गया है।
- वित्तीय वस्तुओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य को पुनः वर्णित किया जाता है एवं तुलन-पत्र की तिथि में लागू विनियम दरों का उपयोग करते हुए भारतीय रूपए में परिवर्तित किया जाता है एवं विनियम अंतर के परिणाम को आय एवं व्यय विवरण में लिया गया है।

छ) राजस्व मान्यता

(क) ग्राहकों से ठेके पर राजस्व के लिए भारतीय लेखाकरण मानक-115 पर आधारित पाँच चरणों को निगम मान्यता देता है:

- (i) एक ग्राहक के साथ अनुबंधों की पहचान: एक अनुबंध दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लागू करने योग्य अधिकार और दायित्व बनाता है और हर अनुबंध के मानदंडों को निर्धारित करता है जिसे पूरा किया जाना चाहिए।
- (ii) अनुबंध में प्रदर्शन दायित्वों को पहचान: अनुबंध में ग्राहक से कार्यनिष्पादन की बाध्यता सामग्री अथवा सेवाओं के हस्तान्तरण का एक वादा है।
- (iii) लेन-देन की कीमत का निर्धारण: लेन-देन का मूल्य उस विचार की राशि है, जिसके बारे में निगम को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगा।
- (iv) अनुबंध में प्रदर्शित दायित्वों के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करना: एक अनुबंध जिसमें एक से अधिक दायित्व हैं, निगम प्रत्येक दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य को आवंटित करता है, जिसमें निगम को उम्मीद है कि प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करने के बदले में हकदारी राशि की मात्रा को दर्शाया गया है।
- (v) मान्य राजस्व: निगम जब या जैसा कि एक ग्राहक से वादा किया सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है। जब ग्राहक परिसंपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है तो एक को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

राजस्व की इस सीमा तक मान्यता है कि संभवतः कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और राजस्व का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। तथापि, जब किसी राजस्व में पहले से ही शामिल राशि की संग्रहणता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो गैर-वसूली राशि, या जिस राशि के बारे में वसूली संभव नहीं रह जाती है, को पहले से ही राजस्व की मात्रा के समायोजन के बजाय एक व्यय के रूप में लिया जाता है।

ख) उधार लेने वाले अभिकरणों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर माना गया है।

ग) अन्य स्वीडडत योजनाओं में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा इसके विनिर्णयन के वर्ष में निधियों के पुनर्नियोजन पर ब्याज को योजना-वार उपभोग विवरण प्राप्त होने के बाद प्रभावी ब्याज दर पर माना गया है।

घ) निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं अन्य वित्तीय निकायों के माध्यम से ण उपलब्ध कराता है, का आगणन प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर किया गया है।

financial bodies is accounted on accrual basis at effective rate of interest.

- e) Penal Interest on delay in repayments is recognized on realization as per Ind AS-18 as its collectability is uncertain.
- f) Rebate on account of timely payment by borrowing agencies accounted for, on receipt of entire amount due on time.
- g) Payment of grants to SCAs/institutions for expenditure on developmental & promotional activities is accounted for on disbursement.

h) Other Revenue Recognition :

Interest incomes on FDR's and Bank deposits are recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable using Effective Interest Rate Method

i) Revenue Grant from Government

- Grants sanctioned by the Government (whether received or not) for programmes undertaken during the year for the development of the target group, are recognized and deducted from related expenses for reporting in Statement of Income & expenditure.
- Unspent grants & interest accrued in respect of Government grant are deferred & taken to current liabilities. Upon fully utilization and after audit of annual accounts of grant earning of interest shall be deposited in consolidated account of Government.
- * Interest accrued from other i.e CPSE etc , if any are recognised and taken in to as other income to meet out administrative /evaluation expenses.
- Grants receivable from Government as compensation for expenses incurred in a previous accounting period are recognized in the Statement of Income & Expenditure of the period during which the sanction for grant is received

j) Corporate Social Responsibility (CSR) expenses, as per company act,2013 and any other grant are recognized on disbursal basis for reporting in Statement of Income and Expenditure

k) Income taxes

In view of the exemption available to the Corporation under section 10 (26B) of the Income Tax Act, 1961, the provision for income tax liability is not considered necessary. Consequently the provisions of the Indian Accounting Standard 12 (Ind AS-12) on Income tax, deferred taxes and income tax computation and disclosures standards issued by CBDT are not applicable to the Company.

l) Impact on any change/modification in accounting policy shall be recognised in the year of its occurrence. In terms of Ind- as 8,

m) Property, plant and equipment

(a) Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any

Cost of asset includes the following:

- i. Cost directly attributable to the acquisition of the assets
- ii. Present value of the estimated costs of dismantling & removing the items & restoring the site on which it is located if recognition criteria are met.

(b) Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts is capitalized if the recognition criteria are met.

(c) An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic

- ड) पुनर्भुगतानों में विलम्ब पर दण्ड ब्याज को लेखाकरण मानकरण मानक-18 के अनुसार वसूली होने पर माना गया है क्योंकि इस की वसूली अनिश्चित है।
- च) उधार लेने वाली अभिकरणों द्वारा समय पर भुगतान पर खाते में छूट का आगणन समग्र देय धनराशि प्राप्ति के आधार पर किया गया है।
- छ) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/संस्थाओं को विकासात्मक एवं अभिवृद्धि कार्यक्रमों के व्यय के लिए अनुदान का आगणन वितरण पर किया गया है।

ज) अन्य राजस्व मान्यता

बकाया धनराशि को ध्यान में रखते हुए प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए लागू ब्याज दर पर सावधि जमाओं एवं बैंक में जमाओं पर ब्याज आय समय के अनुपात के आधार पर माने गए हैं।

झ) सरकार से राजस्व अनुदान

- वर्ष के दौरान लक्षित वर्ग के विकास हेतु किए गए कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान को आय-व्यय विवरणी में संबंधित व्यय माना गया है एवं उससे कटौती की गई है।
- सरकारी अनुदान के संबंध में अर्जित अनुपभुक्त अनुदान और ब्याज को वर्तमान देनदारियों के लिए आस्थगित हैं एवं वर्तमान दायित्वों में लिया गया है। पूरी तरह से उपभोग करने पर एवं अनुदान उपार्जन के वार्षिक खातों के अंकेक्षण के बाद सरकार के संचित निधि में जमा किया जाएगा।
- अन्य अर्थात् केन्द्रीय लोक उद्यमों इत्यादि से उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को मान्यता दी गई है तथा इसे अन्य आय के रूप में प्रशासनिक/मूल्यांकन व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया है।
- गत लेखाकरण अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए सरकार से प्राप्य अनुदानों को उस अवधि जिसमें अनुदान प्राप्त हुई है, की आय एवं व्यय विवरण में लिया गया है।

त्र) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व व्यय एवं कोई अन्य अनुदान को रिपोर्टि हेतु वितरण के आधार पर आय एवं व्यय में लिया गया है

ट) आय कर

आय कर निगम के पास आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के अंतर्गत उपलब्ध छूट के दृष्टिगत आय कर दायित्व आवश्यक नहीं माना गया है। परिणामतः भारतीय लेखाकरण मानक 12 के प्रावधान आय कर पर, आस्थगित करों पर एवं आय कर आगणन एवं सीबीडीटी द्वारा जारी प्रकटन मानक कंपनी पर लागू नहीं है।

ठ) भारतीय लेखाकरण मानक-8 के अनुसार लेखाकरण नीति में किसी भी परिवर्तन/संशोधन का प्रभाव उसके होने के वर्ष में माना जाता

ड) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

- क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की लागत का मापन संचित हास एवं क्षति हानि पर, यदि कोई हो, किया जाता है। संपत्ति की लागत में निम्न सम्मिलित होते हैं
- i) परिसंपत्तियों के अर्जन में आरोप्य प्रत्यक्ष लागत।
- ii) यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, मर्दों के विनष्टीकरण एवं हटाने तथा कार्यस्थल जहां वह अवस्थित है, पर पुनःसंग्रहण में अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।
- ख) यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, वापसी, वृहत निरीक्षण, महत्वपूर्ण कल-पुर्जों की मरम्मत की लागत को पूंजीगत किया गया है।
- ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की उसके निस्तारण अथवा भविष्य में लगातार संपत्ति के उपयोग से

benefits are expected to arise from continued use of assets. Any gain or loss arising on disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sale proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in the Statement of Income and Expenditure.

Depreciation on Property, plant and Equipment is provided on written down value method over the useful life of the assets as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.

Each part of an item of Property, Plant and Equipment is depreciated separately if the cost of part is significant in relation to the total cost of the item and useful life of that part is different from the useful life of remaining asset.

The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant and equipment are as follows:

Category of Assets Useful Life (years)	
Particulars	Useful Life (years)
Building	60
Fixture & fixtures	10
Office Equipment's	5
Vehicles (Car/Scooter)	8/10
Air Conditioners & Coolers	10
EPABX	5
Data Processing Equipment's	3

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting

Residual values and useful lives are reviewed , and adjusted , if appropriate, for each reporting period

On tangible fixed assets added/disposed of during the year, depreciation is charged on pro-rata basis from the date of addition /till the date of disposal.

n) Intangible assets

Intangible assets are recognized when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at acquisition cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

Amortization of Intangible assets is done under straight line method equally over a period of five years.

The amortization period and the amortization method are reviewed at least at each financial year end. If the expected useful life of the asset is significantly different from previous estimates, the amortization period is changed accordingly.

o) Impairment

(i) Impairment of Financial Assets

The company assesses at each date of balance sheet whether a financial asset is impaired. Ind AS-109 requires expected credit losses (ECL) to be measured through a loss allowance.

For all Financial Assets other than contract assets/ Trade receivables, expected credit losses are to be measured at an amount equal to 12 months expected credit losses or at an amount equal to the life time ECL's if credit risk on the financial asset has incurred significantly since its initial recognition.

ECL's impairment loss allowance (or reversal) recognised during the period as income/ expense in

आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो, को पुर्नमान्यता दी गई है। संपत्ति, संयंत्र की किसी मद के निस्तारण अथवा निवृत्ति से उत्पन्न कोई भी प्राप्ति अथवा क्षति का निर्धारण बिक्री प्रक्रिया एवं संपत्ति की धारित राशि के अंतर के रूप में आय एवं व्यय विवरणी में माना गया है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का मूल्य हारस का प्रावधान परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर रिटेन डाउन मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में वर्णित है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के प्रत्येक भाग का अलग से मूल्य हास किया जाता है, यदि मद की कुल लागत के संबंध में अंश की लागत महत्वपूर्ण है एवं उस हिस्से के महत्वपूर्ण जीवन एवं अवशेष लाभदायी जीवन में अंतर है।

चालू अवधि के लिए परिसंपत्तियों का उपयोगी अनुमानित जीवन एवं संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के महत्वपूर्ण मदों की तुलनात्मक अवधि निम्नानुसार है:

परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन की श्रेणी (वर्ष)	
विवरण	उपयोगी जीवन (वर्ष)
भवन	60
फर्नीचर एवं मरम्मत	10
कार्यालय उपस्कर	5
वाहन (कार/स्कूटर)	8/10
एयर कंडीशनर एवं कूलर	10
ई.पी.ई.बी.एक्स	5
आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	3

हास पद्धति, उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग पर की गई है।

वर्ष के दौरान ली गई/निस्तारण की गई मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की प्रो-रेटा आधार पर ली गई/निस्तारण तिथि पर प्रभारित किया जाता है।

ढ) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब संभव हो कि भविष्य के आर्थिक लाभ जो परिसंपत्ति के कारण होते हैं, उद्यम के लिए प्रवाह करेंगे एवं परिसंपत्तियों की लागत का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को अर्जन लागत संचित परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वर्णित किया गया है।

पांचों वर्ष की अवधि में बराबर अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन स्ट्रेट लाइन पद्धति के अंतर्गत किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा की जाती है। यदि संपत्ति का प्रत्याशित उपयोगी जीवन पिछले अनुमानों से काफी अलग है, तो परिशोधन की अवधि तदनुसार बदल दी जाती है।

ड) क्षति

(i) वित्तीय संपत्तियों की क्षति

कंपनी बैलेंस शीट की प्रत्येक तिथि पर आकलन करती है कि क्या वित्तीय संपत्ति की क्षति हुई है। क्षति के अंश के माध्यम से प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ई.सी.एल.) के मापन का भारतीय लेखाकरण मानक-109 अपेक्षा करता है।

यदि अनुबंध परिसंपत्तियों/व्यापार प्राप्तियों के अलावा समस्त वित्तीय परिसंपत्तियों की क्रेडिट जोखिम पर इसकी आरंभिक मान्यता से काफी अधिक खर्च हुआ है, इसकी प्रारंभिक पहचान सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट घाटे को 12 महीनों की अपेक्षित क्रेडिट हानियों के बराबर की राशि या ईसीएल के जीवन समय के बराबर की राशि पर मापा जाना चाहिए।

ई.सी.एल. के क्षति अंश; अथवा वयुक्रमणद्ध को आय एवं व्यय विवरणी के आय/व्यय के रूप में अवधि के दौरान माना गया है।

Statement of Income & Expenditure.

(ii) Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the Statement of Income & Expenditure.

p) Employee Benefits

- a) The liability for gratuity to all employees is recognized as an expense on accrual basis in Statement of Income & Expenditure. The Corporation has formed a trust for administration of the Employees Group Gratuity Scheme with L.I.C.
- b) Liability on account of leaves (earned leave and commuted leave) is provided on the basis of actuarial valuation at the year-end. The Corporation has taken a leave encashment scheme from LIC to manage the funds.
- c) The liability on account of Leave Travel Concession (LTC) is provided on the basis of actuarial assessment at the year end and charged to Statement of Income & Expenditure.
- d) Actuarial gain or loss on defined benefits plans are recognized in other comprehensive income
- e) Contribution to recognized Provident Fund and Pension Fund (defined contribution plan) is provided for on accrual basis.
- f) The Corporation has a defined contribution pension scheme which is in line with guidelines of Department of Public Enterprise (DPE). The Corporation has formed a trust for administration of the Pension Fund Scheme with L.I.C. Employer contribution to the fund has been contributed on monthly basis. Pension is payable to the employees of the corporation as per the scheme.
- g) The Corporation has Post-Retirement Scheme (PRMS), under which retired employees and their dependent family member are provided with medical facilities. They can also avail facility of out-patient treatment; both are subject to ceiling fixed by the corporation.

q) Earnings per Share

The basic earning per share is computed by dividing the net surplus (loss) attributable to equity shareholders for the year by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earning per share are computed using the weighted average number of equity share outstanding during the year, except where the results would be anti-dilutive.

r) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- a) Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimates when:
 - (i) The Company has a present obligation as a result of a past event.
 - (ii) Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
 - (iii) The amount of the obligation can be reliably estimated. Provisions are reviewed at each Balance Sheet date.

Discounting of Provisions

Where the effect of the time value of money is material the amount of a provision shall be the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation.

(ii) गैर—वित्तीय परसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख का आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षति कर सकती है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। अगर परिसंपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि जिसकी परिसंपत्ति उसकी वहन राशि से कम है, तो वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है। कमी को एक हानि के रूप में माना जाता है और आय और व्यय के विवरण में लिया जाता है।

त) कर्मचारी लाभ

- क) सभी कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रैच्युटी) के लिए देयता, आय और व्यय विवरणी में व्यय के संभूति के रूप में माना गया है। निगम ने एलआईसी के साथ कर्मचारियों के समूह उपदान योजना (ग्रुप ग्रैच्युटी स्कीम) के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है।
- ख) वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश के दायित्व को (अर्जित अवकाश और रूपांतरित अवकाश) खाते में प्रावधानित किया गया है। निधि के प्रबंधन के लिए निगम ने एलआईसी से एक अवकाश नकदीकरण योजना ली है।
- ग) वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश के दायित्व को यात्रा रियायत अवकाश (एल.टी.सी.) खाते में प्रावधानित किया गया है तथा आय एवं व्यय विवरणी में प्रभार किया गया है।
- घ) परिभाषित लाभ योजना पर वास्तविक लाभ या हानि अन्य व्यापक आय में माना गया है।
- ङ) भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के अंशदान (परिभाषित अंशदान योजना) का प्रावधान संभूति आधार पर माना गया है।
- च) निगम के पास परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है जो लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार है। निगम ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ पेंशन निधि योजना के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है। नियोक्ता योगदान मासिक आधार पर किया गया है। योजना के अनुसार निगम के कर्मचारियों को पेंशन देय है।
- छ) निगम के पास सेवानिवृत्ति के उपरान्त योजना है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वे बाह्य रोगी उपचार सुविधा का उपभोग कर सकते हैं, दोनों ही निगम द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन हैं।

थ) प्रति अंश आय

प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से वर्ष के लिए एक्विटी शेयर होल्डरों की शुद्ध आधिक्य (हानि) राशि को विभाजित करके की गई है। गैर—मिश्रित परिणामों को छोड़कर, वर्ष के दौरान प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को प्रयुक्त करते हुए की गई है।

द) प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

- क) दायित्व के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी गई है जिन्हें केवल पर्याप्त अनुमानित डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है जबकि
 - i) अतीत की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के वर्तमान दायित्व के रूप में
 - ii) आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाहों के दायित्वों का निस्तारण करने की आवश्यकता होगी, एवं
 - iii) दायित्व की मात्रा का भरोसेमंद रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलन—पत्र की तारीख में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों में छूट

जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव वस्तुगत है, प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

- b) Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:
 - i. A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or
 - ii. A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or
 - iii. A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.
- c) Contingent assets are disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

s) Financial instruments:-

a) Initial recognition and measurement

Financial Instruments recognized at its fair value plus or minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instruments.

b) Subsequent measurement

Financial Assets

Financial assets are classified in following categories:

Financial Asset at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (i) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and
- (ii) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at amortized cost using effective interest rate method less impairment if any.

The EIR amortization is included in finance income in the Statement of Income & Expenditure.

Financial Assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

- The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and
- The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Statement of Income & Expenditure. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified from the equity to Statement of Income & Expenditure.. Interest earned is recognized using the EIR method.

Financial Assets at Fair value through Profit & Loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for financial Assets. Any financial assets, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate financial asset, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. If doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency. The company has not designated any financial asset as at FVTPL.

Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in income & expenditure account.

ख) निम्न मामलों में आकस्मिक दायित्वों को प्रकट किया जाता है:

- i) वर्तमान दायित्व अतीत की घटना से उत्पन्न होता है, जब यह संभावना न हो कि संसाधनों के बहिर्गमन से दायित्व का निस्तारण अपेक्षित होगा, अथवा
- ii) वर्तमान दायित्वों का भरोसेमंद अनुमान न किया जा सके अथवा
- iii) एक संभव दायित्व, जब-तक कि संसाधन का बहिर्गमन की संभाव्यता सुदूर हो

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां प्रकट की जाती हैं जब आर्थिक लाभों का बहिर्गमन संभाव्य हो।

घ) वित्तीय उपकरण / साधन

क) आरंभिक मान्यता एवं मापन

वित्तीय उपकरण इसके उचित मूल्य को लेन-देन लागत से जोड़कर अथवा घटाकर माने गए हैं, जो सीधे वित्तीय साधनों के अधिग्रहण या जारी करने के कारण होते हैं।

ख) पश्चातवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं परिशोधन लागत

यदि निम्न दोनों दशाएं पूरी हो रही हों, वित्तीय परिसंपत्ति का मापन परिशोधन लागत पर होगा:

- i) वित्तीय संपत्ति एक व्यापार मॉडल के अंतर्गत आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए वित्तीय संपत्ति बनाना है एवं
- ii) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों में निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाहों को उत्पन्न करना होता है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूरी तरह भुगतान करते हैं।
वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, क्षति यदि कोई हो, को घटाकर परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है। आय एवं व्यय विवरणी में वित्तीय आय में ई.आई.आर. परिशोधन सम्मिलित है।

अन्य समग्र आय के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.)

लिखित ऋण का वर्गीकरण एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के रूप में किया जाता है, यदि निम्न दोनों मापदण्ड पूरे होते हों:

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य दोनों-संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है।
- संपत्ति के संविदागत नकदी प्रवाह एस.पी.पी.आई. का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरुआत में और साथ ही उचित समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग पर मापा जाता है। उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव को अन्य व्यापक आय में माना गया है। तथापि, कंपनी आय और व्यय की विवरणी में ब्याज आय, क्षति हानियों और उक्रमण व विदेशी मुद्रा लाभ या हानि मानती है। परिसंपत्ति की अमान्यता पर, ओ.सी.आई. पर पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय और व्यय के विवरण के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है। अर्जित ब्याज को ई.आई.आर. पद्धति का उपयोग करके माना गया है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

एफ.वी.टी.पी.एल. वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अवशेष श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधन लागत के रूप में श्रेणीकरण अथवा एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के मापदण्ड को पूरा नहीं करता है, को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.आदि को पूरा करता है परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. मापदण्ड को पूरा करता है, यदि ऐसा करने से कोई माप या मान्यता असंगतता को कम या समाप्त करता है। कंपनी ने किसी भी परिसंपत्ति को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में नहीं माना है।

वित्तीय परिसंपत्तियों में एफ.वी.टी.पी.एल. श्रेणी सम्मिलित है, जो आय और व्यय खाते में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर माना गया है।

Financial Liabilities

Financial liabilities at Amortised Cost

Financial liabilities initially recognised at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

Financial liabilities at Fair Value through Profit & Loss (FVTPL)

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

De-recognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognised only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the Statement of Income & Expenditure.

t) Fair Value Measurement

Company measures financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole)

वित्तीय दायित्व

परिशोधन लागत पर वित्तीय दायित्व

आरंभिक तौर पर वित्तीय दायित्वों को उचित मूल्य पर माना गया है, एवं इसके पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर लाया गया है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

कंपनी ने एफ.वी.टी.पी.एल. पर किसी भी वित्तीय दायित्वों का नाम नहीं दिया है।

अमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति के अंश के रूप में अथवा समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह के अंश के रूप में) को केवल तभी अमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करता है और मूलतः संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और स्वामित्व को बढ़ाता है।

वित्तीय दायित्व

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को मान्यता दी गई है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से अथवा उसी से मूल रूप से भिन्न शर्तों या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और नई देनदारी के रूप में माना जाता है, और संबंधित धारित राशि में अंतर आय और व्यय विवरणी में लिया गया है।

न) उचित मूल्य का मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्यों के वित्तीय साधनों को मापता है। उचित मूल्य वह कीमत है जिसे माप की तारीख में बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने अथवा दायित्व के स्थानांतरण हेतु भुगतान करने के लिए प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन अनुमान पर आधारित है कि लेन-देन परिसंपत्ति को बेचने या दायित्व को स्थानांतरित करनी होती है या तो:

- संपत्ति या दायित्व के लिए प्रमुख बाजार में, अथवा
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या दायित्व के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में।

कंपनी के लिए प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार तक पहुंच होनी चाहिए। किसी परिसंपत्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागियों का उपयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण के दौरान होता है, यह मानते हुए कि बाजार सहभागियों ने अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। कंपनी मूल्य आंकन तकनीकों जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती हैं, का उपयोग करती है और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होना, प्रासंगिक प्रेक्षणीय इनपुट का उपयोग बढ़ाना और अप्रभावी इनपुट का उपयोग कम करना होता है।

परिसंपत्तियों और दायित्वों जिसके लिए उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, निम्नानुसार वर्णित किया जाता है, जो इनपुट के न्यूनतम स्तर जो समग्रता के रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:—

स्तर 1— समरूप संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर 2— मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होते हैं।

स्तर 3— मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए सबसे कम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण हैं और जो अप्रेक्षणीय होते हैं।

परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो आवर्ती आधार पर वित्तीय वक्तव्यों में माने जाते हैं, कंपनी यह पुनःनिर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में विभिन्न पदक्रम स्तरों के मध्य (निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) अंतरण हुआ है।

at the end of each reporting period.

At the reporting date, the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be re-measured or re-assessed as per the accounting policies. For this analysis, the Company verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Company also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

u) Current and Non- Current classification

The Corporation presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on current /non-current classification.

Cash or cash equivalent treated as current, unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period. In respect of other assets, it is treated as current when it is:

- * expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle.
- * expected to be realised within twelve months after the reporting period.
- * held primarily for the purpose of trading/business

All other assets are classified as non-current.

A Liability is treated as current when :

- * it is expected to be settled in normal operating cycle.
- * it is held for the purpose of trading/business.
- * it is due to be settled within twelve months after the reporting period .or
- * there is no unconditional right to defer the settlement of liability for at least twelve months after the reporting period.

all other liabilities are classified as non-current.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents. The corporation has identified twelve months as its operating cycle.

v) LEASE :

The Company Recognizes a right-of- use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date , plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-to-use asset or the end of the lease term. The estimated useful life of the right-to-use asset is determined on the same basis as those of property, plant and equipment. In addition, Policy has been drafted as per Ind AS 116.

The right-to-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability. The lease liability is initially measured at the present value of the

रिपोर्टिंग की तारीख में, कंपनी परिसंपत्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन में विचलन का विश्लेषण करती है, जिन्हें लेखा नीतियों के मुताबिक पुनः मापा या पुनः मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी ठेके और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में जानकारी को स्वीकार करके अद्यतन मूल्य अंकन में लागू प्रमुख इनपुट का सत्यापन करता है।

कंपनी यह भी तुलना करती है कि परिवर्तन उचित है या नहीं, प्रासंगिक परिसंपत्ति स्रोतों के साथ प्रत्येक परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना करती है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के प्रयोजन से, कंपनी ने परिसंपत्तियों और दायित्वों का निर्धारण प्रद्वति, विशेषताओं और संपत्ति या दायित्व के जोखिम के आधार पर वर्गों का निर्धारण किया है और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर पर निर्धारित किया है, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है।

प) वर्तमान एवं गैर—वर्तमान वर्गीकरण

निगम परिसंपत्तियों एवं दायित्वों को तुलन—पत्र में वर्तमान एवं गैर—वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है।

नकद या नकद समकक्ष को वर्तमान के रूप में माना जाता है, जब तक कि उन्हें छूट नहीं दी जाती है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए दायित्व का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में, इस वर्तमान के रूप में माना जाता है:

- *सामान्य परिचालन चक्र में बेचे या उपभोग किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है।

- *समीक्षाधीन अवधि के बाद बारह महीनों में प्राप्त होने की उम्मीद है।

- *प्रमुखतः व्यापार/व्यवसाय के उद्देश्य से रखा गया।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर—वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

दायित्व को वर्तमान के रूप में माना जाता है जब:

- *इसका सामान्य परिचालन चक्र में निस्तारण होने की प्रत्याशा हो,

- *इसे व्यापार/व्यवसाय के उद्देश्य से रखा गया हो,

- *इसका रिपोर्टिंग अवधि के बाद देय से बारह महीने के भीतर निस्तारण हो अथवा

- *रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है!

अन्य सभी दायित्वों को गैर—वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऑपरेटिंग चक्र प्रक्रियागत और नकदी व नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच का समय है। निगम ने बारह महीनों की पहचान अपने परिचालन चक्र के रूप में की है।

फ) पट्टा

कंपनी पट्टा शुरू होने की तारीख से संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टा देनदारी को मान्यता देती है। संपत्ति के उपयोग का अधिकार आरंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आरंभ तिथि से पहले या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही किसी भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने और निकालने के लिए लागत का अनुमान सम्मिलित है या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस स्थान को पुनर्स्थापित करने के लिए जिसपर वह स्थित है, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहित राशि को घटाया जाता है।

lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate. The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method, it is remeasured when there is a change in future lease payments from a change in an index or rate. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in the profit and loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero. The Company presents right-of-use asset that do not meet the definition of Investment property in the "Property plant and equipment" and lease liabilities in "other financial liabilities" in the Balance Sheet. Short term Lease and Leases of low value assets.

The Company has elected not to recognize right-of-use asset and lease liabilities for short term leases that have lease term of 12 months or less and leases of low value assets.

ii. As A Lessor When the Company acts as a lessor, it determines at lease inception whether each lease is a finance lease or an operating lease. To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all the risk and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is a finance lease, if not then it is an operating lease. As part of the assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease is for the major part of the economic life of the asset. If an arrangement contains lease and non-lease components, the Company applies Ind AS-115 "Revenue from contract with customers" to allocate the consideration in the contract. The Company recognizes lease payments received under operating lease as income on a straight-line basis over the lease term as part of "Other Income".

संपत्ति के उपयोग के अधिकार को स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके आरंभ की तिथि से संपत्ति के उपयोग अधिकार के अथवा पट्टा की सीमा समाप्ति के तत्पश्चात् मूल्यह्रास किया जाता है। संपत्ति के उपयोग के अधिकार का अनुमानित उपयोगी जीवन उसी आधार पर निर्धारित किया जाता है जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखाकरण मानक 116 के अनुसार नीति को तैयार किया गया है।

संपत्ति को उपयोग करने का अधिकार विविक्षित हानि, यदि कोई हो, के कारण आवधिक तौर पर घट जाता है, और पट्टे की देयता के कुछ विशेष उपायों के लिए समायोजित किया जाता है। पट्टा दायित्व का आरंभिक मापन पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य से किया जाता है जिसका आरंभिक तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, यदि वह दर कंपनी की वृद्धिशील उधारी दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है। पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसका पुनःमापन किया जाता है जब भविष्य में पट्टा भुगतान में परिवर्तन इन्डेक्स अथवा दर में परिवर्तन से होता है। जब पट्टा देयता इस तरह से पुनः मापन की जाती है, तो परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार की वहन राशि के लिए एक संगत समायोजन किया जाता है, या लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है यदि उपयोग संपत्ति के अधिकार को शून्य तक कम कर दिया गया हो। कंपनी संपत्ति उपयोग अधिकार को दर्शाती है जो "संपत्ति संयंत्र और उपकरण" में संपत्ति निवेश की परिभाषा को पूरा नहीं करती है एवं तुलन-पत्र शीट में "अन्य वित्तीय देनदारियों" में पट्टा देनदारियों को पूरा करती है। अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे।

कंपनी ने अल्पकालिक पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार और पट्टे की देनदारियों के अधिकार को मान्यता नहीं दी है, जिन पट्टों की अवधि 12 महीने या उससे कम है और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे हैं।

पद पट्टेदार के रूप में, जब कंपनी एक पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो यह पट्टे की निर्धारित करती है चाहे प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा हो या परिचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा प्रयाप्त रूप से सभी जोखिमों को स्थानांतरित करता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक है। यदि यह मामला है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के अंग के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि पट्टे परिसंपत्ति के आर्थिक जीवनके प्रमुख हिस्से के लिए है। यदि एक व्यवस्था में पट्टे और गैर-लीज़ घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में विचार को आवंटित करने के लिए भारतीय लेखाकरण मानक-115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" लागू करती है। कंपनी "अन्य आय" के हिस्से के रूप में लीज अवधि के आधार पर एक सीधी रेखा के आधार आय के रूप में परिचालन पट्टे के तहत प्राप्त पट्टा भुगतान की पहचान करती है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

NOTE: 3 PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT'S

Particulars	(Rs. in Lakhs)									
	Building (Finance lease)	Building (Freehold)	Furniture & Fixtures	Office Equipment	Vehicles	Air Conditioners & Coolers	EPABX	Data Processing Equipment's	Total	
Cost or Deemed Cost										
At 1 April 2018	52.66	47.94	43.91	55.08	8.51	18.52	3.66	57.89	288.17	
Additions during the year	-	-	10.42	4.63	0.46	5.25	-	10.26	31.02	
Disposals/Adjustments	-	-	-	0.43	0.37	0.70	-	2.79	4.29	
At 31 March 2019	52.66	47.94	54.33	59.28	8.60	23.07	3.66	65.36	314.90	
At 1 April 2018	52.66	47.94	54.33	59.28	8.60	23.07	3.66	65.36	314.90	
Additions during the year	-	-	-	2.57	-	-	0.15	5.71	8.42	
Disposals/Adjustments	-	-	-	0.97	-	2.44	-	-	3.41	
At 31 March 2020	52.66	47.94	54.33	60.88	8.60	20.63	3.81	71.07	319.91	
Depreciation and Impairment										
At 1 April 2018	35.44	32.70	38.95	40.31	3.49	15.41	3.42	54.42	224.14	
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.83	0.76	2.29	7.55	1.65	1.27	0.02	4.91	19.28	
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Disposals/Adjustments	-	-	-	0.30	0.35	0.67	0.02	2.66	4.00	
At 31 March 2019	36.27	33.46	41.24	47.56	4.79	16.01	3.42	56.67	239.42	
At 1 April 2019	36.27	33.46	41.24	47.56	4.79	16.01	3.42	56.67	239.42	
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.78	0.73	3.32	5.64	1.17	1.74	0.06	7.46	20.89	
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Disposals/Adjustments	-	-	-	0.92	-	1.49	-	-	2.40	
At 31 March 2020	37.05	34.19	44.56	52.28	5.96	16.26	3.48	64.13	257.91	
Net book value										
At 31 March 2020	15.61	13.75	9.77	8.60	2.64	4.37	0.33	6.94	62.01	
At 31 March 2019	16.39	14.48	13.09	11.72	3.81	7.06	0.24	8.69	75.48	
Note :- 3.1 Depreciation is provided on written down value method (WDV) in accordance with schedule II of the Companies Act, 2013.										
Note :- 3.2 Depreciation Amount of Rs. 0.09 Lacs (as at 31st march 2019 Rs Nil) is adjusted from opening balance of retained earning as per note 13.3.										

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

टिप्पणी – 3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्करण

विवरण	भवन (वित्तीय लीज)	भवन (फ्रिहोल्ड)	फर्नीचर एण्ड फिक्सचर	कार्यालय उपस्करण	वाहन	एयर कंडीशनर एवं कूलर्स	ई.पी.ए.वी. एक्स	आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्करण	कुल
लागत या मानी गई लागत									(लाख रु. में)
1 अप्रैल, 2018 को वर्ष के दौरान अतिरिक्त निपटान/समायोजन	52.66	47.94	43.91	55.08	8.51	18.52	3.66	57.89	288.17
31 मार्च, 2019 को	52.66	47.94	54.33	59.28	8.60	23.07	3.66	65.36	314.90
1 अप्रैल, 2018 को वर्ष के दौरान अतिरिक्त निपटान/समायोजन	52.66	47.94	54.33	59.28	8.60	23.07	3.66	65.36	314.90
31 मार्च, 2020 को	52.66	47.94	54.33	60.88	8.60	20.63	3.81	71.07	319.91
मूल्य ह्रास एवं क्षति									
1 अप्रैल, 2018 को वर्ष में मूल्य ह्रास प्रमार (संदर्भ टिप्पणी-22) क्षति	35.44	32.70	38.95	40.31	3.49	15.41	3.42	54.42	224.14
निपटान/समायोजन	0.83	0.76	2.29	7.55	1.65	1.27	0.02	4.91	19.28
31 मार्च, 2019 को	36.27	33.46	41.24	47.56	4.79	16.01	3.42	56.67	239.42
1 अप्रैल, 2019 को वर्ष में मूल्य ह्रास प्रमार (संदर्भ टिप्पणी-22) क्षति	36.27	33.46	41.24	47.56	4.79	16.01	3.42	56.67	239.42
निपटान/समायोजन	0.78	0.73	3.32	5.64	1.17	1.74	0.06	7.46	20.89
31 मार्च, 2020 को	37.05	34.19	44.56	52.28	5.96	16.26	3.48	64.13	257.91
शुद्ध अंकित मूल्य									
31 मार्च, 2020 को	15.61	13.75	9.77	8.60	2.64	4.37	0.33	6.94	62.01
31 मार्च, 2019 को	16.39	14.48	13.09	11.72	3.81	7.06	0.24	8.69	75.48
टिप्पणी 3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार मूल्य ह्रास का प्राक्धान अपलक्षित मूल्य पद्धति से किया गया है।									
टिप्पणी 3.2 मूल्यह्रास राशि रु. 0.09 (31 मार्च, 2019 को शून्य) का समायोजन आरंभिक अवशेष की प्रतिधारित आय से टिप्पणी 13.3 के अनुसार किया गया है।									

NOTE: 4 Intangible Assets**(Rs. in Lakhs)**

Particulars	Computer Software's	Intangible Asset under Development	Total
Cost or deemed cost as at 1st April 2018	46.23	-	46.23
Addition during the year	2.55	-	2.55
Adjustment/deletions during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2019	48.78	-	48.78
Addition during the year	-	-	-
Adjustment/deletions during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2020	48.78	-	48.78
<u>Amortization and Impairment</u>			
Opening balance at 1st April 2018	28.28	-	28.28
Amortization during the year (Refer Note-22)	5.00	-	5.00
Impairment during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2019	33.28	-	33.28
Amortization during the year (Refer Note-22)	5.00	-	5.00
Impairment during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2020	38.28	-	38.28
<u>Net book value</u>			
As at 31 March 2020	10.50	-	10.50
As at 31 March 2019	15.49	-	15.49

टिप्पणी 4 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	विकास के लिए अमूर्त परिसंपत्तियाँ	कुल
1 अप्रैल, 2018 को लागत अथवा मानी गई लागत	46.23	-	46.23
वर्ष के दौरान जोड़े गए	2.55	-	2.55
वर्ष के दौरान समायोजन/ विलोपन	-	-	-
31 मार्च, 2019 को अंतशेष	48.78	-	48.78
वर्ष के दौरान जोड़े गए	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन/ विलोपन	-	-	-
31 मार्च, 2020 को अंतशेष	48.78	-	48.78
परिशोधन एवं क्षति			
1 अप्रैल, 2018 को आरंभिक अवशेष	28.28	-	28.28
वर्ष के दौरान परिशोधन (टिप्पणी 22 देखें)	5.00	-	5.00
वर्ष के दौरान क्षति	-	-	-
31 मार्च, 2019 को अंतशेष	33.28	-	33.28
वर्ष के दौरान परिशोधन (टिप्पणी 22 देखें)	5.00	-	5.00
वर्ष के दौरान क्षति	-	-	-
31 मार्च, 2020 को अंतशेष	38.28	-	38.28
शुद्ध अंकित मूल्य			
31 मार्च, 2020	10.50	-	10.50
31 मार्च, 2019	15.49	-	15.49

NOTE: 5

Non-current portion of the Trade Receivable/Debtors have been classified under 'non-current financial assets and current portion of the Trade Receivable/Debtors has been classified 'current financial assets :

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020		Total	As at 31st March 2019		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
Considered Good-Secured	-	-	-	-	-	-
Considered Good-UnSecured	-	7.14	7.14	-	-	-
Significant Increase in Credit Risk	-	-	-	-	-	-
Less : Allowance for loans & advances	-	-	-	-	-	-
Sub Total	-	7.14	7.14	-	-	-

NOTE: 6 FINANCIAL ASSETS - LOANS

Non-current portion of the Loans has been classified under 'non-current financial assets - loans' and current portion of the Loans has been classified under 'current financial assets - loans'.

Particulars	As at 31st March 2020		Total	As at 31st March 2019		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
(1) General Loan to SCAs/ Other Entities						
Considered Good-Secured						
(a) General loans	58,692.58	23,559.53	82,252.11	62,750.47	23,761.66	86,512.13
(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)						
(b) General loans	1,346.14	386.42	1,732.56	1,773.72	332.26	2,105.99
(Against lien of Fixed Deposit Receipts)						
Considered Good-UnSecured	60,038.72	23,945.95	83,984.67	64,524.19	24,093.92	88,618.11
General loans	31,527.83	4,975.84	36,503.66	20,559.07	2,313.82	22,872.89
Significant Increase in Credit Risk						
General loans	-	323.75	323.75	-	220.58	220.58
Less : Allowance for loans & advances #	-	(323.75)	(323.75)	-	(220.58)	(220.58)
Sub Total (1)	91,566.55	28,921.79	120,488.33	85,083.26	26,407.74	111,491.00

टिप्पणी: 5

प्राय्य व्यवसाय/ऋणग्राही के गैर-वर्तमान अंश को गैर-वर्तमान वित्तीय "परिसंपत्तियों" के तहत एवं प्राय्य व्यवसाय/ऋणग्राही के 'वर्तमान अंश को वित्तीय परिसंपत्तियों' के तहत वर्गीकृत किया गया है :

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		कुल	31 मार्च, 2019 को		कुल
	गैर-वर्तमान	वर्तमान		गैर-वर्तमान	वर्तमान	
अच्छे माने गए-सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
अच्छे माने गए-असुरक्षित	-	7.14	7.14	-	-	-
उधारी जोखिम में सार्थक वृद्धि	-	-	-	-	-	-
घटाए: ऋण एवं अग्रिम के लिए एलाउंस	-	-	-	-	-	-
उप योग	-	7.14	7.14	-	-	-

टिप्पणी: 6 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

ऋणों के गैर-वर्तमान अंश का वर्गीकरण 'गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ-ऋण' एवं ऋणों का वर्तमान अंश 'वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ-ऋण' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2020 को		कुल	31 मार्च, 2019 को		कुल
	गैर-वर्तमान	वर्तमान		गैर-वर्तमान	वर्तमान	
(1) एस.सी.ए./अन्य संस्थानों को सामान्य ऋण अच्छे माने गए-सुरक्षित (क) सामान्य ऋण (सरकारी आदेश/ब्लॉक शासकीय गारंटी प्राप्त)	58,692.58	23,559.53	82,252.11	62,750.47	23,761.66	86,512.13
(ख) सामान्य ऋण (सामान्य जमा रसीद के ग्रहणाधिकार के साथ)	1,346.14	386.42	1,732.56	1,773.72	332.26	2,105.99
अच्छे माने गए-असुरक्षित सामान्य ऋण	60,038.72	23,945.95	83,984.67	64,524.19	24,093.92	88,618.11
उधारी जोखिम में सार्थक वृद्धि सामान्य ऋण	31,527.83	4,975.84	36,503.66	20,559.07	2,313.82	22,872.89
घटाए: रु ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रबंध एलाउंस#	-	323.75	323.75	-	220.58	220.58
	-	(323.75)	(323.75)	-	(220.58)	(220.58)
कुल योग (1)	91,566.55	28,921.79	120,488.33	85,083.26	26,407.74	111,491.00

Particulars	As at 31st March 2020		Total	As at 31st March 2019		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
(2) Micro Finance Loan to SCAs/ Other Entities Considered Good-Secured						
(a) Micro Finance Loan (By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)	36,267.81	26,214.68	62,482.49	33,802.01	21,370.27	55,172.27
(b) Micro Finance Loan (Against lien of Fixed Deposit Receipts)	741.87	48.59	790.46	355.43	33.19	388.63
Considered Good-UnSecured	37,009.68	26,263.27	63,272.95	34,157.44	21,403.46	55,560.90
Micro Finance Loan (Unsecured considered good)	5,288.30	626.04	5,914.33	1,046.07	722.86	1,768.92
Significant Increase in Credit Risk						
Micro Finance Loan	-	5.83	5.83	-	8.03	8.03
Less : Allowance for loans & advances #	-	(5.83)	(5.83)	-	(8.03)	(8.03)
	-	-	-	-	-	-
Sub Total (2)	42,297.98	26,889.31	69,187.29	35,203.51	22,126.32	57,329.82
(3) Loans to Managing Director						
(4) Loans to Employees						
(a) Loans & Interest accrued						
Considered Good-Secured	110.78	13.15	123.94	127.49	13.69	141.18
Considered Good-UnSecured	34.35	4.08	38.43	8.42	3.34	11.76
Sub Total (4)	145.13	17.23	162.37	135.91	17.03	152.94
Grand Total (1+2+3+4)	134,009.66	55,829.61	189,839.27	120,423.88	48,553.66	168,977.54

Allowance for Loan & Advances to respective State Chennel Agencies (SCAs)/ Channel Partners (CPs) is made as per the Corporation's policy.

Note 6.1 As per Reserve Bank of India, the Corporation is not a Non Banking Finance Company and exempted for following RBI's prudential norms prescribed for making provisions and for income recognition on non-performing assets. As RBI's prudential norms are not applicable to the Corporation, it has made its own norms for making provision duly approved by Board for provisioning on certain overdue loans/interest thereon.

Note 6.2 The Corporation has a policy approved by the Board of Directors for refinancing of loans to Regional rural banks (RRBs), PSU Banks and Finance Institutions without taking any guarantees. As on 31.03.2020, Rs 37,473.01 lakh (Previous year Rs.23749.61 lakh) is outstanding and disclosed as "Unsecured and considered good" as the repayment is regular.

Note 6.3 Out of the total Loans of Rs. 1,91,771.71 Lakhs (as at 31.03.2019, Rs 1,74,171.42 Lakhs), out of which Rs. 1,50,947.06 Lakhs (as at 31.03.2019 Rs. 1,321,410.44 Lakhs) have been confirmed from respective parties. The remaining loan amount is subject to confirmation by borrowers.

Note 6.4 The utilization certificates of Rs. 19,003.60 lakhs (Rs. 13,267.86 Lakhs as at 31.03.2019) are pending to be received from borrowing institutions, out of which Rs. 9,360.58 lakhs (Rs. 3826.09 lakhs as at 31.03.2019) are more than six months old as at year end.

विवरण	31 मार्च 2020 को		कुल	31 मार्च 2019 को		कुल
	गैर-वर्तमान	वर्तमान		गैर-वर्तमान	वर्तमान	
(2) एस.सी.ए./अन्य संस्थानों को सूक्ष्म ऋण अच्छे माने गए-सुरक्षित (क) सूक्ष्म वित्त ऋण (सरकारी आदेश/ब्लॉक शासकीय गारंटी प्राप्त) (ख) सूक्ष्म वित्त ऋण (सावधि जमा रसीद के ग्रहणाधिकार के सापेक्ष)	36,267.81	26,214.68	62,482.49	33,802.01	21,370.27	55,172.27
अच्छे माने गए-असुरक्षित सूक्ष्म वित्त ऋण(असुरक्षित अच्छे माने गए)	741.87	48.59	790.46	355.43	33.19	388.63
अच्छे माने गए-असुरक्षित सूक्ष्म वित्त ऋण(असुरक्षित अच्छे माने गए)	37,009.68	26,263.27	63,272.95	34,157.44	21,403.46	55,560.90
उधारी जोखिम में सार्थक वृद्धि सूक्ष्म वित्त ऋण घटाएं : ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रबंध (एलाउंस)	5,288.30	626.04	5,914.33	1,046.07	722.86	1,768.92
कुल योग (2)	42,297.98	26,889.31	69,187.29	35,203.51	22,126.32	57,329.82
(3) प्रबन्ध निदेशक को ऋण	-	1.29	1.29	1.21	2.57	3.78
(4) कर्मचारियों को ऋण (क) उपाजित ऋण एवं ब्याज अच्छे माने गए-सुरक्षित अच्छे माने गए-असुरक्षित	110.78 34.35 145.13	13.15 4.08 17.23	123.94 38.43 162.37	127.49 8.42 135.91	13.69 3.34 17.03	141.18 11.76 152.94
उप योग (4)	134,009.66	55,829.61	189,839.27	120,423.88	48,553.66	168,977.54

टिप्पणी 6.1 भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, निगम एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी नहीं है और आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुकरण करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर आय मान्यता निर्धारित करने के लिए छूट दी गई है। जैसा कि आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंड निगम के लिए लागू नहीं हैं, इसके कारण निदेशक मण्डल ने कुछ बकाया ऋणों / उस पर ब्याज प्रावधान के लिए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधान के लिए अपने स्वयं के नियम बनाये हैं।

टिप्पणी 6.2 निगम के पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लोक उद्यम की बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु ऋणों के लिए गारंटी रहित निदेशक मण्डल से अनुमोदित एक नीति है। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार रु. 37,473.01 लाख (गत वर्ष रु. 23,749.61 लाख) बकाया है और चूंकि भुगतान नियमित है अतः इसे 'असुरक्षित एवं अच्छा माना गया' है।

टिप्पणी 6.3 कुल बकाया रु. 1,91,771.71 लाख (31.03.2019 को रु. 1,74,171.42 लाख) में से रु. 1,50,947.06 लाख (31.03.2019 को रु. 1,321,410.44 लाख) संबंधित पार्टियों द्वारा पुष्टि की गई है। शेष ऋण राशि ऋण लेने वालों की पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी 6.4 उधार लेने वाले संस्थानों से रु. 19,003.60 लाख (31.03.2019 को रु. 13,267.86 लाख) के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने हैं, जिसमें से वर्ष की समाप्ति पर रु. 9360.58 लाख (31.03.2019 को रु. 3826.09 लाख) छः माह से अधिक पुराने हैं।

NOTE: 6.5

As per Ind AS-109 Staff loans & advances are recognized at amortised cost which includes the principal & interest component both the details of Outstanding undiscounted Loans to Employees and as given below:-

(Rs. in Lakhs)

Particulars	2019-20		2018-19	
	Principal	Interest	Principal	Interest
House Building Advance	56.25	65.01	50.80	77.29
Vehicle Loan	3.46	0.84	3.24	0.81
General Purpose Advance	72.14	-	63.73	-
Total	131.85	65.85	117.77	78.10

As per guidelines/norms, recoveries of interest commences after recoveries of principal in respect of House Building Advance and Vehicle advance.

NOTE: 6.6 Loans & advances including simple interest thereon overdue as at end of the year is classified as 'Current' loans, as these are considered good for recovery/adjustment in the subsequent financial year.

Note 6.7 Details of Loan and Advances as on 31.03.2020 **reappropriated**

S. No	Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Refunds	Adjustment/reappropriation	Recovered during the year	Closing Balance
1	General Loan	111,711.59	25,766.91	354.38	(3,755.83)	20,067.86	120,812.09
2	Funded Interest	-	-	-	-	-	-
3	Micro Finance	57,337.91	34,650.44	231.58	3,755.83	18,807.81	69,193.12
4	Funded Interest	-	-	-	-	-	-
	Total	169,049.50	60,417.34	585.96	-	38,875.67	190,005.21
	Loan Due	10,591.02	(3,845.88)		-		6,745.14
	Loan Not due (31.03.2020)	158,458.48	24,801.59		-		183,260.07
	Previous year	151,737.67	52,428.51	831.91		34,284.82	169,049.45

Note 6.7.1 Details of Loan and Advances as on 31.03.2019

S. No	Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Refunds	Adjustment/reappropriation	Recovered during the year	Closing Balance
1	General Loan	99,952.96	31,545.92	532.41	(195.96)	19,450.84	111,711.59
2	Funded Interest	-	-	-	-	-	-
3	Micro Finance	51,784.76	20,882.59	299.50	195.96	14,833.98	57,337.91
4	Funded Interest	-	-	-	-	-	-
	Total	151,737.72	52,428.51	831.91	-	34,284.82	169,049.50
	Loan Due	15,267.29	(4,676.27)		-		10,591.02
	Loan Not due (31.03.2019)	136,470.43	21,988.04		-		158,458.48
	Previous year	133,341.57	46,780.87	2,708.25	248.78	25,427.74	151,737.67

टिप्पणी 6.5

भारतीय लेखाकरण मानक – 109 के अनुसार कर्मचारी ऋण और अग्रिम राशि परिशोधित लागत पर मानी गई है जिसमें कर्मचारियों पर बकाया गैर-रियायती ऋण विवरण में मूल और ब्याज दोनों घटक शामिल हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है-

(लाख रु. में)

विवरण	2019-20		2018-19	
	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज
गृह निर्माण ऋण	56.25	65.01	50.80	77.29
वाहन ऋण	3.46	0.84	3.24	0.81
सामान्य उद्देश्यों हेतु अग्रिम	72.14	-	63.73	-
कुल	131.85	65.85	117.77	78.10

दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार, आवास निर्माण अग्रिम और वाहन अग्रिम के संबंध में मूलधन की वसूली के बाद ब्याज की वसूली शुरु की जाती है।

टिप्पणी 6.6 वर्ष के अंत तक बकाया ऋण और अग्रिमों को जिसमें वर्ष की समाप्ति पर उस पर बकाया साधारण ब्याज सम्मिलित है, 'वर्तमान' ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि ये बाद के वित्तीय वर्ष में वसूली/समायोजन के लिए अच्छे माने गए हैं

टिप्पणी 6.7 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण

(लाख रु. में)

क्र.स.	विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वापसी	समायोजन/ पुर्नगृहित	वर्ष की अवधि में वसूले गए	अंत अवशेष
1	सामान्य ऋण	111,711.59	25,766.91	354.38	(3,755.83)	20,067.86	120,812.09
2	निधिबद्ध ब्याज	-	-	-	-	-	-
3	सूक्ष्म वित्त	57,337.91	34,650.44	231.58	3,755.83	18,807.81	69,193.12
4	निधिबद्ध ब्याज	-	-	-	-	-	-
	योग	169,049.50	60,417.34	585.96	-	38,875.67	190,005.21
	देय ऋण	10,591.02	(3,845.88)		-		6,745.14
	अदेय ऋण (31.03.2020)	158,458.48	24,801.59		-		183,260.07
	गत वर्ष	151,737.67	52,428.51	831.91		34,284.82	169,049.45

टिप्पणी 6.7.1 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण

(लाख रु. में)

क्र.स.	विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वापसी	समायोजन/ पुर्नगृहित	वर्ष की अवधि में वसूले गए	अंत अवशेष
1	सामान्य ऋण	99,952.96	31,545.92	532.41	(195.96)	19,450.84	111,711.59
2	निधिबद्ध ब्याज	-	-	-	-	-	-
3	सूक्ष्म वित्त	51,784.76	20,882.59	299.50	195.96	14,833.98	57,337.91
4	निधिबद्ध ब्याज	-	-	-	-	-	-
	योग	151,737.72	52,428.51	831.91	-	34,284.82	169,049.50
	देय ऋण	15,267.29	(4,676.27)		-		10,591.02
	अदेय ऋण (31.03.2019)	136,470.43	21,988.04		-		158,458.48
	गत वर्ष	133,341.57	46,780.87	2,708.25	248.78	25,427.74	151,737.67

Note 6.8 Details of allowance for Loans & advances (non-current/current) as on 31.03.2020.

(Rs. in Lakhs)

S. No	Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered/Provision written back during 2018-19	Closing Balance
1	Loans & Advances-General loan	220.58	103.17	-	323.75
2	Loans & Advances-Micro finance	8.03	-	2.20	5.83
	Total	228.61	103.17	2.20	329.58
	Previous year	220.18	57.07	48.64	228.61

Note 6.9 Allowances on Loan and advances to respective chennai partners is made as per the Corporation policy (Ref. Note. No.33)

Note 7 Other financial assets

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020		Total	As at 31st March 2019		Total
	Non - Current	Current		Non - Current	Current	
(1) Interest Receivable:						
Secured, considered good						
- Interest on General Loan (By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)	-	1,710.61	1,710.61	-	3,197.67	3,197.67
- Interest on Micro Finance (By way of Govt. order / Block Govt. Guarantee received)	-	83.96	83.96	-	44.56	44.56
	-	1,794.57	1,794.57	-	3,242.23	3,242.23
Unsecured, considered good						
- Interest on General Loan	-	390.34	390.34	-	689.16	689.16
- Interest on Micro Finance	-	9.40	9.40	-	5.79	5.79
	-	399.74	399.74	-	694.95	694.95
Doubtful						
- Interest on General Loan	-	304.84	304.84	-	656.33	656.33
- Interest on Micro Finance	-	3.41	3.41	-	4.85	4.85
- Penal Interest on General Loan	264.75	-	264.75	313.55	-	313.55
- Penal Interest on Micro Finance	3.56	-	3.56	4.44	-	4.44
	268.31	308.25	576.57	317.99	661.18	979.16
Less : Allowance for loans & advances	(268.31)	(308.25)	(576.57)	(317.99)	(661.18)	(979.16)
	-	-	-	-	-	-
Sub Total (1)	-	1,886.06	1,886.06	-	3,276.01	3,276.01
(2) Interest accrued but not due						
General Loan	703.63	121.19	824.82	526.45	150.35	676.80
Micro Finance	-	30.42	30.42	-	52.68	52.68
	-	-	-	-	-	-
Sub Total (2)	703.63	151.61	855.24	526.45	203.03	729.48
(3) Interest accrued but not due - Saving Bank	-	0.73	0.73	-	10.79	10.79
(4) Security Deposits - Unsecured Considered Good	0.06	5.61	5.67	0.06	4.37	4.43
(5) Other Receivables	-	1.57	1.57	-	0.13	0.13
Amount recoverable from employees	-	-	-	-	-	-
Amount recoverable from parties-considered good - Secured	-	327.23	327.23	-	188.37	188.37
Amount recoverable from parties-considered good - Unsecured	-	-	-	-	-	-
Amount recoverable from parties -significant increase in Credit Risk	-	-	-	-	-	-
Amount recoverable from parties - Credit impaired	-	-	-	-	-	-
(6) Form banks (others)	-	4.46	4.46	-	4.46	4.46
g rand Total (1+2+3+4+5+6)	703.69	2,377.27	3,080.96	526.51	3,687.16	4,213.66

टिप्पणी 6.8 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (गैर-वर्तमान/वर्तमान) पर प्रबंध का विवरण (लाख रु. में)

क्र.स.	विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2019-2020 की अवधि में पीछे से लाए गए/वसूले गए प्रावधान	अंत अवशेष
1	ऋण एवं अग्रिम-सामान्य ऋण	220.58	103.17	-	323.75
2	ऋण एवं अग्रिम-सूक्ष्म ऋण	8.03	-	2.20	5.83
	कुल	228.61	103.17	2.20	329.58
	गत वर्ष	220.18	57.07	48.64	228.61

टिप्पणी: 6.9 संबंधित चैनल सहभागियों को ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध निगम की नीति के अनुसार किया गया है (टिप्पणी सं. 33 देखें)।

टिप्पणी: 7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		कुल	31 मार्च, 2019 को		कुल
	गैर-वर्तमान	वर्तमान		गैर-वर्तमान	वर्तमान	
(1) प्राप्य ब्याज:						
सुरक्षित, अच्छे माने गए						
- सामान्य ऋण पर ब्याज (सरकारी आदेश/शासकीय गारण्टी के द्वारा)	-	1,710.61	1,710.61	-	3,197.67	3,197.67
- सूक्ष्म ऋण पर ब्याज (सरकारी आदेश/शासकीय गारण्टी के द्वारा)	-	83.96	83.96	-	44.56	44.56
	-	1,794.57	1,794.57	-	3,242.23	3,242.23
असुरक्षित, अच्छे माने गए						
- सामान्य ऋण पर ब्याज	-	390.34	390.34	-	689.16	689.16
- सूक्ष्म ऋण पर ब्याज	-	9.40	9.40	-	5.79	5.79
	-	399.74	399.74	-	694.95	694.95
संदेहपूर्ण						
- सामान्य ऋण पर ब्याज	-	304.84	304.84	-	656.33	656.33
- सूक्ष्म ऋण पर ब्याज	-	3.41	3.41	-	4.85	4.85
- सामान्य ऋण पर दण्ड ब्याज	264.75	-	264.75	313.55	-	313.55
- सूक्ष्म ऋण पर दण्ड ब्याज	3.56	-	3.56	4.44	-	4.44
	268.31	308.25	576.57	317.99	661.18	979.16
घटाएं : ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रबंध एलाउंस	(268.31)	(308.25)	(576.57)	(317.99)	(661.18)	(979.16)
	-	-	-	-	-	-
उप योग (1)	-	1,886.06	1,886.06	-	3,276.01	3,276.01
(2) उपाजित ब्याज किन्तु देय नहीं						
सामान्य ऋण	703.63	121.19	824.82	526.45	150.35	676.80
सूक्ष्म ऋण	-	30.42	30.42	-	52.68	52.68
	-	-	-	-	-	-
उप योग (2)	703.63	151.61	855.24	526.45	203.03	729.48
(3) उपाजित ब्याज किन्तु देय नहीं - बचत बैंक	-	0.73	0.73	-	10.79	10.79
(4) सुरक्षित जमा- असुरक्षित अच्छे माने गए	0.06	5.61	5.67	0.06	4.37	4.43
(5) अन्य प्राप्य	-	1.57	1.57	-	0.13	0.13
कर्मचारियों से प्राप्य धनराशि	-	-	-	-	-	-
पार्टियों से प्राप्य धनराशि-अच्छे माने गए-सुरक्षित	-	327.23	327.23	-	188.37	188.37
पार्टियों से प्राप्य धनराशि-अच्छे माने गए-असुरक्षित	-	-	-	-	-	-
पार्टियों से प्राप्य धनराशि-क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-	-	-	-	-
पार्टियों से प्राप्य धनराशि-उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
(6) बैंक से (अन्य)	-	4.46	4.46	-	4.46	4.46
कुल योग (1+2+3+4+5+6)	703.69	2,377.27	3,080.96	526.51	3,687.16	4,213.66

Note 7.1 Other receivables (5) above includes Rs nil- (Rs. 47.53 Lakhs as at 31.03.2019) receivable from other National Corporations under the same Administrative Ministry towards events held commonly / behalf.. The said amounts are subject to reconciliation and confirmation, but are considered good for recovery. Therefore, no provision for the same has been made.

Note 7.2 During the year, additional demand notice for the period 16.02.2020 to 31.03.2020 have not been raised upto 31.03.2020. However, interest for that period amounting to Rs 94.40 Lakhs (Rs. 123.22 Lakhs as at 31.03.2019) has been included in interest accrued but not due.

Note 7.3 Detail of allowance for Interest on Loans & advances (non-current/current) as on 31.03.2020.

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered/Provision written back during 2019-2020	Closing Balance
1.	Penal Interest	317.99		49.68	268.31
2.	Interest on loan - General Loan	656.32	-	351.48	304.84
3.	Interest on loan - Micro Finance	4.85	-	1.44	3.41
	Total	979.16	-	402.59	576.56
	Previous Year	1,029.80	-	50.64	979.16

Note 7.4 Allowances on Loan and advances in respective channel partners is made as per the Corporation policy

Note :- 8 Other current & non current assets

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Particulars	As at 31st March 2020		Total	As at 31st March 2019		Total
		Non - Current	Current		Non - Current	Current	
(i)	Samples	-	0.30	0.30	-	0.30	0.30
(ii)	Net planned Assets for gratuity or leave encashment (Refer Note:14.1)	17.49	20.54	38.03	41.13	1.62	42.75
(iii)	Prepaid Expenses (refer note: 8.1)	34.04	32.02	66.06	39.33	60.62	99.95
(iv)	Others						
	- Stamps in hand	-	0.27	0.27	-	0.12	0.12
(v)	Capital Advances	19.34	-	19.34	-	-	-
(vi)	IGST cenvet	-	2.99	2.99	-	-	-
	Total	70.87	56.12	126.99	80.46	62.65	143.11

Note 8.1 Prepaid expenses represents unamortized portion of Staff Loans & Advances or difference between the fair value of financial assets at initial recognition & loans given.

टिप्पणी 7.1 अन्य प्राप्य (5) में रु. शून्य (31.03.2019 को रु. 47.53 लाख) सम्मिलित हैं जो अन्य राष्ट्रीय निगमों से जो एक ही प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन हैं, द्वारा मिलकर विभिन्न आयोजन किए गए हैं, से प्राप्त होने हैं। यह राशि मिलान एवं पुष्टि के अधीन है, लेकिन वसूली के लिए अच्छे माने गए हैं। अतः इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

टिप्पणी 7.2 वर्ष के दौरान, 16.02.2020 से 31.03.2020 की अवधि की अतिरिक्त मांग नोटिसें 31.03.2020 तक नहीं भेजी गई है। तथापि, अवधि की रु. 94.40 लाख (31.03.2019 को रु. 123.22 लाख) की ब्याज धनराशि उपार्जित ब्याज में सम्मिलित की गई है, किन्तु देय नहीं है।

टिप्पणी 7.3 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (गैर-वर्तमान/वर्तमान) पर प्रबंध का विवरण

(लाख रु. में)

क्र.स.	विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2019-2020 की अवधि में पीछे से लाए गए/वसूले गए प्रावधान	अंत अवशेष
1.	दण्ड ब्याज	317.99		49.68	268.31
2.	ऋण पर ब्याज – सामान्य ऋण	656.32	-	351.48	304.84
3.	ऋण पर ब्याज – सूक्ष्म वित्त	4.85	-	1.44	3.41
	योग	979.16	-	402.59	576.56
	गत वर्ष	1,029.80	-	50.64	979.16

टिप्पणी 7.4 गत वर्ष संबंधित चैनल सहभागियों के ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध निगम की नीति के अनुसार किया गया है

टिप्पणी 8 अन्य वर्तमान एवं गैर वर्तमान परिसंपत्तियाँ

(लाख रु. में)

क्र.स.	विवरण	31 मार्च, 2020 को		कुल	31 मार्च, 2019 को		कुल
		गैर-वर्तमान	वर्तमान		गैर-वर्तमान	वर्तमान	
(i)	नमूने	-	0.30	0.30	-	0.30	0.30
(ii)	उपदान अथवा अवकाश नकदीकरण हेतु शुद्ध योजनाबद्ध परिसंपत्तियाँ (सन्दर्भ टिप्पणी-14.1)	17.49	20.54	38.03	41.13	1.62	42.75
(iii)	पूर्वदत्त व्यय (टिप्पणी-8.1 देखें)	34.04	32.02	66.06	39.33	60.62	99.95
(iv)	अन्य – उपलब्ध स्टैम्प	-	0.27	0.27	-	0.12	0.12
(v)	पूँजी अग्रिम	19.34	-	19.34	-	-	-
(vi)	आई.जी.एस.टी. सेनवैट	-	2.99	2.99	-	-	-
	योग	70.87	56.12	126.99	80.46	62.65	143.11

टिप्पणी 8.1 पूर्व में भुगतान किए गए कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम या वित्तीय संपत्तियों के अपरिशोधित अंश को उचित मूल्य के बीच अंतर के प्रारम्भिक मान्यता और ऋण के बीच अंतर को प्रदर्शित करता है।

Note 9 Cash and cash equivalent

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
(a) Cash and other Bank Balances		
- Cash in hand	0.00	0.00
(b) Balance with Banks		
- In Saving Accounts	2514.01	6166.07
(c) Other Bank Balance (Grant Funds)		
- Saving Account	4664.46	3772.11
(d) Share Application Money Pending allotment	0.00	0.00
Total	7178.47	9938.18

Note 9.1 Other bank balances represents funds meant for utilisation for training of the target group only as per the terms of the grant and it does not include CSR fund recd. Rs. 173.81 lakh on 07/04/2020.

Note 9.2 Generally recoveries/refunds from borrowing agencies were received last day of the financial year. Therefore, it could not be invested for intended purpose.

Note 10 Bank balances other than cash & cash equivalents

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Bank Deposits		
Term deposits having maturity of 12 months or less	-	-
Share Application Money Pending allotment	-	-
Total	-	-

Note: - 11 Current Tax Asset (Net)

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Income Tax/TDS Receivable	55.71	53.48
Total	55.71	53.48

Note: - 12 Share Capital

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Authorized share capital		
(150,00,000 Equity shares of Rs.1,000/- each) (As at 31st March 2019, 150,00,000 Equity shares of Rs.1,000/- each)	1,50,000.00	1,50,000.00
Issued/Subscribed and Paid up Capital		
(1,44,40,000 Equity shares of Rs.1,000/- each) (As at 31st March 2019, 1,31,40,000 Equity shares of Rs.1,000/- each)	1,44,400.00	1,31,400.00
Total	1,44,400.00	1,31,400.00

Share application money of Rs. 13,000 Lakhs (Previous year Rs. 10,000 Lakhs), pending allotment of share as on 31st March 2020 is Nil. (previous year Rs. 3.000 lakh)

टिप्पणी 9 नकद एवं नकदी समकक्ष

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(क) नकद एवं अन्य बैंक जमा - हाथ में नकद	0.00	0.00
(ख) बैंक के पास अवशेष - बचत खाते में	2514.01	6166.07
(ग) अन्य बैंक अवशेष (अनुदान धनराशि) - बचत खाता	4664.46	3772.11
(घ) आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	0.00	0.00
योग	7178.47	9938.18

टिप्पणी 9.1 अन्य बैंक अवशेष, मात्र अनुदान की शर्तों के अनुसार ही लक्ष्य समूह के प्रशिक्षण के उपयोग के लिए निधि को प्रदर्शित करता है एवं इसमें दिनांक 07.04.2020 तक प्राप्त सी.एस.आर. धनराशि रु. 173.81 लाख सम्मिलित नहीं है।

टिप्पणी 9.2 सामान्यतः वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन उधार लेने वाली एजेंसियों से वसूलियां / वापसी प्राप्त हुई थी। अतः इसका, इच्छित उद्देश्य के लिए निवेश नहीं किया जा सका।

टिप्पणी 10 नकद एवं नकदी समकक्ष के अतिरिक्त बैंक अवशेष

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
बैंक में जमा		
12 माह अथवा कम अवधि की परिपक्वता वाले सावधि जमा आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी 11 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
आयकर/प्राप्य टी.डी.एस.	55.71	53.48
कुल	55.71	53.48

टिप्पणी 12 अंश पूंजी

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
प्राधिकृत अंश पूंजी (रु. 1000/- प्रत्येक के 150,00,000 साम्य अंश) (31 मार्च, 2019 को, रु. 1000/- प्रत्येक के 150,00,000 साम्य अंश)	1,50,000.00	1,50,000.00
निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी (रु. 1000/- प्रत्येक के 1,44,40,000 साम्य अंश) (31 मार्च, 2019 को, रु. 1000/- प्रत्येक के 1,31,40,000 साम्य अंश)	1,44,400.00	1,31,400.00
कुल	1,44,400.00	1,31,400.00

अंश आवेदन राशि रु. 13,000 लाख (गत् वर्ष रु. 10,000 लाख) 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार लंबित अंश आवंटन राशि रु. शून्य (गत् वर्ष रु. 3,000 लाख) है।

Note: - 12.1 Reconciliation of the number of equity shares and share capital**(Rs. in Lakhs)**

Particulars	As at 31st March 2020		As at 31st March 2019	
	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the beginning of the year	13,140,000.00	131,400.00	11,840,000.00	118,400.00
Add: Shares Issued during the year	1,300,000.00	13,000.00	1,300,000.00	13,000.00
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	14,440,000.00	144,400.00	13,140,000.00	131,400.00

Terms & Rights attached to Equity Shares

The Corporation has only one class of equity shares having par value of Rs.1,000 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In terms of Section 8(1)(c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to meet the objectives of the Corporation.

Note: - 12.2 Details of Shares held by shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the company**(Rs. in Lakhs)**

Particulars	As at 31st March 2020		As at 31st March 2019	
	(No's of Shares)	% of holding	(No's of Shares)	% of holding
Equity shares				
Equity shares	14,439,999	99.99%	13,139,999	99.99%
	14,439,999	99.99%	13,139,999	99.99%

Note: - 13 Other Equity**(Rs. in Lakhs)**

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Special Reserve	2,500.00	2,500.00
General Reserve	47,875.32	45,246.78
Retained Earnings	-	-
Share Application Money pending allotment	-	-
	50,375.32	47,746.78

Note 13.1 Special Reserve**(Rs. in Lakhs)**

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Balance as at the beginning of the year	2500.00	2500.00
Add: Profit during the period transfer from General Reserve	-	-
Closing Balance	2,500.00	2,500.00

Note 13.2 General Reserve**(Rs. in Lakhs)**

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Balance as at the beginning of the year	45,246.78	42,453.19
Add: Transferred from Retained earnings	2,628.54	2,793.59
Closing Balance	47,875.32	45,246.78

टिप्पणी 12.1 साम्य अंशों एवं अंश पूंजी की संख्या का मिलान

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)
वर्ष के आरंभ पर निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	13,140,000.00	131,400.00	11,840,000.00	118,400.00
जोड़े: वर्ष के दौरान निर्गत अंश	1,300,000.00	13,000.00	1,300,000.00	13,000.00
वर्ष के अंत में निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	14,440,000.00	144,400.00	13,140,000.00	131,400.00

साम्य अंशों से जुड़े नियम और अधिकार

निगम में साम्य अंशों का केवल एक वर्ग है जिसका मूल्य रु. 1,000 प्रति अंश है। प्रत्येक अंश धारक प्रति अंश एक वोट का हकदार है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (1)(सी) के अंतर्गत निगम लाभांश घोषित नहीं करता है और निगम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यय (अधिशेष) से अधिक की आय को वापस पुनर्नियोजित किया जाता है।

टिप्पणी 12.2 कंपनी के कुल अंशों का 5% से अधिक हिस्सा रखने वाले अंशधारकों का विवरण

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	(अंशों की संख्या)	(धारित का %)	(अंशों की संख्या)	(धारित का %)
साम्य अंश				
भारत के राष्ट्रपति	14,439,999	99.99%	13,139,999	99.99%
	14,439,999	99.99%	13,139,999	99.99%

टिप्पणी 13 अन्य अंश

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
विशेष आरक्षित	2,500.00	2,500.00
सामान्य आरक्षित	47,875.32	45,246.78
प्रतिधारित आय	-	-
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	-	-
	50,375.32	47,746.78

टिप्पणी 13.1 विशेष आरक्षित

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	2500.00	2500.00
जोड़े: सामान्य आरक्षित से अंतरण की अवधि में लाभ	-	-
अंत: अवशेष	2,500.00	2,500.00

टिप्पणी 13.2 सामान्य आरक्षित

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	45,246.78	42,453.19
जोड़े: प्रतिधारित आय से अंतरित	2,628.54	2,793.59
अंत: अवशेष	47,875.32	45,246.78

Note 13.3 Retained Earnings

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add/Less: Depreciation Adjustment (refer note 3.2)	-	(0.09)
Add: Profit during the period transferred from Statement of Income & Expenditure	2,644.78	2,807.61
Add: Other comprehensive income arising from remeasurement of defined benefit obligation	2,644.78 (16.24)	2,807.52 (13.93)
Less : Transferred to General Reserve	(2,628.54)	(2,793.59)
Closing Balance	-	-

Note 13.4 Share application money pending allotment

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Balance as at the beginning of the year	-	3,000.00
Add: Received during the year	13,000.00	10,000.00
Less: Shares allotted during the year	(13,000.00)	(13,000.00)
Closing Balance	-	-

Note 13.5 Special Reserve of Rs 2500 lakhs (Rs 2500 lakhs as at 31.03.2019) kept for meeting capital expenditure on land/building, is not represented by any earmarked investment. Any capital expenditure out of the Special Reserve shall be subject to the approval of the Administrative Ministry

Note 13.6 In terms of Section 8(1) (c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to make disbursement of loan and meet future expenses including administrative expenses. As such, the Surplus has been transferred to General Reserve

Note 13.7 The Corporation is a not for profit entity and its activities for development of the target group through their training & market exposure are in nature of Corporate Social Responsibility (CSR) activities

Note 14 Provisions

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020			As at 31st March 2019		
	Non-Current	Current	Total	Non-Current	Current	Total
(a) Provision for Retirement Benefits to Employees :-						
- Gratuity	-	-	-	25.56	9.59	35.15
- Leave Benefits	-	-	-	-	-	-
- Medical Scheme	-	-	-	-	-	-
Total (a)	-	-	-	25.56	9.59	35.15
(b) Provision for Performance Related Pay :	-	67.58	67.58	-	47.88	47.88
- Managing Director	-	178.68	178.68	-	137.03	137.03
- Other Employees	-	246.26	246.26	-	184.91	184.91
Total (b)	-	492.52	492.52	-	369.82	369.82
(c) Leave Travel Concession	9.10	6.83	15.93	9.41	5.42	14.83
(d) Performance linked incentive Grant to Channel Partners	-	135.29	135.29	-	-	-
(e) House Tax	-	0.00	-	-	0.60	0.60
Total	9.10	388.38	397.48	34.97	200.52	235.49

टिप्पणी 13.3 प्रतिधारित आय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
जोड़े/घटाए: मूल्यहास समायोजन (टिप्पणी 3.2 देखें)	-	(0.09)
जोड़े: आय व्यय विवरण से अंतरण की अवधि में लाभ	2,644.78	2,807.61
	2,644.78	2,807.52
जोड़े: परिभाषित लाभ दायित्व के पुर्नमापन से उत्पन्न अन्य-व्यापक आय	(16.24)	(13.93)
घटाएं : सामान्य आरक्षित को अंतरित	(2,628.54)	(2,793.59)
अंत: अवशेष	-	-

टिप्पणी 13.4 आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	3,000.00
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त	13,000.00	10,000.00
घटाएं: वर्ष के दौरान आवंटित अंश	(13,000.00)	(13,000.00)
अंत: अवशेष	-	-

टिप्पणी 13.5 रु. 2500 लाख (31.03.2019 को रु. 2500 लाख) के विशेष आरक्षित को भूमि/भवन पर पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए रखा गया है, को किसी निश्चित विनिवेश में नहीं दर्शाया गया है। विशेष आरक्षित सहित कोई भी पूंजीगत व्यय प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन की दशा में होगा।

टिप्पणी 13.6 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (1) (सी) के अनुसार, निगम लाभांश घोषित नहीं करता एवं व्यय से आय के आधिक्य को ऋणों का वितरण एवं भविष्य के खर्चों जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित हैं, करने में करता है। इसी प्रकार, आधिक्य को सामान्य आरक्षित में अंतरित किया गया है।

टिप्पणी 13.7 निगम एक लाभकारी संस्था नहीं है और प्रशिक्षण व बाजार में प्रदर्शन के माध्यम से लक्ष्य समूह के विकास के लिए इसके कार्यकलाप निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों की प्रकृति के हैं।

टिप्पणी 14 प्रावधान

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		कुल	31 मार्च, 2019 को		कुल
	गैर-वर्तमान	वर्तमान		गैर-वर्तमान	वर्तमान	
(क) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान :-						
- उपदान	-	-	-	25.56	9.59	35.15
- अवकाश लाभ	-	-	-	-	-	-
- चिकित्सा योजना	-	-	-	-	-	-
योग (क)	-	-	-	25.56	9.59	35.15
(ख) कार्य निष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान :-						
- प्रबन्ध निदेशक	-	67.58	67.58	-	47.88	47.88
- अन्य कर्मचारी	-	178.68	178.68	-	137.03	137.03
योग (ख)	-	246.26	246.26	-	184.91	184.91
(ग) यात्रा अवकाश रियायत	9.10	6.83	15.93	9.41	5.42	14.83
(घ) चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन अनुदान	-	135.29	135.29	-	-	-
(ङ) गृह कर	-	0.00	-	-	0.60	0.60
योग	9.10	388.38	397.48	34.97	200.52	235.49

Note 14.1 Details of provisions

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2019	Additions during the year	Utilized/payments during the year 2019-2020	Written back during 2019-2020	As at 1st April 2020
Gratuity	35.15	(50.26)	-	-	(15.11)
Leave Benefits (refer note no. 7)	(42.75)	19.83	-	-	(22.92)
House tax	-	-	-	-	-
Performance linked incentive	-	135.29	-	-	135.29
Grant to Channel Partners	-	-	-	-	-
Leave Travel Concession	14.83	2.63	1.53	-	15.93
Performance Related Pay	184.91	124.19	50.27	12.57	246.26
Total	192.14	231.68	51.80	12.57	359.45

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2019	Additions during the year	Utilized/payments during the year 2019-2020	Written back during 2019-2020	As at 1st April 2020
Gratuity	62.84	-	-	27.69	35.15
Leave Benefits (refer note no. 7)	(41.87)	-	-	0.88	(42.75)
House tax	0.51	0.09	-	-	0.60
Post Retirement Medical Scheme	-	-	-	-	-
Leave Travel Concession	11.46	14.79	6.82	4.60	14.83
Performance Related Pay	189.28	95.76	90.71	9.42	184.91
Total	222.22	110.64	97.53	42.59	192.74

Note 14.2 Provision for liability towards leave travel concession of Rs.14.83 Lakhs (Rs. 14.83 Lakhs as at 31.03.2019) is made, as per actuarial assessment.

Note 14.3 Provision for performance related pay of Rs. 124.19 (Rs. 95.76 Lakhs as at 31.03.2019) has been made on the basis of 'Excellent rating of all employees, which is based on calculation of raw score on parameters as defined in MOU, which was signed by "Ministry of Social Justice & Empowerment" and Corporation. However, the applicability of rating i.e. from poor to excellent of the employees is related with their individual performances. Any difference in the actual payment on the basis of rating will be adjusted in the year of payment.

Note 14.4 As per clarification received from Department of Public Enterprises vide OM no. 2(14)/12-DPE (WC) -GL-IV/14 dated 07.02.2014 a maximum of 300 days of earned leave can be accumulated at any point of time during the service. Earned leave is encashable during the service, while half pay leave is not encashable during the service or on superannuation. However, on superannuation earned leave plus half pay leave together can be encashed subject to a maximum of 300 days.

Note 14.5 Disclosures as per IndAS - 19 Actuarial Valuation (Gratuity, Leave Benefit)

The Corporation has a defined benefit plan for payment of gratuity to all employees, which is funded with Life Insurance Corporation of India. Every employee who has completed five years or more of service receives gratuity on leaving the Corporation at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service. The present value of obligation determined is based on actuarial valuation using the projected unit credit method.

टिप्पणी 14.1 प्रावधानों का विवरण

(लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2019-2020 के दौरान उपभोग / भुगतान	वर्ष 2019-2020 की अवधि में पीछे से लाए गए	31 मार्च, 2020 को
उपदान	35.15	(50.26)	-	-	(15.11)
अवकाश लाभ (टिप्पणी 7 देखें)	(42.75)	19.83	-	-	(22.92)
गृह कर	-	-	-	-	-
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन अनुदान	-	135.29	-	-	135.29
यात्रा अवकाश रियायत	14.83	2.63	1.53	-	15.93
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	184.91	124.19	50.27	12.57	246.26
कुल	192.14	231.68	51.80	12.57	359.45

(लाख रु. में)

विवरण	1 अप्रैल, 2019 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2019-2020 के दौरान उपभोग / भुगतान	वर्ष 2019-2020 की अवधि में पीछे से लाए गए	31 मार्च, 2020 को
उपदान	62.84	-	-	27.69	35.15
अवकाश लाभ (टिप्पणी 7 देखें)	(41.87)	-	-	0.88	(42.75)
गृह कर	0.51	0.09	-	-	0.60
सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा योजना	-	-	-	-	-
यात्रा अवकाश रियायत	11.46	14.79	6.82	4.60	14.83
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	189.28	95.76	90.71	9.42	184.91
कुल	222.22	110.64	97.53	42.59	192.74

टिप्पणी 14.2 वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर यात्रा रियायत अवकाश रु. 14.83 लाख (31.03.2019 को रु. 14.83 लाख) के दायित्व का प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी 14.3 कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन रु. 124.19 लाख (31.03.2019 को रु. 95.76 लाख) प्रावधान कर्मचारियों की उत्कृष्ट रेटिंग के आधार पर किया गया है, जो मानदण्डों के रा-स्कोर के आगणन पर आधारित हैं, जैसा कि "सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" एवं "निगम" के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में परिभाषित किया गया है। तथापि, रेटिंग की प्रयोज्यता अर्थात्-खराब से उत्कृष्ट कर्मचारियों के व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन से संबंधित है। रेटिंग के आधार पर वास्तविक भुगतान में किसी अंतर का समायोजन भुगतान वर्ष में किया जाएगा।

टिप्पणी 14.4 लोक उद्यम विभाग के का.ज्ञा. सं. 2(14)12-DPE&GL&IV / 14 दिनांक 07.02.2014 के माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार सेवा की अवधि में किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश को एकत्र किया जा सकता है। अर्जित अवकाश सेवा अवधि में नकदीकरण योग्य हैं, जबकि अर्द्ध-वेतन अवकाश सेवा की अवधि में अथवा सेवानिवृत्ति पर भुगतान नहीं किए जा सकते हैं, तथापि, 300 दिनों की अधिकतम सीमा में सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश एवं अर्द्ध-अर्जित अवकाश को साथ-साथ मिलाकर नकदीकरण किया जा सकता है।

टिप्पणी 14.5 वास्तविक मूल्यांकन (उपदान, अवकाश भुगतान) भारतीय लेखाकरण मानक-19 के अनुसार प्रकटन

निगम के पास सभी कर्मचारियों को ग्रेज्युटी के भुगतान के लिए एक परिभाषित लाभ योजना है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जो पांच साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुका है, उसे निगम छोड़ने पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (पिछले आहरित वेतन के अनुसार) उपदान (ग्रेज्युटी) प्राप्त होता है। निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य, अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमाकृत मूल्यांकन पर आधारित है।

Liability for long term employee benefits has been determined by an actuary , appointed for the purpose , in conformity with the principles set out in the Ind AS -19 as prescribed by Companies (IndAs)Rule ,2015.

The summarized position of defined benefits of gratuity and long term leave benefits recognized in the Statement of Income and Expenditure and Balance Sheet along with the funded status (net basis) is as under:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020		As at 31st March 2019	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(I) Key Assumption of actuarial Economic Assumptions	PUC Method		PUC Method	
Discount Rate	6.70%	6.70%	7.65%	7.65%
Salary rise (p.a) *	6%	6%	6%	6%
Expected rate of return on assets	6.70%	6.70%	7.65%	7.65%
Demographic Assumptions				
Employee Turnover	2%	2%	2%	2%
Retirement Age	60 years	60 years	60 years	60 years
* first 10 year 6% & for 1year after 10 year 12%				
(II) Amount Recognized in Statement of Financial Position at Period End				
Defined Benefit Obligation	377.41	297.16	307.48	250.22
Fair Value of Plan Assets	392.52	320.07	272.33	292.96
	(15.11)	(22.91)	35.15	(42.75)
Present Value of Unfunded Defined Benefit Obligation				
Unrecognised Asset due to Asset Ceiling				
Net Defined Benefit (Asset)/Liability Recognized in Statement of Financial Position	(15.11)	(22.91)	35.15	(42.75)
(III) Net Defined Benefit Cost /(Income) included in statement of Profit & Loss at Period End				
Service Cost	14.24	20.07	11.65	16.63
Net Interest Cost	2.87	(2.56)	5.04	(2.91)
Past Service Cost	-	-	-	-
Remeasurements	-	24.76	-	20.63
Administration Expenses	-	-	-	-
(Gain)/Loss due to Settlements /Curtailments	-	-	-	-
Total Defined Benefit Cost /(Income) Included in Profit & Loss	17.11	42.27	16.69	34.34
(IV) Current /Non Current Bifurcation				
Current Benefit Obligation	11.16	9.39	9.59	1.62
Non- Current Benefit Obligation	366.25	287.77	297.89	248.60
(Asset)/Liability Recognized in the Balance Sheet	377.41	297.16	307.48	250.22
(V) Actual return on Plan assets				
Interest Income on Plan Assets	20.83	-	15.97	-
Expected Return on Plan Assets	-	22.41	-	19.67
Remeasurements of Plan assets	15.76	3.73	4.10	0.93
Actual Return on Plan Assets	36.59	26.14	20.07	20.60

जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 द्वारा वर्णित किया गया है भारतीय लेखाकरण मानक-19 में विनिर्धारित सिद्धान्तों के अनुरूप लंबी अवधि के कर्मचारी लाभों का दायित्व बीमांकिक, उद्देश्य हेतु नियत किया गया है।

उपदान के परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति एवं दीर्घावधि अवकाश लाभ आय व व्यय विवरण एवं तुलन-पत्र के साथ-साथ निधित स्थिति (शुद्ध) निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(i) वास्तविक के मुख्य पूर्वानुमान आर्थिक पूर्वानुमान	पी.यू.सी. पद्धति		पी.यू.सी. पद्धति	
छूट दर	6.70%	6.70%	7.65%	7.65%
वेतन बढ़ोत्तरी (वार्षिक)*	6%	6%	6%	6%
परिसंपत्तियों पर वापसी की प्रत्याशित दर	6.70%	6.70%	7.65%	7.65%
जनांकिकी पूर्वानुमान कर्मचारी कारोबार सेवानिवृत्ति आय *पहले 10 वर्षों में 6% एवं 10 वर्षों के बाद 1 वर्ष में 12%	2%	2%	2%	2%
	60 years	60 years	60 years	60 years
(ii) अवधि की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशि				
परिभाषित लाभ बाध्यता	377.41	297.16	307.48	250.22
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	392.52	320.07	272.33	292.96
अनिधित परिभाषिक लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	(15.11)	(22.91)	35.15	(42.75)
परिसंपत्तियों की उच्चतम सीमा के कारण गैर-मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) / वित्तीय स्थिति के विवरण में दायित्व माने गए हैं	(15.11)	(22.91)	35.15	(42.75)
(iii) वर्ष की समाप्ति पर लाभ एवं हानि विवरण में सम्मिलित शुद्ध परिभाषित लाभ लागत / (आय)				
सेवा लागत	14.24	20.07	11.65	16.63
शुद्ध ब्याज लागत	2.87	(2.56)	5.04	(2.91)
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
प्रशासन व्यय	-	24.76	-	20.63
निपटान / कांट-छांट के कारण (प्राप्ति) / हानि	-	-	-	-
लाभ एवं हानि में सम्मिलित कुल परिभाषिक लाभ लागत / (आय)	17.11	42.27	16.69	34.34
(iv) वर्तमान / गैर-वर्तमान विभाजन				
वर्तमान लाभ बाध्यता	11.16	9.39	9.59	1.62
गैर-वर्तमान लाभ बाध्यता	366.25	287.77	297.89	248.60
तुलन-पत्र में लिए गए (परिसंपत्तियां) / दायित्व	377.41	297.16	307.48	250.22
(v) योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी				
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	20.83	-	15.97	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित वापसी	-	22.41	-	19.67
योजना परिसंपत्तियों का पुनः-मापन	15.76	3.73	4.10	0.93
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	36.59	26.14	20.07	20.60

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020		As at 31st March 2019	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(VI) Analysis of Amounts Recognised in Other Comprehensive (Income)/Loss at Period End	PUC Method		PUC Method	
Amount Recognised in OCI Beginning of Period	(15.23)	-	(29.16)	
Remeasurements due to :-				
Effect of Change in financial assumptions	25.31	-	4.12	
Effect of Change in demographic assumptions	0.00	-	(0.18)	
Effect of experience adjustments	6.68	-	14.09	
(Gain)/Loss on Curtailments/settlements				
Return on Plan assets(excluding interest)	(15.76)	-	(4.10)	
Change in asset ceiling				
Total remeasurements recognized in OCI	16.23	-	13.93	
Amount Recognized in OCI	1.01	-	(15.23)	
(VII) Analysis of Amounts Recognised in Remeasurements of the Net Defined Benefit Liability/(Asset) during the Period				
Premeasurements due to :-				
Effect of Change in financial assumptions		16.21		3.82
Effect of Change in demographic assumptions		0.00		(0.16)
Effect of experience adjustments		12.28		17.90
(Gain)/Loss on Curtailments/settlements		0.00		
Return on Plan assets(excluding interest)		(3.73)		(0.93)
Change in asset ceiling				
Total remeasurements recognized (gains)/losses		24.76		20.63
(VIII) Changes in defined Benefit Obligation during the Period				
Defined Benefit Obligations Beginning of period	307.48	250.21	266.79	209.38
Interest cost on DBO	23.70	20.06	21.01	16.76
Current service cost	14.24	19.85	11.65	16.63
Benefit paid (if any)		(21.47)		(14.12)
Benefit paid by the Insurer (if any)	0.00		(10.00)	
Past Service cost	0.00		0.00	
Actuarial (gain)/loss	31.99	28.50	18.03	21.56
Defined Benefit Obligation at the end of the period	377.41	297.15	307.48	250.21
(IX) Change in Fair Value of Plan Assets during the Period				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	272.33	292.96	203.95	251.25
Interest Income on Plan assets	20.83	22.41	15.97	19.67
Contributions	83.61	1.55	58.31	21.11
Benefits paid	0.00	(0.58)	(10.00)	
Actuarial gain/(loss) on plan assets	15.76	3.73	4.10	0.93
Fair Value of Plan Assets at the end of the Period	392.53	320.07	272.33	292.96
(X) Reconciliation of Balance Sheet Amount				
Balance Sheet(Asset)/Liability, beginning of Period	35.15	(42.75)	62.84	(41.87)
Total Charge/(Credit) Recognized in Profit & Loss	17.11	42.27	16.69	34.35
Total Remeasurements Recognized in OC (Income)/Loss	16.24		13.93	
Actual Employer Contribution /benefit Directly paid by the Company	(83.61)	(22.43)	(58.31)	(35.23)
Balance Sheet(asset)/Liability End of Period	(15.11)	(22.91)	35.15	(42.75)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(VI) अवधि समाप्ति पर अन्य व्यापक (आय) / हानि में माने गए धनराशि का विश्लेषण	पी.यू.सी.पद्धति		पी.यू.सी.पद्धति	
अवधि के आरंभ में ओ.सी.आई. में मानी गई धनराशि	(15.23)	-	(29.16)	
पुनः—मापन के कारण:				
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव	25.31	-	4.12	
जनांकिकी पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव	0.00	-	(0.18)	
व्यय समायोजन का प्रभाव	6.68	-	14.09	
निपटान/कांट-छांट के कारण (प्राप्ति)/हानि योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज के अतिरिक्त)	(15.76)	-	(4.10)	
परिसंपत्तियों की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
ओ.सी.आई. में माने गए कुल पुनः मापन	16.23	-	13.93	
ओ.सी.आई. में मान्यता प्राप्त राशि	1.01	-	(15.23)	
(VII) अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित दायित्व / (परिसंपत्ति)के पुनः—मापन में मानी गई धनराशि का विश्लेषण				
पूर्व मापन के कारण				
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन का प्रभाव		16.21		3.82
जनांकिकी अनुमानों में परिवर्तन का प्रभाव		0.00		(0.16)
किए गए समायोजन का प्रभाव		12.28		17.90
कांट-छांट/निपटान पर (प्राप्ति)/हानि		0.00		
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज असम्मिलित)		(3.73)		(0.93)
परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
कुल पुनः मापन में(प्राप्ति)/हानि		24.76		20.63
(VIII) अवधि के दौरान परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	307.48	250.21	266.79	209.38
डी.बी.ओ. पर ब्याज लागत	23.70	20.06	21.01	16.76
वर्तमान सेवा लागत	14.24	19.85	11.65	16.63
भुगतान किए गए लाभ (यदि कोई हो)		(21.47)		(14.12)
बौमाकर्ता (यदि कोई हो) द्वारा प्राप्त लाभ	0.00		(10.00)	
पूर्व सेवा लागत	0.00		0.00	
वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	31.99	28.50	18.03	21.56
अवधि की समाप्ति पर परिभाषित लाभ बाध्यता	377.41	297.15	307.48	250.21
(IX) अवधि के दौरान योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	272.33	292.96	203.95	251.25
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	20.83	22.41	15.97	19.67
अंशदान	83.61	1.55	58.31	21.11
भुगतान किए गए लाभ	0.00	(0.58)	(10.00)	
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति / (हानि)	15.76	3.73	4.10	0.93
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	392.53	320.07	272.33	292.96
(X) तुलन—पत्र धनराशि का मिलान				
अवधि के आरंभ में, तुलन—पत्र (परिसंपत्ति) / दायित्व	35.15	(42.75)	62.84	(41.87)
लाभ एवं हानि में माने गए कुल प्रभार / (क्रेडिट)	17.11	42.27	16.69	34.35
ओ.सी. (आय) / हानि में माने गए कुल पुनः—मापन	16.24		13.93	
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए वास्तविक नियोजित अंशदान लाभ	(83.61)	(22.43)	(58.31)	(35.23)
अवधि के अंत में तुलन—पत्र (परिसंपत्ति) / दायित्व	(15.11)	(22.91)	35.15	(42.75)

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020		As at 31st March 2019	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(XI) Sensitivity Analysis	PUC Method		PUC Method	
Defined Benefit Obligation-Discout Rate+100 base points	(25.32)	(20.07)	(23.11)	(22.31)
Defined Benefit Obligation-Discout Rate - 100 base points	27.52	21.56	24.34	23.23
Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate + 100 base points	18.31	22.54	18.13	19.25
Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate - 100 base points	(17.35)	(21.53)	(16.27)	(18.62)
(XI) Expected Cashflows for the Next Ten Years				
Year - 2021	11.52		-	-
Year - 2022	31.61		-	-
Year - 2023	12.14		-	-
Year - 2024	12.78		-	-
Year - 2025	11.41		-	-
Year - 2026- 2030	226.90		-	-

Note 14.6 Estimates of future salary increase considered in actuarial valuation taken in to account inflation, seniority, promotion and other relevent factors.

Note 15 Other financial liabilities A484:A524

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Amount payable/adjustable to SCA	86.76	0.32
Security deposit & retention money (Unsecured Considerd Good)	7.99	5.43
Grant from government/Financial Institutions	4664.46	3772.11
Sub Total (1)	4759.21	3777.87
Other payables :		
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	339.93	140.22
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (refer note - 41)	1.92	3.41
Sub Total (2)	341.85	143.63
G.Total (1+2)	5101.06	3921.49

Note 15.1 Security Deposit includes deposits received from various vendors/ suppliers for services.

Note 15.2 Corporation received various grnats/funds from administrative ministry for implementing various scheme of minsirty as well asother CPSEs for specific purpose. Corporation has maintained separate account for such funds/grants and it has been shown as liability till the fund is utilized for the purpose it was received. After disbursing the same has been adjusted from the PIA (Project Implementing Agencies) balances.

Note 15.3 During the year an amount of Rs.4,274.06 lakhs (previous year Rs.4,827.96 lakhs) was received from various institutions etc. towards imparting training and stipend. Out of total grants available, Rs. 3602.46 lakhs (Previous year Rs.1,971.29 lakhs) was released to the training institutions and recognised during the financial year as revenue grant.The detail of training grant and subsidy at the beginning, received, refunded, released during the year, and the balance as on 31.03.2020 are as under :

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(XI) संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व—बट्टा दर+100 आधार अंक परिभाषित लाभ दायित्व—बट्टा दर-100 आधार अंक परिभाषित लाभ दायित्व—वेतन प्रसार दर+100 आधार अंक परिभाषित लाभ दायित्व—वेतन प्रसार दर-100 आधार अंक	पी.यू.सी.पद्धति		पी.यू.सी.पद्धति	
	(25.32)	(20.07)	(23.11)	(22.31)
	27.52	21.56	24.34	23.23
	18.31	22.54	18.13	19.25
	(17.35)	(21.53)	(16.27)	(18.62)
(XII) अगले दस वर्षों के लिए प्रत्याशित रोकड़ प्रवाह				
वर्ष -2021	11.52	-	-	-
वर्ष - 2022	31.61	-	-	-
वर्ष - 2023	12.14	-	-	-
वर्ष - 2024	12.78	-	-	-
वर्ष - 2025	11.41	-	-	-
वर्ष - 2026-2030	226.90	-	-	-

टिप्पणी 14.6 भविष्य की वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक मूल्यांकन किया गया है।

टिप्पणी 15 अन्य वित्तीय दायित्व (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
एस.सी.ए. को देय / समायोजन योग्य	86.76	0.32
प्रतिपूर्ति जमा एवं प्रतिधारित राशि (असुरक्षित अच्छे माने गए)	7.99	5.43
सरकार / वित्तीय संस्थानों से अनुदान	4664.46	3772.11
उप योग (1)	4759.21	3777.87
अन्य देय:		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त उधारदाताओं का कुल देय बकाया	339.93	140.22
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल देय बकाया (टिप्पणी 41 देखें)	1.92	3.41
उप योग (2)	341.85	143.63
कुल योग (1+2)	5101.06	3921.49

टिप्पणी 15.1 सुरक्षा जमा में विभिन्न विक्रेताओं / आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त जमा सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 15.2 निगम प्रशासनिक मंत्रालय से विभिन्न अनुदान / निधियाँ मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं साथ ही साथ अन्य सीपीएसईज के विशेष उद्देश्यों से प्राप्त करता है। निगम ने इस प्रकार की निधियों / अनुदान के लिए अलग से खाता तैयार किया है एवं इसे दायित्व के तौर पर दर्शाया गया है, जब तक कि इनका उपयोग उस उद्देश्य हेतु न कर लिया जाए जिसके लिए ये प्राप्त हुए थे। इनका वितरण करने के उपरांत (परियोजनाओं क्रियान्वयन एजेंसी) बकाया में समायोजन किया गया है।

टिप्पणी 15.3 वर्ष की अवधि में विभिन्न संस्थानों इत्यादि से प्रशिक्षण आयोजित करने व छात्रवृत्ति की मद में रु. 4274.06 लाख की धनराशि (गत वर्ष रु. 4827.96 लाख) प्राप्त हुई थी। उपलब्ध कुल अनुदान राशि रु. 3602.46 लाख (गत वर्ष रु. 1,971.29 लाख) की अवमुक्ति प्रशिक्षण संस्थानों को की गई थी एवं इसे वित्तीय वर्ष की अवधि में राजस्व अनुदान के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान एवं 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान, आरंभ में, प्राप्त, वापस, अवमुक्त प्रशिक्षण अनुदान एवं छूट का विवरण निम्नानुसार है:

Particulars	Opening Balance		Receipt During the year		Grand Total			Recognized during the year (Releases)		Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Grant	Interest Income	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest income for intended purpose	Grant	Interest Income	Total
Grants for Training/Stipend												
Ministry of SJ&E (Grant-I) of 17-18 (for Beggars)	122.95	5.68	-	7.47	122.95	13.15	136.10	47.86	-	47.86	13.15	88.24
Ministry of SJ&E (Grant-II) of 18-19 (North Eastern Region)	202.63	9.08	-	4.64	202.63	13.72	216.35	202.63	-	202.63	13.72	13.72
Ministry of SJ&E (Grant-III) of 18-19	629.75	55.84	-	14.99	629.75	70.83	700.58	629.75	-	629.75	70.83	70.83
Ministry of SJ&E (Grant-IV) of 18-19	1,000.00	32.82	-	35.24	1,000.00	68.06	1,068.06	1,000.00	-	1,000.00	68.06	68.06
Ministry of SJ&E (Grant-V) of 18-19 (North Eastern Region)	1,000.00	-	-	62.62	1,000.00	62.62	1,062.62	520.32	-	520.32	62.62	542.30
Ministry of SJ&E (Grant-VI) of 18-19	500.00	-	-	23.89	500.00	23.89	523.89	500.00	-	500.00	23.89	23.89
Ministry of SJ&E (Grant-VII) of 18-19 (Transgender)	100.00	-	-	6.85	100.00	6.85	106.85	-	-	-	6.85	106.85
Ministry of SJ&E (Grant-VIII) of 19-20	-	-	1,500.00	53.64	1,500.00	53.64	1,553.64	306.79	-	306.79	53.64	1246.85
Ministry of SJ&E (Grant-IX) of 19-20 (Transgender) -Training	-	-	75.00	2.69	75.00	2.69	77.69	1.01	-	1.01	2.69	76.68
Ministry of SJ&E (Grant-X) of 19-20 (Drug Demand Reduction)	-	-	150.00	3.89	150.00	3.89	153.89	-	-	-	3.89	153.89
Ministry of SJ&E (Grant-XI) of 19-20 (for Beggars)	-	-	70.00	0.50	70.00	0.50	70.50	-0.00	-	(0.00)	0.50	70.50
Ministry of SJ&E (Grant-XII) of 19-20	-	-	400.00	0.08	400.00	0.08	400.08	-	-	-	0.08	400.08
Ministry of SJ&E (Grant-XIII) of 19-20	-	-	300.00	0.06	300.00	0.06	300.06	-	-	-	0.06	300.06
Ministry of SJ&E (Grant-XIV) of 19-20 (NER)	-	-	1,200.00	1.19	1,200.00	1.19	1,201.19	-	-	-	1.19	1201.19
Ministry of SJ&E (Grant-XV) of 19-20 (Transgender)-Health	-	-	75.00	2.69	75.00	2.69	77.69	14.76	-	14.76	2.69	62.93
Check up oth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Central warehouse Corporation	-	-	39.20	-	39.20	-	39.20	34.08	-	34.08	0.00	5.12
Concor corporation of India Ltd.	31.74	-	52.87	52.87	84.61	-	84.61	63.28	-	63.28	0.00	21.33
Rural Electrification Corporation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
India Trade Promotion Organisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
Power finance Corporation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
Iron International Ltd	11.52	-	-	-	11.52	-	11.52	3.01	8.51	11.52	0.00	0.00
Development Commissioner (Hnadircraft)	15.04	1.47	10.00	0.31	25.04	1.78	26.82	20.50	-	20.50	1.78	6.32
Central Railside Warehouse corporation	3.42	-	-	-	3.42	-	3.42	3.42	-	3.42	0.00	0.00
IFCI Social Foundation	7.93	-	4.29	-	12.22	-	12.22	-	-	-	0.00	12.22
Indian Railway Finance Corporation ltd.	-	-	85.65	-	85.65	-	85.65	65.43	-	65.43	0.00	20.22
Concor Air Ltd	-	-	8.98	-	8.98	-	8.98	8.98	-	8.98	0.00	0.00
Engineers India Ltd.	42.24	-	303.07	-	345.31	-	345.31	172.13	-	172.13	0.00	173.18
Total	3,667.22	104.88	3,772.11	220.74	7,941.28	325.63	8,266.91	3,593.95	8.51	3,602.46	325.63	4,664.46

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान

(लाख रु. में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल योग			वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष			
	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
प्रशिक्षण/छात्रवृत्ति हेतु अनुदान वर्ष 17-18 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-I) (शिखारियाँ हेतु)	122.95	5.68	128.63	-	7.47	7.47	122.95	13.15	136.10	47.86	-	47.86	75.09	13.15	88.24
वर्ष 18-19 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-II) (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	202.63	9.08	211.71	-	4.64	4.64	202.63	13.72	216.35	202.63	-	202.63	0.00	13.72	13.72
वर्ष 18-19 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-III)	629.75	55.84	685.59	-	14.99	14.99	629.75	70.83	700.58	629.75	-	629.75	0.00	70.83	70.83
वर्ष 18-19 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-IV)	1,000.00	32.82	1,032.82	-	35.24	35.24	1,000.00	68.06	1,068.06	1,000.00	-	1,000.00	0.00	68.06	68.06
वर्ष 18-19 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-V)	1,000.00	-	1,000.00	-	62.62	62.62	1,000.00	62.62	1,062.62	520.32	-	520.32	479.68	62.62	542.30
वर्ष 18-19 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-VI)	500.00	-	500.00	-	23.89	23.89	500.00	23.89	523.89	500.00	-	500.00	0.00	23.89	23.89
वर्ष 18-19 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-VII) (दासजंघर)	100.00	-	100.00	-	6.85	6.85	100.00	6.85	106.85	-	-	-	100.00	6.85	106.85
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-VIII)	-	-	-	1,500.00	53.64	1,553.64	1,500.00	53.64	1,553.64	306.79	-	306.79	1193.21	53.64	1246.85
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-IX) (दासजंघर) - प्रशिक्षण	-	-	-	75.00	2.69	77.69	75.00	2.69	77.69	1.01	-	1.01	73.99	2.69	76.68
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-X) (दासजंघर) - प्रशिक्षण	-	-	-	150.00	3.89	153.89	150.00	3.89	153.89	-	-	-	150.00	3.89	153.89
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-XI) (शिखारियाँ हेतु)	-	-	-	70.00	0.50	70.50	70.00	0.50	70.50	-0.00	-	(0.00)	70.00	0.50	70.50
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-XII)	-	-	-	400.00	0.08	400.08	400.00	0.08	400.08	-	-	-	400.00	0.08	400.08
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-XIII)	-	-	-	300.00	0.06	300.06	300.00	0.06	300.06	-	-	-	300.00	0.06	300.06
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-XIV) (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	-	-	-	1,200.00	1.19	1,201.19	1,200.00	1.19	1,201.19	-	-	-	1,200.00	1.19	1,201.19
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-XV) (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	-	-	-	75.00	2.69	77.69	75.00	2.69	77.69	14.76	-	14.76	60.24	2.69	62.93
वर्ष 19-20 के लिए सामाजिक न्याय और अछि, मंत्रालय (अनुदान-XVI) (दासजंघर) स्वास्थ्य जांच अन्य	31.74	-	31.74	39.20	-	39.20	39.20	-	39.20	34.08	-	34.08	5.12	0.00	5.12
केन्द्रीय मण्डारण निगम	-	-	-	52.87	-	52.87	52.87	-	52.87	63.28	-	63.28	21.33	0.00	21.33
कोनकोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
फराल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
इण्डिया टेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	11.52	-	11.52	-	-	-	-	-	-	3.01	8.51	11.52	0.00	0.00	0.00
पावर फाइनेंस कारपोरेशन	15.04	1.47	16.51	10.00	0.31	10.31	25.04	1.78	26.82	20.50	-	20.50	4.54	1.78	6.32
इएकोन इंटरनेशनल लि	3.42	-	3.42	-	-	-	-	-	-	3.42	-	3.42	0.00	0.00	0.00
डेवलपमेंट कमिश्नर हैण्डिक्राफ्ट	7.93	-	7.93	4.29	-	4.29	12.22	-	12.22	-	-	-	12.22	0.00	12.22
केन्द्रीय रेतसाइड मण्डारण निगम	-	-	-	85.65	-	85.65	85.65	-	85.65	65.43	-	65.43	20.22	0.00	20.22
आई.एफ.सी.आई. सोशल फायरडेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इण्डियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लि.	-	-	-	8.98	-	8.98	8.98	-	8.98	8.98	-	8.98	0.00	0.00	0.00
कोनकोर एयर लि.	42.24	-	42.24	303.07	-	303.07	345.31	-	345.31	172.13	-	172.13	173.18	0.00	173.18
इंजीनियरिंग इण्डिया लि	3,667.22	104.88	3,772.11	4,274.06	220.74	4,494.81	7,941.28	325.63	8,266.91	3,593.95	8.51	3,602.46	4,338.83	325.63	4,664.46
योग	3,667.22	104.88	3,772.11	4,274.06	220.74	4,494.81	7,941.28	325.63	8,266.91	3,593.95	8.51	3,602.46	4,338.83	325.63	4,664.46

Note 15.4

During the F.Y 2019-20

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Receipt During the year	Interest Income	Recognized during the year (Releases)	Interest Income/refunds	Refund/ Adjustment	Closing Balance
Grants for Training/Stipend							
Ministry of SJ&E (Grant-I) STIPEND of Rs. 1.92 cr 14-15	112.91	-	-	112.91	-	-	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-II) of 17-18	353.39	-	-	353.39	-	-	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-III) of 17-18	101.35	-	5.43	106.78	-	-	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-IV) of 17-18 (for Beggars)	100.53	50.00	5.68	27.58	-	-	128.63
Ministry of SJ&E (Grant-V) of 18-19 (NER)	-	500.00	9.08	297.37	-	-	211.71
Ministry of SJ&E (Grant-VI) of 18-19	-	1,500.00	55.84	870.25	-	-	685.59
Ministry of SJ&E (Grant-VII) of 18-19	-	1,000.00	32.82	-	-	-	1032.82
Ministry of SJ&E (Grant-VIII) of 18-19 (NER)	-	1,000.00	-	-	-	-	1000.00
Ministry of SJ&E (Grant-IX) of 18-19	-	500.00	-	-	-	-	500.00
Ministry of SJ&E (Grant-X) of 18-19 (TRANSGENDER)	-	100.00	-	-	-	-	100.00
Central warehouse Corporation	-	28.80	-	28.80	-	-	0.00
Concor corporation of India Ltd.	20.90	85.27	-	74.43	-	-	31.74
Rural Electrification Corporation	-	-	-	-	-	-	0.00
India Trade Promotion Organisation	-	-	-	-	-	-	0.00
Power finance Corporation	-	-	-	-	-	-	0.00
Ircon International Ltd	11.52	-	-	-	-	-	11.52
Development Commissioner (Hnadircraft)	65.56	-	1.47	50.52	-	-	16.51
Central Railside Warehouse corporation	-	9.66	-	6.24	-	-	3.42
IFCI Social Foundation	38.96	7.19	-	38.22	-	-	7.93
Engineers India Ltd.	-	47.04	-	4.80	-	-	42.24
Total	805.11	4,827.96	110.32	1,971.29			3,772.11

Note 15.5 During the year, 2018-19 the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-I) of Rs. 50.00 lakhs (2017-18 Rs. 100.00 Lakhs) from the Administrative Ministry for imparting training to the baggars . The Corporation had earned interest of Rs 7.47 Lakhs (Previous Years Rs. 6.21 lakhs) from bank. The Corporation has released Rs 47.86 lakhs (Previous year Rs.27.58 Lakhs). The Corporation stands committed to release grant in next financial year.As per terms of GFR -2017. The Corporation is required to deposite the earning of total interest of Rs. 13.15 Lakhs in consolidated funds of ministry and the same shall be deposited after finalisation of accounts.

Note 15.6 As regards the Grant -II, the Corporation received training grant of Rs. 500.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries during 2018-19. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs 4.64 lakh (Previous Year Rs.9.08 lakh) from bank. The Corporation released entire remaining amount of Rs. 202.63 lakh (2018-19 Rs 297.37 lakh) to the training institutions from the grant and recognized during the year. As per terms of GFR -2017 the Corporation is required to deposite the earning of total interest of Rs. 13.72 Lakhs in consolidated funds of ministry and the same shall be deposited after finalisation of accounts.

Note 15.7 During the year 2018-19, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-III) of Rs. 1500.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs. 14.99 lakhs (Previous Year Rs. 55.84 Lakhs) from bank and released reamaining balance of grant of Rs. 629.75 lakh (Previous year 870.25 Lakhs). As per terms of GFR -2017 the Corporation is required to deposite the earning of total interest of Rs.70.83 Lakhs in consolidated funds of ministry and the same shall be deposited after finalisation of accounts.

टिप्पणी 15.4 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान

(लाख रु. में)

विवरण	आरम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान में प्राप्ति	ब्याज आय	वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)	वापसी / समायोजन	अंत अवशेष
प्रशिक्षण/छात्रवृत्ति हेतु अनुदान						
वर्ष 14-15 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-I) छात्रवृत्ति रु. 1.92 करोड़	112.91	-	-	112.91	-	0.00
वर्ष 2017-18 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-II)	353.39	-	-	353.39	-	0.00
वर्ष 2017-18 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-III)	101.35	-	5.43	106.78	-	0.00
वर्ष 2017-18 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-IV) (भिखारियों हेतु)	100.53	50.00	5.68	27.58	-	128.63
वर्ष 2018-19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-V) (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	-	500.00	9.08	297.37	-	211.71
वर्ष 2018-19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-VI)	-	1,500.00	55.84	870.25	-	685.59
वर्ष 2018-19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-VII)	-	1,000.00	32.82	-	-	1032.82
वर्ष 2018-19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-VIII) (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	-	1,000.00	-	-	-	1000.00
वर्ष 2018-19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-IX)	-	500.00	-	-	-	500.00
वर्ष 2018-19 के लिए सामाजिक न्याय और अधि. मंत्रालय (अनुदान-X) (ट्रांसजेंडर)	-	100.00	-	-	-	100.00
केंद्रीय भण्डारण निगम	-	28.80	-	28.80	-	0.00
कॉन्कोर कार्रपारेशन ऑफ इण्डिया लि.	20.90	85.27	-	74.43	-	31.74
रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन	-	-	-	-	-	0.00
इण्डिया टैड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	-	-	-	-	-	0.00
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन	11.52	-	-	-	-	11.52
इरकॉन इन्टरनेशनल लि0	65.56	-	1.47	50.52	-	16.51
डैवलपमेंट कमिश्नर (हेण्ड्रीक्राट)	-	9.66	-	6.24	-	3.42
केंद्रीय रेलसाइड भण्डारण निगम	38.96	7.19	-	38.22	-	7.93
आई.एफ.सी.आई. सोशल फाउण्डेशन	-	47.04	-	4.80	-	42.24
इंजीनियर इण्डिया लि0	-	-	-	-	-	-
योग	805.11	4,827.96	110.32	1,971.29	-	3,772.11

टिप्पणी 15.5 वर्ष के दौरान निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से भिक्षुओं हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान-I) रु. 50.00 लाख (वर्ष 2017-18 में रु0 100.00 लाख) प्राप्त किए। निगम ने बैंक से रु. 7.47 लाख (गत् वर्ष रु. 6.21 लाख) के ब्याज का उपार्जन किया था। निगम ने रु. 47.86 लाख (गत् वर्ष रु. 27.58 लाख) अवमुक्त किए हैं। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है। जी.एफ.आर. 2017 की शर्तों के अनुसार निगम की उपार्जित कुल ब्याज रु. 13.15 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा करना अपेक्षित है एवं इसे खाते की अंतिम रूप देने के बाद जमा किया जाएगा।

टिप्पणी 15.6 अनुदान-II के संबंध में, वर्ष 2018-19 के दौरान प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रु. 500.00 लाख की प्रशिक्षण अनुदान प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित था। निगम ने रु. 4.64 लाख (गत् वर्ष रु. 9.08 लाख) का ब्याज का उपार्जन किया था। निगम ने वर्ष के दौरान अनुदान की समस्त धनराशि रु. 202.63 लाख (2018-19 में रु. 297.37 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को अवमुक्त कर दी। जी.एफ.आर. 2017 की शर्तों के अनुसार निगम की उपार्जित कुल ब्याज रु. 13.72 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा करना अपेक्षित है एवं इसे खाते की अंतिम रूप देने के बाद जमा किया जाएगा।

टिप्पणी 15.7 वर्ष 2018-19 के दौरान प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान-III) रु. 1500.00 लाख प्राप्त हुए। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित था। निगम ने रु. 14.99 लाख (गत् वर्ष रु. 55.84 लाख) का ब्याज का उपार्जन बैंक से किया है एवं अवशेष अनुदान रु. 629.75 लाख (गत् वर्ष रु. 870.25 लाख) अवमुक्त किया है। जी.एफ.आर. 2017 की शर्तों के अनुसार निगम को उपार्जित ब्याज रु. 70.83 लाख मंत्रालय की संचित निधि में जमा करना अपेक्षित है एवं इसे खाते की अंतिम रूप देने के बाद जमा किया जाएगा।

- Note 15.08** During the year 2018-19, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-IV) of Rs. 1000.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs. 35.24 lakhs (Previous Year Rs. 32.82 Lakhs) from bank .The Corporation has released Rs. 1000.00 Lakhs (Previous year Rs. Nil-) excluding earning of interest . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest deposited of Rs. 68.06 lakhs in consodilated funds of Minaistry after finalisation of the account.
- Note 15.09** During the year 2018-19, the Corporation received Grant in Aid for training (GrantV) of Rs. 1000.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries in North Eastern Region . As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs. 62.62 lakh (Previous Year Rs. nil/-) from bank .The Corporation has released Rs. 520.32 Lakhs (Previous year Rs. Nil-) and stands committed to release reamianing grant in next financial year. As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest to be deposited in consodilated funds of Minaistry after finalisation of the account.
- Note 15.10** During the year 2018-19, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant VI) of Rs. 500.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries . As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs.23.89 lakhs (Previous Year Rs. nil/-) from bank .The Corporation has released Rs.500.00 Lakhs (Previous year Rs. Nil-) . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest to be deposited in consodilated funds of Minaistry after finalisation of the grant account.
- Note 15.11** During the year 2018-19, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant VII) of Rs. 100.00 lakhs from the Administrative Ministry for imparting training of society of transgender . The Corporation had earned interest of Rs. 6.85 lakh (Previous Year Rs. nil/-) from bank .The Corporation has released Rs. NIL (Previous year Rs. Nil-). As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of Interest is to be deposited in consodilated funds of Minaistry after finalisation of the grant account . The Corporation stands committed to release grant in next financial year.
- Note 15.12** During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-VIII) of Rs. 1500.00 Lakhs/- (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs.53.64 Lakhs- (Previous Year Rs. nil/-) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest to be deposited in consodilated funds of Minaistry after finalisation of the grant account The Corporation has released Rs. 306.79 Lakhs (previous year Rs. Nil/-) and recognized during the year. The Corporation stands committed to release grant in next financial year..
- Note 15.13** During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-IX) of Rs. 75.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training of transgender community . The Corporation had earned interest of Rs. 2.69 lakhs (Previous Year Rs. nil/-) from bank . As per terms of GFR 2017, Rule 230 earning of Interest if any is to be deposited in consodilated funds of Minaistry after finalisation of the grant account. The Corporation has released Rs 1.01 Lakh. (previous year Rs. Nil/-) and recognized during the year. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.
- Note 15.14** During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-X) of Rs. 150.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry for organizing training programme of victims of substance abuse under the National Action plan for drug Demand Reduction under National policy on prevention of Alclholism and drug abuse in

- टिप्पणी 15.8** वर्ष 2018–19 के दौरान प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–IV) रु. 1000.00 लाख प्राप्त हुए। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित था। निगम ने बैंक से रु. 35.24 लाख (गत् वर्ष रु. 32.82 लाख) का ब्याज का उपार्जन किया। निगम ने रु. 1000.00 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) जारी किए, ब्याज उपार्जन असम्मिलित। जी.एफ.आर. 2017, नियम 230 की शर्तों के अनुसार खाते को अंतिम रूप देने के बाद उपार्जित ब्याज राशि रु. 68.06 लाख मंत्रालय के संचित में जमा की गई।
- टिप्पणी 15.9** वर्ष 2018–19 के दौरान निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–V) रु. 1000.00 लाख प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित था। निगम ने बैंक से रु. 62.62 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) के ब्याज का उपार्जन किया था। निगम ने रु. 520.32 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) जारी की है तथा अगले वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार खाते को अंतिम रूप देने के बाद उपार्जित ब्याज को मंत्रालय की संचित निधि में जमा किया जाता है।
- टिप्पणी 15.10** वर्ष 2018–19 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–VI) रु. 500.00 लाख प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना अपेक्षित था। निगम ने बैंक से रु. 23.89 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) के ब्याज का उपार्जन किया। निगम ने रु. 500.00 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) की धनराशि जारी की। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार, खाते को अंतिम रूप देने के बाद उपार्जित ब्याज को मंत्रालय की संचित निधि में जमा किया जाना है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- टिप्पणी 15.11** वर्ष 2018–19 के दौरान निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–VII) रु. 100.00 लाख प्राप्त की। निगम ने बैंक से रु. 6.85 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) का ब्याज का उपार्जन किया। निगम ने रु. शून्य (गत् वर्ष रु. शून्य) अवमुक्त किए। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार, खाते को अंतिम रूप देने के बाद उपार्जित ब्याज को मंत्रालय की संचित निधि में जमा किया जाना है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- टिप्पणी 15.12** वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–VIII) रु. 1500.00 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान निगम को करना अपेक्षित है। निगम ने बैंक से रु. 53.64 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) के ब्याज का उपार्जन किया था। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार, खाते को अंतिम रूप देने के बाद उपार्जित ब्याज को संचित निधि में जमा किया जाएगा। निगम ने रु. 306.79 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) जारी किया है एवं इसी वर्ष की अवधि में माना गया है। निगम अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- टिप्पणी 15.13** वर्ष 2019–20 की अवधि में, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–IX) रु. 75.00 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) प्राप्त की। निगम ने बैंक से रु. 2.69 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) का ब्याज का उपार्जन किया। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को मंत्रालय की संचित निधि में खातों को अंतिम रूप देने के बाद जमा करना होगा। निगम ने रु. 1.01 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) जारी किए हैं एवं वर्ष की अवधि में माना गया है। निगम आगामी वर्ष में अनुदान को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- टिप्पणी 15.14** वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से अखिल भारतीय स्तर पर मद्य व्यसन एवं नशीले प्रदार्थ रोकथाम की राष्ट्रीय निति के तहत नशीली दवाओं में कमी हेतु वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत मादक पदार्थों से पीड़ितों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु, प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–X)

pan India. The Corporation had earned interest of Rs. 3.89 Lakhs (Previous Year Rs. nil/-) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest if any is to be deposited in consolidated funds of Ministry after finalisation of the grant account . The Corporation stands committed to release grant in next financial year..

Note 15.15 During the year 2019-20 the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XI) of Rs. 70.00 lakhs (2018-19 NIL) from the Administrative Ministry for imparting training to the baggars. The Corporation had earned interest of Rs 0.50 Lakhs (Previous Years Rs.NIL) from bank . The Corporation has released Rs NIL (Previous year Rs.NIL). The Corporation stands committed to release grant in next financial year.As per terms of GFR -2017 the Corporation is required to deposit the earning of total interest of Rs. 0.50 Lakhs in consolidated funds of ministry and the same shall be deposited after finalisation of grant accounts.

Note 15.16 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XII) of Rs. 400.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries . As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs 0.08 Lakhs (Previous Year Rs. nil/-) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest , if any to be deposited in consolidated funds of Ministry after finalisation of the grant account and shall be deposited in due course. The Corporation stands committed to release grant in next financial year.

Note 15.17 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XIII) of Rs. 300.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries for North Eastern Region . As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs 0.06 Lakhs (Previous Year Rs. nil/-) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest , if any to be deposited in consolidated funds of Ministry after finalisation of the grant account and shall be deposited in due course. The Corporation stands committed to release grant in next financial year..

Note 15.18 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XIV) of Rs.1200.00 Lakhs/- (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry for imparting training to the beneficiaries. As per the terms, the Corporation is required to contribute 10% of its share towards training cost. The Corporation had earned interest of Rs 1.19 Lakh (Previous Year Rs. nil/-) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest , if any to be deposited in consolidated funds of Ministry after finalisation of the grant account and shall be deposited in due course. The Corporation stands committed to release grant in next financial year..

Note 15.19 During the year 2019-20, the Corporation received Grant in Aid for training (Grant-XV) of Rs. 75.00 Lakhs (previous year Rs. nil/-) from the Administrative Ministry for health check up & providing cash assistance for food, sanitizer , masks etc. in backdrop of Covid -19 pandemic rehabilitation of transgender community. The Corporation had earned interest of Rs. 2.69 lakhs (Previous Year Rs. nil/-) from bank . As per terms of GFR 2017 , Rule 230 earning of Interest if any is to be deposited in consolidated funds of Ministry after finalisation of the grant account. The Corporation has released Rs 14.76 Lakh. (previous year Rs. Nil/-) and recognized during the year. The Corporation stands committed to release grant in next financial year..

Note 15.20 As regards to CSR Funds received from Central Warehouse Corporation towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme , received grant of Rs.39.20 lakhs (Previous year of Rs. 28.80 lakhs) . The Corporation has released funds of Rs.34.08 Lakh (previous year Rs. 28.80 Lakh) to training institution for intended purpose and stands committed to release remaining grant in next financial year.

रु. 150.00 लाख प्राप्त की। निगम ने बैंक से रु. 3.89 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) का ब्याज का उपार्जन किया। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को मंत्रालय की संचित निधि में, खाते को अंतिम रूप देने के बाद जमा किया जाएगा। निगम आगामी वर्ष में अनुदान को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.15 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–XI) रु. 70.00 लाख (2018–19 में रु. शून्य) प्राप्त की। निगम ने बैंक से रु. 0.50 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) का ब्याज उपार्जन किया। निगम ने रु. शून्य (गत् वर्ष रु. शून्य) जारी किए। निगम ने आगामी वर्ष में अनुदान राशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है। जी.एफ.आर. 2017 के शर्तों के अनुसार निगम उपार्जित ब्याज रु. 0.50 लाख को मंत्रालय की संचित निधि में खाते को अंतिम रूप देने के बाद जमा करेगा।

टिप्पणी 15.16 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–XII) रु. 400.00 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) प्राप्त की। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% अंशदान करना होता है। निगम ने बैंक से रु. 0.08 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) का ब्याज उपार्जन किया। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान खाते को अंतिम रूप देने के उपरान्त मंत्रालय की संचित निधि में निर्धारित अवधि में जमा करना होगा। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.17 वर्ष 2019–20 के दौरान निगम को प्रशासनिक मंत्रालय से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–XIII) रु. 300.00 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) प्राप्त हुए। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण लागत का 10% का अंशदान करना होता है। निगम ने बैंक से रु. 0.06 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) के ब्याज का उपार्जन किया। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान खाते को अंतिम रूप देने के उपरान्त मंत्रालय की संचित निधि में निर्धारित अवधि में जमा किया जाएगा। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.18 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्रशिक्षण अनुदान (अनुदान–XIV) रु. 1200.00 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) प्राप्त किए। शर्तों के अनुसार निगम को प्रशिक्षण व्यय का 10% का अंशदान करना होता है। निगम को बैंक से रु. 1.19 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) का ब्याज उपार्जन हुआ। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान खाते को अंतिम रूप देने के उपरान्त मंत्रालय की संचित निधि में निर्धारित अवधि में जमा किया जाएगा। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.19 वर्ष 2019–20 के दौरान, निगम को प्रशासनिक मंत्रालय से कोविड-19 की महामारी में ट्रासजेंडर समुदाय के पुनर्वासन, स्वास्थ्य जाँच एवं खाने, सैनेटाइजर, मास्क इत्यादि हेतु नकद सहायता उपलब्ध कराने हेतु अनुदान सहायता (अनुदान–XV) रु. 75.00 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) प्राप्त किए। निगम ने बैंक से रु. 2.69 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) का ब्याज उपार्जन किया। जी.एफ.आर. 2017 के नियम 230 की शर्तों के अनुसार उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को अनुदान खाते को अंतिम रूप देने के उपरान्त मंत्रालय की संचित निधि में निर्धारित अवधि में जमा किया जाएगा। निगम ने रु. 14.76 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) की धनराशि जारी की है एवं इसे वर्ष की अवधि में माना गया है। निगम आगामी वित्तीय वर्ष में अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

टिप्पणी 15.20 केन्द्रीय भण्डारण निगम से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु प्राप्त सी.एस.आर. धनराशि के संबंध में रु. 39.20 लाख (गत् वर्ष रु. 28.80 लाख) प्राप्त हुए। निगम ने रु. 34.08 लाख (गत् वर्ष रु. 28.80) की राशि प्रशिक्षण संस्थानों से इच्छित उद्देश्य हेतु जारी की है तथा आगामी वित्तीय वर्ष में शेष अनुदान राशि को जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।

- Note 15.21** As regards to CSR Funds from Concor Ltd. towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme , received grant of Rs 52.87 lakhs (Previous year of Rs. 85.27 lakhs). The Corporation has released Rs. 63.28 lakhs (previous year Rs.74.43 lakh) to training institution for intended purpose and stands committed to release remaining grant in next financial year.
- Note 15.22** As regards grant from Ircon International Ltd., the Corporation had entered into a Memorandum of Understanding during 2016-17 towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received cumulatively grant of Rs. 30.07 lakh (Rs. 10.08 Lakh in 2016-17 & Rs. 19.99 Lakh in 2017-18). The Corporation has released Rs. 3.01 lakhs (Previous year Rs. 18.55 lakhs) and refunded remaining unutilized fund of Rs. 8.51 lakh during the current financial year.
- Note 15.23** The Corporation had entered into a Memorandum of Understanding with Development Commissioner (Handicrafts) ,Ministry of Textiles for cluster development for upholding explicit identification of handicrafts products and base line survey to the beneficiaries and received during the year Rs.10.00 lakh. (Previous Year Rs.nil/-) . The Corporation earned cumulative interest of Rs 0.31 lakhs for 2019-20 (Previous Year 1.47 lakhs). The Corporation has so far released during the year of Rs.20.50 lakhs (previous year Rs. 50.52 lakh against the remaining funds of Rs. 65.56 Lakh including interest) and stands committed to release remaining grant in next financial year.
- Note 15.24** As regards to CSR Funds received from Central Railside Warehouse Corporation towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme , received grant of Rs nil lakhs (Previous year of Rs.9.66 lakh). The Corporation has released Rs. 3.42 lakhs (Previous year 6.24 lakh) to training institution for intended purpose against which utilisation certificate is pending as on 31/03/2020.
- Note 15.25** During the year 2017-18, the Corporation has entered into a Memorandum of Understanding with IFCI Social foundation towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme and received grant of Rs 4.29 lakh.(Previous year cumulatively Rs. 65.61 lakh). The Corporation has released Rs. nil (Previous year cumulatively Rs. 57.68 lakh) to training institutions ,against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2020.and stands committed to release /refunds of remaining grant in next financial year.
- Note 15.26** As regards to CSR Funds received from Indian Railway Finance Corporation Ltd. towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme , received grant of Rs.85.65 lakhs (Previous year of Rs. nil/-). The Corporation has released Rs. 65.43 lakhs (Previous year nil) to training institutions ,against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2020 and stands committed to release remaining grant in next financial year.
- Note 15.27** As regards to CSR Funds received from Concor Air Ltd. towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme , received grant of Rs 8.98 lakhs (Previous year of Rs.nil /-). The Corporation has released Rs. 8.98 lakh (Previous year nil/-) to training institutions ,against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2020
- Note 15.28** As regards to CSR Funds received from Engineers India Ltd. towards imparting training to the beneficiaries under their Corporate Social Responsibility Scheme , received grant of Rs.303.07 lakhs out of which an amount of Rs. 173.18 lakhs which is taken in to account as per AS26 . (Previous year of Rs. 47.04 lakhs). The Corporation has released remaining of Rs. 172.13 lakhs (Previous year 4.80 Lakhs) to training institutions ,against which utilisation certificate is pending as on 31.03.2020

- टिप्पणी 15.21** कॉनकोर लि. की निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान राशि रु. 52.87 लाख (गत् वर्ष रु. 85.27 लाख) प्राप्त हुए। निगम ने रु. 63.28 लाख (गत् वर्ष रु. 74.43 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को इच्छित उद्देश्य हेतु जारी किए गए एवं आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- टिप्पणी 15.22** इरकॉन इंटरनेशनल लि. की निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निगम ने 2016–17 के दौरान समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था एवं सकल धनराशि रु. 30.07 लाख (2016–17 में रु. 10.08 लाख एवं 19.99 लाख) प्राप्त की थी। निगम ने रु. 3.01 लाख (गत् वर्ष रु. 18.55 लाख) की धनराशि जारी की है एवं अनुपभुक्त धनराशि रु. 8.51 लाख वापस कर दिए गए हैं।
- टिप्पणी 15.23** निगम ने विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय के साथ समूह के हस्तशिल्प उत्पादों के विशिष्ट पहचान को बनाए रखने व लाभार्थियों के बेस लाइन सर्वेक्षण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था एवं वर्ष के दौरान सकल अनुदान रु. 10.00 लाख (गत् वर्ष में रु. शून्य) प्राप्त किए थे। निगम ने वर्ष 2019–20 में रु. 0.31 लाख (गत् वर्ष रु. 1.47 लाख) का सकल ब्याज अर्जित किया है। निगम ने वर्ष के दौरान अब तक रु. 20.50 लाख (अवशेष धनराशि रु. 65.56 लाख जिसमें ब्याज सम्मिलित के सापेक्ष (गत् वर्ष रु. 50.52 लाख जारी किए) तथा अगले वित्तीय वर्ष में शेष अनुदान राशि जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- टिप्पणी 15.24** सी.एस.आर. के संबंध में, सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कॉरपोरेशन से उनकी निगमित सामाजिक दायित्व योजना के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में रु. शून्य (गत् वर्ष रु. 9.66 लाख) प्राप्त किया। निगम ने रु. 3.42 लाख (गत् वर्ष रु. 6.24 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को इच्छित उद्देश्य हेतु जारी किए हैं जिसके सापेक्ष 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण-पत्र लंबित है।
- टिप्पणी 15.25** वर्ष 2017–18 के दौरान, निगम ने निगमित सामाजिक दायित्व योजना के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में आई.एफ.सी.आई. सोशल फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है व रु. 4.29 लाख का अनुदान प्राप्त किया है (गत् वर्ष सकल रु. 65.61 लाख)। निगम ने प्रशिक्षण संस्थानों को रु. शून्य (गत् वर्ष सकल रु. 57.68 लाख) जारी किए हैं, जिसके सापेक्ष 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण-पत्र लंबित है और अगले वित्तीय वर्ष में शेष अनुदान राशि जारी / वापसी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- टिप्पणी 15.26** इण्डियन रेलवे फाईनेंस की निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान राशि रु. 85.65 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) प्राप्त हुए। निगम ने रु. 65.43 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) प्रशिक्षण संस्थानों को इच्छित उद्देश्य हेतु जारी किए हैं जिसके सापेक्ष 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण-पत्र लंबित है एवं आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष धनराशि जारी करने हेतु प्रतिबद्ध है।
- टिप्पणी 15.27** कॉनकोर एयर लि. की निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान राशि रु. 8.98 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) प्राप्त हुए। निगम ने रु. 8.98 लाख (गत् वर्ष रु. शून्य) प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किए एवं जिसके सापेक्ष 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण-पत्र लंबित है।
- टिप्पणी 15.28** इंजीनियर्स इण्डिया लि० की निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान राशि रु. 303.07 लाख प्राप्त हुई जिसमें से रु 173.18 लाख जो कि ए.एस.26 के अनुसार खाते में लिया गया है (गत् वर्ष रु. 47.04 लाख)। निगम ने अवशेष राशि रु. 172.13 लाख (गत् वर्ष 4.80 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों को जारी किए हैं जिसके सापेक्ष 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार उपभोग प्रमाण-पत्र लंबित हैं।

Note 15.29 In Terms of policy earning of interest on unutilized CSR funds are utilized for monitoring and administrative expenses of such grant.

Note 15.30 Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises is net of prior period adjustment (refer note no 41)

Note 16 Other Current & Non - Current liabilities

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
TDS payable	54.84	89.80
GST payable	5.95	
Provident fund payable	10.82	9.65
Pension & Post retirement medical fund	15.58	13.73
Total	87.19	113.19

Note 17 Revenue From Operations

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
a) RENDERING OF SERVICES:		
Interest on Loan and advances (General Loan)	3,497.00	3,104.25
Interest on Loan and advances (Micro Finance)	967.16	969.26
Penal Interest (General Loan)	12.51	1.89
Penal Interest (Micro Finance)	17.43	2.31
Sub Total (a)	4,494.10	4,077.71
b) Other Operating Income		
Provision /Allowances on Loans & Advances written back	301.63	-
Monitoring Cost on CSR Activities	8.38	-
Sub Total (b)	310.01	-
Total (a+b)	4,804.11	4,077.71

Note 17.1 The Corporation has adopted Ind AS -115 (revenue from contract with customers) in accordance with requirement of applicable financial reporting framework, due to adoption of this there is no material impact on financial statement of NBCFDC

Note 17.2 On the basis of annual sanction, Channel Partners can draw required amount of funds as advance which is converted into loan, in full or in part, on the basis of utilization details submitted by the Channel Partners. The advance is required to be converted into loan by the Channel Partners by way of loaning to the eligible beneficiaries under various scheme of the Corporation. the advance is provided to the Channel Partners at applicable interest rate on advances and from the date of its utilization, the interest rate of respective scheme in which funds have been utilized become applicable.

Note 17.3 Interest income on loan advanced/given is recognized on time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable, using Effective Interest Rate method.

Note 17.4 Interest income on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognised as per prevailing rate of interest on advances from the date of advance of funds to a day before to letter date of utilisation of funds by the borrowing agencies

Note 17.5 Interest Income on loans given is recognized on a time proportion basis taking into

टिप्पणी 15.29 पॉलिसी के अनुसार सीएसआर फंडों पर ब्याज आय का उपयोग इस प्रकार की अनुदान की निगरानी और प्रशासनिक खर्चों के लिए किया जाता है।

टिप्पणी 15.30 सूक्ष्म व लघु उद्योगों के अतिरिक्त अन्य देनदारों का कुल बकाया पूर्व अवधि समायोजन का शुद्ध है (टिप्पणी संख्या 41 देखें)।

टिप्पणी 16 अन्य वर्तमान एवं गैर वर्तमान दायित्व (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
टी.डी.एस. देय	54.84	89.80
जी.एस.टी. देय	5.95	
भविष्य निधि देय	10.82	9.65
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा निधि	15.58	13.73
कुल	87.19	113.19

टिप्पणी 17 संचालनों से राजस्व (लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क) सेवाओं का प्रतिपादन:		
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज(सामान्य ऋण)	3,497.00	3,104.25
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	967.16	969.26
दंड ब्याज (सामान्य ऋण)	12.51	1.89
दंड ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	17.43	2.31
योग (क)	4,494.10	4,077.71
ख) अन्य संचालन से आय		
पीछे से लाए गए ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान/अनुमति	301.63	-
सीएसआर गतिविधियों पर निगरानी लागत	8.38	-
योग (ख)	310.01	-
योग (क+ख)	4,804.11	4,077.71

टिप्पणी 17.1 निगम ने भारतीय लेखाकरण मानक-115 (ग्राहकों से अनुबंध से राजस्व) के अनुपालन की आवश्यकतानुसार लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे को अपनाया है, इसके अपनाने के कारण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

टिप्पणी 17.2 वार्षिक स्वीकृति के आधार पर, चैनल सहभागी आवश्यक राशि को अग्रिम के रूप में आहरित कर सकते हैं जो चैनल सहभागियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपभोग प्रमाण-पत्र के आधार पर पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण में परिवर्तित हो जाता है। निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण देकर चैनल सहभागियों द्वारा अग्रिम को ऋण में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। संबंधित योजना की ब्याज दर जिसके लिए धन का उपभोग किया गया है, अग्रिम पर लागू ब्याज दर पर चैनल सहभागियों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई जाती है एवं उसके उपभोग की तिथि से संबंधित योजना जिसमें धनराशि का उपभोग किया गया है, ब्याज दर प्रभावी होती है।

टिप्पणी 17.3 प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय के उस हिस्से में ऋण / ब्याज पर ब्याज आय को माना गया है।

टिप्पणी 17.4 उधार लेने वाली एजेंसियों द्वारा उपभोग करने की तिथि के पत्र से पूर्व उधार लेने वाली एजेंसियों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को अग्रिम लेने की तिथि पर लागू ब्याज आय के रूप में माना गया है।

टिप्पणी 17.5 समय के हिस्से में बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए ऋणों पर ब्याज आय को 'प्रभावी ब्याज

account the amount outstanding and the rate applicable , using effective interest Rate method.

Note 17.6 Interest income on overdue of Loans is recognised as per prevailing rate of interest from the date of overdue to a day before receipt of repayment.

Note 17.7 Accrual of Revenue & Terms of references are as under:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020		As at 31st March 2019	
	Term Loan	Micro Finance	Term Loan	Micro Finance
Interest accrued & due as at beginning of the year	3,886.83	50.36	5125.77	140.45
Add: Interest accrued & due during the year	3,497.00	967.16	3,104.25	969.26
Less: Interest Received during the year	5,282.88	924.16	4,343.18	1,059.35
Less: Adjustment, if any	-	-	-	-
Interest accrued & due as at Balance Sheet Date	2,100.95	93.36	3,886.83	50.36
Penal Interest receivable as at beginning of the year	313.55	3.56	336.26	4.44
Add. Recognized during the year	12.51	17.43	1.89	2.31
Less : Received during the year	12.51	17.43	1.89	2.31
Less: Adjustment, if any	48.80	-	22.71	0.88
Penal Interest receivable as at Balance Sheet Date	264.75	3.56	313.55	3.56

Terms of references:

General Loan includes Education loan ,New Swarnima, Term loan and Micro Finance includes MFS & Mahila Samridhi yojana.

(Rs. in Lakhs)

Particulars	General Loan Scheme			Micro Finance		
	Education Loan	New Swarnima	Term Loan	Micro Finance	Mahila Samridhi	Small Finance
Rate of Interest	1.5%/1.00% *	2%	3%, 4% & 5% \$	2%	1%	3%
Repayment Period	9.5 Year in 20 Quarterly Instt.	8 year in Quarterly Instt.	8 year in Quarterly Instt.	4 year in Quarterly Instt.	4 year in Quarterly Instt.	8 year in Quarterly Instt.
Moratorium Period	4.5 year inclusive of study period of 4 year	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal

* 0.5% rebate on timely repayment of due

\$ 4% interest charged in r/o loan above Rs. 5 lakh to 10 Lakh and 5% on above Rs. 10 Lakh

Penal Interest shall attract @ 1% on default amount.

B. Interest on Advance Fund : Funds are to be utilized within 120 days by SCAs. Banks may claim refinance of outstanding balance under Education loan irrespective of year of loan disbursement. For other schemes refinance can be claimed during current year only. The amount of refinance should be appropriated within 10 working days of drawl from NBCFDC.

Period	ROI
1-120 days	3%
121-180 days	6%
Above 180 days	8%

दर पद्धति' का उपयोग करके आधार पर माना गया है।

टिप्पणी 17.6 ऋण के अतिदेय पर ब्याज पुनर्भुगतान की प्राप्ति से एक दिन पहले अतिदेय की तारीख से ब्याज को मौजूदा दर के अनुसार माना गया है।

टिप्पणी 17.7 राजस्व का संचय एवं कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त
वर्ष के आरंभ में संचित एवं देय ब्याज	3,886.83	50.36	5125.77	140.45
जोड़ें: वर्ष के दौरान संचित ब्याज एवं देय	3,497.00	967.16	3,104.25	969.26
घटाएं: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	5,282.88	924.16	4,343.18	1,059.35
घटाएं: समायोजन, यदि कोई हो	-	-	-	-
तुलन-पत्र की तिथि को संचित एवं देय ब्याज	2,100.95	93.36	3,886.83	50.36
वर्ष के आरंभ पर प्राप्य दण्ड ब्याज	313.55	3.56	336.26	4.44
जोड़ें: वर्ष के दौरान माना गया	12.51	17.43	1.89	2.31
घटाएं: वर्ष के दौरान प्राप्त	12.51	17.43	1.89	2.31
घटाएं: समायोजन, यदि कोई हो	48.80	-	22.71	0.88
तुलन-पत्र की तिथि को प्राप्य पैनेल ब्याज	264.75	3.56	313.55	3.56

कार्य क्षेत्र:

सामान्य ऋण योजना में शैक्षिक ऋण, नई स्वर्णिमा, सावधि ऋण तथा लघु वित्त में सूक्ष्म ऋण योजना एवं महिला समृद्धि योजना सम्मिलित हैं।

(लाख रु. में)

क. विवरण	सामान्य ऋण योजना			सूक्ष्म वित्त		
	शैक्षिक ऋण	नई स्वर्णिमा	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त	महिला समृद्धि	लघु वित्त
ब्याज दर	1.5%/1.00% *	2%	3%, 4% & 5% \$	2%	1%	3%
पुनर्भुगतान अवधि	9.5 वर्ष में 20 तिमाही किस्तें	8 वर्ष में तिमाही किस्तें	8 वर्ष में तिमाही किस्तें	4 वर्ष में तिमाही किस्तें	4 वर्ष में तिमाही किस्तें	8 वर्ष में तिमाही किस्तें
मोरेटोरियम अवधि	4.5 जिसमें 4 वर्षों का अध्ययन समय सम्मिलित है	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां

* समय पर देय का पुनर्भुगतान करने पर 0.5% की छूट

\$ रु. 5 लाख से रु. 10.00 लाख तक के ऋणों पर 4% एवं रु. 10.00 लाख से अधिक के ऋणों पर 5% ब्याज दर प्रभाय चूक की गई धनराशि पर दण्ड ब्याज @ 1% की दर पर होगा।

ख. **अग्रिम धनराशि पर ब्याज:** एस.सी.ए. द्वारा 120 दिनों के भीतर निधियों का उपयोग किया जाना है। बैंक ऋण वितरण के वर्ष को ध्यान में रखे बिना शिक्षा ऋण के तहत बकाया राशि के पुनर्वितीयन का दावा कर सकते हैं। अन्य योजनाओं के लिए पुनर्वितीयन का दावा मात्र चालू वर्ष के दौरान ही किया जा सकता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित पुनर्वितीयन धनराशि का समायोजन 10 कार्य दिवसों में किया जाना चाहिए।

अवधि	ब्याज की दर
1-120 दिन	3%
121-180 दिन	6%
180 दिनों से अधिक	8%

Note 18 Other Income**(Rs. in Lakhs)**

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
a) Interest Income		
Interest on advances to employees	16.10	13.73
Interest subsidy on Education Loan	-	-
Sub Total (a)	16.10	13.73
b) Interest from Banks		
Interest on savings bank	147.10	73.61
Interest on fixed deposits	96.98	594.52
Sub Total (b)	244.08	668.13
c) Other Non-Operating Income		
Miscellaneous income	12.22	2.78
Total (a+b+c)	272.40	684.64

Note 18.1 Interest on short term deposit with banks is recognised from the date of short term deposit to date of maturity on accrual basis as per prevailing rate.

Note 18.2 Interest on loan to employees includes fair value adjustment of Rs. 4.34 Lakhs (Rs. 4.48 lakhs as at 31.03.2019)

Note 18.3 The Corporation has obtained 12 A exemption certificate from Income tax authority for accepting donation for intend purpose to conduct skill development programme for target group of OBC in the month of July'2017 and received Rs. Nil (Previous year Rs. 0.50 lakh) The Corporation has so far released Nil (Previous Year Rs. 0.50 lakh).

Note 19 Allowance for Loans & advances**(Rs. in Lakhs)**

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Allowance for Loans & advances	-	30.32
Total	-	30.32

Note 20 Penal Interest waived off and others**(Rs. in Lakhs)**

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Penal Interest waived off	52.31	43.46
Principal Waived off	2.20	-
Interest Incentive under One time Settlement (OTS)	24.70	169.39
Total	79.21	212.85

टिप्पणी 18 अन्य आय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज आय कर्मचारियों के अग्रिमों पर ब्याज शैक्षिक ऋण पर ब्याज रियायत	16.10 -	13.73 -
उप योग (क)	16.10	13.73
ख) बैंको से ब्याज बचत खाते पर ब्याज सावधि जमाओं पर ब्याज	147.10 96.98	73.61 594.52
उप योग (ख)	244.08	668.13
ग) अन्य गैर-संचालन आय विविध आय	12.22	2.78
योग (क+ख+ग)	272.40	684.64

टिप्पणी 18.1 मौजूदा दरों के अनुसार बैंकों से संक्षिप्त जमाओं पर ब्याज संक्षिप्त अवधि की जमा की तिथि से परिपक्वता की तिथि तक माना गया है।

टिप्पणी 18.2 कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज में रु. 4.34 लाख (31.03.2019 को रु. 4.48 लाख) के उचित मूल्य समायोजन शामिल हैं।

टिप्पणी 18.3 निगम ने जुलाई 2017 के महीने में ओ.बी.सी. के लक्षित समूह के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से दान स्वीकार करने के लिए आयकर प्राधिकरण से 12-ए छूट प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और निगम ने रु. शून्य (गत वर्ष रु. 0.50 लाख) प्राप्त किए हैं। निगम ने अब तक रु. शून्य (गत वर्ष रु. 0.50 लाख) जारी किए।

टिप्पणी 19 ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध	-	30.32
योग	-	30.32

टिप्पणी 20 माफ किया गया दण्ड ब्याज एवं अन्य

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
माफ किया गया दण्ड ब्याज	52.31	43.46
माफ किया गया मूलधन	2.20	-
एकल निस्तारण योजना (ओटीएस) के तहत ब्याज प्रोत्साहन	24.70	169.39
योग	79.21	212.85

Note 21 Employee Benefits Cost**(Rs. in Lakhs)**

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
a) Salary, Wages & Benefits		
- Salary and Allowances	868.92	768.81
b) Contribution to Provident Fund & Other Funds		
- Contribution to Provident and Superannuation Funds	138.92	115.88
c) Staff welfare expenses		
- Leave Travel Concession	2.63	14.79
- Medical Reimbursements /Policies	19.90	17.37
- Others	10.33	8.73
Total	1,040.70	925.59

Note 21.1 Others includes Interest on loan to employees fair value adjustment of Rs. 4.51 Lakhs (Rs. 4.31 lakhs as at 31.03.19)

Note 22 Depreciation & Amortization Costs**(Rs. in Lakhs)**

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Depreciation on Tangible Assets (refer note no. 3)	20.89	19.30
Amortization of Intangible assets (refer note no. 4)	5.00	5.00
Total	25.89	24.30

Note 23 Training and Other Developmental Expenditure**(Rs. in Lakhs)**

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Training Expenditure on Beneficiaries & other developmental expenses	4,031.69	2,211.82
Less- Recognised/released during the year (Refer Note. No. 15.3)	(3,602.46)	(1,971.29)
Sub Total (A)	429.24	240.53
Fair, Exhibitions and Awareness Camps	44.08	31.76
Performance linked Grant in aid (SCAs)	215.48	154.62
Cluster Development Expenses	76.32	17.76
Publicity Grant to SCAs	9.49	9.92
Sub Total (B)	345.37	214.06
Total	774.61	454.59

Note 23.1 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of Rs.12605.19 lakhs (Previous year Rs.8571.71 lakhs) including share of administrative ministry to State Channelising Agencies/ other institutions for imparting training to the target group & officials of SCAs, which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for Rs. 4610.56 lakhs (Previous year Rs.2164.65 lakhs) are awaited as at year end.

Note 23.2 Since there is uncertainty of the amount and time lag in submission of training expenses claims by SSC/Training Institutions and multiple training programmes monitored by them , payments on account of grant from training programmes are

टिप्पणी 21 कर्मचारी लाभ लागत

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क) वेतन, पारिश्रमिक एवं लाभ – वेतन एवं भत्ते	868.92	768.81
ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान – भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	138.92	115.88
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय – यात्रा रियायत अवकाश – चिकित्सा पूर्ति/नीतियाँ – अन्य	2.63 19.90 10.33	14.79 17.37 8.73
योग	1,040.70	925.59

टिप्पणी 21.1 अन्य में कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज का वास्तविक मूल्य समायोजन रु. 4.51 लाख (31.03.19 को रु. 4.31 लाख) सम्मिलित है।

टिप्पणी 22 मूल्यहास एवं परिशोधन लागत

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास (टिप्पणी 3 देखें)	20.89	19.30
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी 4 देखें)	5.00	5.00
योग	25.89	24.30

टिप्पणी 23 प्रशिक्षण एवं अन्य विकासात्मक व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभार्थियों पर प्रशिक्षण व्यय एवं अन्य विकासात्मक व्यय घटाएं- वर्ष के दौरान माने गए/अवमुक्त (टिप्पणी 15.3 देखें)	4,031.69 (3,602.46)	2,211.82 (1,971.29)
उप योग (क)	429.24	240.53
मेलों, प्रदर्शनियों एवं जागरूकता शिविर प्रदर्शन से जुड़ी अनुदान सहायता (रा.चै.ए.) समूह विकास व्यय एस.सी.ए. को प्रचार-प्रसार अनुदान	44.08 215.48 76.32 9.49	31.76 154.62 17.76 9.92
उप योग (ख)	345.37	214.06
योग	774.61	454.59

टिप्पणी 23.1 निगम ने अब तक रु. 12605.19 लाख (गत वर्ष 8571.71 लाख) के संचयी अनुदान को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/अन्य संस्थानों को वितरित किया है जिसमें एस.सी.ए. के लक्षित समूह और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय का अंश शामिल है, जिसे नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभारित किया गया है। वितरित समग्र अनुदान में से रु. 4610.56 लाख (गत वर्ष रु. 2164.65 लाख) के उपभोग प्रमाण-पत्र वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित थे।

टिप्पणी 23.2 चूंकि एस.एस.सी./प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण व्यय के प्रस्तुत दावों में राशि और समय की अनिश्चितता है, एवं उनके द्वारा बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अनुदान के भुगतान को दावों की स्वीकृति के वर्ष/वितरण के वर्ष में व्यय को लिया जाता है।

charged to expenses in the year of acceptance of claim /year of disbursement.

Note 23.3 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of Rs.527.37 lakhs (Previous year 311.89 lakh) to incentivizing the State Channelising Agencies/ other institutions in better delivery mechanism, recoveries of loans and purchase of data processing units etc., which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for Rs 193.79 lakhs (Previous year Rs.167.46 lakhs) are awaited as at year end.

Note 24 Rebate on Interest on Loans & Advances

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Rebate	12.05	9.42
Total	12.05	9.42

Note 24.1 Incentive for Channel Partners as "Rebate on Interest": In order to encourage to channel partners for timely repayment of due, The Corporation has a scheme for them as " Rebate on interest". As per norms, rebate of 0.5% on Education Loan is provided.

Note 25 Other Expenses

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
A. Administrative Expenses		
Auditor Remuneration(Refer Note No-23.1)	1.48	1.48
Repair & Maintenance (Building)	-	0.95
Repair & Maintenance (Equipment & others)	4.69	47.91
Electricity & Water charges	10.58	12.07
Rent	152.41	140.18
Rates & Taxes	0.45	1.95
Insurance	0.98	0.27
Telephone	7.82	7.56
Travelling Expenses -Directors	7.06	4.99
Travelling Expenses -Staffs & others	28.18	24.23
Conveyance	7.67	7.35
Vehicle Running & Maintenance	1.56	1.69
Office Expenses & Maintenance	20.46	6.53
Legal & Professional charges	24.36	114.19
Printing & stationery	10.63	7.61
Advertisement	0.47	1.99
Conference and Meetings	19.24	24.42
Recruitment & Training	4.95	4.70
Monitoring & Evaluation	15.22	-
Security & Other Services Charges	54.52	42.07
Other Expenditure	26.66	20.19
Total	399.39	472.32

टिप्पणी 23.3 निगम ने अब तक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों / अन्य संस्थानों के बेहतर वितरण तंत्र, ऋण की वसूली और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयों इत्यादि की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए रु. 527.37 लाख (गत् वर्ष 311.89 लाख) के संचयी अनुदान को वितरित किया है, जिसे नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभारित किया गया है। वितरित सकल अनुदान में से रु. 193.79 लाख (गत् वर्ष 167.46 लाख) के उपभोग प्रमाण-पत्र वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित थे।

टिप्पणी 24 ऋण एवं अग्रिमों के ब्याज पर छूट

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट	12.05	9.42
योग	12.05	9.42

टिप्पणी 24.1 "ब्याज में छूट" के रूप में चैनल सहभागियों के लिए प्रोत्साहन: चैनल सहभागियों द्वारा पुनर्भुगतान को समय पर करने को प्रोत्साहित करने के क्रम में निगम के पास उनके लिए ब्याज में छूट योजना है। मानकों के अनुसार, शैक्षिक ऋण पर 0.5% छूट प्रदान की जाती है।

टिप्पणी 25 अन्य व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रशासनिक व्यय		
अंकेषकों का पारिश्रमिक (टिप्पणी संख्या-23.1 देखें)	1.48	1.48
मरम्मत एवं रख-रखाव (भवन)	-	0.95
मरम्मत एवं रख-रखाव (उपकरण एवं अन्य)	4.69	47.91
विद्युत एवं पानी का प्रभार	10.58	12.07
किराया	152.41	140.18
दरें एवं कर	0.45	1.95
बीमा	0.98	0.27
टेलीफोन	7.82	7.56
यात्रा व्यय -निदेशक	7.06	4.99
यात्रा एवं व्यय-स्टॉफ एवं अन्य	28.18	24.23
कनवेंश	7.67	7.35
वाहन चालन एवं रख-रखाव	1.56	1.69
कार्यालय व्यय और रख-रखाव	20.46	6.53
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	24.36	114.19
मुद्रण एवं स्टेशनरी	10.63	7.61
विज्ञापन	0.47	1.99
सम्मेलन एवं बैठकें	19.24	24.42
भर्ती एवं प्रशिक्षण	4.95	4.70
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	15.22	-
सुरक्षा एवं अन्य सेवा प्रभार	54.52	42.07
अन्य व्यय	26.66	20.19
योग	399.39	472.32

Note 25.1 Payment to the Auditor

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Auditor Remuneration	1.48	1.48
For other services, in other capacity	0.52	0.52
Out of pocket expenses reimbursed	0.00	0.10
Total	2.00	2.10

Note 26 Components of Other Comprehensive Income (OCI)/ (Expenses)

The disaggregation of changes to OCI by each type of reserve in equity is shown below:-

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Remeasurement of Defined Benefit plans - Gratuity	(16.24)	(13.93)
Total	(16.24)	(13.93)

Note :- 27 Exceptional Items

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
(i) Interest received on Loan to SCA's	-	(173.82)
(ii) Penal Interest Received SCA's	-	(90.03)
(iii) Excess Provision of Performance Incentive written back & other	(12.57)	(9.42)
(iv) Interest received on Income Tax	-	(2.88)
(v) Loss /(Profit) on sale of assets	0.40	(0.10)
(vi) Excess provision on LTC written back	-	(4.60)
(vii) Liquidated damages (Civil/ Other) work	-	(1.52)
(viii) Arbitration fee recoverable	-	(22.13)
(ix) Leave Encashment Expenses written off	(0.58)	-
Total	(12.75)	(304.49)

Note 27.1 During the year 2018-19, Odhisa BC Corporation has repaid their overdues amounting to Rs. 1568.81 lakhs alongwith interest @12% from 01/10/17 to 20/03/19 on Rs. 1333.74 lakh in terms of decision of Hon'ble High Court which amounting to Rs. 263.51 lakh.

Note :- 28 Corporate Social Responsibilities (CSR) Expenses

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Direct Expenses	105.64	124.20
Overheads	6.99	5.66
Total	112.63	129.86

टिप्पणी 25.1 अंकेक्षक को भुगतान

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अंकेक्षक पारिश्रमिक	1.48	1.48
अन्य सेवाओं के लिए, अन्य क्षमता में फुटकर व्यय की प्रतिपूर्ति	0.52	0.52
	0.00	0.10
योग	2.00	2.10

टिप्पणी 26 अन्य व्यापक आय के तत्व (ओ.सी.आई)/ (व्यय)

अंश पूंजी में प्रत्येक प्रकार के आरक्षित द्वारा ओ.सी.आई में परिवर्तनों का अ-एककीरण नीचे दिखाया गया है:-

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
पारिभाषिक लाभ योजना का पुनःमापन - उपदान	(16.24)	(13.93)
योग	(16.24)	(13.93)

टिप्पणी 27 असाधारण मदें

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) रा.चै.ए. से ऋण पर प्राप्त ब्याज	-	(173.82)
(ii) रा.चै.ए. से प्राप्त दण्ड ब्याज	-	(90.03)
(iii) पीछे से लाया गया कार्य निष्पादन प्रोत्साहन के आधिक्य का प्रावधान और अन्य	(12.57)	(9.42)
(iv) आयकर पर प्राप्त ब्याज	-	(2.88)
(v) परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि / (लाभ)	0.40	(0.10)
(vi) पीछे से लाए गए एल.टी.सी. पर आधिक्य का प्रावधान	-	(4.60)
(vii) परिनिर्धारण कार्य क्षति (सिविल अन्य)	-	(1.52)
(viii) प्राप्य आर्बिट्रेशन शुल्क	-	(22.13)
(ix) पीछे से लाए गए अवकाश नकदीकरण व्यय	(0.58)	-
योग	(12.75)	(304.49)

टिप्पणी 27.1 वर्ष के 2018-19 दौरान ओडीसा बी.सी. कॉर्पोरेशन ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में दिनांक 01/10/17 से 20/03/2019 तक रु. 1333.74 पर 12% की दर से ब्याज राशि रु. 263.51 लाख सहित बकाया धनराशि रु. 1568.81 लाख के बकाया का भुगतान कर दिया है।

टिप्पणी 28 निगमित सामाजिक दायित्व व्यय

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रत्यक्ष व्यय	105.64	124.20
ओवरहेड्स	6.99	5.66
योग	112.63	129.86

Note 28.1 Disclosure in respect of CSR Expenses :

Expenditure related to Corporate Social Responsibility (CSR) as per Section 135 of The Companies Act, 2013 read with Schedule VII thereof:

a. Detail of amount required to be spent

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Average surplus/profit of the last three years	2,440.49	2,311.81
Un-spent amount as at Beginning of the Year	29.45	167.84
Gross Amount required to be spent during the year (2% of above 1)	48.81	46.24
Amount Spent during the year	112.63	129.86
Amount considered during the year	-	54.77
Un-spent amount as at Year End	(34.37)	29.45

b. No provision has been made for CSR Expenses during the year. The income earned, if any incidentally to the CSR projects have been netted off from the CSR expenses.

Note: 29 Earnings per share (EPS)

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Basic EPS		
From continuing operation	19.20	22.19
Diluted EPS		
From continuing operation	19.10	21.86

Note 29.1 Basic Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share:-

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Profit attributable to equity holders of the company: Continuing operations	2644.78	2807.61
Earnings used in calculation of Basic Earning Per Share	2644.78	2807.61
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	137.77	126.54

Note :- 29.2 Diluted Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Profit attributable to equity holders of the company: Continuing operations	2644.78	2807.61
Earnings used in calculation of diluted Earning Per Share from continuing operations	2644.78	2807.61

टिप्पणी 28.1 निगमित सामाजिक दायित्व के संबंध में प्रकटन:

निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित व्यय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 जो उसकी अनुसूची VII के साथ पठनीय है, के अनुसार हैं।

क. व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
गत तीन वर्षों का औसत आधिक्य / लाभ	2,440.49	2,311.81
वर्ष के आरंभ में व्यय न की गई धनराशि	29.45	167.84
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल धनराशि (उपरोक्त 1 का 2%)	48.81	46.24
वर्ष के दौरान व्यय की गई धनराशि	112.63	129.86
वर्ष के दौरान विचारार्थ धनराशि	-	54.77
वर्ष की समाप्ति पर व्यय न की गई धनराशि	(34.37)	29.45

ख. वर्ष के दौरान सी.एस.आर. व्यय हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया। आय, यदि कोई हो, सी.एस.आर. परियोजनाओं के लिए किसी भी आकस्मिक खर्च को सी.एस.आर. खर्चों से हटाया गया है।

टिप्पणी 29 प्रति अंश अर्जन(ई.पी.एस.)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति अंश मूल्य आय		
सतत् संचालन से	19.20	22.19
तनुकृत प्रति अंश अर्जन		
सतत् संचालन से	19.10	21.86

टिप्पणी 29.1 प्रति अंश मूल आय

प्रति अंश मूल आय के आगणन से आय एवं भारित साम्य अंशों का उपयोग किया गया है:-

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कम्पनी के अंशधारकों के आरोप्य लाभ सतत् संचालन	2644.78	2807.61
प्रति अंश मूल आय के आगणन में प्रयुक्त आय	2644.78	2807.61
प्रति अंश आय मूल के उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार	137.77	126.54

टिप्पणी 29.2 तनुकृत प्रति अंश आय

प्रति अंश तनुकृत आय के आगणन में प्रयुक्त साम्य अंशों का औसत भार एवं आय:-

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के अंशधारकों को आरोप्य लाभ: सतत् संचालन	2644.78	2807.61
सतत् संचालन से प्रति अंश तनुकृत आय के आगणन प्रयुक्त	2644.78	2807.61

The weighted number of equity shares for the purpose of diluted earning per share reconciles to the weighted average number of equity share used in calculation of basic earning per share as follows

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	137.77	126.54
Effect of Dilution :		
Share Application money pending allotment	0.73	1.90
Weighted average number of shares for the purpose of Diluted earnings per share	138.50	128.44

An amount of Rs. 4540 Lakhs (Rs. 2540 Lakhs dated 03.04.2020 & Rs. 2000 Lakhs dt. 24.06.2020) (Rs. 2600 Lakhs dated 30.04.2019) received as share application money and and issue share certificate 254000 during 2020-21 (260000 share during 2019-20)

Notes :- 30

Note 30.1 Related Party Disclosures (Key managerial personnel)

- (a) Mr. K Narayan, Managing Director
- (b) Mr. Arvind Kathuria, Sr. General Manager (Planning)
- (c) Mr. Ajit Kumar Samal, Company Secretary & GM (Finance)
- (d) Mr. V. R. Charry, General Manager (HR & Personal)
- (e) Ms. Anupma Sood, General Manager (Project)
- (f) Mr. Suresh Kumar, Dy. General Manager (SD)

Nature & volume of transactions with key management personnel during the year

Note 30.2 Compensation of Key Management Personnel

(Rs. in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Short Term Benefits (Salaries/PRPetc.)	270.08	258.71
Medical	1.31	1.04
Post Retirement Benefits (provision)	6.45	34.11
Others (Reimb.)	2.22	17.42
Sub Total (1)	280.06	311.28
Loan to related party:		
Loan given during /at the end of the year	35.91	40.32
Interest	15.20	14.26
Repayment during the year	12.03	11.13
Sub Total (2)	39.08	43.45
Amount owned by related parties at end of the year (1+2)	319.14	354.73

प्रति अंश तनुकृत आय अर्जित करने के उद्देश्य से साम्य अंशों की भारित संख्या, प्रति अंश मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली साम्य अंश की भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का प्रति अंश औसत भार	137.77	126.54
तनुकृत का प्रभाव:		
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	0.73	1.90
प्रति अंश तनुकृत आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार	138.50	128.44

अंश अनुप्रयोग राशि रु. 4540 लाख (दिनांक 3.4.2020 को रु. 2540 लाख एवं दिनांक 24.06.2020 को रु. 2000 लाख) (दिनांक 30.04.2019 को रु. 2600 लाख) अंश अनुप्रयोग राशि के रूप में प्राप्त हुई एवं वर्ष 2020-21 में 254000 अंश प्रमाण-पत्र जारी किए गए (वर्ष 2019-20 में 260000)।

टिप्पणी 30

टिप्पणी 30.1 संबंधित पक्ष प्रकटन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक)

- (क) श्री के नारायण, प्रबन्ध निदेशक
 (ख) श्री अरविंद कथूरिया, वरि. महाप्रबन्धक (योजना)
 (ग) श्री अजित कुमार सामल, महाप्रबन्धक(वित्त) एवं कम्पनी सचिव
 (घ) श्री वी.आर. चारी, महाप्रबन्धक (मा.स.-प्रशासन)
 (ङ.) श्रीमती अनुपमा सूद, महाप्रबन्धक (परियोजना)
 (च) श्री सुरेश कुमार, उप महाप्रबन्धक (कौशल विकास)
 वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन की प्रकृति एवं मात्रा

टिप्पणी 30.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारितोषिक

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संक्षिप्त अवधि के लाभ (वेतन/कार्यनिष्पादन संबंधी इत्यादि)	270.08	258.71
चिकित्सा	1.31	1.04
सेवानिवृत्ति के पश्चात लाभ (प्रावधान)	6.45	34.11
अन्य (प्रतिपूर्ति)	2.22	17.42
उप योग (1)	280.06	311.28
संबद्ध पार्टी ऋण:		
वर्ष के दौरान/अंत तक दिए गए ऋण	35.91	40.32
ब्याज	15.20	14.26
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	12.03	11.13
उप योग (2)	39.08	43.45
समाप्त वर्ष पर संबद्ध पार्टी द्वारा स्वीकृति धनराशि (1+2)	319.14	354.73

"Director sitting fees of Rs. 57204/-including GST (previous year Rs. 60000/-) has been paid to two Non - Official Independent Directors) (refer note no 25)"

Total Compensation paid as per the guidelines of Deptt. Of Public Enterprises (DPE) TA/DA is paid /payble in normal course of business and paid on same terms which are applicable to other employees.

Note 30.3 Transaction with the Government Related Entities

"Apart from transactions reported above, the Corproation has transactions with other Government realated entities, which includes but not limited to the following :-"

"Name of Government : Government of India through Ministry of Social Justice and Empowerment (Significant influnce over Corporation)."

Certain Significant Transactions:

(Rs. in Lakhs)

Party	Nature of Transaction	For the Year Ended 31st March 2020	For the Year Ended 31st March 2019
Ministry of Social Justice and Empowerment	Receipt towards Equity Share Capital during the year	13,000.00	10,000.00
Ministry of Social Justice and Empowerment	Receipt of Grant in Aid towards implementation of Skill Development Programme during the year	3,770.00	4,650.00
Ministry of Social Justice and Empowerment	Reibursement of expenses of organizing events	-	107.70
Total		16,770.00	14,757.70

Note :- 30.4 Related Parties held equity of the Corporation

Name of Party	Relationship	For the Year Ended 31st March 2020		For the Year Ended 31st March 2019	
		Number of share held	% holding in that class of shares	Number of share held	% holding in that class of shares
President of India	Shareholder	144400000	99.9%	131400000	99.9%

An amount of Rs. 4540 Lakhs(Rs. 2540 Lakh dated 03.04.2020 & Rs. 2000 Lakhs on 24 June, 2020)(Rs. 2600 Lakhs dated 30.04.2019) received as share application money and and issue share certificate 2540000 during 2020-21 (2600000 share during 2019-20)

Note 31 Capital management

Note 31.1 The company objective to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that company can continue to provide maximum returns to share holders and benefit to other stake holders.

Further, company manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. As on 31st March 2020 company does not have any liability towards borrowings. Company manages its working capital requirement through internal accruals.

Note 31.2 Following changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended 31 March 2020 :

- i) Recognition of Corproate Social Responsibilites (CSR) expenses from utiliztion to disbursement.
- ii) Some other category of target group has been added in objective clause.

दो गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक बैठक शुल्क रु. 57204 / - (गत् वर्ष 60000 / -) का भुगतान किया गया (टिप्पणी सं. 25 देखें)।

कुल प्रतिपूर्ति का भुगतान लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार किया गया है।

यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता का भुगतान सामान्य व्यावसायिक अवधि में उन्हीं शर्तों के अनुसार किया गया / देय है जो अन्य कर्मचारियों पर लागू है।

टिप्पणी 30.3 सरकार से संबंधित कंपनियों के साथ लेन-देन

ऊपर बताए गए लेनदेन के अतिरिक्त, निगम ने सरकार से संबंधित अन्य संस्थाओं के साथ लेन-देन किया है, जो सम्मिलित है, किन्तु निम्नलिखित के लिए सीमित नहीं है:

सरकार का नाम: भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार (निगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव)

कुछ महत्वपूर्ण लेन-देन

(लाख रु. में)

पक्ष	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	वर्ष के दौरान साम्य अंश पूंजी के रूप में प्राप्त	13,000.00	10,000.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	वर्ष के दौरान कौशल विकास योजना क्रियान्वयन के लिए प्राप्त अनुदान सहायता	3,770.00	4,650.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	कार्यक्रमों के आयोजन के खर्चों की प्रतिपूर्ति	-	107.70
योग		16,770.00	14,757.70

टिप्पणी 30.4 निगम के साम्य अंश धारित संबद्ध पार्टी

पार्टी का नाम	संबंध	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
		धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग के अंशों को धारित का %	धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग के अंशों को धारित का %
भारत के राष्ट्रपति	अंशधारक	144400000	99.9%	131400000	99.9%

रु. 4540 लाख (दिनांक 3.4.2020 को रु. 2540 लाख एवं दिनांक 24.06.2020 को रु. 2000 लाख) (दिनांक 30.04.2019 को रु. 2600 लाख) अंश अनुप्रयोग राशि के रूप में प्राप्त हुई एवं वर्ष 2020-21 की अवधि में 2540000 के अंश प्रमाण-पत्र जारी किए (वर्ष 2019-20 में 2600000)

टिप्पणी 31 पूंजी प्रबंधन

टिप्पणी 31.1

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को इस तरह से प्रबंधित करने को सुनिश्चित करना है कि उसकी सामर्थ्य को आगे चलते रहने के आधार पर सुरक्षित करना है जिससे कंपनी के अंश धारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान कर सके।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक स्थितियों में परिवर्तनों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं में समायोजन परिवर्तनों के दृष्टिगत करती है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास उधारी की कोई देयता नहीं है। कंपनी आंतरिक संभूति के माध्यम से अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का प्रबंधन करती है।

टिप्पणी 31.2

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंध के लिए उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रिया में निम्न परिवर्तन किए गए हैं

- I) वितरण के उपभोग के लिए निगमित सामाजिक दायित्व व्यय की मान्यता।
- II) उद्देश्य के परिच्छेय में कुछ अन्य श्रेणियों के लक्षित वर्ग सम्मिलित किए गए हैं।

Note :- 32 Fair Value measurements

(i) The Carrying Value of Financial Instruments by categories are as follow:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020			As at 31st March 2019		
	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost
Financial Assets						
(i) Cash and Cash Equivalents	-	-	7,178.47	-	-	9,938.18
(ii) Other Bank balances	-	-	-	-	-	-
(iii) Security Deposits	-	-	5.67	-	-	4.43
(iv) Other Financial Assets	-	-	3,075.29	-	-	4,209.23
(vi) Loans	-	-	189,675.62	-	-	168,820.82
(vi) Staff Loans & advances	-	-	163.66	-	-	156.72
Total Financial Assets	-	-	200,098.71	-	-	183,129.39
Financial Liabilities						
(i) Other financial liabilities	-	-	5,101.06	-	-	3,921.49
Total Financial Liabilities	-	-	5,101.06	-	-	3,921.49

(ii) Fair value of financial assets and liabilities that are measured at fair value (but fair value disclosure are required)

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020		As at 31st March 2019	
	Carrying Value	Fair Value	Carrying Value	Fair Value
Financial Assets				
(i) Loans	189,675.62	189,675.62	168,820.82	168,820.82
(ii) Staff Loans & advances	163.66	140.80	156.72	148.86
Total Financial Assets	189,839.28	189,816.42	168,977.54	168,969.68

- i) The carrying amounts of cash and cash equivalents, other bank balances, security deposits, Other Receivables and payables are considered to the same as their fair values, due to short term nature.
- ii) The fair value of "Loans to employees" were calculated based on cash flows discounted using current market rate. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.
- iii) For financial assets and Liabilities that are measured at fair value, the carrying amount are equal to the fair values.

Fair Value hierarchy

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

Level 2- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived form prices)

Level 3- Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs)

The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilities measured at amortised cost:-

टिप्पणी 32 उचित मूल्य माप

(i) श्रेणियों में वित्तीय साधनों का धारित मूल्य निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
	एफ.वी.टी.पी. एल.	एफ.वी.टी.ओ. सी.आई.	परिशोधित लागत	एफ.वी.टी.पी. एल.	एफ.वी.टी.ओ. सी.आई.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	7,178.47	-	-	9,938.18
(ii) अन्य बैंक अवशेष	-	-	-	-	-	-
(iii) सुरक्षित जमा	-	-	5.67	-	-	4.43
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	3,075.29	-	-	4,209.23
(v) ऋण	-	-	189,675.62	-	-	168,820.82
(vi) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	-	-	163.66	-	-	156.72
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	200,098.71	-	-	183,129.39
वित्तीय दायित्व						
(I) अन्य वित्तीय दायित्व			5,101.06			3,921.49
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	5,101.06	-	-	3,921.49

(ii) उचित मूल्य पर मापा गया वित्तीय संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य (लेकिन उचित मूल्य प्रकटीकरण आवश्यक है)।

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2020 को	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(I) ऋण	189,675.62	189,675.62	168,820.82	168,820.82
(II) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	163.66	140.80	156.72	148.86
कुल वित्तीय दायित्व	189,839.28	189,816.42	168,977.54	168,969.68

- I) अल्पावधि प्रकृति के कारण नकदी और नकद समकक्षों का धारित मूल्य, अन्य बैंक अवशेष, सुरक्षा जमा, अन्य प्राप्तियों और देनदारी को उनके उचित मूल्यों के समान माना गया है।
- ii) 'कर्मचारियों को ऋण' का उचित मूल्य मौजूदा बाजार दर का उपयोग करके आगणन किया गया था जो नकदी प्रवाह पर आधारित था। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अप्रभावी इनपुटों को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 में उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iii) वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, धारित धनराशि उचित मूल्य के बराबर है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 – समरूप परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में अंकित मूल्य (बिना समायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में सम्मिलित इनपुट, अंकित मूल्य के अतिरिक्त जो परिसंपत्तियों अथवा उत्तरदायित्वों के लिए प्रेक्षणीय है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्य के रूप में) हों अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्य से उत्पन्न)।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या उत्तरदायित्वों के लिए इनपुट जो कि प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं।

निम्न तालिका में वित्तीय परिसंपत्तियों एवं दायित्वों को उचित मूल्य माप पदानुक्रम को परिशोधन लागत पर मापा गया है व प्रस्तुत किया गया है:

Fair Value hierarchy as on 31-03-2020

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2020	-	-	189,675.61	189,675.61
Loans to employees	31st March 2020	-	-	163.66	163.66
		-	-	189,839.27	189,839.27

Fair Value hierarchy as on 31-03-2019

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2019	-	-	168,820.82	168,820.82
Loans to employees	31st March 2019	-	-	156.72	156.72
		-	-	168,977.54	168,977.54

(iii) Financial risk management

"The Company's principal financial liabilities comprise Grant and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the company's operations and to provide guarantees to support its operation. The Company's principal financial assets include Term/Micro finance loans to SCA's/other entities that derive directly from its equity.

The Company is required to expose market risk, credit risk and liquidity risk. The company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and those financial risks are identified, measured and managed in accordance with the companies policies and risk objectives. The board of directors review and agree on policies for managing each of these risk, which are summarised below:-"

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loan and advances , deposits and other non derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instruments will fluctuate because of change in market interest rate. The company is not exposed to interest rate risk.

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if a counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company's loans receivables from SCA's /RRBs/PSBs and Others. The company is exposed to credit risk from its financial activities of loans given to SCA's /RRBs/PSBs and Others.

The company assesses and manages credit risk based on company's internal policies. The company considers the probability of default upon initial recognition of assets and whether there has been a significant increase in credit risk on an ongoing basis through out each reporting period. To assess whether there is a significant increase in credit risk the company compares the risk of default occurring on the asset as at the reporting date with the risk of default as at the date of initial recognition. It considers available reasonable and supportive forward looking information. Especially the following indicators are incorporated.

- Significant changes in the value of collateral supporting the obligation or in the quality of third party guarantees.

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम

(लाख रु. में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31 मार्च 2020	-	-	189,675.61	189,675.61
कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च 2020	-	-	163.66	163.66
		-	-	189,839.27	189,839.27

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम

(लाख रु. में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31 मार्च 2020	-	-	168,820.82	168,820.82
कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च 2020	-	-	156.72	156.72
		-	-	168,977.54	168,977.54

(iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में अनुदान और अन्य दायित्व सम्मिलित हैं। इन वित्तीय दायित्वों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को वित्त पोषित करना है और इसके संचालन के समर्थन में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए / अन्य संस्थाओं के लिए सावधि / माइक्रो फाइनेंस ऋण शामिल हैं जो सीधे इक्विटी से प्राप्त होते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम को उजागर करना आवश्यक है। कंपनी के वित्तीय जोखिम कार्यकलापों को उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित किया जाता है और जिन वित्तीय जोखिमों की पहचान की जाती है, मापा जाता है और कंपनी की नीति एवं जोखिम उद्देश्यों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है। निदेशक मंडल ने इन सभी जोखिमों जो नीचे संक्षेप में दिए गए हैं, के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा की और सहमत है :

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों का भविष्य के नकद प्रवाह का उचित मूल्य बाजार की कीमतों में परिवर्तनों के कारण कम-ज्यादा होता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर का जोखिम सम्मिलित है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और अग्रिम, जमा और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन सम्मिलित हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में बाजार में ब्याज दर के आधार पर उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी ब्याज दर जोखिम से अवगत नहीं है।

ग) उधार में जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान है, यदि कोई प्रतिपक्ष अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्यरूप से एस.सी.ए. / आर.आर.बी / पीएसबी और अन्य से कंपनी के प्राप्य ऋणों से उत्पन्न होता है। एस.सी.ए. / आर.आर.बी / पीएसबी और अन्य को दिए गए ऋणों के वित्तीय कार्यकलाप से कंपनी को जोखिम का सामना करना पड़ता है।

कंपनी की आंतरिक नीतियों के आधार पर कंपनी क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। कंपनी संपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर चूक की संभावना पर विचार करती है और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सतत आधार क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आकलन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख के अनुसार चूक के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तिथि पर संपत्ति पर होने वाली चूक जोखिम की तुलना करती है। यह उपलब्ध उचित और सहायक अग्रेषित जानकारी उपलब्ध कराने पर विचार करता है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं।

— दायित्व का समर्थन करने वाले या तीसरे पक्ष की गारंटी की गुणवत्ता में संपार्श्विक के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

- Significant changes in the expected performance and behaviors of the borrower (SCA's), including changes in the payments status of the borrowers (SCA's) in the group and changes in the operating results of the borrower (SCA's).

"In general, it is presumed that the credit risk has significantly increased since initial recognition if the payments are due for more than 1 years."

A default on a financial asset is when the counterparty fails to make payments whenever they fall due.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the companies policy. Investment of surplus are made only with approved with counterparty on the basis of the financial quotes received from the counterparty.

d) Liquidity Risk

Ultimate responsibility for liquidity risk management rest with the board of directors the company manages maintaining adequate banking facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and by matching the maturities of financial liabilities.

Note 33 Provision for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2020

(Rs. in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision	
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	Loans	189,174.73	0%	-	189,174.73	
		Interest on Loans	1,794.57	0%	-	1,794.57	
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	Loans	38.52	15%	5.78	32.74	
		Interest on Loans	624.21	25%	156.05	468.16	
			167.75	100%	167.75	-	
			56.64	15%	8.50	48.14	
			57.79	25%	14.45	43.34	
			553.62	100%	553.62	-	
				192,467.83		906.14	191,561.69

Provision for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2019

(Rs. in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision	
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	Loans	168,621.67	0%	-	168,621.67	
		Interest on Loans	3,242.34	0%	-	3,242.34	
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not creditly impaired	Loans	2.93	15%	0.44	2.49	
		Interest on Loans	262.22	25%	65.56	196.67	
			162.61	100%	162.61	-	
			9.51	15%	1.43	8.08	
			34.26	25%	8.57	25.70	
			969.17	100%	969.17	-	
				173,304.71		1,207.77	172,096.94

– उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के अपेक्षित कार्यनिष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसमें समूह में उधारकर्ताओं (एस.सी.ए.) की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के परिचालन परिणामों में परिवर्तन सम्मिलित हैं।

आम तौर पर यह माना जाता है कि यदि भुगतान 1 साल से अधिक समय से देय होता है तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है।

वित्तीय परिसंपत्ति पर चूक तब होती है जब प्रतिपक्ष देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है।

वित्तीय साधन एवं नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ अवशेष राशि को कंपनी की नीति के अनुसार क्रेडिट जोखिम को प्रबंधित किया जाता है। आधिक्य का निवेश प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय दरों के आधार पर प्रतिपक्ष द्वारा अनुमोदन मात्र से किया जाता है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए अंतिम जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की होती है, कंपनी वास्तविक नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान की सतत् निगरानी और वास्तविक नकदी प्रवाह व वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।

टिप्पणी 33 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान

(लाख रु. में)

विवरण	परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियाँ	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान	
	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण ऋणों पर ब्याज	189,174.73 1,794.57	0% 0%	- -	189,174.73 1,794.57
	हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि हुई है और उधारी खराब नहीं हैं	ऋण ऋणों पर ब्याज	38.52 624.21 167.75 56.64 57.79 553.62	15% 25% 100% 15% 25% 100%	5.78 156.05 167.75 8.50 14.45 553.62
			192,467.83		906.14	191,561.69

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान

(लाख रु. में)

विवरण	परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट हानियाँ	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान	
	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण ऋणों पर ब्याज	168,621.67 3,242.34	0% 0%	- -	168,621.67 3,242.34
	हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि हुई है और उधारी खराब नहीं हैं	ऋण ऋणों पर ब्याज	2.93 262.22 162.61 9.51 34.26 969.17	15% 25% 100% 15% 25% 100%	0.44 65.56 162.61 1.43 8.57 969.17
			173,304.71		1,207.77	172,096.94

a) Provisions for Expected Credit Losses of loans and interest thereon, where the amounts are overdue for more than three years and are not covered by the State Government's Order/ Guarantee or any other security "shall be made as per the Probability of default.

Period for which overdue	Probability of default
Upto 1 year	15%
1 to 3 year	25%
More than 3 year	100%

b) Unrealized 'Penal Interest' upto 31/03/2007 has been provided in the financial statement whereas amount pertaining to subsequent period is recognized as and when recognized due to its uncertainty factor.

Note 34 Key sources of estimation uncertainty

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) useful lives of Intangibles

As described in note 2 (j), company has estimated the useful live of intangible Assets

The financial impact of the above assessment may impact the amortisation expenses in subsequent financial years.

b) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial assets and financial liabilities is measured the valuation techniques including the DCF model. The inputs to these method are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments. See Note 32 for further disclosures.

Note 35 Operating Segment reporting

The Corporation has only one Business segment and one Geographical segment, as it is engaged in providing finances at concessional rate of interest to eligible persons belonging to backward classes, through state Channelising agencies and other financial institutions in the country. Hence, segment information as per IndAS is not required to be disclosed.

Note 36 Prior Period Errors

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Impact on equity (increase/(decrease) in equity)		
Trade Payables	(2.88)	0.02
Other current & Non current Provision	-	0.51
Trade Receivables	-	0.30
Other Financial Assets (Current)	(22.13)	(8.96)
Other Financial Liabilities	(1.47)	-
Other current & Non - Current liabilities	1.55	-
Other Recievable (Current)	-	-
Intangible Assets	0.90	-
Property, Plant & Equipment's	0.00	-
Net Impact on Equity	(24.03)	(8.13)

क) जहां पर धनराशि तीन वर्षों से अधिक के लिए बकाया है एवं राज्य सरकारों के आदेश / गारंटी अथवा अन्य सिक्योरिटी में कवर नहीं है, ऋणों एवं उस पर ब्याज की प्रत्याशित क्षति का प्रावधान चूक की संभाव्यता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

अवधि जिसके लिए बकाया है	चूक की संभाव्यता
1 वर्ष तक	15%
1 से 3 वर्ष	25%
3 वर्ष से अधिक	100%

ख) दिनांक 31.03.2007 तक वसूले नहीं गए 'दण्ड ब्याज' का प्रावधान वित्तीय विवरण में किया गया है जबकि पश्चातवर्ती अवधि की धनराशि को अनिश्चितता कारक के कारण जैसे भी और जब भी देय हुआ है, माना गया है।

टिप्पणी 34 अनिश्चितता आकलन के प्रमुख साधन

भविष्य के बारे में प्रमुख धारणाएं निम्नलिखित हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता आकलन का प्रमुख स्रोत हैं जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष के साथ परिसंपत्तियों और उत्तरदायित्व की मात्रा में सामग्री समायोजन करने पर एक उल्लेखनीय जोखिम हो सकता है।

क) अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन

जैसा नोट 2 (जे) में वर्णित है, कंपनी ने अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया है।

उपरोक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव बाद के वित्तीय वर्ष में परिशोधन व्यय पर प्रभाव पड़ सकता है।

ख) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों से मापा जाता है। इन पद्धतियों के लिए इनपुट जहां संभव हो वहां प्रेक्षणीय बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह व्यवहारिक नहीं है, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है। तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट निर्णय में विचार के लिए सम्मिलित होते हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है। प्रकटीकरणों को आगे और देखने के लिए टिप्पणी 32 देखें।

टिप्पणी 35 परिचालन भाग रिपोर्टिंग

निगम में केवल एक व्यापार खंड और एक भौगोलिक भाग (सेगमेंट) है, क्योंकि यह देश में एस.सी.ए. एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है। इसलिए, भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार सेगमेंट जानकारी के प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी 36 पूर्वावधि त्रुटियाँ

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
साम्य अंश पर प्रभाव (साम्य अंश में वृद्धि / कमी)		
देय व्यवसाय	(2.88)	0.02
अन्य वर्तमान एवं गैर-वर्तमान	-	0.51
प्राप्य व्यवसाय	-	0.30
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (वर्तमान)	(22.13)	(8.96)
अन्य वित्तीय देयताएं	(1.47)	-
अन्य वर्तमान एवं गैर वर्तमान देयताएं	1.55	-
प्राप्य अन्य (वर्तमान)	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.90	-
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	0.00	-
साम्य अंश पर शुद्ध प्रभाव	(24.03)	(8.13)

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Impact on statement in Income and Expenditure loss (increase/(decrease) in Surplus)		
Other Expenses	2.28	(0.57)
Employees Benefit Cost	0.29	-
Training & other Developmental Expenditure	0.11	(0.26)
Depreciation & Amortization Costs	0.90	-
CSR expenses	(2.61)	-
Other Developmental Expenses	(2.88)	-
Exceptional Items	(22.13)	-
Interest income on Loan to Channel Partners	-	8.96
Attributable to Equity Holders	(24.03)	8.13
	(24.03)	8.13

Impact on basic and diluted earnings per share (EPS) (increase/(decrease) in EPS)

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Earnings per share for continuing operation		
Basic, profit from continuing operations attributable to equity holders	0.19	0.06
Diluted, profit from continuing operations attributable to equity holders	0.19	0.06

Note 37 Contingent Liabilities /Asset and commitments**Liabilities:**

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Contingent Liabilities and commitments (to the extent not provided for)		
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances, if any) is Nil (Nil as at 31.03.2019).	-	-

Assets:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
Estimated amount on account of and not provided for	-	-

Note 38 In accordance with the approval of the Board, surplus undisbursed funds available with the Corporation are placed periodically in short term deposits with banks whom transaction are made, taking into account the Government guidelines issued from time to time for the purpose and the income generated by this has been ploughed back into the schemes for the welfare of target groups.

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
आय एवं व्यय विवरण पर प्रभाव(आधिक्य में वृद्धि) / (कमी)		
अन्य व्यय		
कर्मचारी लाभ लागत	2.28	(0.57)
प्रशिक्षण एवं अन्य विकास व्यय	0.29	-
अवमूल्यन एवं परिशोधन लागत	0.11	(0.26)
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	0.90	-
अन्य विकासात्मक व्यय	(2.61)	-
असाधारण मर्दे	(2.88)	-
चैनल पार्टनर्स को ऋण पर ब्याज आय	(22.13)	-
	-	8.96
अंश धारकों पर आरोप्य	(24.03)	8.13
	(24.03)	8.13

प्रति शेयर मूल्य एवं तनुकृत आय पर प्रभाव (ई.पी.एस.) में वृद्धि(कमी)

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
सतत् संचालन से प्रति अंश आय		
अंशधारकों पर आरोप्य, सतत् संचालन से लाभ, मूल	0.19	0.06
अंशधारकों पर आरोप्य सतत् संचालन से लाभ, तनुकृत	0.19	0.06

टिप्पणी 37 आकस्मिक दायित्व / संपत्ति और प्रतिबद्धताएँ
दायित्व

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
आकस्मिक दायित्व व प्रतिबद्धताएँ (सीमा तक के लिए प्रावधान नहीं किया गया)		
पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि शून्य है और इसका प्रावधान नहीं किया गया है (शुद्ध अग्रिम यदि कोई हो)। (31.3.2019 को शून्य)	-	-

परिसंपत्ति:

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
आकस्मिक परिसंपत्तियाँ एवं प्रतिबद्धताएँ (सीमा तक के लिए प्रावधान नहीं किया गया)		
खाते पर अनुमानित धनराशि और प्रावधान नहीं किया गया है।	-	-

टिप्पणी 38

इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देश और इसके द्वारा अर्जित आय को ध्यान में रखते हुए निदेशक मण्डल की स्वीकृति के अनुसार, निगम के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों को समय-समय पर उन बैंकों में अल्पावधि जमा में रखा जाता है, जिनसे लेन-देन किया जाता है और इससे सृजित आय को लक्षित समूहों के कल्याण के लिए योजनाओं में प्रयोग किया गया है।

Note 39: The Corporation has waived off penal interest and incentive of interest of Rs. 74.89 lakh (Rs. 212.85 lakh as at 31.03.2019), under One time Settlement Scheme (OTS). As per One Time Settlement Scheme (OTS) of the Corporation borrowers (SCAs/ NGOs and others), who have some overdues and ready to settle the overdues within the 3 months of sanction by NBCFDC. The Corporation will provide waiver of 100% of penal interest receivable as on cut off date. Further, the borrower would be eligible for getting interest incentive @4% on the settlement amount for the period of 9 months separately only after receipt of full repayment of settlement amount. Further an amount of Rs. 4.33 Lakh (Principal Rs. 2.20 Lakh and Rs, 2.13 lakh Interest & P. intt) has also been waived off in r/o one NGO Antotya Chetna Kendra as per court & Board decision. The detail is as under:-

During the Financial Year 2019-20

(Rs. in Lakhs)

Name of Channel Partners/other	For the Year Ended 31st March 2020	Intt./Penal Interst waived off.	Interest Incentive	Recovery Affected (Rs. Cr.)
Rajasthan OBC Dev. Corpo.	25.95	1.24	24.71	23.09
Uttar Pradesh Pichhra Varg	48.93	48.93	-	57.43
VJNT	53.24	-	-	9.25
SUB TOTAL	128.13	50.18	24.71	89.77
Antotya Chetna Kendra	2.13	2.13	-	
Antotya Chetna Kendra (Principal)	2.20	2.20	-	
SUB TOTAL	4.33	4.33	-	-
G. Total	132.46	54.51	24.71	89.77

During the Financial Year 2018-19

(Rs. in Lakhs)

Name of Channel Partners/other	For the Year Ended 31st March 2019	Intt./Penal Interst waived off.	Interest Incentive	Recovery Affected (Rs. Cr.)
Gujrat Backward classes Development Corpo.	108.81	37.46	71.35	23.78
"Maharashtra Rajya Itar Magas Vitta Anii Vikas Nigam"	83.44	-	83.44	27.81
Jammu & Kashmir Sc/ST/BC)	6.87	6.00	0.87	0.42
Orissa Bc. Dev. Corpo	-	-	-	15.69
Punjab BC land dev. Corpo.	13.73	-	13.73	5.62
Total	212.85	43.46	169.39	73.32

Note 40 A property situated at x-29, Hauz Khas, New Delhi was purchased for residential purpose of Managing Director during 1994-95, which is lying vacant since 2014-15 and used for storage and other event purpose except one room. The room is used for official guest of the Corporation who belongs to official of Channel partner of the Corporation when they visit Corporation. The Corporation charges nominal charges for staying period. The said income is nominal & incidental nature. The Corporation is also registered under section 12 AA and gets 80 G certificate from Income Tax Authority. Hence the all incidental income and etc. is exempt from tax. In the opinion of the management the said property is still for residential purpose.

टिप्पणी 39

निगम ने एकल निस्तारण योजना(ओ.टी.एस.) के अंतर्गत दण्ड ब्याज एवं ब्याज प्रोत्साहन रु. 74.89 लाख (31.03.2019 को रु. 212.85 लाख) माफ किया है। निगम को एकल निस्तारण योजना के अनुसार ऋणग्राहियों(रा.चै.ए./एन.जी.ओ. एवं अन्य), जिनपर कुछ बकाया है एवं बकाया के निस्तारण हेतु 3 माह में तैयार हुए निगम सीमा रेखा की तिथि के अनुसार प्राप्त होने वाले दण्ड ब्याज को 100% माफ करेगा। इसके अतिरिक्त 9 माह की अवधि में निस्तारित धनराशि पर पूरी पुनर्भुगतान राशि को प्राप्त होने के बाद ऋणग्राही 4% की दर से ब्याज प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, एक गैर सरकारी संगठन अंत्योदया चेतना केन्द्र के संबंध में रु. 4.33 लाख (मूलधन रु. 2.20 लाख एवं 2.13 लाख ब्याज एवं मूलधन) न्यायालय एवं निदेशक मण्डल के निर्णय के अनुसार माफ किया गया। विवरण निम्नानुसार है:—

वित्तीय वर्ष 2019–20 की अवधि में

(लाख रु. में)

चैनल सहभागियों/अन्य का नाम	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	माफ किया गया ब्याज/दण्ड ब्याज	ब्याज प्रोत्साहन (रु. लाख में)	वसूली प्रभावित (रु. करोड़)
राजस्थान ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	25.95	1.24	24.71	23.09
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	48.93	48.93	-	57.43
वी.जे.एन.टी.	53.24	-	-	9.25
उप योग	128.13	50.18	24.71	89.77
अंत्योदया चेतना केन्द्र	2.13	2.13	-	-
अन्तोदया चेतना केन्द्र (मूलधन)	2.20	2.20	-	-
उप योग	4.33	4.33	-	-
कुल योग	132.46	54.51	24.71	89.77

वित्तीय वर्ष 2018–19 की अवधि में

(लाख रु. में)

चैनल सहभागियों/अन्य का नाम	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	ब्याज/दण्ड ब्याज में छूट	ब्याज प्रोत्साहन	वसूली प्रभावित (रु. करोड़)
गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	108.81	37.46	71.35	23.78
महाराष्ट्र राज्य इतर मगस वित्त एनी विकास निगम	83.44	-	83.44	27.81
जम्मू एवं कश्मीर (एससी / एसटी / बीसी)	6.87	6.00	0.87	0.42
उड़ीसा बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	-	-	-	15.69
पंजाब बी.सी. लैण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	13.73	-	13.73	5.62
योग	212.85	43.46	169.39	73.32

टिप्पणी 40

एक्स-29, हौज खास, नई दिल्ली में स्थित एक संपत्ति 1994–95 के दौरान प्रबंध निदेशक के आवासीय उद्देश्य के लिए खरीदी गई थी, जो 2014–15 से खाली पड़ी है और एक कमरे को छोड़कर भंडारण और अन्य कार्यों के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। निगम के आधिकारिक अतिथि, जो निगम के चैनल सहभागियों के अधिकारी होते हैं जब वे निगम में आते हैं, के लिए कमरे का उपयोग किया जाता है। निगम रहने की अवधि के लिए नाममात्र का शुल्क लेता है। उक्त आय नाममात्र और आकस्मिक प्रकृति की होती है। निगम धारा 12ए, के तहत पंजीकृत है और आयकर प्राधिकरण से 80 जी प्रमाण पत्र प्राप्त है। अतः सभी आकस्मिक आय आदि कर से मुक्त है। प्रबंधन के अनुसार उक्त संपत्ति अभी भी आवासीय उद्देश्य के लिए है।

Note 41 Disclosure required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2020	As at 31st March 2019
(i) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	1.92	3.41
(ii) Interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the year	-	-
(iii) The amount of interest paid along with the amount of payment made beyond the appointed day	-	-
(iv) The amount of interest due and payable for the year	-	-
(v) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of accounting year	-	-
(vi) The amount of further interest due and payable even in the succeeding year, until such date when interest due as above are actually paid.	-	-

Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management .

This has been relied upon by the auditors.

Note 42

Note 42.1 The Corporation has filed legal cases against the defaulting Channel Patners/ NGOs and there is no case the Corporation has any obligation of any payments

Note 42.2 The Corporation has initiated legal action against the defaulting Channel Patners / NGOs u/s 138 as well as for civil suits. The cumulative Status of legal cases is as under

Particulars	Criminal Suits	Civil Suit	Civil Suit filed by others	Arbitration	Total
Cases under Process	-	1	1	0	2
Decree Execution in process	-	1	-	0	1
Cases dismissed	-	0	-	0	-
Total	-	2	1	0	3

Note 43 The Income of the Corporation is exempted from tax under section 10 (26b) of the Income Tax Act, 1961. Thus no provision for Income Tax is Required . Consiquently the provision of IndAs - 12 'Income Tax is not Applicable.

Note 44 Provision of 'Non - Banking Finance Companies Acceptance of Public Deposit (Reserve Bank) directions 1998' are not applicable to the Corporation.

Note 45 In the opinion of Board /Management, the assets, Loans and Advances have a realisable value of at least equal to the amount at which they are stated in the Balance sheet if realised in the ordinary course of business.

Note 46 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Madhya Pradesh and out of this state a new state of Chhattisgarh was formed in the year 2000. The loan was given to Madhya Pradesh State Channelising Agencies prior to division of the state and are guaranteed by the State Government of Madhya Pradesh for repayment to NBCFDC. The loan was given to the erstwhile State, however, the successor State has not repaid its liability of Rs.373.76 lakhs (Rs. 366.08 lakhs as at 31.03.2019) to NBCFDC and hence the loan outstanding is accounted for in the name of the erstwhile state.

Note 47 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Bihar and out of this state a new states of Jharkahnd was formed respectively in the year

टिप्पणी 41 माइक्रो, स्माल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट ऐक्ट, 2006 की धारा 22 के तहत वांछित

(लाख रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई अवशेष मूलधन राशि	1.92	3.41
(ii) वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा नहीं की गई धनराशि पर देय ब्याज	-	-
(iii) निश्चित तिथि के बाद प्रदत्त ब्याज की धनराशि के साथ-साथ किया गया भुगतान	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय ब्याज की धनराशि और देय राशि	-	-
(v) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और अवशेष बकाया धनराशि	-	-
(vi) आगामी वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य बकाया धनराशि, जब तक कि उस तिथि को जब उपरोक्तानुसार ब्याज देय हो, वास्तव में भुगतान किए जाते हैं।	-	-

प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर इन पार्टियों की सीमा की पहचान की गई है व सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया राशि का निर्धारण किया गया है।

इस पर लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

टिप्पणी 42

टिप्पणी 42.1 निगम ने डिफाल्ट चैनल सहभागियों / गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया है और निगम के पास किसी भी भुगतान का कोई दायित्व नहीं है।

टिप्पणी 42.2 निगम ने धारा 138 के तहत चूक करने वाले चैनल सहभागियों / गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सिविल अभियोग शुरू किया है। कानूनी मामलों की संचयी स्थिति निम्नानुसार है:-

विवरण	अपराधिक केस	नागरिक केस	अन्य द्वारा दायर किए गए नागरिक केस	विवाचन / मध्यस्थता	योग
प्रक्रियाधीन मामले	-	1	1	0	2
प्रक्रिया में न्यायिक निर्णय	-	1	-	0	1
खारिज केस	-	0	-	0	-
योग	-	2	1	0	3

टिप्पणी 43 निगम की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के तहत कर से छूट दी गई है। इस प्रकार आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है। विशेष रूप से इंडस्ट्रीज के प्रावधान -12 'आयकर लागू नहीं है।

टिप्पणी 44 1998 के सार्वजनिक जमा (रिजर्व बैंक) के गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के प्रावधान निगम के लिए लागू नहीं है।

टिप्पणी 45 निदेशक मण्डल / प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य अवधि में व्यवसाय किया गया है, परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य माना जाता है जिस पर उनका तुलन-पत्र में उल्लेख किया गया है।

टिप्पणी 46 संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ और वर्ष 2000 में इस राज्य से छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। राज्य के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को ऋण दिया गया था और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ऋण चुकाने के लिए इसकी गारंटी है। ऋण पूर्ववर्ती राज्य को दिया गया था, हालांकि, उत्तराधिकारी राज्य ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को रु. 373.76 (31.03.2019 को रु. 366.08 लाख) की अपनी देयता का भुगतान नहीं किया है और इसलिए बकाया ऋण का दायित्व पूर्ववर्ती राज्य का है।

टिप्पणी 47 संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप, बिहार राज्य का विभाजन हुआ और इस राज्य से झारखंड नाम के एक नए राज्य का गठन 2000 में किया गया था। उत्तराधिकारी राज्य की परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व का

2000. Pending the apportionment of Assets and Liabilities between SCAs of successor States, the Corporation has shown the loan outstanding against the SCAs of erstwhile State, which is subject to confirmation.

Note 48

1. The company has adopted Ind AS 116 (Leases) in accordance with applicable financial reporting framework, due to adoption of this there is no material impact on financial statements of NBCFDC.
2. Expenses relating to the short-term operating leases as per Ind AS 116 are as follows-

Nature of Expenses	Amount (Rs. Lakhs)
Rent	152.41
Hiring of Vehicle	7.67
Security & Other Services Charges	54.52
Total	214.60

Note 49

Civil & interior renovation work of 1600 Sq. Ft of office was awarded to NCI Global Infratech in January '2020 of Rs.57.40 Lakh. An amount of Rs 19.34 Lakh given as advance for purchase of Furniture & Fixture. The same is yet to be installed Hence the amount of Advance shown as Capital advance. The work is held up due to covid - 19 pandemic.

Note 50

Previous year's figures have been regrouped /reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification/ disclosure.

Note 51

Approval of financial Statement

The Financial Statement were approved for issue by the Board of Directors on 29/7/2020

Signatories to Note 1 to 51

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
For N.S.K. CHAUHAN & ASSOCIATES
 Chartered Accountant
 FRN 013940N

Sd/-
AJIT KUMAR SAMAL
 G. M (Finance)
 & Company Secretary

Sd/-
Dr. S.S. ACHARYA
 Director
 (DIN No. 06727939)

Sd/-
K. NARAYAN
 Managing Director
 (DIN No.03561648)

Sd/-
 Partner: N.K.S.Chauhan
 M. No. 088165

Place : New Delhi
 Date : 29-07-2020

बटवारा नव सृजित राज्य की एस.सी.ए. में मध्य होना लंबित है, निगम ने इसे पूर्ववर्ती राज्य की एस.एस.सी. के नाम दर्शाया है, जो पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी 48

1. कंपनी ने भारतीय लेखाकरण मानक 116 (लीज) को वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार अंगीकार किया है; इसके अंगीकरण के कारण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
2. भारतीय लेखाकरण मानक 116 के अनुसार संक्षिप्त अवधि के परिसंचालन लीज से संबंधित व्यय निम्नानुसार है—

व्यय की प्रकृति	धनराशि (रू./लाख)
किराया	152.41
वहनों को किराए पर लेना	7.67
सुरक्षा और अन्य सेवाओं के प्रभार	54.52
योग	214.60

टिप्पणी 49

कार्यालय के 1600 वर्ग फुट के सिविल व नवीनीकरण के कार्य को एन.सी.आई ग्लोबल इन्फ्राटेक को जनवरी, 2020 में रू. 57.40 लाख में प्रदान किया गया था। फर्नीचर एवं फिक्सचर के क्रय हेतु रू. 19.34 लाख अग्रिम के रूप में दिया गया था। इसे अभी अधिस्थापित किया जाना है। अतः अग्रिम राशि को 'पूँजी अग्रिम' के रूप में दर्शाया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण कार्य बाधित हुआ है।

टिप्पणी 50

जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के मद्देनजर पुनः समूहीकृत/वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी: 51

वित्तीय विवरण का अनुमोदन

निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय विवरण को अनुमोदित करने हेतु दिनांक 29/07/2020 को जारी किया गया।

टिप्पणी 1 से 51 तक के हस्ताक्षरकर्ता

कृते एन. के. एस. चौहान एण्ड एसोशिएट्स

निदेशक मण्डल के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/—

चाटर्ड एकाउन्टेंट्स
एफआरएन 013940एन

ह0/—

अजित कुमार सामल
महाप्रबंधक (वित्त)
एवं कम्पनी सचिव

ह0/—

डॉ० एस. एस. आचार्य
निदेशक
(डिन सं. 06727939)

ह0/—

के. नारायण
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03561648)

भागीदार: एन.के.एस.चौहान

सदस्य सं. 088165

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.07.2020



राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

5वीं मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3, सिरी इंस्टीट्यूशन एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
ई-मेल: info@nbcfdc.gov.in | वेबसाइट: www.nbcfdc.gov.in

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Industitution Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016
E-mail: info@nbcfdc.gov.in | Website: www.nbcfdc.gov.in